षोडश माला, खंड 9, अंक 28

गुरुवार, 30 अप्रैल, 2015

10 वैशाख, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 9 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2015 / 1937 (शक)

अंक 28, गुरुवार, 30 अप्रैल, 2015 / 10 वैशाख, 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1]*तारांकित प्रश्न संख्या 521 से 524	12-39
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न क्रमांक 525 से 540	40
अतारांकित प्रश्न संख्या 5981-6198	40
सभा पटल पर रखे गए पत्र	41-70
राज्य सभा से संदेश	71, 281-284
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक	71
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	72

[1]* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

कार्य मंत्रणा समिति

17वां प्रतिवेदन 74

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(एक) तीसरा और चौथा प्रतिवेदन 74

(दो) विवरण 75

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

9वें से तेरहवाँ प्रतिवेदन 76

मंत्री द्वारा वक्तव्य

इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री विष्णु देव साय 77

सभा का कार्य 78-99

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

वित्त विधेयक 2015 में संशोधन के संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी का संदेश 100

वित्त विधेयक, 2015 101

प्रो. के.वी. थोमस 112-134

श्री निशिकांत दुबे 135-149

डॉ. पी. वेणुगोपाल 150-153

श्री भर्तृहरि महताब 154-162

प्रो. सौगत राय 163-167

श्री आनंदराव अडसुल 168-171

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु	172-174
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी	175-179
श्री पी. करूणाकरन	180-184
श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी	185-188
श्री सी. एन. जयदेवन	189-191
श्री के.एच. मुनियप्पा	192-194
श्री एन के प्रेमचन्द्रन	195-196
श्री के. सी. वेणुगोपाल	197-201
श्री अरुण जेटली	202
विचार करने के लिए प्रस्ताव	234
खंड 2 से 188 और 1	234--279
पारित करने के लिए प्रस्ताव	280

<u>लोक सभा के पदाधिकारी</u>

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुकुमदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रल्हाद जोशी

डॉ. रत्ना (नाग) डे

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा

गुरुवार, 30, अप्रैल 2015 / वैशाख 10, वर्ष 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री रवनीत सिंह और श्री पी. करुणाकरण से स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई हैं। यद्यपि ये मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दिन के कामकाज में व्यवधान डालने योग्य नहीं हैं। इस मामले को अन्य अवसरों के माध्यम से उठाया जा सकता है। इसलिए,मैं स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अनुमति नहीं देती हूं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्षः आप इसे शून्यकाल में उठा सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्षः जब भी 'शून्यकाल' होगा, आप उस समय इसे उठा सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्षः मैं अनुमति नहीं दे रही हूं। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्षः जब भी शून्य काल होगा, आप इसे उठा सकते हैं, अभी नहीं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्षः जब भी ज़ीरो ऑवर होगा, मैं आप लोगों को बोलने का मौका दूंगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः मैं अनुमति नहीं दूंगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं इसकी गंभीरता भी जानती हूं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 521 श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी वृत्तांत में नहीं जाएगा।

… (व्यवधान) …[2*]

[2*]कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

माननीय अध्यक्ष: अब प्रश्न संख्या 521, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

(प्रश्न संख्या 521)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: माननीय अध्यक्ष महोदया, यह एक स्वीकृत तथ्य है और यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि न्याय में देरी, न्याय से इनकार के समान है। इसका मतलब है कि देरी न्याय को हरा देती है। इसलिए, उत्तर से ही यह बहुत स्पष्ट है कि न्याय से वंचित कर दिया जाता है क्योंकि लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है।

इसी प्रकार, मुकदमेबाजी का खर्च भी बढ़ रहा है, जिसके कारण आम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय मिलना बहुत महंगा मामला हो गया है। इसलिए, मुकदमेबाजी की लंबित संख्या को कम करने और हमारे देश में न्यायिक प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, हमारे देश में एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रस्ताव काफी समय से लंबित था। लेकिन यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के बावज़ूद हमारे पास इस तरह की सेवा नहीं है। वर्ष 1955 में पहले विधि आयोग की सिफारिशों से, हमारे देश में एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रस्ताव था। आठवें विधि आयोग ने अपनी 77वें प्रतिवेदन में, 11वें विधि आयोग ने अपनी 116वें प्रतिवेदन में तथा यहां तक कि वर्ष 1999 में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने भी अपनी सभी प्रतिवेदनों में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के साथ-साथ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का समर्थन किया था।

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

माननीय अध्यक्ष: कृपया पूरक प्रश्न पूछें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : मैं पूरक प्रश्न पर आ रहा हूं। शोर के कारण मैं इसे बेहतर तरीके से नहीं बना सका।

महोदया, यहां तक कि संविधान को 42वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था और अनुच्छेद 312 को संशोधित किया गया था ताकि एक स्पष्ट प्रावधान को शामिल किया जा सके ताकि एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग और एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा हो सके।

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर के अंतिम भाग पर जा रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से सहमत हूं। विभिन्न राज्यों और उच्च न्यायालयों के बीच मतभेद हैं। मैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होने में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करता हूं। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का निर्णय संसद की भावना के अनुरूप नहीं है, फिर भी मैं सरकार के कार्य की सराहना करता हूं। आपके माध्यम से भारत सरकार से मेरा विनम्र प्रश्न महोदया, यह है कि क्या भारत की सरकार, जैसा कि उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक के मामले में किया है, राज्यों और उच्च न्यायालयों के बीच एक आम सहमति बनाने की पहल करेगी ताकि भारत में न्यायिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमारे देश में एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के साथ-साथ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा हो सके।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपने मित्र श्री प्रेमचन्द्रन द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत हूं। लेकिन मैं यह स्वीकार नहीं करता कि लंबित मामलों की संख्या बढ़ी है। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं। लंबित मामलों की संख्या कम हो गई है। वास्तव में, मुकदमों को दाखिल करने की संख्या बढ़ गई है। मैं इन मुद्दों पर एक-एक करके आऊंगा।

जहां तक दाखिल मुकदमों का संबंध है, वर्ष 2010 में यह सर्वोच्च न्यायालय में 78,280 था। यह वर्ष 2014 में 89,164 तक चला गया है लेकिन लंबित मामलों की संख्या कम हो गई है। जहां तक लंबित मामलों की संख्या का संबंध है, यह वर्ष 2010 में 54,652 था। लेकिन नए मामलों की संख्या में वृद्धि के बाद भी लंबित मामलों की संख्या अब कम हो गई है। लंबित मामलों की संख्या वर्ष 2012 में 66,692 थी; यह वर्ष 2013 में 66,349 थी; यह वर्ष 2014 में 62,791 थी; और अब यह 61,081 है। उच्चतम न्यायालय में नए मामलों की संख्या में वृद्धि के बाद भी लंबित मामलों की संख्या में धीरे-धीरे कमी आ रही है।

इसी तरह, उच्च न्यायालयों में भी, वर्ष 2010 से 2014 तक, मामलों की संख्या 18,64,975 से 20,06,338 तक जा रही है। लेकिन, लंबित मामलों की संख्या कम हो गई है। वर्ष 2011 में, लंबित मामलों की संख्या 43,22,198 थी; 2012 में, यह 44,34,191 थी; और अब यह 41,53,957 पर आ गई है।

इसी प्रकार, यह अधीनस्थ न्यायालयों में भी कम हो गई है। लेकिन मेरे मित्र ने सही कहा है कि एन.जे.ए.सी. की तरह, यदि हम अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के मामले में पहल करेंगे, तो निश्चित रूप से अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यापक गुंजाइश उपलब्ध होगी और इससे मामलों का निपटान अधिक से अधिक हो सकेगा। केवल एक चीज है जो मैं अपने विद्वान मित्र के ध्यान में लाना चाहूंगा। सरकार की ओर से कई बार प्रयास किए गए। उन्होंने जो कुछ भी कहा, वह बिल्कुल सही है कि कई कानून आयोगों ने इस दिशा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। वर्ष 2009 में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की बैठक में यह मुख्य मुद्दा था। इस पर विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन एक ही बात है कि अधीनस्थ न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालयों के नियंत्रण में है इसलिए उच्च न्यायालयों से परामर्श किए जाने की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं राज्य सरकारों द्वारा दी जाएंगी, इसलिए इस मामले में उच्च न्यायालयों के साथ-साथ मुख्यमंत्रियों की राय भी बहुत मायने रखती है।

वर्ष 2009 में, इस मामले पर मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में बहस हुई थी। फिर से इस कार्यसूची को वर्ष 2013 में आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में शामिल किया गया था। उस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि इन मुद्दों पर और विचार करने की आवश्यकता है।

लेकिन हमने इस मुद्दे को नहीं छोड़ा है। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद मैंने स्वयं मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों को पत्र लिखा। यहां तक कि पिछले महीने हुई उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी इस मुद्दे पर विस्तार से बहस हुई थी। निःसंदेह, पूर्व अवसरों पर भी इस पर विचार किया गया था। मेरे पास पूरी जानकारी है। मैं विभिन्न उच्च न्यायालयों और विभिन्न मुख्यमंत्रियों की राय के संबंध में विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं, जिन्हें लिया गया है। लेकिन अलग-अलग राय मिली है। अधिकांश उच्च न्यायालयों को लगता है कि यह विभिन्न कारणों से संभव नहीं होगा। राज्यों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी प्रस्ताव भेजे गए थे। इस मामले में अधिकांश उच्च न्यायालयों और राज्यों को मजबूत आरक्षण है। अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालयों के नियंत्रण को कमजोर कर दिया जाएगा। यह उनके मन की नीयत में से एक है। भाषा की समस्या मुख्य न्यायाधीशों के साथ-साथ मुख्यमंत्रियों की एक और चिंता है। बेशक, अनुच्छेद 235 कहता है कि उच्च न्यायालयों का चयन, नियुक्ति, स्थानांतरण और अनुशासन के मामलों में पूर्ण नियंत्रण होगा। ये सभी उच्च न्यायालयों से जाएंगे और इस तरह उन्हें लगता है कि यदि यह न्यायिक सेवा गठित की जाती है तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों का प्रबंधन करने में कठिनाई होगी। पदोन्नति के अवसर भी कम होंगे। यह उनके दिमाग में है। युवा न्यायाधीश अंदर आएंगे और इस तरह पदोन्नति के लिए विचार किए जाने पर युवा न्यायाधीश, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को पछाड़ देंगे। तो, ये सभी पहलू हैं।

निस्संदेह, माननीय सदस्य श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा दी गई राय वास्तव में समय की मांग है। हमें इस पर काम करना होगा। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ अधिक विचार-विमर्श की आवश्यकता है। किसी भी तरह इस मामले में आम सहमति बनाई जानी चाहिए।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं। इन सभी 60 वर्षों के लिए विचार-विमर्श, चर्चा, संकल्प और सिफारिशें थीं लेकिन कुछ नहीं हुआ था। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस संबंध में पहल करें।

मेरा दूसरा अनुपूरक भारतीय न्यायिक प्रणाली के विकेंद्रीकरण के संबंध में है। मुकदमेबाजी की लम्बिता को कम करने और मुकदमेबाजी के खर्च को कम करने के लिए, न्यायिक प्रणाली का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। मेरे अनुपूरक के दो भाग हैं। मेरे अनुपूरक का पहला भाग यह है कि क्या दक्षिण भारत में किसी भी राज्य की राजधानियों में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ का गठन किया जाएगा। मेरे अनुपूरक का दूसरा भाग यह है। जहां तक केरल का संबंध है, भारत की एकमात्र राज्य राजधानी, यानी तिरूवनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की पीठ नहीं है। जहां तक केरल का संबंध है यह काफी अनुचित और अन्यायपूर्ण है। जसवंत सिंह आयोग की प्रतिवेदन भी इसमें है। जिन राज्यों की राजधानियों में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ नहीं है, उन्हें उच्च न्यायालय की न्यायपीठ प्रदान की जानी चाहिए। यह जसवंत सिंह आयोग की प्रतिवेदन थी जो बहुत पहले दी गई थी।

इसलिए, मेरे अनुपूरक के मेरे दो भाग हैं: क्या दक्षिण भारत में किसी भी राज्य की राजधानियों में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ का गठन किया जाएगा; और क्या तिरूवनन्तपुरम में एक उच्च न्यायालय की पीठ का गठन किया जाएगा, जो केरल की राज्य की राजधानी है।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: महोदया, यह मांग पिछले कई वर्षों से चल रही है। कई बार कागजात पेश किए जा चुके हैं। लेकिन अंततः, सर्वोच्च न्यायालय ने हर अवसर पर, विभिन्न भागों में एक पीठ रखने से इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की एक पूर्ण न्यायालय की बैठक तब हुई जब इस दिशा में सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा गया और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

बेशक, संविधान के अनुच्छेद 130 के तहत, राज्य सरकार को संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, केंद्र को एक प्रस्ताव भेजना चाहिए। सभी अदालती मामलों को मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रशासित

किया जा रहा है, और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री न्यायालय की सभी बुनियादी सुविधाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन दो लोगों को एक साथ बैठना चाहिए, और यदि वे केंद्र के पास एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाएगा।

मैं अपने मित्र श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन की बात से असहमत नहीं हूं। निश्चित रूप से, संसद को कानून बनाने की शक्ति मिली है, लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक जांच के अधीन है। यहां हम जो कुछ भी करते हैं, अंतत: जब यह उच्चतम न्यायालय में जाएगा, तो न्यायिक संवीक्षा हमारे पक्ष में नहीं होगी। तो, किसी तरह हमें एक रास्ता खोजना होगा। हम इसके लिए प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से, इससे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भी मामलों की लम्बिता कम होगी।

इतना ही नहीं, मेरे मित्र श्री प्रेमचन्द्रन जी ने जो कहा, यदि ये सब काम हो जाएं तो मुकदमेबाजी की लागत भी कम हो जाएगी। देश के विभिन्न भागों से अनेक अनुरोध मेरे पास आए हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश से। … (*व्यवधान*) मैं स्वीकार करता हूं। यहां तक कि तेलंगाना में एक अलग उच्च न्यायालय का अनुरोध भी आया है। ये सारी बातें सरकार के सामने हैं। हम उन पर काम कर रहे हैं।

श्री पी.पी. चौहान: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

हमारे सामने शीघ्र और सस्ता न्याय मुख्य चिंता है। मुकदमेबाजी के खर्च और लंबित **मामलों** को कम करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए, हमने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 स्थापित किया था। इसके तहत, राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे देश में मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर 5,067 अदालतें स्थापित करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को उनके घर पर शीघ्र और सस्ता न्याय प्रदान किया जा सके। अब तक, 10 राज्यों में अधिसूचित 194 ग्राम न्यायालयों में से, 159 चालू हैं। नियमित न्यायालयों के समवर्ती क्षेत्राधिकार के कारण पुलिस अधिकारियों और अन्य राज्य पदाधिकारियों द्वारा ग्राम न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को लागू

करने में अनिच्छा है। विभिन्न राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की धीमी गति एक गंभीर चिंता का विषय है।

महोदया, माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि क्या विभाग प्राप्त अनुभव के आलोक में सम्पूर्ण मामले की समीक्षा करेगा तथा शीघ्रता से ऐसे तरीके निकालेगा जिससे लोगों को उनके घर-द्वार पर न्याय मिल सके,

जो कि ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 का मूल उद्देश्य है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे ग्राम न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव करती है जहां नियमित न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हों। आज तक, देश के विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में 20,000,064 मामले लंबित हैं। इसके अलावा, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 41.5 लाख मामले लंबित हैं।

जहां तक रिक्ति भाग का संबंध है, अधीनस्थ न्यायालयों में 4,580 रिक्तियां हैं; और उच्च न्यायालयों में 364 रिक्तियां हैं। इसलिए, हमें न केवल सस्ते और त्वरित न्याय का ध्यान रखना होगा, बल्कि हमें रिक्तियों को भी भरना होगा। साथ ही हमें देश के सभी हिस्सों में न्यायालयों का आधुनिकीकरण भी करना होगा।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदया, ग्राम न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। केंद्र सरकार यहां अपना पक्ष रखने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए है ताकि ग्राम न्यायालय स्थापित किए जा सकें और अच्छी तरह से काम कर सकें।

हालांकि ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 लागू है, फिर भी यह उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है, जो उस अधिनियम में उन्नत थे। अब ग्राम न्यायालय के गठन के साथ आगे बढ़ना राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। निश्चित रूप से, केंद्र सरकार उनकी सहायता के लिए यहां है।

श्री एम.आई. शनवास: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कोई बैठक नहीं कर सकता। न्यायाधीश इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश समिति में भाग नहीं ले रहे हैं क्योंकि वहां एक मामला लंबित है। अब, विधायिका की सर्वोच्चता है; संसद है। हमने एक अधिनियम पारित किया है। लेकिन उस कानून पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रवैये से काम नहीं हो रहा है।

इसलिए, सरकार इस गतिरोध से दूर होने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदया, यह मामला उच्चतम न्यायालय में *विचाराधीन* है। मैं खुद को विस्तार में जाने से रोकूंगा। लेकिन अभी भी सभी सदस्य सरकार से यह सुनने के लिए उत्सुक हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने पहले ही इसे अधिसूचित कर दिया है। … (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: आप सदन को गुमराह क्यों कर रहे हैं?

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: कृपया मेरी बात सुनें… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदया, दूसरी तरफ से भी दबाव आ रहा है। कानून मंत्री के रूप में, अदालत में क्या चल रहा है, इस विवरण में जाना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन मैं सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बता रहा हूं।

हमने संशोधनों को अधिसूचित किया है, अधिनियम को अधिसूचित किया है और नियम तैयार किए हैं। हमने माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से अनुरोध किया कि वे दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चयन में भाग लें। इस बीच, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के प्रधानमंत्री जी को

एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया है कि चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और वह इस चयन प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थ हैं। इसलिए हमने न्यायालय से मदद मांगी। हमने न्यायालय से अनुरोध किया कि ये ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं। जहां तक इस मामले का संबंध है, हम न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे। इसके अलावा, मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मामला *न्यायालय में विचाराधीन* है।

श्री बी. विनोद कुमार: महोदया, माननीय मंत्री जी ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का विस्तृत उत्तर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे पास कम्प्यूटरीकरण सहित अदालतों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा होना चाहिए। मेरा प्रश्न न्यायपालिका के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में है। अदालतों में कागज आधारित कार्यालय प्रक्रियाएं मामलों के विचाराधीनता में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत इस समस्या को हल करने के लिए, मिशन मोड परियोजनाओं में से एक ई-कोर्ट थी। इसे न्यायालय प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए बनाया गया था। हालाँकि, अब, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस के लिए धन देना बंद कर दिया है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं की है। तो, ई-कोर्ट मिशन की विशेषता क्या होगी, जिसे हमने पहले ही शुरू कर दिया है? निचली न्यायपालिका में कम्प्यूटरीकरण कैसे एक वास्तविकता बन जाएगा?

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपने मित्र द्वारा व्यक्त की गई राय से पूरी तरह असहमत हूं। बेशक, चरण-1 मार्च, 2015 तक पूरा हो गया है और हमने इस परियोजना को अपनाया है और 13,672 अदालतों को 31 मार्च, 2015 तक कम्प्यूटरीकृत किया गया है। लगभग 95 प्रतिशत परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

अब, हम ई-कोर्ट परियोजना का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं। इस वर्ष के लिए पहले ही 220 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जा चुके हैं। इसलिए, पहले चरण को दूसरे चरण में समाहित किया जाएगा और हम इसके साथ

आगे बढ़ रहे हैं। हम देखिएगे कि न्यायपालिका के लिए डिजिटलीकरण और एक केंद्रीय डेटा ग्रिड का गठन किया जाए। इसे शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जाएगा और व्यावहारिक रूप से, 14वें वित्त आयोग में न्यायपालिका के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि निश्चित रूप से हम न्यायपालिका के लिए उन आबंटन का उपयोग करेंगे और हम अदालतों के डिजिटलीकरण की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे।

डॉ. एम. थम्बीदुरई: माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी-अभी माननीय कानून मंत्री ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश को दो व्यक्तियों का चयन करना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समिति में शामिल होने के लिए खुद को रोक रहे हैं ताकि दो व्यक्तित्वों का चयन न किया जा सके। मान लीजिए, प्रधानमंत्री जी और मुख्य न्यायाधीश बैठक में शामिल होते हैं और विपक्ष के नेता बैठक में शामिल नहीं होते हैं, उस समय कानून मंत्री जी क्या करेंगे?

अब, मुख्य न्यायाधीश समिति में भाग नहीं ले रहे हैं। अब, वे दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन करने की स्थिति में नहीं हैं। तीन लोग हैं। यहां तक कि जब दो व्यक्ति समिति में शामिल होते हैं, तो वे दो व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं। वे भारत के मुख्य न्यायाधीश का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हमारी संसद सर्वोच्च है। हमने कानून बनाया। जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, तो केंद्र ने इसे अधिसूचित भी किया है। केंद्र ने इसे राजपत्र में अधिसूचित किया है। जब इतनी कड़ी कार्रवाई की गई है, तो फिर कानून मंत्री जी को यह कहने से क्या रोक रहा है कि मामला न्यायालय में *विचाराधीन है* और वे आगे कार्रवाई नहीं कर सकते। यह सब कुछ एक तरह का भ्रम पैदा कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष: आप की बात को अच्छी तरह से सुन लिया गया है।

भर्तृहरि महताब: महोदया, आज एक शून्यता है। न्यायाधीशों का चयन करने के लिए कोई निकाय नहीं है।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: महोदया, हमारी सरकार निश्चित रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने का इरादा नहीं रखती है। मैं इसे बहुत स्पष्ट कर रहा हूं। साथ ही हम संसद की सर्वोच्चता को भी बनाए रखना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष ने पूछा है कि यदि गतिरोध जारी रहा तो हम क्या करेंगे? आप देखिए, न्यायालय ने पहले ही कहा है कि 15 दिनों के भीतर वे सुनवाई की प्रक्रिया, यानि बहस और अन्य चीजें पूरी कर लेंगे और निर्णय देंगे। यह न्यायाधीश का संस्करण है जो पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं। … (*व्यवधान*) नहीं,

उन्होंने कहा है कि वे जारी रखेंगे। … (*व्यवधान*) कृपया प्रतीक्षा करें। मैं उस पर आ रहा हूं। इस सरकार ने इसकी सूचना दे दी है। हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे ही अधिसूचना जारी हुई, हम दोनों प्रतिष्ठित हस्तियों के चयन के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। इसके लिए ही मैंने स्वयं पहल की और मैंने उन दो अन्य व्यक्तियों से मुलाकात की जिन्हें माननीय प्रधान मंत्री के साथ बैठकर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन करना है।

अब, हमने अदालत से निर्देश मांगा है। जब मामला अदालत के समक्ष लंबित होगा, तो निश्चित रूप से संवैधानिक दायित्वों को सरकार उठाएगी। इस कारण हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा और निश्चित रूप से हम वापस नहीं जा रहे हैं। संसद की सर्वोच्चता का ध्यान निश्चित रूप से हमारी सरकार द्वारा रखा जाएगा, और हम देखिएगे कि निर्णय आने के बाद एन.जे.ए.सी. जल्द से जल्द आएगा।

(प्रश्न संख्या 522)

डॉ. रवीन्द्र बाबू: माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने उत्तर में अंतिम अनुच्छेद में बताया है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से 15,828 मेगावाट क्षमता प्राप्त की गई है। मैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों के प्रमुखों को जानना चाहता हूं, चाहे इसमें ज्वारीय शक्ति या पवन ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा शामिल हो। क्या उन्हें कोल-बेड मीथेन के बारे में पता है जो पहले से ही कोयले के नीचे मौजूद है? क्या वे सभी ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत का हिस्सा हैं? या, क्या ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत का कोई अन्य हिस्सा है?

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदया, नवीकरणीय ऊर्जा में हम सौर ऊर्जा को शामिल करते हैं; हम पवन ऊर्जा को शामिल करते हैं; हम 25 मेगावाट से कम क्षमता वाले जलविद्युत संयंत्रों को शामिल करते हैं; तथा हम बायोमास, अपशिष्ट से ऊर्जा तथा इस प्रकार के अन्य स्त्रोतों को भी शामिल करते हैं। परमाणु एक अलग शीर्षक है। यह नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आ रहा है। 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली बड़ी जलविद्युत परियोजना एक अलग शीर्ष है। जाहिर है, कोयला मीथेन-आधारित प्रौद्योगिकी या प्राकृतिक गैस-आधारित प्रौद्योगिकी को तापीय के तहत माना जाता है जैसा कि दुनिया भर में स्थापित प्रथा है।

डॉ. रवीन्द्र बाबू: माननीय अध्यक्ष महोदया, देश कोयले का भी बहुत अधिक आयात करता है। कोयला दो प्रकार का होता है, एक बिटुमिनस कोयला और दूसरा वाष्प कोयला। क्या मंत्री जी को कोयले के आयात में उत्पन्न किसी द्वंद्व या किसी विवाद के बारे में पता है? ये दोनों कोयला आयात के समय दो अलग-अलग प्रकार की कीमतों और विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों को आकर्षित करते हैं। इससे पहले भी कई विवाद उत्पन्न हुए थे और कई कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे तथा उन पर निर्णय भी लिए गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन बेईमान प्रथाओं के लिए किसी आयात को ब्लैकलिस्ट किया गया है।

श्री पीयूष गोयल: हां, यह कोयले से संबंधित प्रश्न है और यहां हम बिजली पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे माननीय सदस्य महोदया, आपके माध्यम से यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कोयले का आयात सकल

कैलोरी मान के आधार पर किया जाता है। अलग-अलग जी.सी.वी. हैं। देश की कोकिंग कोयले आवश्यकताएं आमतौर पर आयात के लिए जाती हैं या इसे बड़े पैमाने पर इस्पात उद्योग के लिए आयात किया जाता था। भारत में विशेषकर कोकिंग कोयले के भंडार की कमी है और हमारा अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भी हम कोकिंग कोयले का आयात करते रहेंगे। थर्मल कोयला, जो कम कैलोरी मान वाला तथा निम्न श्रेणी का कोयला है, के संदर्भ में भारत के पास पर्याप्त क्षमता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पर्याप्त खनन नहीं किया गया, पर्याप्त खदानें नहीं खोली गईं तथा तापीय कोयला क्षेत्र की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा।

मुझे आपके माध्यम से इस सम्मानित सभा और सदस्य को यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत के कोयला उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जो पिछले 23 वर्षों का रिकॉर्ड है, जहां कोल इंडिया ने पिछले वर्ष उत्पादन में सात प्रतिशत की वृद्धि की है। यह 23 वर्षों का रिकॉर्ड है। भारत में कुल कोयला उत्पादन में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, फिर से 23 वर्षों का रिकॉर्ड है। चालू वर्ष में हम कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए इस आक्रामक अभियान को जारी रखने की योजना बना रहे हैं। मुझे सभा को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 28 अप्रैल तक, यानी अप्रैल के पहले 28 दिनों में अकेले कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला उत्पादन में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विकास की इस गति को देखते हुए, हमें पूरा विश्वास है कि अगले एक या दो वर्षों में हम तापीय कोक का आयात बंद कर सकेंगे, जबकि कोकिंग कोयले का आयात तब तक जारी रहेगा जब तक हम और अधिक भंडारों की खोज करने में सक्षम नहीं हो जाते।

धन्यवाद।

श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी: महोदया, हमारे किसानों को बिजली की जरूरत है और हमारे शहरों को रहने योग्य बनाने के लिए बिजली की जरूरत है। तेलंगाना एक बिजली की कमी वाला राज्य है और हमारे पड़ोसी राज्य, आंध्र प्रदेश के साथ हमारे कई विवाद चल रहे हैं, लेकिन फिर भी पिछले 20 वर्षों में पहली बार, अप्रैल के अंत में हमारे यहां बिजली कटौती नहीं हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ऊर्जा विनिमय से बिजली खरीद रहे हैं।

ऊर्जा विनिमय में, ऊर्जा की लागत हर 15 मिनट में बदलती है और हम ट्रेडिंग और ऊर्जा खरीद रहे हैं। कभी-कभी हम रु. 8 या रु. 9 प्रति यूनिट का भुगतान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि बिजली कटौती न हो।

हैदराबाद में जीवन की गुणवत्ता को मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे में नंबर एक का दर्जा दिया गया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। इसका कारण यह है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं कि हमारे किसान और हमारे शहर बिजली कटौती से पीड़ित न हों।

मेरा प्रश्न विशेष रूप से शंकरपल्ली गैस ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है जो हैदराबाद शहर को समर्पित एक ऊर्जा संयंत्र था। आज़ादी से पहले ही, हम पूरे भारत के पहले शहर थे, जिनके पास हैदराबाद शहर के लिए एक समर्पित ऊर्जा संयंत्र था। अब, हमारे पास कोई समर्पित ऊर्जा संयंत्र नहीं है। शांकरपल्ली गैस ऊर्जा संयंत्र को वर्ष 2000 में मंजूरी दी गई थी और किसानों से 200 एकड़ भूमि ली गई थी। वहां क्रिकेट का मैदान है और वहां एक सब-स्टेशन है, लेकिन वहां ऊर्जा संयंत्र नहीं है। मुझे लगता है, भूमि को वापस करने या हैदराबाद के लिए ऊर्जा संयंत्र लगाने के दो विकल्पों में से एक बहुत महत्वपूर्ण है। या कम से कम, किसानों को सब्जियां उगाने दें ताकि बिजली की आपूर्ति करने के बजाय, हम हैदराबाद शहर में सब्जियों की आपूर्ति कर सकें।

धन्यवाद।

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत सही कहा है कि तेलंगाना में अतीत में बिजली की कमी थी। मैं राज्य सरकार की सराहना करना चाहूंगा कि उसने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है तथा तेलंगाना के निवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए एक्सचेंज से या कहीं और से बिजली खरीदी है। यह एक सक्रिय और स्वागत योग्य दृष्टिकोण है।

वास्तव में, सभी राज्यों को इस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। पूरे देश में विनिमयों में पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। कई माननीय सदस्य मुझसे मिलकर अधिक बिजली की मांग कर रहे हैं तथा अनुरोध कर रहे हैं कि बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। महोदया, मैं आपके माध्यम से इस महती सदन को सूचित करना चाहता हूं

कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो भारत के अधिकांश भागों में अधिशेष बिजली है। राज्यों को बिजली खरीद के लिए दीर्घकालिक समझौते हेतु विनिमय से या अस्थायी ऊर्जा खरीद अनुबंध के माध्यम से बिजली खरीदनी होती है। दुखद बात यह है कि राज्य अपने निवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त बिजली प्राप्त या खरीद नहीं रहे हैं। मैं दोहराना चाहूंगा कि देश में पर्याप्त बिजली है और मैं अधिक राज्यों से बिजली खरीदने का आग्रह करता हूं।

दरअसल, माननीय सदस्य ने रु. 8 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने की बात कही थी। कल अपराह्न 3.30 बजे मैं पॉवरग्रिड निगरानी कार्यालय में था, जहां हम विनिमय दर देख रहे थे। महोदया, कल दोपहर 3.30 बजे बिजली शून्य रूपये प्रति यूनिट पर उपलब्ध थी। वास्तव में, आप वास्तविक समय की कीमत देख सकते हैं। बिजली इतनी अधिक थी कि लोग शून्य रुपये प्रति इकाई पर बिजली देने को इच्छुक थे क्योंकि उस बिजली का उपयोग करने का कोई और तरीका नहीं है। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि और अधिक राज्य आएंगे, अधिक बिजली खरीदेंगे और दीर्घकालिक समझौते करेंगे।

जहां तक शंकरपल्ली गैस ऊर्जा संयंत्र के विशिष्ट प्रश्न का संबंध है, माननीय सदस्य को ज्ञात है कि देश में गैस की आपूर्ति कम है। गैस की कमी है और लगभग 14,000 मेगावाट गैस आधारित संयंत्र फंसे हुए हैं और परिचालन में नहीं हैं। अन्य 9,000 मेगावाट से 10,000 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र पर्याप्त गैस के अभाव में कम पी.एल.एफ. पर काम कर रहे हैं। पिछले पांच या छह वर्षों में, भारत का गैस उत्पादन या तो स्थिर रहा है या गिर गया है। इसलिए, हम एक प्रस्ताव, एक योजना लेकर आए हैं, जिसके तहत हम एल.एन.जी. का आयात करेंगे और पहले से ही बंद पड़े संयंत्रों को कुछ मात्रा में गैस उपलब्ध कराएंगे, ताकि वे कम से कम 25 से 30 प्रतिशत क्षमता पर चल सकें। हम ऊर्जा प्रणाली विकास निधि, पी.एस.डी.एफ. से सब्सिडी देंगे, ताकि राज्यों, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, नई दिल्ली और जहां भी गैस-आधारित संयंत्र हैं, को सक्षम बनाने के

लिए गैस-आधारित बिजली के उत्पादन को सब्सिडी दी जा सके, ताकि वे उन्हें कुछ परिचालन क्षमता पर चला सकें और विशेष रूप से शहरों की कठिनाइयों को दूर कर सकें।

मैं आपके राज्य को इसकी सिफारिश करूंगा, क्योंकि यह निर्णय राज्य को लेना है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं यह सिफारिश करूंगा कि अब गैस आधारित बिजली संयंत्र स्थापित न किए जाएं। हमारे पास पहले से ही पर्याप्त क्षमता है, जो अभी भी उपलब्ध है। हमारे पास देश में पर्याप्त गैस नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि वे गैस-आधारित संयंत्र के लिए जाने के बजाय उसी भूमि में सौर-आधारित संयंत्र स्थापित करते हैं।

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी : महोदया, सरकार ने देश को विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक योजनाएं बनाई हैं। थर्मल पावर परियोजना के उन्नयन, पुनरूद्धार तथा सोलर एनर्जी का उपयोग और प्रबन्धन करके सरकार ने सार्थक प्रयास किए हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या 11वीं और 12वीं योजना अवधि के दौरान सरकारी व निजी निवेश से स्थापित किए जाने वाली प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना कर ली गई है तथा 12वीं और 13वीं योजना के लिए विद्युत पारेषण पर होने वाले प्रस्तावित व्यय का आंकलन कर लिया गया है, यदि हाँ तो उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तावित धनराशि क्या है? क्या इन योजनाओं के पूर्ण होने पर हमारे देश में सभी को बिजली उपलब्ध कराने व इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य पूर्णतया या कितने प्रतिशत प्राप्त कर लिया जाएगा?

श्री पीयूष गोयल : माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न उठाया है, इसमें 11वीं और 12वीं योजना में कई बिजली उत्पादन के प्लांट लगने थे, अंदाजन 114 प्लांट ऐसे हैं, जो कोल बेस्ड प्लांट हैं और डिलेड चल रहे हैं। इसकी पूरी सूची मेरे उत्तर के साथ संलग्न है। दुर्भाग्य से कई कारणों से देश में ये प्लांट्स आने में देरी हुई है। कहीं लैंड

एक्वीजिशन हो, कहीं कोयले की आपूर्ति में पहले कमी रहती थी, कहीं ऑर्डर प्लेस करने में, कहीं फाइनेंशियल डिफिकल्टी रहती थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार के प्रयास से पिछले एक वर्ष में मुझे आपको बताते हुए

खुशी है कि लगभग 22,500 मेगावाट के इंस्टॉल बेस्ड के प्लांट्स इस देश में कैपेसिटी जेनरेशन एडिशन हुए हैं। इसकी वजह से जो पावर जनरेशन है, इसमें भी लगभग 81 बिलियन यूनिट यानी 8.4 परसेंट वृद्धि हुई है। यह कई वर्षों का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। जैसा मैंने पहले बताया आज यह स्थिति है कि देश में बिजली ज्यादा है और खरीददार कम हैं। मैं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से दरख्वास्त करूँगा। मुलायम सिंह जी यहाँ उपस्थित नहीं है, अगर वे मैसेज ले जाएं कि उत्तर प्रदेश भी जल्द से जल्द पीपीएस खोले, जल्द से जल्द बाजार से बिजली खरीदे तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक को बिजली की कमी नहीं होगी।

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदया, अभी कोल विद्युत के बारे में बात हो रही है। मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, सुपौल में कटैया थर्मल पावर है, जिसकी कई वर्षों से एक यूनिट बंद थी और एक यूनिट हाल ही में दो महीने पहले बंद हुई है। नहर में पानी रहता है तो वह यूनिट चलती है। तकरीबन 30 से 34 यूनिट बिजली वहां से मिलती है। क्या सरकार की कोई योजना नार्थ बिहार को सुदृढ़ करने के लिए बनी है? वैसे भी बिहार बिजली के काफी कट से बंधा हुआ है, क्या कटैया थर्मल पॉवर को दोबारा से चालू करने की कोई योजना सरकार के पास है?

श्री पीयूष गोयल : मैडम स्पीकर, हमारी बहन सांसदा ने बिल्कुल ठीक बात कही कि बिहार में कई वर्षों से बिजली की कमी रही है। मैं भी जब बिहार में रिव्यू करने गया, तब स्थिति देखकर हमने पाया कि पर-कैपिटा कंजप्शन बिहार का देश में सबसे कम है। अगर सिर्फ बिहार के खुद के उत्पादन को देखिए तो शायद तीन सौ, साढ़े तीन सौ मेगावाट ही है। पूरे बिहार से चालीस सांसद इस सदन में आते हैं, जिस क्षेत्र में लगभग आठ-दस करोड़ वोटर रहते हैं, लोग तो शायद उससे भी ज्यादा हों, उसमें सिर्फ साढ़े तीन सौ मेगावॉट उत्पादन होना, एक तरीके से बहुत दुख की बात है। वहां की सरकार ने इतने वर्षों में इस विषय पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया

। हमने सरकार में आते ही बिहार के जितने भी प्लांट्स रेनोवेशन में थे, उनको तेजी से चालू करने की प्रक्रिया की। मैं स्वयं गया। वहां पर कई प्लांट्स का रेनोवेशन कंप्लीट किया गया है। हम हर महीने उसकी क्लोज मानिटरिंग कर रहे हैं। आगे वाले दिनों में एनटीपीसी के दो और प्लांट्स, शायद बरौनी की भी एक यूनिट रेनोवेशन में है, वह चालू हो जाएगी। इसी के साथ-साथ हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन जी की रिक्वेस्ट पर बाड में जब हम प्लांट का उद्घाटन करने गए थे, तब इसकी स्वीकृति दी थी। वहां पर एक यू.एम.पी.पी. जिसका काम कई पूर्व मंत्रियों ने भी शुरू किया था, हमने कोयला मंत्रालय में यह प्रयास किया है कि वहां के लिए कोयले का आबंटन हो, लेकिन वह काम कई वर्षों से मझधार में पड़ा हुआ था। हमारी सरकार ने कोयले का ब्लॉक आईडैन्टीफाई कर दिया है। हम जल्द ही बिहार के लिए कोयले का ब्लॉक देंगे जिससे 4000 मेगावाट का यू.एम.पी.पी. बिहार में लग सके और बिहार की जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सके।

[अनुवाद]

श्री कलिकेश एन सिंह देव: महोदया, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि बिजली अधिक है और मांग कम है। लेकिन वह एक लेखाकार है और वह जानते हैं कि मांग भुगतान करने की क्षमता और भुगतान करने की इच्छा का एक कारक है। ऐसे वातावरण में जहां अधिकांश गैस-आधारित बिजली संयंत्र कम पी.एल.एफ. पर या आयातित एल.एन.जी. पर यू.एस. $ 12-18 प्रति यूनिट पर चल रहे हैं, बिजली बहुत महंगी होने जा रही है। दूसरी ओर, कोयला आधारित बिजली संयंत्र, जो कोयले की कमी से जूझ रहे हैं, अब ज्यादातर आयातित कोयले पर चल रहे हैं और परिणामस्वरूप, बिजली महंगी है। यहां तक कि सौर ऊर्जा भी अब रु. 7 प्रति यूनिट की दर से उत्पादित की जा रही है, जबकि अधिकांश बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं से रु. 4.50 या रु. 5 प्रति यूनिट से अधिक शुल्क नहीं लेते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि वे उच्च कीमतों पर 24/7 बिजली कैसे देंगे। प्रश्न यह है कि वे सस्ती कीमतों पर बिजली कैसे देंगे ताकि देश में गरीब वास्तव में उस बिजली को खरीद सके।

इस संदर्भ में, माननीय मंत्री 24/7 बिजली उपलब्ध कराने के अपने वादे को कैसे पूरा करेंगे?

श्री पीयूष गोयल: महोदया, मेरे सम्मानीय सहकर्मी ने बहुत ही उचित मुद्दा उठाया है। मैं जोर-जोर से कह रहा हूं कि हम न केवल 24/7 घंटे बिजली देंगे, बल्कि गुणवत्तापूर्ण बिजली, सस्ती बिजली और निर्बाध बिजली देंगे। मैं उन कुछ कदमों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो हमने बिजली उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ उसे किफायती बनाए रखने के लिए उठाए हैं।

सबसे पहले, ऐसा लगता है कि मेरे सम्मानित सहयोगी गैस की कीमतों का पालन नहीं करते हैं। वर्तमान समय में एल.एन.जी. लगभग 8 अमेरिकी डॉलर में उपलब्ध है और अवतरण होने पर यह लगभग 9 या 9.5 अमेरिकी डॉलर में उपलब्ध होगी। हमने उद्योग को समर्थन दिया है और हम बिजली की लागत को 5.50 रुपये से नीचे लाने के लिए सब्सिडी या मूल्य समर्थन दे रहे हैं तथा इसे प्रभावी बना रहे हैं, विशेषकर जब इसका उपयोग अधिकतम मांग के समय में किया जाता है, ताकि अधिकतम मांग को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके।

दूसरा, कोयला आधारित संयंत्र वर्तमान में केवल तटीय क्षेत्र में ही आयात कर रहे हैं और कोयले की कीमतों में कमी आई है, कोयले की कीमत अनुचित रूप से अधिक महंगी नहीं है, चाहे वह परिवहन के माध्यम से देश के भीतर से वितरित हो या आयातित हो। उन्होंने कहा कि, एक राष्ट्र के रूप में हमें आत्मनिर्भर बनना होगा और हमारी योजना कम से कम तापीय कोयले के आयात को समाप्त करने की है।

मेरे मित्र ने बताया कि सौर ऊर्जा अब 7 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। यह सी.ई.आर.सी. की अंतिम दर है। सरकार इस लागत को 5 रुपए प्रति इकाई से नीचे लाने के लिए काम कर रही है, जिसके लिए हम नवीन वित्तपोषण मॉडल पर विचार कर रहे हैं। मैं डेवलपर्स को डॉलर टैरिफ की पेशकश करने और एन.टी.पी.सी. को नवीकरणीय ऊर्जा के एग्रीगेटर के रूप में एक बिजली खरीदार के साथ एक स्व-हेजिंग तंत्र बनाने पर विचार कर रहा हूं; शायद, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (पी.टी.सी.); और यह सुनिश्चित करना कि हम ब्याज की लागत को कम करें जो वर्तमान में देश में अत्यधिक है, कुछ ऐसा जो एक विरासत मुद्दा है और सरकार के नियंत्रण में नहीं है, और सौर ऊर्जा को अधिक किफायती बनाएं।

इसके अलावा, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोयला संधि को युक्तिसंगत बनाया जाए - इससे लगभग 6,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। हमने यह सुनिश्चित किया है कि कोयला ब्लॉकों का आबंटन रिवर्स बिडिंग प्रक्रिया के तहत हो - जिससे लगभग 69,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कंपनियों को अपने कोयले इंटर से संयंत्रों का आदान-प्रदान और स्वैप करने की अनुमति दी जाए ताकि वे पिटहेड संयंत्रों पर अधिक कोयले का उपयोग करें, जिससे उत्पादन की लागत में कमी आएगी। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पर्याप्त कोयला जाए ताकि पी.एल.एफ. बढ़े और प्रति यूनिट नियत शुल्क कम हो।

महोदया, मैं और भी बातें कह सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रश्नकाल समाप्त हो चुका होगा। हम बिजली की लागत को कम करने के अपने प्रयास में बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री आभिषेक सिंह जी।

श्री आभिषेक सिंह: अध्यक्ष महोदया, मेरा सवाल अगले प्रश्न ’टोल प्लाजा’ से संबंधित सवाल है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

खड़गे जी, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं उसके बारे में उन्होंने डिटेल दिया है लेकिन मैं एक ही क्लैरिफिकैशन पूछना चाहता हूं कि बहुत जगह उसकी कॉस्ट इसलिए ज्यादा हुई है, क्योंकि आप जो कोल माइन्स का एलॉटमेन्ट करते हैं, उदाहरण के लिए कर्नाटक के लिए कोल माइन्स का एलॉटमेन्ट झारखंड से किया जाएगा तो नेचुरली उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। अगर आपने आंध्र प्रदेश से किया तो वहां कॉस्ट कम हो जाती है। कभी-कभी कॉस्ट हमारी पॉलिसी, ऐलॉटमैंट की वजह से भी बढ़ती है। मैं चाहूंगा कि अगर आप नजदीक की खान से उन राज्यों को कोल ऐलॉटमैंट करें तो कॉस्ट प्रोडक्शन कम होती है। एग्रीकल्चर के लिए जो पम्प सैट यूज करते हैं, वे हर जगह एजिटेट कर रहे हैं कि उन्हें रैगुलर सप्लाई नहीं मिलती। अगर उन्हें रैगुलर सप्लाई

देनी है तो भारत सरकार की ओर से कुछ सब्सिडी भी देनी होगी। राज्य सरकार भी सब्सिडी देती है। अगर उन्हें दोनों साइड्स से सब्सिडी मिले और कॉस्ट कम हुई तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी बूस्ट आता है। क्या आप यह करेंगे?

श्री पीयूष गोयल : माननीय खड़गे जी ने दो बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं। मैडम, सबसे पहले मुझे आपके माध्यम से सदन को यह बताते हुए खुशी है कि अब राज्य सरकारों को जो कोल ब्लॉक्स का आबंटन हुआ, उसमें यह विषय खास तौर पर ध्यान रखा गया कि जिस राज्य को कोल ब्लॉक दिया जा रहा है, उसे सबसे नजदीक ब्लॉक मिले जिससे उसकी बिजली की कीमत कम हो। उसके लिए कमेटी बैठी जिसने कुछ मापदंड तय किए जिसमें प्रमुख मापदंड यह था कि नजदीक के माइन्स हों। उस मापदंड के हिसाब से रिकमैंड किया। मैं माननीय खड़गे जी को यह भी बताना चाहूंगा कि मैंने उस कमेटी की सभी रिकमैंडेशन्स को स्वीकार किया, लेकिन माननीय खड़गे जी और कर्नाटक के सभी माननीय सदस्यों की रिक्वैस्ट पर सिर्फ एक को स्वीकार नहीं किया। महाराष्ट्र स्थित छ: माइन्स जो महाराष्ट्र के पावर प्लांट से बीस किलोमीटर लगकर थीं, जिसके लिए महाराष्ट्र के सभी सांसद और मुख्य मंत्री ने मुझे यहां तक धमकी दी कि अगर आपने वह माइन महाराष्ट्र को नहीं दी तो अगली बार आपको राज्य सभा में नहीं भेजेंगे। ऑफ कोर्स मुझे कर्नाटक के सांसदों ने ऐश्योर किया है कि आपको कर्नाटक से भेजेंगे। मैंने उस कमेटी की एक ही रिकमैंडेशन को खारिज किया और वे छ: माइन्स कर्नाटक को दीं जिससे कर्नाटक की बिजली का दाम कम रहे। वे उनकी ऑपरेटिंग माइन्स थीं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या अगली बार आप कर्नाटक से आएंगे?

... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : पहले कर्नाटक को दी गई थीं। मैंने आपके और कर्नाटक के सभी सांसदों की रिक्वैस्ट पर एकमात्र सिफारिश जो मैंने स्वीकार नहीं की, वह थी उन खदानों को कर्नाटक को दे देना। मैं बहुत सचेत हूं कि हमें परिवहन को कम करना होगा; हमें आस-पास के पौधों की ओर लिंकेज को अधिक केंद्रित करना होगा।

उनका दूसरा सवाल बड़ा दिलचस्प है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सरकार किसानों और गरीब लोगों की है। किसानों को बिजली कैसे सस्ती और पर्याप्त मिले, उसके लिए दो प्रमुख बातें बताऊंगा - एक, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जिसके तहत गुजरात की तरह सिर्फ किसानों के लिए अलग फीडर लाइन को केन्द्र सरकार सपोर्ट दे रही है। वह किसानों को पर्याप्त मात्रा में सस्ती बिजली दे सकेगी।...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : इन्होंने विद्युत के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: सिर्फ योजना का नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है।...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : हम किसानों के लिए एक और योजना की कल्पना कर रहे हैं जिसे मैं सदन के सामने रख सकता हूं। कोई और सुझाव हो तो उसे भी वैलकम करूंगा। आज देश में रात को एक रुपये, डेढ़ रुपये बिजली सस्ती है, कई बार और सस्ती बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। मेरा सुझाव है कि अगर राज्य सरकारें सपोर्ट करें तो रात को किसानों को बिजली दें, लेकिन रात को किसानों को काम करने में कठिनाई होती है। हम छोटे वाटर टैंक उनके खेत में लगाएं। रात की बिजली से पानी टैंक में स्टोर करें और दिन में किसान उस पानी से अपने खेत में बीज बो सकते हैं।...(व्यवधान) इस पर आप चर्चा करके हमें सुझाव दीजिए। इससे सस्ती बिजली से लोगों को पर्याप्त पानी मिल सकता है।

(प्रश्न संख्या 523)

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिम्हा: माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रश्न पूछने से पहले मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी को उन टोल प्लाजाओं को समाप्त करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, जहां परियोजना लागत 100 करोड़ रुपये से कम है। उन्होंने पहले ही 16 टोल प्लाजा को समाप्त कर दिया है, और उनमें से चार कर्नाटक में हैं।

माननीय मंत्री जी से मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या सरकार की सभी टोल प्लाजा समाप्त करने की कोई योजना है। मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि टोल प्लाजा पर अत्यधिक देरी और प्रतीक्षा समय के कारण 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ तथा वर्ष 2014-15 में सभी टोल प्लाजा से एकत्रित कुल राजस्व 14,200 करोड़ रुपए था। हमें 14,200 करोड़ रुपये पाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये क्यों गंवाने चाहिए?

श्री पोन राधाकृष्णन: माननीय अध्यक्ष महोदया, राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए हमें बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। सड़कों के रखरखाव और निर्माण के लिए बजटीय आबंटन पर्याप्त नहीं है। इसके चलते सड़क का उपयोग करने वालों को परेशान होना पड़ रहा है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह राजमार्गों के आगे के विकास को प्रभावित करेगा।

श्री प्रताप सिम्हा: महोदया, टोल शुल्क निर्धारण में कोई एकरूपता नहीं है। अलग-अलग टोल प्लाजा पर अलग-अलग शुल्क होते हैं और कंपनियां टोल लेती हैं लेकिन सड़कों का रखरखाव नहीं करती हैं। कुछ टोल सड़कों पर गैर-टोल वैकल्पिक मार्ग नहीं हैं और लोग भुगतान करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए, सभी टोल कार्यों को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और उन्हें अपने संग्रह को सार्वजनिक करना चाहिए। एक बार पूंजीगत लागत और लाभ एकत्र होने के बाद, ऐसी टोल सड़कों को जनता के लिए मुफ्त बनाया जाना चाहिए। सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाएगी?

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदया, बी.ओ.टी., ई.पी.सी. और कई अन्य तरीकों से हम टोल एकत्र कर रहे हैं। हम सड़क की लंबाई के अनुसार टोल की गणना कर रहे हैं। यदि हम एकसमान संग्रह करते हैं, तो यह सड़क उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेगा। केवल इसी कारण से हमारे यहां विभिन्न प्रकार के टोल एकत्र हो रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास सी. तडस: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि रास्ते पीपीपी मोड से बने हुए हैं, जबकि टोल लेने का आधिकार सड़क निर्माण कम्पनी को दे दिया गया है। क्या ऐसी शिकायतें नहीं मिली हैं कि वे एक तय समय के बावजूद बरसों से टोल वसूली कर रहे हैं? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह की अवैध वसूली करने वाली कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है?

[अनुवाद]

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदया, हमें हाल ही में लगभग 21 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और हमने उन टोल प्लाजाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। हाल ही में एक टोल प्लाजा पर हमारे एक सदस्य के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। इसमें भी हमने कार्रवाई की है।

श्री के.एच. मुनियप्पा : महोदया, गड़करी साहब यहां उपस्थित नहीं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा निजीकरण की बात करते हैं जहां सरकार को किसानों के विकास के सामाजिक दायित्व के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करना चाहिए।

जब सरकार टोल प्लाजा को बंद कर रही है, तो उसकी योजना ठेकेदारों को हज़ारों करोड़ रुपये चुकाने की कैसे है? यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं सड़क परिवहन मंत्रालय में भी था। मंत्री ने कहा कि केवल 14,000 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। अनुबंध की राशि चुकाने के लिए लगभग हर

साल 50,000 करोड़ रुपए एकत्र किए जाने हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि उन्होंने टोल प्लाजाओं को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की है?

श्री पोन राधाकृष्णन: माननीय अध्यक्ष महोदया, टोल प्लाजा बंद करना सड़क परियोजनाओं के विकास के लिए अच्छा नहीं है। हम देश में सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बहुत चिंतित हैं। अधिकांश बी.ओ.टी. और ई.पी.सी. प्रणाली सड़क क्षेत्रों में हम टोल एकत्र कर रहे हैं।

(प्रश्न संख्या 524)

श्री ए. अनवर राजा: माननीय अध्यक्ष महोदया, जब प्रश्न विशेष रूप से हिंद महासागर के देशों के बारे में होता है, तो मंत्री महोदय प्रशांत और अटलांटिक महासागर के देशों से संबंधित उत्तर देते हैं। मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि श्रीलंका में भारतीय मूल के लोग और भारत में उनके परिजन रामेश्वरम और तलाइमन्नार के बीच और तूतीकोरिन और कोलंबो के बीच शिपिंग संचालन शुरू होने की बेसब्री से उम्मीद कर रहे हैं। यहां तक कि यू.पी.ए. सरकार ने भी अपने अंतिम वर्ष में बड़े जोर-शोर से ऐसी घोषणाएं की थीं। यहां तक कि यह एन.डी.ए. सरकार भी ऐसी ही घोषणाएं कर रही थी जो मीडिया में व्यापक रूप से देखी गई थीं।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत और श्रीलंका के बीच यात्री शिपिंग संचालन को फिर से क्यों शुरू नहीं किया गया है? पड़ोसी देशों के रूप में, भारत और श्रीलंका के बीच रसद और समुद्री परिवहन में कोई सहयोग क्यों नहीं है?

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदया, वर्ष 2011 में हमारा श्रीलंकाई सरकार के साथ एक समझौता था और हमने तूतीकोरिन और कोलंबो के बीच एक नौका सेवा संचालित की थी। लेकिन तमिलनाडु सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव के माध्यम से उस समय नौका सेवा न शुरू करने का अनुरोध किया। इसकी वजह से, इसके शुरू होने के छह महीने के भीतर, नौका सेवा को रोक दिया गया। अभी भी केन्द्र सरकार इस सेवा को संचालित करने के लिए तैयार है। लेकिन पिछले महीने शिपिंग सचिव द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव के माध्यम से शिपिंग सचिव को एक पत्र भेजकर हमसे यह सेवा संचालित न करने को कहा।

श्री ए. अनवर राजा: महोदया, अनादि काल से भारत और श्रीलंका के बीच माल का आवागमन होता रहा है। आज भी दैनिक आधार पर तूतीकोरिन से कोलंबो में खाद्य पदार्थों और खराब होने वाली सब्जियों सहित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विशेष रूप से पोत परिवहन और विदेश मंत्रालयों, दोनों से लेकर केंद्र सरकार की ओर से तमिलनाडु के प्रति सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है। यह

उदासीन रवैया तमिलनाडु के तट से मछलियां पकड़ने या समुद्री उत्पादों के निर्यात जैसे मुद्दों को हल न करने से स्पष्ट है। यह नए विश्व व्यापार टैरिफ आदि के मद्देनजर किया जाना चाहिए था। क्या माननीय अम्मा के मार्गदर्शन में तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र को मछली पकड़ने से संबंधित बताए गए विचारों पर विचार करते हुए, पहले से हस्ताक्षरित समझौते को नवीनीकृत करना आवश्यक नहीं है?

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदया, यह तमिलनाडु के मुख्य सचिव द्वारा हमारे शिपिंग सचिव को भेजा गया पत्र है। हमारी सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है। हम राज्य सरकार से इन योजनाओं के लिए अच्छा समर्थन देने का अनुरोध कर रहे हैं।

श्री बी. सेनगुट्टुवन: माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मेरा विशेष प्रश्न यह है कि क्या मंत्रालय के पास भारतीय महासागर द्वीपों, विशेष रूप से मालदीव, श्रीलंका और मॉरीशस में बढ़ते चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए कोई विशिष्ट एजेंडा या रणनीति है?

श्री पोन राधाकृष्णन: हमारा चीन और अन्य देशों सहित 16 देशों के साथ समझौता है। हम अपने शिपिंग आंदोलनों के विकास के बारे में बहुत विशेष हैं और हम चीनी के साथ भी बहुत अधिक संपर्क में हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री दुष्यंत सिंह: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने मेक-इन इंडिया के बारे में बात की है, हम अपने देश में शिपिंग को एक प्रमुख बल के रूप में देख रहे हैं। हमारे बंदरगाहों के ड्राफ्ट इष्टतम स्तर तक नहीं हैं। हमें अपने ड्राफ्ट को बेहतर बनाने के लिए ड्रेजिंग की आवश्यकता है। क्या भारत सरकार ने ड्रेजिंग में किसी भी देश के साथ कोई समझौता किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे बंदरगाहों के ड्राफ्ट इष्टतम स्तर के हैं जो जहाजों को हमारे देश में आने में मदद कर सकते हैं और जो हमें हमारे मेक-इन इंडिया उत्पादों को निर्यात करने में मदद करेंगे?

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदया, भारत के ड्रेजिंग निगम के माध्यम से, हम जहां भी आवश्यकता है वहां ड्रेजिंग कर रहे हैं। जहां भी आवश्यकता होगी, हम ड्रेजिंग करेंगे। हम पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी की इच्छाओं के साथ हैं।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

[3*]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 525 से 540
अतारांकित प्रश्न संख्या 5981 से 6198)

[3*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगें।

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा) : महोदया, मैं सभा पटल पर रखने के लिए अनुरोध करता हूं :-

(1) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2455/16/15]

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2456/16/15]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) – संघ सरकार (2015 का संख्यांक 12) (कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा)- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2457/16/15]

(2) भारतीय सौर ऊर्जा निगम तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2458/16/15]

(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 921क(अ) जो 2 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2155(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2459/16/15]

(4) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एल-1/94/सीईआरसी/2011 जो 23 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका शुद्धिपत्र 5 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या 06 में दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2460/16/15]

(5) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत कोयला खान (विशेष उपबंध) संशोधन नियम, 2015 जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 782(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2461/16/15]

(6) वर्ष 2015-2016 के लिए कोयला मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2462/16/15]

[हिन्दी]

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (सुश्री उमा भारती) : अध्यक्ष महोदया, मैं श्री सांवर लाल जाट की ओर से नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2463/16/15]

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): महोदया, मैं सभा पटल पर रखने के लिए अनुरोध करता हूं: -

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (सामुद्रिक दावों के लिए देयता का परिसीमन) नियम, 2015 जो 16 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 98(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2464/16/15]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 521(अ) जो 16 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2015 को वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2465/16/15]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) का.आ. 3296(अ) जो 29 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 (इंडो नेपाल सीमा से वाराणसी) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(2) का.आ. 222(अ) जो 23 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के प्रयोक्ताओं से शुल्क की वसूली/संग्रहण के बारे में है।

(3) का.आ. 291(अ) जो 30 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2492(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(4) का.आ. 333(अ) जो 2 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (बिओरा-एमपी/राजस्थान सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(5) का.आ. 550(अ) जो 17 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 216 (नए एन.एच. 153) (रायगढ़-सारंगढ़-सरायपली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(6) का. आ. 230(अ) जो 23 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (सूरतगढ़-श्रीगंगानगर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(7) का. आ. 640(अ) जो 3 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 221 (नया राजमार्ग संख्या 30) (विजयवाड़ा-भंद्राचलम खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(8) का.आ. 2627(अ) जो 14 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (मुजफ्फरपुर-सोनबरसा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(9) का.आ. 1675(अ) जो 2 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 (महेश खुंट-सोनबरसा राज-सहरसा-मधेपुरा पूर्णिया खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(10) का.आ. 1676(अ) जो 2 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (मुजफ्फरपुर-सोनबरसा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(11) का. आ. 2509(अ) जो 25 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(12) का.आ. 2856(अ) जो 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(13) का.आ. 2434(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (पनगढ़ बाईपास सहित बराकर से पनगढ़) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(14) का.आ. 1709(अ) जो 9 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (फरक्का-रायगंज बाईपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(15) का.आ. 1651(अ) जो 1 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा अधिसूचना संख्या में कतिपय संशोधन किए गए हैं। 11 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3424(अ) तथा 11 नवम्बर, 2013 के का.आ. 3427(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(16) का.आ. 2259(अ) जो 8 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 (खड़गपुर से चिचिरा बाईपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(17) का.आ. 2197(अ) जो 1 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 (खड़गपुर से चिचिरा बाईपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(18) का.आ. 2867(अ) जो 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 32 (बारवा अड्डा से बराकर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(19) का.आ. 2857(अ) जो 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 32 (राजभिटा-राजगंज से लोहपिट्टी बाईपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(20) का.आ. 2624(अ) जो 14 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 33 (रांची-रामगढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(21) का.आ. 2114(अ) जो 22 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 (बारवा अड्डा से बराकर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(22) का.आ. 2076(अ) जो 19 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 (बारवा अड्डा से बराकर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(23) का.आ. 2077(अ) जो 19 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 (बारवा अड्डा से बराकर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(24) का.आ. 2630(अ) जो 14 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 23 (चास-बोकारो- गोला-रामगढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(25) का.आ. 227(अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 33 (महुलिया से बहारागोरा खंड) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 (बहारागोरा से चिचिरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(26) का.आ. 455(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82(गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(27) का.आ. 59(अ) जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(28) का.आ. 123(अ) जो 17 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2(औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(29) का.आ. 1898(अ) जो 25 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 30 (आरा, मोहनिया खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(30) का.आ. 2534(अ) जो 29 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 81 (पश्चिम बंगाल-बिहार खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(31) का.आ. 2420(अ) जो 17 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 (रजौली-नवादा-बिहारशरीफ-बख्तियारपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(32) का.आ. 2557(अ) जो 30 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 717, 31, 31ग और 317 क के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(33) का. आ. 1541(अ) जो 17 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 (रजौली-नवादा-बिहारशरीफ-बख्तियारपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(34) का.आ. 2224(अ) जो 4 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 104 (चकिया बंझुला से बंजारिया खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(35) का.आ. 2533(अ) जो 29 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 131क के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू.अ.), मालदा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकारी किए जाने के बारे में है।

(36) का. आ. 2225(अ) जो 4 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1653(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(37) का.आ. 260(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8ङ (विस्तार) (जूनागढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(38) का.आ. 131(अ) जो 17 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 14 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(39) का.आ. 259(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अगस्त, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1951(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(40) का.आ. 137(अ) जो 17 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(41) का.आ. 66(अ) जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8ङ (भावनगर खंड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(42) का.आ. 63(अ) जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65ङ (सालासार-फतेहपुर-अम्बाला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(43) का.आ. 262(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ङ (भावनगर खंड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(44) का.आ. 67(अ) जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8ङ (भावनगर खंड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(45) का. आ. 3685(अ) जो 17 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (उदयपुर-अहमदाबाद खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(46) का.आ. 69(अ) जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जयपुर-टोंक देवली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(47) का.आ. 61(अ) जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में वडोदरा-मुम्बई एक्सप्रेसवे के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(48) का.आ. 65(अ) जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 (पडी से दहोद खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(49) का.आ. 391(अ) जो 13 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (विस्तार) केनिर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(50) का.आ. 250(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(51) का.आ. 1695(अ) जो 4 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 90 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(52) का.आ. 3101(अ) और का.आ. 3102(अ) जो 9 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(53) का.आ. 2954(अ) जो 21 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (झांजी नदी से अजंता बाईपास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(54) का.आ. 2665(अ) जो 17 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (डिब्रूगढ़ बाईपास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(55) का.आ. 2810(अ) जो 3 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(56) का.आ. 28(अ) और का.आ. 29(अ) जो 2 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (अगरतला-उदयपुर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(57) का.आ. 30(अ) और का.आ. 31(अ) जो 2 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (अगरतला सबरुम खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(58) का.आ. 148(अ) जो 14 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37क के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(59) का.आ. 149(अ) जो 14 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37क और 37 (कलियाबोर तिनियाली कलियाभोमोरा ब्रिज खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(60) का.आ. 694(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न खण्डों के विकास और अनुरक्षण से संबंधित कृत्यों का निष्पादन राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

(61) का. आ. 695(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(62) का.आ. 698(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(63) का. आ. 700(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(64) का.आ. 654(अ) जो 3 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1101(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(65) का. आ. 655(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(66) का.आ. 693(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(67) का.आ. 699(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(68) का.आ. 548(अ) जो 17 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(69) का.आ. 340(अ) जो 5 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (नरवाना से हरियाणा/राजस्थान सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(70) का.आ. 2386(अ) जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (रोहतक-हिसार खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(71) का.आ. 2376(अ) जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (बिलासपुर से नेर चौक खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(72) का.आ. 2871(अ) जो 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (खरार-कुराली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(73) का.आ. 656(अ) जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (सोलन-शिमला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(74) का.आ. 1023(अ) जो 3 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (लुधियाना-चंडीगढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(75) का.आ. 1630(अ) जो 27 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डबवाली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(76) का.आ. 394(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2242(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(77) का. आ. 3221(अ) जो 18 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (सोलन-शिमला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(78) का.आ. 2378(अ) जो 16 सितंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट से अमृतसर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(79) का. आ. 2847(अ) जो 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (किरतपुर-बिलासपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(80) का.आ. 2863(अ) जो 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (खरार-कुराली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(81) का.आ. 245(अ) जो 28 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 (नया एनएच सं. 5) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(82) का.आ. 320(अ) जो 2 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 (नया एन.एच. सं. 5) (लुधियाना-चंडीगढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(83) का.आ. 425(अ) जो 10 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 और राजमार्ग संख्या 65 (अम्बाला-कैथल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(84) का.आ. 808(अ) जो 20 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न खंडों के विकास और अनुरक्षण से संबंधित कृत्यों का निष्पादन करेगी।

(85) का.आ. 809(अ) जो 20 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(86) का.आ. 225(अ) जो 23 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37क (कलियाबोर-तिनियाली-कलियाभोमोरा ब्रिज खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(87) का.आ. 1582(अ) जो 24 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डबवाली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(88) का.आ. 1702(अ) जो 7 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (नरवाना से हरियाणा/राजस्थान सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(89) का. आ. 696(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 147 और अनुसूची में क्रम संख्या 154 के प्रति विनिर्दिष्ट उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया गया है।

(90) का.आ. 697(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(91) का.आ. 723(अ) जो 11 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 861(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(92) का.आ. 724(अ) जो 11 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(93) का. आ. 691(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब, राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 344क के, उसमें उल्लिखित, खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(94) का.आ. 692(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(95) का.आ. 2688(अ) जो 20 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डब्वाली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(96) का. आ. 2896(अ) जो 13 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डबवाली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(97) का.आ. 2611(अ) जो 12 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114(जोधपुर-पोकरन खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(98) का. आ. 2406(अ) जो 17 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ.. 852(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(99) का.आ. 2694(अ) जो 20 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-1 (अहमदाबाद-वडोदरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(100) का.आ. 2862(अ) जो 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ङ (विस्तार) (जूनागढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(101) का.आ. 2707(अ) जो 20 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (जैसलमेर-बाड़मेर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(102) का. आ. 2868(अ) जो 10 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गोमती चौराहा से उदयपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(103) का.आ. 2713(अ) जो 20 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (फतेहपुर-पाली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(104) का.आ. 2612(अ) जो 13 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 (बार-बिलारा-जोधपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(105) का.आ. 2869(अ) जो 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ङ (विस्तार) (जूनागढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(106) का.आ. 2286(अ) जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 (ऊंचा नगला-धोलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(107) का. आ. 1579(अ) जो 24 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/एमपी सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(108) का.आ. 1623(अ) जो 27 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका शुद्धिपत्र 9 जनवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 61(अ) में दिया हुआ है।

(109) का.आ. 1625(अ) जो 27 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (राजगढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(110) का.आ. 1560(अ) जो 18 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 (जोधपुर-बाड़मेर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(111) का.आ. 1628(अ) जो 27 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (फतेहपुर-पाली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(112) का.आ. 1605(अ) जो 25 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका शुद्धिपत्र 13 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2452(अ) में दिया हुआ है।

(113) का.आ. 1281(अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/एमपी सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(114) का.आ. 343(अ) जो 5 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(115) का.आ. 1284(अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(116) का.आ. 535(अ) जो 25 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (राजसमंद से भीलवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(117) का.आ. 828(अ) जो 19 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(118) का.आ. 2411(अ) जो 17 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ङ (विस्तार) (जूनागढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(119) का.आ. 2432(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ.. 474(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(120) का.आ. 2340(अ) जो 15 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(121) का.आ. 2516(अ) जो 25 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वडोदरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(122) का.आ. 2269(अ) जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/एमपी सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(123) का.आ. 2264(अ) जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 (जोधपुर-बाड़मेर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(124) का.आ. 2409(अ) जो 17 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ.. 2377(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(125) का.आ. 2430(अ) जो 18 सितंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (राजकोट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(126) का.आ. 2625(अ) जो 14 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 (बार-बिलारा-जोधपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(127) का.आ. 2711(अ) जो 20 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79क(किशनगढ़-चित्तौड़गढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(128) का.आ. 2408(अ) जो 17 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 (ऊँचानंगला-धोलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(129) का.आ. 2435(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (गिर सोमनाथ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(130) का. आ. 2382(अ) जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ.. 2127(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(131) का.आ. 2261(अ) जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(132) का.आ. 806(अ) जो 15 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/एमपी सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(133) का.आ. 856(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ङ (विस्तार) (गदु-पोरबन्दर-द्वारका खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है। गुजरात राज्य में (गडू-पोरबंदर-द्वारका खंड)।

(134) का.आ. 853(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ङ (विस्तार) (गदु-पोरबन्दर-द्वारका खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है। गुजरात राज्य में (गाडू से द्वारका खंड)।

(135) का.आ. 851(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ङ (विस्तार) (गदु से द्वारका खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(136) का.आ. 474(अ) जो 19 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(137) का.आ. 907(अ) जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वडोदरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(138) का.आ. 660(अ) जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ङ (विस्तार) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(139) का.आ. 1168(अ) जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में वडोदरा-मुबई एक्सप्रेसवे (वडोदरा मुबई खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(140) का.आ. 793(अ) जो 15 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(141) का.आ. 850(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ङ (विस्तार) (गदु से द्वारका खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(4) उपर्युक्त (3) के (सैंतीस) से (इक्यावन) तथा (एक सौ सात) से (एक सौ सत्रह) तक उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2466/16/15]

(5) महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

1. सा.का.नि. 848(अ) जो 28 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2014 का अनुमोदन किया गया है।
2. सा.का.नि. 849(अ) जो 28नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2014 का अनुमोदन किया गया है।
3. सा.का.नि. 731(अ) जो 17 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुर्मूगाव पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2014 का अनुमोदन किया गया है।
4. सा.का.नि. 850(अ) जो 28 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2014 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2467/16/15]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

[हिन्दी]

(1) एम.ओ.आई.एल. लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2468/16/15]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2015 का संख्यांक 10) (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा)-राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय का क्षमता विस्तार, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2469/16/15]

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक [4*]

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की प्रतिवेदन देनी है:-

"मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014, जिसे लोक सभा ने 22 दिसम्बर, 2014 को अपनी बैठक में पारित किया था, को राज्य सभा ने 28 अप्रैल, 2015 को अपनी बैठक में निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित कर दिया है:-

<u>अधिनियमन सूत्र</u>

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1 ***<u>पर</u>*** शब्द “पैंसठवें” के स्थान पर शब्द “छियासठवें” ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए।

<u>खंड 1</u>

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 2, ***<u>में</u>*** "2014" अंक के लिए, "2015" अंक को ***<u>प्रतिस्थापित किया जाए।</u>***

अतः मैं उक्त विधेयक को राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसार इस अनुरोध के साथ वापस भेज रहा हूं कि उक्त संशोधनों पर लोक सभा की सहमति इस सदन को सूचित की जाए।"

[4*] पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2015 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

माननीय अध्यक्ष: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 29 अप्रैल, 2015 को सभा में प्रस्तुत अपनी दूसरी प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को सभा की बैठकों से प्रत्येक के सामने उल्लिखित अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए:

1. डॉ. बंशीलाल महतो	08.12.2014 से 23.12.2014
2. श्री लखन लाल साहू	08.12.2014 से 23.12.2014
3. सुश्री महबूबा मुफ्ती	24.11.2014 से 19.12.2014
4. श्री उदयनराजे प्रतापसिंह भोंसले	24.11.2014 से 23.12.2014
5. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत	23.02.2015 से 20.03.2015
6. श्री शिबु सोरेन	24.11.2014 से 23.12.2014
7. श्री रामचंद्र हंसदा	24.11.2014 से 23.12.2014 और 23.02.2015 से 19.03.2015

8. श्री अशोक कुमार दोहरे	08.12.2014 से 23.12.2014 और 23.02.2015 से 20.03.2015

क्या यह सभा सहमत है कि समिति द्वारा सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य: हां महोदया।

माननीय अध्यक्ष: छुट्टी मंजूर की गई है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

<u>अपराह्न 12.03 ½ बजे</u>

कार्य मंत्रणा समिति

17वां प्रतिवेदन

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का सत्रवहॉं प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(1) तीसरे और चौथे प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : अध्यक्ष महोदया, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित 'भारत सरकार के वरिष्ठ पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा' विषय पर 26वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित 'सरकारी स्कूलों में मिड डे मील स्कीम में अस्पृश्यता का निवारण' विषय पर 30वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन।

(2) विवरण

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, मैं 'एस.आर.डी.एस. 2005 और 2007 के दौरान एन.डी.एम.सी. का एन.एस.ई.एस. द्वारा संविदा आधार पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के दस पूर्व अध्यापकों की सेवा का पर्यवसान' विषय पर 13वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वार की-गई कार्रवाई के बारे में 23वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई दर्शाने वाला अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2014-15) का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

<u>अपराह्न 12.04 ½ बजे</u>

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

9वें से 13वें प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): अध्यक्ष महोदया, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 9वां प्रतिवेदन (माने गए)।

(2) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 10वां प्रतिवेदन (न माने गए)।

(3) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 11वां प्रतिवेदन (माने गए)।

(4) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 12वां प्रतिवेदन (न माने गए)।

(5) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 13वां प्रतिवेदन।

<u>अपराह्न 12.05 बजे</u>

<u>मंत्री द्वारा वक्तव्य</u>

इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2014-15) पर कोयला एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति की तीसरी प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[5*]

[हिन्दी]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

[5*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2470/16/15

<u>अपराह्न 12.06 बजे</u>

सभा का कार्य

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करने के लिए खड़ा हूं कि मंगलवार, 5 मई, 2015 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य निम्नलिखित होंगे:-

1. आज के आदेश पत्र से किए गए सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारित करना:-

   (a) विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015

   (b) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014

   (c) अघोषित विदेशी आय और संपत्ति (कर अधिरोपण) विधेयक, 2015।

   (d) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 – अध्यादेश का स्थान लेगा।

3. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:-

   (a) संविधान (एक सौ उन्नीसवें संशोधन) विधेयक, 2013 - भारत-बांग्लादेश सीमा समझौते से संबंधित)।

   (b) दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014

   (c) वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक विभाजन और उच्च न्यायालय विधेयक का वाणिज्यिक अपील-संबंधी विभाजन, 2015.

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा संसदीय कार्य मंत्री जी के समक्ष एक विषय उठाना चाहता हूं। आपने जो सूची अभी पढ़ी, उस पर कल बी.ए.सी. में चर्चा नहीं हुई थी। ...(व्यवधान) बी.ए.सी. में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि केवल बी.ए.सी. में जिन विषयों पर चर्चा होगी, उसी के आधार पर विषयों को सदन में रखा जाएगा। अध्यक्ष महोदया, आपने भी ये निर्देश दिये थे।

माननीय अध्यक्ष : किस बात के संबंध में?

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : जिन बिल्स का उल्लेख आज मंत्री जी ने सदन में किया है, उन पर बी.ए.सी. में चर्चा ही नहीं हुई है, तो आज सदन में यह किस आधार पर प्रेजेंटेशन किया जा रहा है कि यह अगले हफ्ते की कार्यसूची में रहेगी। स्पष्ट रूप से आपके निर्देश के अनुसार, कल सभी पार्टियों के मेम्बरान बी.ए.सी. में प्रजेंट थे और हमने कहा था कि ये विषय तब तक नहीं रखे जाएंगे, जब तक बी.ए.सी. में चर्चा न की जाए और आपने निदेरशित भी किया था, तो मंत्री जी कौन-से बिल्स के उल्लेख कर रहे हैं, जिन पर बी.ए.सी. में चर्चा नहीं हुई थी।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदया, ज्योतिरादित्य जी उस बैठक में थे और बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने कहा है कि हमारी सरकार के कार्यसूची में अगले हफ्ते ये सभी विषय हैं। लेकिन जब बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी उन पर समय एलोकेट नहीं करेगी, तब तक हम उन विषयों को बिज़नेस लिस्ट में नहीं लगा सकते हैं। ...(व्यवधान) यह हमारी सरकार का प्रस्ताव है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सुझाव है।

... <u>(व्यवधान)</u>

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निर्देश चाहता हूं, साधारण रूप से, जो इस सदन का सदैव इतिहास रहा है कि सरकार बी.ए.सी. में एजेंडा लेकर आती है, उसी पर चर्चा होती है,

उसके बाद उसे सदन के पटल पर रखा जाता है। यह एक नयी परम्परा कैसे शुरू हो रही है कि आप जब भी चाहें बी.ए.सी. के बिना बिल्स पर चर्चा कर लें, तो हम बी.ए.सी. को भंग ही कर दें। ...(व्यवधान) इसका कोई मतलब ही नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, इस पर समय आबंटित नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं समझ गयी, शांत हो जाइए, कृपया मुझे बोलने दें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यदि आपने पूरी कार्यसूची पर ध्यान दिया हो, जैसा मैं समझ रही हूं कि मद सं.9क जो उन्होंने पहले किया। कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन इसे रखा। इसके बाद यह है- सप्ताह के सरकारी कार्य के संबंध में वक्तव्य। जो आने वाला है। इसमें सदस्यों के भी सब्मिशंस रहते हैं कि हमारे विषय भी इसमें ले लीजिएगा। सदस्य इसमें सब्मिशन देते हैं, बाद उसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा जाता है कि इसे लेना है या नहीं, यह बाद की बात है।

... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैडम, पिछले 15 वर्षों का हमारा अनुभव यह रहा है कि जो रिपोर्ट संसदीय कार्य मंत्री सदन में रखते हैं, वह रिपोर्ट वही होती है जिस पर बी.ए.सी. में चर्चा हुई हो। कल बी.ए.सी. की मीटिंग हुई थी, उसमें इन सारे बिल्स पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। अध्यक्ष महोदया, वहां मैंने स्वयं यह मुद्दा आपके समक्ष उठाया था कि लैण्ड एक्वीजिशन एवं बाकी मुद्दों पर कब चर्चा होगी, तब इन्होंने कहा कि अभी हम इन पर चर्चा नहीं करेंगे, बी.ए.सी. में उसे लाएंगे, उसके बाद ही सदन के सामने रखेंगे। यह स्पष्टीकरण आपके सामने रखा गया था। सभी पार्टीज के लीडर्स यहां बैठे हुए हैं। अगर यह उल्लंघन की परम्परा की शुरूआत हो रही है तो बी.ए.सी. को आप भंग कर दें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप मत बोलिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इतना मत बोलिए। अभी मैंने कहा है। दो चीजें हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: एक 9(क) था। आप उसको पढ़ो, इसमें लिखा है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुधवार, 29 अप्रैल, 2015 को हुई। जो 9ए है और उसमें कमेटी ने रिकमेंडेशन्स दी हैं, किसी विषय को एक घण्टा दिया है, किसी के लिए दो घण्टे दिए। उसे उन्होंने 9ए में रखा है। दो बातें हैं। आप 9ए देखिए।

... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : इसमें 9ए नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : अभी रखा है। मैंने एलाऊ किया है।

... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैडम, यह सदन आपका संरक्षण चाहता है। आपके सामने बी.ए.सी. मीटिंग हुई थी। आपने निर्देश दिया था कि बी.ए.सी. में जो चर्चा हुई है, केवल वही अगले हफ्ते का कार्य रहेगा।...(व्यवधान) मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए। रुडी जी, आप बड़े आदमी हैं, उसके बाद आप अपना वक्तव्य दे दीजिएगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, आपके सामने हम सभी सदस्यों ने डिसकस किया था, कई लोगों ने अनेक मुद्दे उठाए थे, सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि यह मुद्दा हम अभी डिसकस नहीं करेंगे क्योंकि ये मुद्दे नेक्स्ट वीक के बिजनेस में नहीं हैं। अगली बी.ए.सी. बैठक में उन पर चर्चा की जाएगी।...(व्यवधान) आप इसे 5 मई से शुरू होने वाले सप्ताह के कामकाज के लिए कैसे ला सकते हैं? सरकार ऐसा कैसे कर सकती है?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं है, आप मेरी बात समझो।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: ये दो अलग-अलग बातें हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैडम, इतने सीनियर मेंबर होते हुए भी, मुझे लगता है...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान) साहब, आप मुझे बोलने तो दीजिए।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैडम, हमें आपका संरक्षण चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपका ही संरक्षण कर रही हूं।

[हिन्दी] ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब मंत्री जी की बात सुनिए। मैंने कह दिया, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : मैडम, आपके सामने बी.ए.सी. में चर्चा हुई थी।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी: क्या मैं उन्हें समझा सकता हूं? … (*व्यवधान*) यह बहुत सरल है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम: मैडम, आपके सामने बी.ए.सी. में चर्चा हुई थी। आप स्वयं बी.ए.सी. की अध्यक्ष हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, मैंने एलाऊ किया है। मुझे मालूम है। मेरे सामने सब लोग हैं।

... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैडम, मैं कहना चाहता हूं।...(व्यवधान) मैं एक छोटा सा आग्रह कर रहा हूं।...(व्यवधान) वे मेरे द्वारा प्रस्तुत दो प्रतिवेदनों के बीच भ्रमित कर रहे हैं... (*व्यवधान*) एक 9(क) है जो वास्तव में कामकाज में सूचीबद्ध नहीं था लेकिन माननीय अध्यक्ष ने हमें अनुमति और छूट दी... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम: मैडम, यह सही नहीं हो रहा है।...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैडम, ये समझने के लिए तैयार नहीं हैं। ...(व्यवधान) 9(क) व्यापार है। आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया: यह नियम नहीं हो सकता। (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा होता है।

... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: माननीय अध्यक्ष ने 9 (क) सूचीबद्ध किया है। कल हमने एक बैठक की। उसे स्पष्ट रूप से पढ़ना चाहिए। इसमें कहा गया है कि कार्य मंत्रणा समिति ने... (*व्यवधान*) महोदया, अगर वे सुनने के लिए

तैयार नहीं हैं, तो कोई बात नहीं है... (*व्यवधान*) आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।...(व्यवधान) कल हमने जो 17वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत की वह बुधवार को थी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 29 अप्रैल, 2015 को हुई... (*व्यवधान*) समिति ने प्रत्येक के खिलाफ दिखाए गए व्यवसाय के निम्नलिखित मदों के लिए समय आबंटित करने की सिफारिश की। विनियोग अधिनियम निरसन विधेयक, 2015; किशोर न्याय विधेयक को दो घंटे आबंटित किया गया था और अचल संपत्ति विधेयक को दो घंटे आबंटित किए गए थे। क्या हमने ऐसा नहीं किया? यह 9(क) था।

आज की कार्यसूची में मद संख्या 14 अगले सप्ताह का सरकारी कार्य है जिस पर माननीय सदस्य अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। यह बी.ए.सी. का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। आप बिल्कुल गलत हैं। आप आज पत्र पढ़ रहे हैं। आप अपना गृहकार्य नहीं कर रहे हैं... (*व्यवधान*)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया: महोदया, उन्होंने जो कुछ भी घोषित किया है वह अगले सप्ताह के लिए कार्य है। उन्होंने जी.एस.टी. विधेयक आदि जैसे जो भी मुद्दे घोषित किए हैं, वे सभी अगले सप्ताह के कामकाज के लिए हैं। जब सदस्यों ने इसे बी.ए.सी. में उठाया तो उन्होंने बी.ए.सी. में इस पर चर्चा क्यों नहीं की? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम अगली बी.ए.सी. बैठक तक इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। वह अब इस मामले को क्यों उठा रहे हैं? यह ठीक नहीं है।

महोदया, वे बी.ए.सी. को हल्के में ले रहें हैं। महोदया, फिर बी.ए.सी. को भंग करना और स्थायी समितियों को भंग करना बेहतर है। यह क्या है? …

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप सब लोग बैठ जाएं और बात को समझें और मेरी बात सुनिए। यह कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी साधारणतः ऐसा होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो कल मीटिंग हुई थी, उसकी रिपोर्ट इन्होंने रख दी। मैं भी कल उस मीटिंग में थी और यह बात हुई थी कि आवश्यकता पड़ेगी तो

हम अगले मंगलवार को फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कुछ बातों पर कर सकते हैं, यह बात हुई थी, इसे तो आप मानेंगे। मंत्री जी ने पहली रिपोर्ट बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रख दी। यह हमेशा होता है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शुक्रवार को या सप्ताह के आखिरी दिन होता है, जिसमें सदस्य सब्मिशन देते हैं। कल सदन नहीं है इसलिए आज गुरुवार को यह हो रहा है। लेकिन यह कुछ अलग है। यह स्टेटमेंट होता है संसदीय कार्य मंत्री का कि हम क्या चाहते हैं और वह आ सकता है या नहीं, उसके लिए अगली बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी ही, और उसके साथ सदस्य अपने सब्मिशन देते हैं कि हमारे विषय भी अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़े जाएं। वे आते हैं या नहीं आते हैं, वह अलग बात है। ये दोनों अलग-अलग मुद्दे हैं और मैंने उन्हें अनुमति दी है। अब यह अंतिम है।

… (*व्यवधान*)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया: महोदया, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब बी.ए.सी. सोमवार या मंगलवार को आयोजित होती है, तब हम चर्चा करते हैं... (*व्यवधान*) आप बैठ जाएं एक मिनट, हर बात पर आप उठ जाते हैं, हर चीज पर आप उठ जाते हैं, आप तो उठे ही रहते हैं...(व्यवधान) महोदया, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब बी.ए.सी. सोमवार या मंगलवार को आयोजित होती है तो हम इस सप्ताह के कामकाज पर चर्चा करते हैं। फिर सरकार निश्चित रूप से अगले सप्ताह के लिए कामकाज के लिए एक बयान देती है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी] **माननीय अध्यक्ष:** सब्मिशन उसके पहले होते हैं, आप इसके पहले का देख लें।

… (*व्यवधान*)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया: लेकिन बी.ए.सी. में, हमने अगले सप्ताह के लिए कामकाज पर चर्चा की थी। यह अलग है, महोदया। हमने इस बी.ए.सी. में अगले सप्ताह के लिए कामकाज पर चर्चा की। आप अतिरिक्त कामकाज कैसे शामिल कर सकते हैं? यह गलत है। महोदया, यह बिल्कुल गलत है। यदि हमने अगले सप्ताह के लिए कामकाज पर चर्चा नहीं की होती। … (*व्यवधान*) लेकिन हमने अगले सप्ताह के लिए कामकाज पर चर्चा की थी। … (*व्यवधान*)

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, हम माननीय सदस्य श्री सिंधिया की चिंता को स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। उन्हें भी एक बहुत ही सरल स्थिति का एहसास होना चाहिए। दो अलग-अलग मद हैं। आपनेकार्य मंत्रणा समितिमें जो चर्चा की वह मद सं 9क है। … (*व्यवधान*) प्रसारित हो या न हो, मद संख्या 9क कार्य मंत्रणा समिति की प्रतिवेदन से संबंधित है। वह प्रतिवेदन आपको दिखाएगी कि आपने कार्य मंत्रणा समिति में वास्तव में क्या चर्चा की थी।

एक अलग मद संख्या 14 है जो सरकारी कार्य के संबंध में मंत्री का विवरण है। अब, सरकारी कार्य के संबंध में मंत्री का वक्तव्य सरकार का अनुरोध है कि बी.ए.सी. और अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन इस पर अगले सप्ताह विचार किया जाए। सप्ताह के बाद, इन दोनों मदों को अलग-अलग सूचीबद्ध किया गया है। यह पहली बार है कि आपके मन में कुछ भ्रम पैदा हुआ है कि दोनों मदें एक हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री सिंधिया, कृपया बैठ जाइये। मैं आपको अनुमति नहीं दे रही हूं।

श्री मोहम्मद सलीम।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… (*व्यवधान*) ... [6*]

श्री मोहम्मद सलीम: मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि आपने क्या कहा है जो वरिष्ठ मंत्री जी ने समझाने की प्रयास की है। आइटम नंबर 9ए यहां पर नहीं है, लेकिन आपके पास दिया हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : मैंने अलाऊ किया है।

[6*]कार्यवाही वृत्तांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद सलीम: आपने अनुमति दी है और यह आपके अधिकार में है।

माननीय अध्यक्ष : क्या मैं यह दे सकती हूं?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम: हां।

[अनुवाद]

आप बी.ए.सी. के सभापति हैं। इसमें सभी राजनीतिक दल हिस्सा ले रहे हैं। यह बी.ए.सी. का अपमान है। कल दोपहर जब हमने सरकार से पूछा - क्योंकि यह आखिरी सप्ताह है - कि भूमि विधेयक का क्या होगा और भारत-बांग्लादेश सीमा समझौते का क्या होगा, तो वहां बैठक में भाग ले रहे मंत्री ने कहा, 'अभी तक कुछ नहीं हुआ है।' लेकिन आज आप इन विधेयकों को लेकर सभा में आ रहे हैं, जबकि कल दोपहर को ही आपने अध्यक्ष और समिति के सामने कहा था कि आपको कोई काम नहीं है। तो, बी.ए.सी. का क्या उपयोग है? हमने अखबार में पढ़ा कि कल मंत्रिमंडल ने कुछ विधेयकों को मंजूरी दे दी है और अब सरकार इन विधेयकों को लेकर आ रही है। तो, संसद और संसदीय समितियों का क्या फ़ायदा है? यह बात है।

श्री तथागत सत्पथी (धेनकनाल): महोदया, मैं यहाँ एक छोटी-सी लाइन रखना चाहूंगा। मैं बी.ए.सी. बैठकों में भाग ले रहा हूं। मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह की घटना पहले कब हुई थी, यदि कभी हुई थी। यदि सरकार की ऐसी मंशा है तो हम सरकार को ऐसी मंशा रखने से नहीं रोक सकते, चाहे वह *दुर्भावनापूर्ण* हो या अन्यथा। ... (*व्यवधान*)

महोदया, जब आपकी सभापति में एक बी.ए.सी. होता है, तो यह माना जाता है कि जो भी चर्चा होती है, वह पवित्र होती है और यही सदन में बी.ए.सी. के प्रतिवेदन के रूप में पढ़ा जाता है। लेकिन जिन बातों पर चर्चा

ही नहीं हुई, उन्हें जोड़ना, मेरा मानना है, बहुत गलत है। मैं यहाँ यह कहना चाहूंगा कि इन विधेयकों पर, उदाहरण के लिए, भूमि विधेयक पर कल चर्चा नहीं हुई थी। धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय, जी बिजनेस अडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट पर वास्तव में चर्चा नहीं होती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। मैं जानती हूं कि आप बहुत होशियार हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं केवल कार्य मंत्रणा समिति के कार्यों से नियम 288 (1) पढ़ूंगा। इसमें कहा गया है: "समिति का कार्य ऐसे सरकारी विधेयकों और अन्य कार्यों के चरण या चरणों पर चर्चा के लिए आबंटित समय की सिफारिश करना होगा, जिन्हें अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से समिति को भेजे जाने का निर्देश दे सकते हैं।"

इसलिए, कार्य मंत्रणा समिति अध्यक्ष के परामर्श से, सदन के नेता के साथ मामलों को उठाएगी, यह कहते हुए कि यह कार्य मंत्रणा समिति का कामकाज होगा। अब, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने सरकारी कार्य की सूची पढ़ते हुए, उदाहरण के लिए भूमि सीमा विधेयक के बारे में बात की, यदि यह राज्य सभा द्वारा पारित हो जाता है। सरकारी कामकाज उस तरह से तय नहीं होता है। आप कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा कर सकते हैं या सरकार यह उल्लेख कर सकती है कि यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित हो चुका है और आप इसके लिए समय आबंटित कर सकते हैं। लेकिन आपने एक विधेयक, जो राज्य सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, को सरकारी कार्य की सूची में शामिल किया है, जो अनसुना है और यह अभूतपूर्व है।

मैं अब तक चुप था क्योंकि मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य नहीं हूं। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री तथागत सत्पथी और श्री जितेन्द्र रेड्डी बी.ए.सी. के सदस्य हैं। तो, मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है। लेकिन अगर यह वही है जो समिति में हुआ है, तो कोई भी मामला जो कार्य मंत्रणा को नहीं भेजा गया है, उसका उल्लेख सरकारी कामकाज की सूची में कैसे किया जाए? ऐसा इसलिए है क्योंकि नियम 288 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस विषय पर चर्चा की जानी है, उसे अध्यक्ष द्वारा सभा के नेता से परामर्श के बाद कार्य मंत्रणा समिति को भेजा जाना चाहिए। इसलिए, अचानक रात में, कोई कैबिनेट का निर्णय लेता है और मंत्री जी को एक नया 9 (क) जोड़ने के लिए कहता है, इसे प्रसारित न करें और इसे प्रस्तावित सरकारी कामकाज के रूप में पढ़ें। यह अपरिपूर्ण और गोपनीय विधि नहीं होनी चाहिए। संसद एक खुला मंच है।

हर किसी को पता होना चाहिए कि चीजें कैसे होती हैं। समिति के सदस्य के रूप में श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस बात का विरोध किया है, मैं उनके विरोध में अपनी आवाज़ उठाता हूं। मेरा कहना है कि श्री रूडी को सरकारी व्यवसाय की उन मदों को वापस लेना चाहिए जिनका उल्लेख कार्य मंत्रणा समिति में उनके द्वारा पढ़ी गई सूची में से नहीं किया गया था।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इस मुद्दे पर इतनी चर्चा नहीं होती है, फिर भी मैं बता रही हूं. पहली बात यह है कि अगर रूल से

...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना) : आपकी रूलिंग के बाद इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : हां, चर्चा नहीं होनी चाहिए, आप एक मिनट बैठिये। पहली बात यह है सौगत राय जी आप इस बात पर एग्री करेंगे कि बिजनेस एडवायजरी कमेटी को टाइम अलाट करना होता है और स्पीकर अगर कुछ

कहे तो दूसरी बात होती है। यह वहाँ है। समिति ने केवल समय की सिफारिश की जो सरकार, विधायी और अन्य कामकाजों को आबंटित किया जाना चाहिए। यह सरकार को तय करना है कि सभा के सामने क्या कामकाज लाना चाहिए और कब लाना चाहिए। यह गवर्नमैन्ट करती है। यदि कोई सदस्य कामकाज के बारे में सुझाव देना चाहता है तो उसे सभा के समक्ष लाया जाए। जो सबमिशंस हम करते हैं। उनको ऐसा तब करना चाहिए जब शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री सभा में वक्तव्य देते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि फ्राइडे को साधारण तौर पर नैक्स्ट वीक का यह स्टेटमैन्ट होता है। चूंकि कल एक प्रकार से छुट्टी है। मैं आपको कभी बाद में दिखाऊंगी कि पहले भी यह दोनों एक साथ हुए हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट भी रखी है और उसके बाद स्टेटमैन्ट आता है कि नैक्स्ट में करेंगे। अब नैक्स्ट इसमें बात यह है कि कल भी चर्चा नहीं होनी चाहिए, मगर बार-बार आप निकाल रहे हो, लैंड एक्युजिशन दिस एंड दैट, तब मैंने आखिरी में यही कहा था ये सब आप अभी कुछ मत करो, अगले सप्ताह में चाहे तो हम मंगलवार को फिर बैठेंगे। मैं आलवेज आपको यह कह रही हूं कि मंगलवार को हम फिर बैठेंगे, आज जो करना है, वह तीन विषय हमने तय कर दिये दैट्स ऑल और उसकी रिपोर्ट हो सकता है कि वह हमारे ध्यान से निकल गई हो, इसलिए मैंने अलाऊ किया कि आप बिजनेस एडवायजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखो। अब इस पर चर्चा नहीं होगी। मैं विनिर्णय देती हूं। जिसमें आपने जो तीन विषयों पर समय दिया था, वह समय इसमें रखा गया, बिजनेस एडवायजरी कमेटी की यह है प्रतिवेदन और जो साधारणतया शुक्रवार को स्टेटमैन्ट होता है कि गवर्नमैन्ट चाहती है कि आने वाले सप्ताह में यह-यह बिजनेस हो और यह स्टेटमैन्ट होता है, ...(व्यवधान) आप बैठिये, मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे रही हूं। कल की बात की आप बार-बार चर्चा मत करो, मैंने कर ली और उस पर अगर सदस्य अपने सबमिशंस देना चाहते हैं कि हमारी बात जोड़ी जाए, वे भी दे सकते हैं। यह अभी तक की साधारण परिपाटी मैं भी सालों-साल से देख रही हूं और उसी के अनुसार काम हो रहा है, कोई भी गलत काम नहीं हो रहा है। यह मेरा विनिर्णय है। अब श्री रामदास तडस, आप बोलिये।

[हिन्दी]

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा की निम्नलिखित समस्या को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ने की कृपा करें --

(1) वर्धा में बने वन-उद्यान में बाघ, चीता, जंगली सुअर, भालू एवं रोई जंगल से बाहर निकल कर खेती को भारी मात्रा में नुकसान तथा आम नागरिकों की हत्याएं भी आए दिन करते रहते हैं। अतः इन जानवरों को रोकने हेतु पूरे जंगल की चारदीवारी की आवश्यकता।

(2) पुलगांव आर्मी कैंप जो एशिया का सबसे बड़ा आर्मी कैंप है, इसकी परिधि में आने वाले पचास गांवों को जो संरक्षण जोन में रखा गया है, उसे अन्य पूर्ववर्ती आम जमीन की जोन में लाने की आवश्यकता।

सधन्यवाद।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़े जाएं।

(1) भूकम्प के पहले एवं भूकम्प के बाद की आपदाग्रस्त परिस्थितियों पर चर्चा, क्योंकि हिमालयन क्षेत्र में बड़े भूकम्प की संभावना है, जो निश्चित ही भारत को प्रभावित करेगी।

(2) स्वायत्तशासी संस्थाओं जैसे यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन आदि की स्वेच्छाचारी गतिविधियों पर चर्चा।

सप्ताह की कार्यसूची में इन विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं --

1. देश में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कम्पनियां काम करती रहती हैं। इन कम्पनियों के कम्पनी आधिनियम के तहत कारपोरेट सोशल रिस्पौंसिबिलिटी (सी.एस.आर.) मद के तहत विभिन्न सामाजिक एवं विकास के कार्य करवाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। लेकिन यह देखने में आया है कि कम्पनियों

द्वारा सीएसआर मद की पूरी राशि खर्च नहीं की जाती है। अतः सीएसआर मद की राशि का पूर्ण खर्च करने एवं कार्यों की समीक्षा के विषय पर चर्चा को आगामी सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाये।

2. देश के कई राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति बहुत खराब है। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 99 चण्दवा-चतरा पथ, जो एन. एच. दो से जोड़ता है, चतरा-हण्टरगंज-डोभी की स्थिति अत्यंत दयनीय एवं खराब है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सही स्थिति एवं विस्तार के लिए कार्य को समय पर पूर्ण किया जाना चाहिए। कार्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर समय सीमा के बार-बार एक्सटेंशन के कारणों के बारे में चर्चा किया जाना आवश्यक है। अतः विषय की गंभीरता को देखते हुए इस विषय को आगामी सप्ताह की चर्चा में सम्मिलित किया जाये।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेंडों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें : -

1. झारखंड प्रदेश के अंतर्गत राँची जिला, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर हाथियों के आतंक से गरीब किसान परेशान हैं। हाथियों द्वारा अनेक लोगों की निर्मम हत्या कर दी गयी है एवं किसानों की हर वर्ष हजारों एकड़ की फसल बार्बाद की जाती रही है। सरकार द्वारा हाथियों के उत्पात मचाने को रोकने हेतु एवं किसानों की बार्बाद फसलों का मुआवजा के भुगतान के साथ-साथ मृत व्यक्तियों का उचित मुआवजा के भुगतान करने हेतु सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए।

2. किसानों का झारखंड प्रदेश के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था सरकार शीघ्र करे ताकि किसान बिचौलियों से मुक्त हो सके एवं किसानों को धान का उचित समर्थन मूल्य मिल सके।

[अनुवाद]

श्री के. परशुरामन (तंजावुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह के लिए निम्नलिखित मदों को कामकाज की सूची में शामिल किया जा सकता है:-

1. तंजावुर और आसपास के 10 जिलों की सभी पंचायतों में ड्रायर सुविधा के साथ गोदाम और कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं।
2. तंजावुर और पट्टुकोट्टई से मन्नारकुडी रेलवे लाइन के लिए पट्टुकोट्टई में तेजी लाने की आवश्यकता है क्योंकि यह पिछले 100 वर्षों से 20 लाख लोगों की आकांक्षा को पूरा करेगा।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मलित किया जाए।

1. डॉ. भीम राव अंबेडकर जी की 125वीं जन्मजयंती पर अनुसूचित जाति, जनजाति बस्तियों में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर अंबेडकर विद्यालयों की स्थापना की जाए।

2. अहमदाबाद से राजकोट राष्ट्रीय राजमार्ग नं - 8 को चार लेन से विस्तृत कर के छह लेन का बनाया जाए।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे आगामी सप्ताह के सरकारी कार्य के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे उठाने की अनुमति दी जाए:-

1. न्यायाधीशों का चयन करने के लिए नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एन.जे.ए.सी.) का हिस्सा बनने के लिए दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामों पर विचार करने के लिए समिति में बैठने से मुख्य न्यायाधीश का इनकार।
2. कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) पर तत्काल काम शुरू करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में नगर पालिकाओं और निगमों के पास विकास के लिए धन की कमी है।

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मलित किया जाएः-

1. देश में बांग्लादेश सीमा के नजदीक सुंदरम प्रदेश क्षेत्र में समन्दर के जल स्तर में हर वर्ष तीन से सात सेंटीमीटर कीी वृद्धि हो रही है। सागरी जल के अतक्रमण से खेती शुष्क हो कर यहां का मत्स्य व्यवसाय खत्म होने से, भुखमरी से स्थानांतरण करने के लिए यहां के लोग मजबूर हो गए हैं और जलस्तर में 45 से.मी. बढ़ोत्तरी होने पर यहां का 70 फीसदी क्षेत्र डूबने का खतरा वैश्विक बैंक के, बिल्डिंग री-सायकलिंग फॉर सस्टेनेबल डेवल्पमेंट ऑफ सुंदर बन्स स्ट्रेटजी रिपोर्ट के अनुसार उजागर हुआ है, मानव द्वारा प्राकृती में बढ़ते हस्तक्षेप पर समय रहते पाबंदी नहीं लगाई तो विश्व में द्वीप पर हुए कई क्षेत्र समंदर में डूबने का पर्यावरणविज्ञों ने गंभीर इशारा दिया है, इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार को शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

2. देश में मुंबई, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के शहरों में पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध बैग्स, रिचार्ज कूपन, वेफर्स, आदि फूड प्रोडक्ट पर एक-दो रूपए ओवर चार्जिंग के नाम पर हर दिन जनता के करोड़ों रूपए लूट होने की बात उजागर हुई है। ओवर चार्जिंग लेने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई कर के आम जनता को उचित दाम में जरूरी चीजें उपलब्ध करने हेतु, सरकार को शीघ्रता से उपाय करके कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: के. सुरेश जी, आपकी ओर से केवल दो विषय ही शामिल किये जा सकते हैं।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह लोक सभा की कार्यसूची में शामिल किया जाए:-

1. पठानापुरम, कोल्लम जिले, केरल में एक एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित करना।
2. कोल्लम, केरल में काजू उद्योग के संवर्धन के लिए एक काजू बोर्ड स्थापित करना।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: अब हम विधायी कार्य शुरू करेंगे।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जैसा कि मैंने घोषित किया है, इस समय शून्य काल नहीं होगा। शाम को आप इसे ले सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.37 बजे</u>

इस समय, श्री रवनीत सिंह, इस समय श्री भगवंत मान और कुछ अन्य मनानीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

माननीय अध्यक्ष: मैं इसकी अनुमति नहीं दे रही हूं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं। हम वित्तीय कामकाज शुरू कर रहे हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप शाम को बोलिएगा।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, इस समय शून्यकाल नहीं होगा। शाम को आप इसे ले सकते हैं लेकिन अब नहीं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: शाम को, अभी नहीं। मैं जीरो ऑवर नहीं दे रही हूं। शाम को बोलिएगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं किसी को भी इसकी अनुमति नहीं दे रही हूं।

…(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… (*व्यवधान*)... [7*]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं। मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करनी है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… (*व्यवधान*)... *

माननीय अध्यक्ष: अभी कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

[7*]कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: मैं किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं दे रही हूं। आपको अपनी सीटों पर वापस जाना होगा। अन्यथा, मैं इसके बीच घोषणा करूँगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आपको अपनी सीटों पर वापस जाना होगा। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)… [8*]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप शाम को इस विषय को उठाइएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शाम को जब जीरो ऑवर होगा, तब आप अपनी बात कहिएगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अपराह्न 12:45 बजे पुनः समवेत होने के लिए लोक सभा स्थगित की जाती है।

अपराह्न 12.40 बजे

[8*]कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसके बाद लोक सभा दोपहर बारह बजकर पैंतालीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 12.45 बजे</u>

लोक सभा दोपहर बारह बजकर पैंतालीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*)

… (*व्यवधान*)

श्री एम. आई. शनवास (वायनाड): महोदया, कृपया मुझे कुछ मिनट का समय दें। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री भगवंत मान (संगरूर): होम मिनिस्टर स्टेटमैंट दे दें। ...(व्यवधान)

<u>अपराह्न 12.45 ½ बजे</u>

<u>अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी</u>

वित्त विधेयक 2015 में संशोधन के संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी का संदेश

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, वित्त विधेयक, 2015 पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व, मैं सभा को सूचित करना चाहती हूं कि मुझे माननीय वित्त मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है कि सरकार विधेयक पर खंड-दर-खंड विचार किए जाने के समय लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी से संबंधित खंड 118 से 142, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन से संबंधित खंड 154 से 157 तथा वित्त अधिनियम, 2005 और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 में संशोधन से संबंधित खंड 184, 185 और 186 को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव करती है।

… (*व्यवधान*)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): मैंने कल से एक दिन पहले यही मुद्दा उठाया था … (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.46 बजे</u>

वित्त विधेयक, 2015

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय वित्त मंत्री जी।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रो. सौगत राय जी, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन पहले बोलेंगे। मैं आपको भी अनुमति दूंगी।

माननीय अध्यक्ष: अध्यक्ष: कृपया बैठ जाएं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्या बात हो गई है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बैठ जाइए।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : अभी ज़ीरो आवर नहीं है। फाइनैंस बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। अब क्या बोल रहे हैं? अब कोई शून्यकाल नहीं। मैंने कहा कि शाम को ज़ीरो आवर में आपको मौका देंगे। आप सुनते नहीं हैं तो मैं क्या करूँ। आज आप ज्यादा गुस्से में हैं, ऐसा लग रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे मेरा व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया बताएं कि किस नियम के तहत?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 110 तथा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 219 (आई) के अंतर्गत है।

महोदया, मैं वित्त विधेयक के संबंध में नियम 219 उद्धृत करना चाहूंगा। ... (*व्यवधान*) महोदया को इसकी अच्छी जानकारी है। यह लोक सभा में प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियमों के नियम 219 (1) के तहत है। इसमें कहा गया है:

> "इस नियम में "वित्त विधेयक" का अर्थ है अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए प्रत्येक वर्ष सामान्य रूप से पेश किया गया विधेयक और इसमें किसी भी अवधि के लिए अनुपूरक वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए एक विधेयक शामिल है।"

महोदया, यह बिल्कुल अलग और पृथक नियम है। 'वित्त विधेयक' का अर्थ है कि यह आने वाले वर्ष के लिए या अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी कर रहा है। जहां तक लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का संबंध है, 'वित्त विधेयक' का मूल सिद्धांत यही है।

अब, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 पर आता हूं। वित्त मंत्री इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यह धन विधेयक की परिभाषा के बारे में है। मैं उद्धृत करता हूं:

"(1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, एक विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि इसमें निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित केवल उपबंध हैं, अर्थात्

(क) किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन;

(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनियमन, या भारत सरकार द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी वित्तीय दायित्वों के संबंध में कानून का संशोधन;..."

मैं अन्य बातों को नहीं पढ़ने जा रहा हूं, जो समेकित निधि धन के संबंध में हैं, जिसे भारत के समेकित निधि से विनियोजित किया जा रहा है।

अंत में, मैं अनुच्छेद 110(छ) पढ़ूंगा, जो कहता हैः

"उप-खंड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से आनुषंगिक कोई भी मामला।"

इसलिए, कोई भी मामला, जो उप-खंड (क) से (च) के लिए आनुषंगिक या परिणामी है, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार धन विधेयक के दायरे में आएगा।

महोदया, अब हम वित्त विधेयक पर आते हैं। कृपया विस्तृत नाम को देखिए। विस्तृत नाम स्वयं बहुत विशिष्ट और स्पष्ट है। इसमें कहा गया है :

'वित्त विधेयक, 2015

वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए एक विधेयक। '

इसलिए, वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय प्रस्तावों या कराधान प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए यह वित्तीय विधेयक है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस मामले में आपकी बुद्धिमत्ता का लाभ उठा रहा हूं। आप कृपया वित्त विधेयक के संबंध में '*काउल और शकधर*' के पृष्ठ 726 को देख सकती हैं। यह भी कहता है:

"वित्त विधेयक का अर्थ है अगले वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए प्रत्येक वर्ष सामान्य रूप से पेश किया गया विधेयक और इसमें किसी भी अवधि के लिए अनुपूरक वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए एक विधेयक शामिल है।"

महोदया, ध्यान देने योग्य तथ्य यह है। इसमें आगे कहा गया है:

"हालांकि, इसमें मौजूदा कानूनों में स्थायी बदलाव करने के उद्देश्य से प्रावधान शामिल नहीं हैं, जब तक कि वे कराधान प्रस्तावों के लिए परिणामी या आकस्मिक न हों।"

इसलिए, *कौल और शकधर* ने इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक कराधान प्रस्ताव परिणामी या प्रासंगिक नहीं होंगे, तब तक वे अनुच्छेद 110 के अंतर्गत वित्त विधेयक या लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 219 में उल्लिखित धन विधेयक के दायरे में नहीं आएंगे।

महोदया, अब मैं धन विधेयक पर आता हूं, जिसका *कौल और शकधर* ने पृष्ठ 530 पर विस्तार से वर्णन किया है। धन विधेयक और वित्तीय विधेयक भी वहां बहुत प्रतिष्ठित हैं। वित्तीय बिलों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी 'ए' के वित्त विधेयक हैं और दूसरा श्रेणी 'बी' के वित्त विधेयक हैं।

श्रेणी 'ख' के वित्त विधेयक उन विधेयकों से निपट रहे हैं, जिनके पास भारत की समेकित निधि से विनियोग है। यह भी अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है।

इस पृष्ठभूमि में, आइए हम वित्त विधेयक की जांच करें। खंड 1 से खंड 117 तक, मैं पूरी तरह से समर्थन और सहमत हूं क्योंकि वे कराधान प्रस्ताव हैं, जो वित्त विधेयक के दायरे में आएंगे।

खंड 118 से 142 पर आते हैं, वे सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी से संबंधित हैं। अब, माननीय अध्यक्ष ने बताया है कि सरकार इस सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी को वापस लेने को तैयार है। यह जानकारी, हमने अभी प्राप्त की है कि सरकार सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी को वापस ले रही है। यह ठीक है और अच्छा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है।

खंड 143 से 150 वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण निधि की स्थापना से संबंधित हैं। महोदया, मैं यह नहीं समझ सकता कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण निधि की स्थापना कैसे होगी। यह कराधान प्रस्ताव, लावारिस या अनसुलझी निधियों का परिणामी या आकस्मिक मामला है, जिसका योगदान वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में किया जाएगा। इसे वित्तीय विधेयक कैसे माना जा सकता है?

खंड 154 से 157 'भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन' से संबंधित हैं। मैंने सुना है कि सरकार भी उनको वापस लेने जा रही है।

खंड 160 से 162 प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में संशोधन से संबंधित हैं। इसलिए, उपरोक्त प्रावधानों के लिए, विशिष्ट और अलग कानून की आवश्यकता है।

महोदया, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेन्सी भारत सरकार का नया नीतिगत मामला है। यह भारत के रिजर्व बैंक के पंखों को कम करने के लिए है। इसलिए, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी में एक नई नीति का मामला है, और वे इसे इस पी.डी.एम.ए. में ला रहे हैं जिसे धन विधेयक में लिया जा रहा है।

इसी प्रकार, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण निधि के लिए, जहां तक वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण का संबंध है, एक अलग कल्याणकारी कानून की आवश्यकता है। इसलिए, मैं एक आशंका व्यक्त करता हूं कि इसे क्यों शामिल किया जा रहा है यह केवल ऊपरी सदन से बचने के लिए है।

माननीय अध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन **:** महोदया, मेरे पास दो और बिंदु हैं।

माननीय अध्यक्ष: मैं जानती हूं कि आप बहुत चतुर हैं, लेकिन ऐसा कुछ न कहें और केवल अपनी बात रखें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन **:** महोदया, थोड़ी राजनीति भी है। यहां, राजनीति बहुत स्पष्ट है।

महोदया, अगर यह धन विधेयक है, तो निश्चित रूप से, संसद की स्थायी समिति विधेयक की जांच नहीं कर सकती है। यह लोकतांत्रिक अधिकार है जिसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए, स्थायी समिति द्वारा जांच से बचा जा सकता है और दूसरे सदन की सिफारिशों की अनिवार्य आवश्यकता से भी बचा जा सकता है। इसलिए, मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यह सदस्यों के साथ-साथ इस सभा के लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और मैं उन अध्यायों की सराहना करता हूं जिन्हें वापस ले लिया गया है और कई अन्य

मामले भी कराधान प्रस्तावों से जुड़े या संबंधित या परिणामी या आनुषंगिक नहीं हैं। इसलिए, इसे वापस लिया जाना चाहिए।

मैं एक मिसाल रखना चाहूंगा। 1 मई, 1956 को, पहले लोक सभा में, एक ऐसी ही बात हुई थी।

माननीय अध्यक्ष: अब आपने अपनी बात कह दी है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन **:** यह बहुत महत्वपूर्ण है। दो पूर्वोदाहरण हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: यहां भाषण नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: यह *भाषण* नहीं है। मैं अध्यक्ष जी द्वारा दिए गए विनिर्णय को उद्धृत करता हूं। यह लोक सभा वाद-विवाद के भाग 2 में स्तंभ 2105 पर 1956 की मात्रा 10 में उपस्थित है। वहां, यह बहुत स्पष्ट है कि तत्कालीन अध्यक्ष ने, मुझे लगता है कि यह मावलंकर जी थे, इस देश में बहुत विद्वान और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। मैं पृष्ठ 222 से पढ़ रहा हूं और उद्धरण स्तंभ 2105 पर 1956 की लोक सभा वाद-विवाद के भाग 2 के खंड 10 से है। वही स्थिति है। तत्कालीन अध्यक्ष का विनिर्णय क्या है? मैं आम तौर पर वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं, सिर्फ़ उनसे ही नहीं, बल्कि तत्कालीन वित्त मंत्री से भी, बल्कि उनके सभी उत्तराधिकारियों से भी, जिनमें माननीय मंत्री अरुण जेटली जी भी शामिल हैं। हालाँकि यह निर्णय वर्ष 1956 में दिया गया था, लेकिन यह इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया था कि ऐसे वित्त मंत्री जी आने वाले हैं या उनके बाद आएंगे और यह सिर्फ़ तत्कालीन वित्त मंत्री ही नहीं बल्कि उनके सभी उत्तराधिकारियों को भी देखना है कि विधेयक में सिर्फ़ उन्हीं प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए जो कराधान बढ़ाने से संबंधित हैं। प्रक्रिया

का पालन किया जाना चाहिए और किसी अन्य प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि वे बिल्कुल परिणामी न हों।

अनुच्छेद 110 भी बहुत स्पष्ट है। इस लेख में 'केवल' शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं 'केवल' शब्द और कराधान प्रस्तावों के बिल्कुल परिणामी शब्द पर जोर देना चाहूंगा।

महोदया, मुझे समय देने के लिए मैं बहुत आभारी हूं। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कृपया इस विधेयक को वापस लिया जाए क्योंकि यह संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन है तथा इस सदन द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रावधानों का उल्लंघन है। कृपया इस विधेयक को वापस लें और एक नया विधेयक लेकर आएं।

महोदया, नये संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। मुझे आज सुबह 9.45 बजे तक संशोधन मिल गए। यह किसी सदस्य विशेष का अधिकार है। मुझे सुबह 9.45 बजे तक संशोधन मिल गए। कठोर संशोधन हैं और संशोधनों की गठरी एक नए विधेयक के बराबर है।

महोदया, यह क्या है? जहां तक संसद का संबंध है, वित्त विधेयक सबसे पवित्र दस्तावेज है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पुराने विधेयक की जगह नया विधेयक सभा में लाया जा रहा है और इतने अध्याय छीन लिए जाते हैं। इसलिए, माननीय मंत्री जी और सरकार से मेरा अनुरोध है कि कृपया इस विधेयक को वापस ले लें और 5 मई, 2015 को एक नया विधेयक लेकर आएं ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें और मतदान कर सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं इस सभा से विनिर्णय चाहता हूं।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, मेरे सहयोगी एम. एन. के. प्रेमचन्द्रन ने मेरा बोझ हल्का कर दिया है। मुझे नियमों का उल्लेख नहीं करना है और न ही मुझे भारत के संविधान का उल्लेख करना है जिसका श्री प्रेमचन्द्रन

ने उल्लेख किया है। मुझे कौल और शकधर का भी उल्लेख नहीं करना है जो एक भारी पुस्तक है और घर में ले जाना मुश्किल है।

अपराह्न 13.00 बजे

लेकिन मुझे नहीं पता कि श्री जैटली जी जैसे अनुभवी वकील बार-बार प्रक्रियात्मक गलतियां कैसे कर रहे हैं। जब उन्होंने जी.एस.टी. पर संविधान (संशोधन) विधेयक को स्पष्ट रूप से रखा, तो मैंने इस सदन में इस बात का उल्लेख किया कि वित्तीय कामकाज के दौरान कोई अन्य विधेयक नहीं रखा जा सकता। अंत में, उन्होंने महसूस किया कि मेरी बात सही है और उन्होंने विधेयक की चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया। अब हम वित्तीय कामकाज के चरण में हैं।

आज भी, जैसा कि वह एक बुद्धिमान वकील हैं, उन्होंने आपको मेरे पत्र के बारे में बताया होगा और उन्होंने इन खंडों को वापस लेने के लिए लिखा है। वित्त विधेयक में अनुभवी वकील श्री जेटली ने जो किया है वह पूरी तरह से कामकाज और संविधान के नियमों का उल्लंघन है। विधेयक का अधिदेश वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाना है। इसलिए, बस, यह प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा करों और सभी छूटों पर प्रस्ताव होगा। इस विधेयक में केवल यही मदें होनी चाहिए थीं। हमारे संविधान के पिछले कई वर्षों से, यही वित्त विधेयक का स्वरूप रहा है। मुझे नहीं पता कि श्री जेटली जी ने एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी को अध्याय 7 में शामिल करने की गलती क्यों की। मुझे नहीं पता कि उन्होंने अध्याय 8 में एक वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष क्यों शामिल किया और, अध्याय 10, भाग-II और भाग-III में, उन्होंने अग्रेषित संविदा (संशोधन) अधिनियम और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम में संशोधन शामिल किए। आप अध्याय 9, भाग-II और भाग-III देखिए।

अब, ये अलग-अलग विधान हैं। यह धन विधेयक का हिस्सा नहीं हो सकता है। श्री प्रेमचन्द्रन थोड़े कठोर राजनीतिक रहे हैं। मैं इस तरह कहूंगा कि लोक सभा के पास धन विधेयकों पर बहस और मतदान करने की विशेष शक्ति है। राज्य सभा, जिसमें से श्री जेटली जी सदस्य हैं, दुर्भाग्य से शक्ति नहीं है। लेकिन इस वित्त विधेयक के द्वारा वह अपने ही राज्य सभा सदस्यों के अधिकारों को छीन रहा है क्योंकि यदि आप एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी का गठन करते हैं, तो एक अलग कानून होना चाहिए। इसे संसद के दोनों सदनों

से पारित किया जाना चाहिए। यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष स्थापित करते हैं, तो एक अलग कानून होना चाहिए। इसे दोनों सदनों से पारित किया जाना चाहिए। तब, राज्य सभा के पास इस पर बहस करने और इस पर मतदान करने की शक्ति होगी। फिर यदि आप भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या अग्रेषित संविदा (विनियमन) अधिनियम या प्रतिभूति संविदा अधिनियम में संशोधन करते हैं - ये सभी लोक सभा द्वारा पारित किए जाएंगे और फिर वे राज्य सभा में जाते हैं। जहां तक हमारे कर प्रस्तावों का संबंध है, राज्य सभा को कोई अधिकार नहीं है। तो, इस प्रक्रिया में, उसने ऐसा किया है।

लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने जो बड़ी गलतियां की हैं, उन्हें वे समझ में आई। अचानक, अपने व्यवस्था का प्रश्न उठाने से पहले, आप यह कहते हुए इस महत्वपूर्ण घोषणा को पढ़िए कि सरकार इन सभी अध्यायों को निकालेगी। लेकिन यह देर रात का संचालन और अंतिम क्षण सोच सरकार के बारे में एक अच्छी छाप नहीं पैदा करती है। सरकार को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। श्री प्रेमचन्द्रन ने एक बार फिर यह बात कही। आज सुबह हमें दस्तावेजों का एक पुलिंदा मिला - वित्त विधेयक में सभी संशोधन। कल मुझे बताया गया कि वित्त विधेयक में संशोधन प्रस्तुत करने का अंतिम समय अपराह्न 3.30 बजे है। इसलिए मैंने कहा कि मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं करूंगा, क्योंकि वित्त विधेयक में त्रुटि है और इसे वापस ले लिया जाना चाहिए।

लो और देखो, सुबह 8.30 बजे मुझे श्री जेटली जी से बड़े पैमाने पर संशोधन प्राप्त हुए। मुझे पता है कि हम सभी गलतियां कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मुझे लगता है कि कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका और सबसे सम्मानजनक श्री जेटली जी के लिए वित्त विधेयक, 2015 वापस लेने और वापस आने के लिए होगा। सप्ताह के अंत में काम करें, इन संशोधनों को शामिल करें और सोमवार या किसी अन्य दिन एक ऐसे विधेयक के साथ वापस आ जाएं जिसे प्रक्रिया या संविधान के आधार पर दोष नहीं दिया जाएगा।

संविधान भी महत्वपूर्ण है। संविधान का अनुच्छेद 110 विस्तार से धन विधेयकों की बात करता है। यह लोक सभा की प्रमुख शक्ति है कि वित्तीय लेन-देन के संबंध में या तो लोगों पर कर लगाने के लिए या भारत की

समेकित निधि से उचित निधियों के लिए निर्णय लिए जाएं। अब, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो लोक सभा की संप्रभु शक्ति में हस्तक्षेप करे जिससे सरकार कर लगा सके और धन वापस ले सके।

महोदया, मुझे विश्वास है कि श्री जेटली इस अवसर पर खड़े होंगे और यह स्वीकार करेंगे कि गलती थी, भूल थी, परंपरा को तोड़ना था, नियमों का उल्लंघन था और संविधान का उल्लंघन था और वह कहते हैं कि वह अपना विधेयक वापस ले लेते हैं। अन्यथा, आप जो पढ़ते हैं, महोदया, एक अध्याय बचा था। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के अध्याय 8 को भी धन विधेयक में शामिल नहीं किया जा सकता है। इनमें से किसी को भी शामिल नहीं किया जा सकता। मैं दोहराता हूं कि सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी, वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम और भारत के रिजर्व बैंक में संशोधनों को शामिल नहीं किया जा सकता है। इसमें धन शोधन निवारण अधिनियम भी शामिल है। यह धन विधेयक का हिस्सा कैसे हो सकता है? धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन के लिए उसके पास एक अलग संशोधन विधेयक होना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम सभी इसका समर्थन करेंगे। इसे बुरी तरह से तैयार किया गया है और नियमों के उल्लंघन में जल्दबाजी में किया गया है। और एक बार के लिए, मैं चाहता हूं कि आप, महोदया, एक स्टैंड लें और सलाह दें, और एक व्यवस्था दें। यह भावी पीढ़ी के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा कि यहां एक अध्यक्ष थी जो सरकार के लिए खड़ी थी, अपनी गलतियों को इंगित किया और उन्हें सुधार करने के लिए मजबूर किया।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रो. के. वी. थॉमस जी, कृपया रेपीटिशन कम करें।

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थोमस (एर्नाकुलम): महोदया, परसों, यानी 28 अप्रैल को इस सभा के सदस्यों को एक एजेंडा मिला। उस एजेंडे के अनुसार, 6 बजे वाद विवाद समापन था। उसके बाद जी.एस.टी. और वित्त विधेयक पर

चर्चा सूचीबद्ध की गई। लेकिन जब हम सदन में आए थे तो बड़े पैमाने पर बात हो रही थी कि उस दिन वाद विवाद समापन नहीं होगा क्योंकि सरकार ने वित्त विधेयक में कुछ गलतियां की थीं।

महोदया, मैं आपका ध्यान इस ओर ला रहा हूं कि चारों ओर चर्चा हो रही थी।

श्री अरुण जेटली: क्या आप संविधान के प्रावधानों के स्थान पर गपशप कर रहे हैं? गपशप संवैधानिक प्रावधानों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता।

प्रो. के.वी. थोमस: श्री जेटली, मैं यह बात सदन के माननीय अध्यक्ष के ध्यान में ला रहा हूं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : गॉसिप कुछ भी हुयी थी, कोई भी गॉसिप कर रहा था।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थोमस : उन चर्चाओं के बारे में सच है, वाद विवाद समापन उस दिन नहीं हुआ था और यह कल हुआ था।

आज अचानक, इतने संशोधन आते हैं। महोदया, यह आश्चर्यजनक है और यह दुर्लभतम अवसर है जब नियम 388 लाया जा रहा है। इस सभा में कुछ परम्पराएं रही हैं और सभा की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी होती है।

मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। जैसा कि मेरे माननीय सहयोगियों ने कहा, सरकार और सदन के लिए यह अच्छा होगा कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाए और एक नया विधेयक लाया जाए। ये सभी संशोधन दूसरे विधेयक में आएंगे और उन पर चर्चा करने का समय भी हमारे पास होना चाहिए। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि कृपया इसकी रक्षा करे।

मेरे पास अन्य बिंदु हैं, लेकिन मैं उनके पास नहीं आ रहा हूं। जब मैं चर्चा में भाग लूंगा तो मैं उन्हें छू लूंगा। यह सरकार जानबूझकर संविधान को बदनाम करने और संसद को बदनाम करने पर तुली है। प्रधानमंत्री जी

सदन में नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वह देश में भी नहीं है। मैं अब उस बिंदु पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन यह सरकार सदन को बदनाम करने के लिए विशेष है। महोदया, आप सदन की रक्षक हैं। इसलिए, आपको भी एक ईमानदार निर्णय लेना चाहिए ताकि भविष्य में भी, लोग सोचेंगे कि एक अध्यक्ष थीं जिन्होंने सदन के हित की रक्षा की।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): महोदया, मैं अपनी बात नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सुबह हमें वित्त विधेयक में संशोधन प्राप्त हुए हैं और 88 प्रतिशत संशोधन मंत्री महोदय की ओर से हैं। अब, हमें इस पर बहस करने, चर्चा करने और इसे अंतिम रूप देने की आवश्यकता है। क्या संसद को यह अधिकार होगा कि वह हर चीज की जांच करे, अपने दिमाग को लागू करे और फिर जानबूझकर या सिर्फ सरकार की सनक के आगे झुक जाए? अध्यक्ष के रूप में आपको इस पर निर्णय लेना होगा।

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदया, मैं अपने विद्वान सदस्यों द्वारा दिए गए विचारों का समर्थन कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आपको याद है कि कल से पहले मैंने एक ही बात उठाई थी कि वित्त विधेयक को कल से आज तक क्यों स्थगित कर दिया गया है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, इसका कारण यह था कि सभा के सभी वर्गों से एक विशेष मंत्रालय के अनुदान पर भी चर्चा करने का अनुरोध किया गया था।

… (*व्यवधान*)

श्री के. सी. वेणुगोपाल: महोदया, जनता को अब जवाब पता चल जाएगा।

बात यह है कि आज वित्त मंत्री कई संशोधन लेकर आए हैं, जिसका अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सदस्यों का यह अधिकार है कि वे संशोधन दें क्योंकि इसका इस अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसका अध्ययन करने का समय कहां है? इसलिए, बेहतर होगा कि वित्त मंत्री विधेयक को वापस ले और अगले सप्ताह एक नया विधेयक लाएं।

श्री अरुण जेटली: माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं अपने मित्र प्रो. सौगत राय को निराश करना चाहता हूं, क्योंकि वे मेरे द्वारा किए गए किसी भी संशोधन का श्रेय स्वयं को देते हैं।

प्रो. सौगत राय: यह सुबह किया गया था।

श्री अरुण जेटली: आपको इसका कोई श्रेय नहीं मिलता। यह कारणों से है, जिसे मैं समझाऊंगा। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया है और श्री प्रेमचन्द्रन जी ने उठाया है, वह सीधे तौर पर एक संवैधानिक प्रावधान के सामने है, और यही कारण है कि यह पूरा प्रयास संविधान में 'धन विधेयक' शब्द की परिभाषा को कम करने का है। इसलिए, आप बस संविधान के प्रावधानों के माध्यम से चलते हैं, और पारदर्शिता, आधी रात की साजिश जैसी बाकी सभी चीजों पर बोलते हैं। ये शब्द संविधान को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, और न ही यह कहते हैं कि हमने संविधान के एक प्रावधान को प्रतिस्थापित करने के लिए गपशप सुनी है।

कृपया अनुच्छेद 110 पर जाएँ - धन विधेयकों की परिभाषा। महोदया, क्या आपके पास अनुच्छेद है?

माननीय अध्यक्ष: हाँ।

श्री अरुण जेटली: इसमें कहा गया है कि: "इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित प्रावधान हों..."। और पूरा तर्क (क) तक ही सीमित है, जिसमें कहा गया है: "किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन"। इसलिए, सभी कराधान मामलों को धन विधेयक के रूप में स्वीकार किया जाता है।

अब, हम (क) से आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है: “धन के उधार का विनियमन या भारत सरकार द्वारा कोई गारंटी देने, या भारत सरकार द्वारा किए गए किसी भी <u>वित्तीय दायित्वों के संबंध में कानून का संशोधन</u>”। तो आप सीधे जा सकते हैं (छ) में कहा गया है कि उपखंड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के लिए कोई भी मामला आनुषंगिक है। अब, (छ) किसी अन्य विषय को प्रभावी करता है जिसे (क) और (च) निर्दिष्ट किया गया है।

अब, कौन से खंड हैं, जिनका उल्लेख किया गया है? जिन अध्यायों का उल्लेख किया गया है, वे सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी हैं। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी क्या है? भारत सरकार पैसा उधार लेती है। क्या सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से उस पैसे का उधार लेना भारत के रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित किया जाना चाहिए क्योंकि बड़े सवाल हैं कि क्या कोई संघर्ष है जो केंद्रीय बैंक के पास उस उद्देश्य के साथ है या क्या यह सीधे भारत सरकार के पास आना चाहिए? उधारकर्ता तय करता है कि पैसे कैसे उधार लें और पैसे किन शर्तों पर उधार लें। तर्क यह है कि धन विधेयक का अर्थ है कर, भारत सरकार के पैसे का उधार लेना धन विधेयक नहीं है और आप जल्दी से अनुच्छेद 110 (बी), पैसे के उधार के विनियमन की अनदेखी करते हैं। इसलिए, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी बारीकी से पैसे उधार ले रही है, जो कि एक धन विधेयक है।

इसके बाद, आप वरिष्ठ नागरिकों को कहते हैं। अब, वरिष्ठ नागरिक धन विधेयक नहीं हैं, लेकिन यदि मैं वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में कुछ दायित्व लेता हूं, तो यह एक धन विधेयक है।

प्रो. सौगत रायः कैसे?

श्री अरुण जेटली: तो, ई.पी.एफ.ओ. में कोई भी लावारिस राशि, भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों पर खर्च करने का दायित्व लेती है।

तो, कृपया अनुच्छेद 110 (ख) को फिर से पढ़ें। कहते हैं,

> “भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनियमन, या भारत सरकार द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी वित्तीय दायित्व के संबंध में कानून में संशोधन;”

जब मैं 'वरिष्ठ नागरिकों' के संबंध में दायित्व लेता हूं, तो यह अनुच्छेद 110 (ख) के तहत आता है। लेकिन अनुच्छेद 110 का अर्थ 'कर' है क्योंकि मैं (ख) पढ़ने नहीं जा रहा हूं!

अब, कराधान प्रस्तावों पर चर्चा करने में जो समय लगाया जाना चाहिए, वह इस भ्रम को पैदा करने और यह कहकर खर्च नहीं किया जा सकता है कि हम आधा समय बिताते हैं जो इस पर इस चर्चा के लिए बनाया जाना है।

कृपया प्रो. सौगत राय की तीसरी आपत्ति पर आएं कि अग्रेषित संविदा (विनियमन) अधिनियम धन विधेयक में नहीं हो सकता। अब अग्रेषित बाजार आयोग, जो कि एक सरकारी विभाग है, उसको खत्म किया जा रहा है। पैसे अब उस विभाग को विनियोजित नहीं किए जाएंगे। इसके बजाय, कमोडिटी फ़ंक्शन सेबी में चले जाएंगे, जो प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम है। इसलिए धन देना होगा।। इसलिए, उस उद्धेश्य के लिए, जब आप अग्रेषित संविदा (विनियमन) अधिनियम को समाप्त करना चाहते हैं, तो आप भारत सरकार के दायित्व को कमजोर कर रहे हैं और अग्रेषित संविदा (विनियमन) अधिनियम के लिए किसी भी धन का विनियोग नहीं कर रहे हैं और इसके बजाय, आप सेबी को एक अतिरिक्त कार्य दे रहे हैं; इसलिए, वहां धन खर्च करने और वहां धन का विनियोग करने का दायित्व ले रहे हैं। पूरे तर्क कि इन विभागों पर पैसा खर्च किया जा रहा है, या इन विभागों पर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है, और ये कार्य छीन लिए जाएंगे, ये सभी (ख) द्वारा समर्थित (छ) - (छ) के तहत वर्गाकार रूप से कवर किए गए हैं, जिसका अर्थ है *एजुसडेम ज्यूरिस* जो सरल भाषा में है ' (छ) रंग लेगा - उपरोक्त के लिए कोई अन्य मामला - (क) से (एफ) तक रंग लेगा। इसलिए, (ख) (छ) को रंग देगा और इसलिए, इसका अर्थ यह है कि सभी परिणामी कानूनों को बदलना होगा। तब से यह प्रथा चली आ रही है।

अब, जहां तक प्रस्तावों के विलम्ब से प्राप्त होने का प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं, वित्त विधेयक सदन में प्रस्तुत होने के बाद, अनेक संसद सदस्य, व्यापार संगठन, श्रमिक संघ तथा अनेक माननीय सहयोगी हमारे पास यह प्रतिवेदन लेकर आते रहे हैं कि अमुक परिवर्तन किए जाने चाहिए। ऐसे प्रतिनिधित्व हैं जो सरकारी विभाग भी करते हैं। अब हम उन सभी पर विचार करते हैं। प्रत्येक वित्त विधेयक में प्रत्येक वित्त मंत्री, जिस दिन वित्त विधेयक लिया जाता है, अंत में कुछ परिवर्तनों की घोषणा करता है। इन्हें 24 घंटे या 48 घंटे पहले नहीं दिया जाता है क्योंकि इनमें कराधान प्रस्ताव शामिल हैं और कराधान प्रस्तावों की पवित्रता को ध्यान में रखते

हुए, वे सभी सदन में जमा किए जाते हैं क्योंकि पिछले 48 घंटों से, हम नहीं चाहते कि बाजार क्या होना है, इसके आधार पर अटकलें लगाए। इसलिए, तयशुदा प्रथा उस छूट की मांग करने की रही है।

अब, कृपया एक और खंड की ओर देखिए जो अनुच्छेद 110 (3) है। हम अब तक (ख) के साथ काम कर रहे थे। अनुच्छेद 110 (3) कहता है,

"यदि कोई प्रश्न उठता हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक हैं या नहीं, तो उस पर लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।"

… (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: माननीय वित्त मंत्री हर बात के लिए अध्यक्ष के नाम का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री अरुण जेटली: अतः महोदया, भले ही उन्होंने बहुत ही आकर्षक शब्दावली का प्रयोग किया हो कि सब कुछ पर चर्चा की जाएगी, लेकिन (ख) को नहीं पढ़ा जाना चाहिए, मैं केवल यह आग्रह करूंगा कि उन्हें अनुच्छेद 110 (1) (ख) पढ़ना चाहिए, क्योंकि धन विधेयक के प्रत्येक प्रावधान का प्रावधान अनुच्छेद 110 (1) (ख) में किया गया है।

प्रो. सौगत राय: संविधान कहता है कि आपके शब्द अंतिम हैं, इसलिए हमने इसे आप पर छोड़ दिया है। हालांकि, मंत्री जी ने एक बुद्धिमान वकील की तरह, इसमें 'सब कुछ' शामिल करने के लिए अनुच्छेद 110 (ख) को तोड़-मरोड़कर पेश किया है। फिर, एक अलग कानून क्यों है?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदया, मैंने अपने प्रारंभिक भाषण में ही अनुच्छेद 110 (ख) पढ़ा है। यदि माननीय मंत्री जी का तर्क स्वीकार कर लिया जाए, तो आप एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी वित्तीय दायित्व वाले मामले वित्त विधेयक के अंतर्गत आएंगे।

श्री अरुण जेटली: संविधान ने यही तय किया था।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: प्रक्रिया नियम का नियम 219 संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार बनाया गया है। हमने संसद को प्रदत्त अधिकार के अनुसार प्रक्रिया के नियम बनाए हैं। प्रक्रिया के नियमों में, नियम 219 बहुत विशिष्ट और स्पष्ट है। वित्त विधेयक का मतलब है कि यह आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कराधान प्रस्ताव और उससे जुड़े मामले हैं। यदि यह तर्क माननीय मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा दिया गया है, तो निश्चित रूप से सभी मामले, सभी निधियां, सभी कल्याणकारी कानून, सभी चीजें जिनमें सरकारी व्यय शामिल है, वित्त विधेयक के दायरे में आएंगी। यदि आप उस तर्क को स्वीकार कर रहे हैं, तो हम एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं जिसमें सभा के संसदीय लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और इसके परिणामस्वरूप वित्त विधेयक और अन्य विधेयकों में कोई अंतर नहीं होगा।

श्री अरुण जेटली: क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि नियम संविधान से ऊपर हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : नहीं, यह नियम संविधान के अनुच्छेदों के अनुरूप है। नियम 219 अनुच्छेद 108 के अनुरूप है।

श्री अरुण जेटली: धन विधेयक की परिभाषा को पढ़ना होगा कि इसे अनुच्छेद 110 में क्या परिभाषित किया गया है। … (*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : वित्त विधेयक और धन विधेयक के बीच अंतर है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): सरकार का उत्तर आ चुका है। अध्यक्ष जी, आप कृपया नियमन दें।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन**:** मंत्री जी हमें जवाब देने में सक्षम हैं। वह एक विद्वान मंत्री हैं। … (*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं यह देखना चाहता हूं कि सभा की कार्यवाही सुचारु रूप से चले। ...(*व्यवधान*) कृपया अपना विनिर्णय दें फिर हम कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। … (*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: मेरा अंतिम बिंदु यह है। हम पूरी तरह से आपका समर्थन करते हैं। यह पूर्णतः माननीय अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर है कि वह निर्णय लें कि यह वित्त विधेयक है या धन विधेयक। वर्ष 1956 में भी, इस सदन द्वारा विनिर्णय दिया गया था। मेरा कहना है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हैं, लेकिन वित्त विधेयक एक धन विधेयक है। यह भेद है। कौल और शकधर ने विशेष रूप से वर्ष 1956 से बहुत विशेष रूप से कहा है। इसलिए, कृपया हमारी रक्षा करें। यही एकमात्र विनम्र निवेदन है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: बहुत सारी बातें इसमें आ गई हैं और मुझे लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इसका उत्तर भी दे दिया है। जो आपके कई ऑब्जेक्शंस थे, जैसे पब्लिक डैप्ट मैनेजमेंट वगैरह वे विदड्रॉ भी हो गये हैं। मैं इस पर फुल रूलिंग जिसको आप प्वाइंट टू प्वाइंट चाहेंगे, वह भी मैं तैयार करके दे दूंगी। आज अभी मेरा इतना ही कहना है कि अमेंडमेंट्स के लिए नियम 388 का भी उन्होंने संदर्भ दिया था, रिक्वैस्ट की थी, मैंने उसके अनुसार भी एलाउ किया। लेकिन यह बात भी मैं आप सबकी मानती हूं कि फाइनेंस बिल में जो जल्दी जल्दी जिस तरीके से, कम समय में इतनी सारी अमेंडमेंट्स दी है, सरकार आगे इस बारे में सोचे कि ऐसा नहीं हो। सदस्यों को उसके लिए भी, उस पर सोचने के लिए, पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, यह मैं भी चाहूंगी। इस पर मैं भी आपके साथ हूं। हालांकि अभी आज हमें इसको लेना है, करना है। मैं चाहूंगी कि अगर इन अमेंडमेंट्स पर आपको कुछ अमेंडमेंट्स देनी हों तो मैं एकाध घंटे का समय आपको दे सकती हूं। यदि आप इसे चाहते हैं। आपने जैसे कहा, नहीं, चर्चा अभी शुरु करेंगे। यदि आप देना चाहते हैं। कल जैसे आपने कहा कि कल आपको संशोधन बाद में देने का समय नहीं मिला है। अभी आप अगर चाहें तो मैं कह सकती हूं कि एक घंटे का समय, आप ढ़ाई बजे तक यदि वे कोई संशोधन चाहते हैं तो उन्हें करने दीजिए। वह समय मैं आपको देती हूं और आज जो प्राइवेट मैम्बर्स बिल है, मैं चाहूंगी कि इसको हम फिर कभी ले लेंगे। अगले चार दिन में उसको

इंक्लूड कर लेंगे ताकि आज का पूरा दिन हम इसी चर्चा में कर सकते हैं। बाकी जो आपने प्वाइंट्स उठाये हैं, वे अच्छी तरह से लिए गए हैं। कुछ बातें इन्होंने विदड्रॉ भी की हैं। वह चर्चा के समय सामने आएंगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. एम. थंबीदुरई (करूर): हमें निजी सदस्यों के कामकाज को अपराह्न 3.30 बजे लेना होगा।

माननीय अध्यक्ष: अपराह्न 3.30 बजे निजी सदस्यों का कामकाज है। लेकिन आज फाइनेंस बिल पर चर्चा के लिए हमें पर्याप्त समय चाहिए।। प्राइवेट मैम्बर बिल हम आने वाली पांच या छह तारीख को लेने का निर्णय करेंगे। मैं यह नहीं कह रही हूं कि इसे रद्द कर दिया जाए। मैं आप सभी से केवल यह अनुरोध कर रही हूं कि इसे स्थगित किया जाए। आप उसके बारे में विचार कीजिए। हम ऐसा करेंगे। और अब से केवल एक घंटे की अनुमति है यदि सदस्य संशोधन में कोई संशोधन देना चाहते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : आपने अभी कहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि मैं इन-इन विषयों को बिल से निकाल देता हूं। क्या हमें उसकी कापी मिल सकती है क्योंकि उसे पढ़ना जरूरी है। हमें देखना चाहिए कि मंत्री जी क्या एलिमिनेट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

डॉ. एम. थंबीदुरई: ठीक है। यदि यह संभव है, तो आप उन्हें प्रतियां दीजिए।

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि प्राइवेट मेम्बर्स बिल में संकल्प है। अगर आज नहीं तो अगले हफ्ते सत्र समाप्त होने से पहले जरूर लिया जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी विषय है और यह संकल्प कश्मीर के विस्थापितों के संबंध में है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं इसे रद्द नहीं कर रही हूं। मैंने केवल इसे स्थगित करने के बारे में बात की। यह वहाँ होगा। अब हम चर्चा शुरू करेंगे। मंत्री महोदय।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं सिर्फ एक संक्षिप्त वक्तव्य दूंगा और मैं उत्तरार्द्ध की ओर बहस का उत्तर दूंगा।

मैं केवल वित्त विधेयक के बारे में बताऊँगा और यह भी स्पष्ट करूंगा कि कराधान के प्रति सरकार की क्या दृष्टि है।। सरकार वस्तु और सेवा कर के लिए प्रतिबद्ध है जिसके लिए देश को अपने सामान्य लाभ के साथ इस सभा में एक अलग संविधान (संशोधन) विधेयक पहले ही पेश किया जा चुका है। मैं इससे लंबे समय तक नहीं निपटूंगा।

बड़े प्रस्तावों में स्वच्छ ऊर्जा के लिए कोयले पर उपकर को 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये करना है। कम से कम आठ मदें ऐसी हैं जिन्हें हम उल्टा शुल्क ढांचा कहते हैं, जहां इनपुट शुल्क, उससे अधिक जिसमें सुधार किया जा रहा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 14 मदों में हैं जिनमें सीमा शुल्कों को कम किया जा रहा है और युक्ति संगत बनाया जा रहा है। आठ मदों में उत्पाद शुल्क को कम किया जा रहा है और दो अन्य में इसे युक्ति संगत बनाया जा रहा है। यह प्रस्ताव भारतीय विनिर्माण को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से है। जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, मैंने अगले चार वर्षों की अवधि में भारत में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कॉर्पोरेट कर बनाने के लिए एक बड़ा रोडमैप निर्धारित किया है, ताकि इसे 30 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत किया जा सके ताकि अन्य प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ हमारी कराधान संरचनाएं तुलना में हों।

जहां तक धन कर का संबंध है, इसे देखते हुए कम विवरणी कर बहुत बड़े प्रयास के साथ मैंने इसे समाप्त कर दिया है और उसकी जगह अति धनवान पर दो प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार लगा दिया है ताकि हमें जो

मात्रा मिलने वाली है वह कई गुना अधिक हो और अन्य झंझटों और कठिनाइयों के बजाय जो धन कर मूल्यांकन से जुड़ी थीं।

स्थावर संपदा निवेश न्यास (आर.ई.आई.टी.) और अवसंरचना निवेश न्यास के संबंध में कुछ प्रस्ताव हैं। पास-थ्रू की अनुमति दी गई है। मैंने गार (जी.ए.ए.आर.) के प्रस्तावों को दो साल के लिए टाल दिया है। जहां तक मध्यम वर्ग का संबंध है, स्वास्थ्य बीमा के संबंध में कई छूटें हैं क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग को सामान्य नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों से लेकर बहुत वरिष्ठ नागरिकों तक छूट है। सीमा को इसलिए बढ़ाया गया है ताकि प्रत्येक मामले में 10,000 रुपये की बढ़ी हुई सीमा पर अतिरिक्त कर लाभ मिल सके।

राष्ट्रीय पेंशन योजना पेंशन रहित समाज के बजाय एक पेंशनभोगी समाज होने और उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है। 50,000 रुपये तक के निवेश को भी कर से छूट दी जाएगी और यह वित्त विधेयक में ही प्रदान किया जाता है। बालिकाओं के पक्ष में निवेश करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना को धारा 80ग के तहत छूट दी जाएगी यदि वे उस योजना में युवा बालिकाओं के पक्ष में निवेश करते हैं। परिवहन की लागत बढ़ने के कारण, मैंने नागरिकों को उपलब्ध परिवहन भत्ते पर छूट को दोगुना कर दिया है।

कई प्रस्ताव हैं। कुछ को वित्त विधेयक में ही निपटा दिया गया था, कुछ को दूसरे कानून में निपटाया जाएगा, जिस पर हम काले धन विधेयक के संबंध में बहस करने जा रहे हैं जैसा कि हम इसे कहते हैं या अघोषित विदेशी संपत्ति और आय विधेयक जो अलग से लिया जाएगा। काले धन की घरेलू मात्रा को निचोड़ने के संबंध में, मैंने वित्त विधेयक के संबंध में कई कदमों की घोषणा की है।

महोदया, आपने मेरे अनुरोध पर एक उल्लेख किया था और यह कुछ प्रावधानों को हटाने के संबंध में संशोधन प्रस्तावों का एक हिस्सा है। प्रो. सौगत राय जानना चाहते थे कि वे कौन से हैं। वे पी.डी.एम.ए. के बारे में हैं। मैं कारणों के बारे में सिर्फ एक बहुत छोटा बयान पढ़ना चाहता हूं। कारण प्रो. सौगत राय के पत्र के फलस्वरूप नहीं हैं, कुछ ऐसा जो वह स्वयं को श्रेय दे रहे थे।

महोदया, मैं सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी से संबंधित कुछ उपबंधों को छोड़ने के लिए परिस्थितियों के बारे में बताने के लिए आपकी और सभा की आसक्ति की मांग करता हूं। छह अलग-अलग प्रावधान हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। जैसा कि महती सभा के सदस्य शायद जानते हैं, आर.बी.आई. से सरकारी ऋण के अलग प्रबंधन का प्रस्ताव सबसे पहले आर.बी.आई. द्वारा अपनी वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 में रखा गया था। बाद में, कई स्वतंत्र समितियों ने एक स्वतंत्र ऋण प्रबंधन एजेंसी की स्थापना की सिफारिश की है, जो सरकार और आर.बी.आई. दोनों से समान दूरी पर है। वर्ष 2007 का पर्सी मिस्ट्री प्रतिवेदन और वर्ष 2009 का रघुराम राजन प्रतिवेदन दोनों ने ऋण प्रबंधन कार्य को आर.बी.आई. से अलग करने के लिए तर्क दिया है। सिफारिशें हैं, मुझे कहना चाहिए, अच्छी तरह से स्थापित हैं।

सार्वजनिक ऋण प्रबंधक या उस मामले में मुद्रा और अन्य व्युत्पन्नों के नियामक के रूप में आर.बी.आई. की निरंतरता, (1) भारत में बांड बाजार को विखंडित करती है, जिससे इसकी चल निधि सीमित हो जाती है (2) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की आर.बी.आई. की भूमिका के बीच हितों का टकराव पैदा होता है, जैसा कि अब मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते में निहित है और सरकार से उधार लेने की लागत को कम करने के लिए ब्याज दरों को कम रखने में इसकी रुचि होती है (3) सरकारी प्रतिभूतियों का नियामक होने और साथ ही सरकारी प्रतिभूतियों में एक व्यापारी होने और सरकारी प्रतिभूतियों के क्रम का मिलान करने वाले विनिमय और सरकारी प्रतिभूतियों के लिए निक्षेपागार दोनों का मालिक होने से आर.बी.आई. के भीतर हितों के टकराव को बनाए रखता है। बांड बाजार में, ये अलग हैं। नियामक सेबी न तो स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार का मालिक है और न ही यह बॉन्ड का व्यापार है (4) बैंकों को वैधानिक तरलता अनुपात के साधन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए मजबूर करता है। एक स्वतंत्र ऋण प्रबंधन कार्यालय होना भी संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में सबसे अच्छी अंतरराष्ट्रीय प्रथा है। न तो सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है और न ही केंद्रीय बैंक द्वारा जी-सेक मुद्रा और अन्य व्युत्पन्नों का विनियमन किया जाता है।

चूंकि आर.बी.आई. सार्वजनिक ऋण प्रबंधन को संभाल रहा है, इसलिए सरकार आर.बी.आई. के परामर्श से ऋण प्रबंधन कार्य और बाजार के बुनियादी ढांचे को आर.बी.आई. से अलग करने और एकीकृत वित्तीय बाजार के साथ एक विस्तृत रोडमैप तैयार करेगी। इसलिए इस वित्तीय वर्ष के लिए वित्त विधेयक से पी.डी.एम.ए. प्रावधानों को हटाने का निर्णय लिया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सरकार सरकारी प्रतिभूतियों को इस बाज़ार का हिस्सा बनाकर और साथ ही एक उचित बांड- मुद्रा व्युत्पन्न नेक्सस बनाकर वित्तीय बाज़ार को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसके अलावा, कर प्रस्तावों में कुछ बदलाव हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन कुछ हद तक महत्वपूर्ण हैं। अंत में जब मैं चर्चा का उत्तर दूंगा, तो मैं उनका उल्लेख करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं इस वित्त विधेयक को सभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं अपनी तीन घोषणाएं दोहरा रही हूं। मैं बाद में उठाए गए औचित्य के मुद्दों पर अपना विनिर्णय दूंगी। आज कोई निजी सदस्य का संकल्प नहीं होगा। इसे स्थगित कर दिया गया है और इसे किसी अन्य समय में लिया जाएगा।

संशोधन के लिए केवल एक घंटे का समय दिया गया है।

मैंने ये तीन घोषणाएं की हैं।

प्रो. के.वी. थोमस (एर्नाकुलम): महोदया, हम बजट सत्र के अंतिम चरण में हैं। इस बजट सत्र के दौरान, हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण, आम बजट और कृषि मुद्दे जैसे कुछ अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। इन चर्चाओं ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि यह सरकार इस देश को किस रास्ते पर ले जाने वाली है।

महोदया, हमारा संघीय ढांचा है। हमारे यहां मंत्रिमंडल तथा कतिपय संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्था हैं। मुझे लगता है कि यह सरकार के सत्ता में आने के बाद एक के बाद एक संस्थान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उदाहरण के लिए, महोदया, योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना दिया गया है। महोदया, योजना आयोग की एक बहुत बड़ी परंपरा है, जिसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से हुई थी। पिछले 68 वर्षों के दौरान, योजना आयोग ने इस देश को एक दिशा प्रदान की है और इस देश का विकास हुआ है। इसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता। यहां तक कि जेटली जी ने भी अपने भाषण के पहले अनुच्छेद में कहा है:

> "आई.एम.एफ. ने वैश्विक आर्थिक विकास के अपने पूर्वानुमान को 0.3 प्रतिशत कम कर दिया है और विश्व व्यापार संगठन ने विश्व व्यापार वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 5.3 से 4 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, भारत के लिए पूर्वानुमान को या तो अपग्रेड किया गया है या डाउनग्रेड के बिना समान बना हुआ है।"

<u>अपराह्न 01.36 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुईं*)

इससे पता चलता है कि जेटली जी ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है जो पर्याप्त सुदृढ़ है। यह कमजोर नहीं है। उन्होंने एक मजबूत आधार से शुरुआत की है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अंतिम सरकार में योगदान है। इसलिए, आपने इस देश को विकास की दिशा के लिए जो योजना आयोग दिया है, उस योजना आयोग को अंधाधुंध दोष नहीं दे सकते।

अब नीति आयोग आ गया है। सरकार द्वारा यह दावा किया गया है कि सभी राज्यों के लिए आबंटन 36 से 42 प्रतिशत तक बढ़ गया है लेकिन हर राज्य को कुल राशि क्या मिली है? जेटली जी से मेरा आग्रह है कि जब आप जवाब दें तो कृपया इस बात का भी जवाब दें। कुछ राज्यों को छोड़कर, कई राज्यों की कुल किटी पहले की तुलना में कम है। यह आपको परिनिर्धारित करना होगा।

भारत के रिज़र्व बैंक में आकर आप उस संस्था को भी कमजोर करने की प्रयास कर रहे हैं। भले ही स्वतंत्र वित्तपोषण नियामक के लिए आपके प्रस्ताव पर कई बार चर्चा हो चुकी है लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श होना चाहिए क्योंकि यह संघीय व्यवस्था है। स्वतंत्र वित्तपोषण नियामक होने के महत्वपूर्ण निर्णय पर राज्य सरकारों की क्या राय है?

रिज़र्व बैंक ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बहुत कुछ किया है। रिज़र्व बैंक ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में विश्वास पैदा किया है। रिजर्व बैंक के पास एक स्वतंत्र वित्तपोषण नियामक बनाने के लिए सरकार के कदम पर कुछ आरक्षण भी हैं।

अब मुख्य सूचना आयुक्त (सी.आई.सी.) को क्या हुआ? इसमें देरी क्यों की गई? तब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की थी। मेरा कहना यह है कि हमारे पास एक महान परंपरा रही है। इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कुछ योगदान किया है। सरकार एक निरंतरता है। इसलिए आप संस्थानों को कमजोर करने का प्रयास नहीं करते हैं।

यह एक कैबिनेट सरकार है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी बराबरी के मामले में पहले स्थान पर हैं। यह अवधारणा है। पिछले 10 महीनों के दौरान, हमने प्रधानमंत्री जी की आलोचना नहीं की है। वह हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन हमें क्या मिलता है? कुछ विभागों को छोड़कर, लगभग अन्य सभी विभाग निर्णय लेने के लिए पी.एम.ओ. या प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं। यह हमारा अनुभव है। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। हम समझते हैं कि आपको कुछ स्वतंत्रता मिली है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): यह केवल आपका अनुभव नहीं है। यह उनका अनुभव भी है, लेकिन वे यह नहीं बता सकते।

प्रो. के.वी. थोमसः यह एक सामूहिक नेतृत्व है। मैं दुनिया भर में जाने वाले प्रधानमंत्री जी की सराहना करता हूं। पिछले 10 महीनों के भीतर, उन्होंने भारत से 16 बार यात्रा की है। महोदया, आप भी इस सदन की परंपराओं को जानती हैं। जब सभा का सत्र चल रहा होता है तो प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते थे। प्रधानमंत्री जी सत्र के दौरान देश वापस आ जाते हैं। यही हमारी परम्परा है। आडवाणी जी यहां हैं और अगर मैं गलत हूं, तो वह मुझे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब हम पाते हैं कि सत्र भी शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री जी नहीं हैं। हमने सोचा कि वह एक नए प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अब क्या हुआ है? प्रधानमंत्री जी सदन तो छोड़िए, देश में भी नहीं हैं। वह घूम रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं।

मैंने कुछ महीने पहले इस देश के राष्ट्रपति जी के साथ वियतनाम की यात्रा भी की थी। जब राष्ट्रपति जी गये, तो इन्होंने अपने साथ उन मंत्रियों को भी लिया था, जिनके विषयों को संभाला जा रहा था। कुछ सदस्यों को भी ले जाया गया था। श्री महताबजी वहां थे और हमने चर्चा में भाग लिया। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी अकेले घूम रहे हैं और यहां तक कि विदेश मंत्री को भी साथ नहीं लिया जा रहा है। इसमें समस्या क्या है?

हम सभी सोशल मीडिया को ट्विटर की तरह देखते हैं। एक ट्वीट में कहा गया है कि जब प्रधानमंत्री जी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ चर्चा कर रहे थे और राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर निर्णय ले रहे थे, तो रक्षा मंत्री जी गोआ में घूम रहे थे और मछली पकड़ने जा रहे थे। क्या यह चीजों को संभालने का तरीका है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो मैंने अपने सभी सहयोगियों से पूछा है। मैं भी सरकार में था। मेरे अनुभव के अनुसार जब प्रधानमंत्री जी देश से बाहर जाते हैं, तो संबंधित मंत्री जी को भी लिया जाता है और समझौते भी किए जाते हैं। लेकिन अब न केवल मंत्रियों को बल्कि मीडिया वालों को भी नहीं लिया जाता है। मीडियाकर्मियों को भी साथ लेकर चलने की हमारी बहुत बड़ी परंपरा रही है। लेकिन अब कुछ व्यापारिक दिग्गजों को छोड़कर किसी भी मीडियाकर्मी को प्रधानमंत्री जी नहीं ले जाते हैं। क्या यह देश को आगे बढ़ाने का तरीका है? यह एक गंभीर

स्थिति है क्योंकि यह एक कैबिनेट प्रणाली है। अब जब आप विपक्ष में थे, तो हम उस तरफ बैठे थे। हमने कई योजनाएं शुरू की थीं और आपने उनकी बहुत कड़ी आलोचना की थी। एक आधार कार्ड था। जब इस सदन में आधार की चर्चा हुई तो श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या रुख अपनाया? उन्होंने कहा कि नकद हस्तांतरण गेम चेंजर नहीं है। यह गरीब लोगों के साथ खेला जा रहा खेल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेंगलुरू में अपने चुनाव अभियान के दौरान, जहां से श्री नंदन नीलेकणी चुनाव लड़ रहे थे, कहा था कि वे केवल वहीं काम करना चाहते हैं जहां भ्रष्टाचार हो। अब यह सरकार नकद हस्तांतरण और आधार पर निर्भर है। आपने इस पर हमारी बुरी तरह आलोचना की जब हमने आधार कार्ड पेश किया। मुझे पता है कि आधार में कुछ दोष हैं। इस देश के गरीब लोग इस व्यवस्था के बारे में ज्यादा जागरूक नहीं हैं। लेकिन अब आप आधार पर निर्भर हैं जिसकी आपने कभी आलोचना की थी।

महोदया, कल्याणकारी गतिविधियों के बारे में क्या? एक महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए आबंटन 35,163 करोड़ रुपये था जो अब घटकर 29,653 करोड़ रुपये रह गया है। आवास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए प्रावधान 6800 करोड़ रुपये से घटकर 5634 करोड़ रुपये हो गया है। *राष्ट्रीय कृषि विकास योजना* के लिए आबंटन 8449 करोड़ रुपये से घटकर 4500 करोड़ रुपये हो गया है। जनजातीय उप-योजना में आबंटन 5000 करोड़ रुपये कम कर दिया गया है। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा के क्षेत्र में, मिड-डे मील एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा पेश किया गया था। लेकिन इस सरकार ने मिड-डे मील के लिए आबंटन 13,000 करोड़ रुपये से घटाकर 9000 करोड़ रुपये कर दिया है। आई.सी.डी.एस. में आबंटन 16000 करोड़ रुपये से घटाकर 8000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा वह खाद्य सुरक्षा विधेयक के बारे में है जिसे मुझे इस सभा में पुरःस्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब खाद्य सुरक्षा विधेयक लाया गया, उस समय इस पर व्यापक चर्चा हुई। इस सभा में आठ घंटे चर्चा हुई और राज्य सभा में भी आठ घंटे चर्चा हुई और दोनों

सदनों ने सर्वसम्मति से विधेयक को पारित किया। अब, खाद्य सुरक्षा विधेयक का क्या हश्र हुआ है? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा। क्या सरकार कवरेज को 63 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती है? सरकार को यह स्पष्ट करना होगा क्योंकि यह चारों ओर चल रहा है कि भविष्य में यह 40 प्रतिशत होगा। भारत के खाद्य निगम का क्या होगा? कल और उससे पहले भी हमने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए चर्चा की। यदि कोई एफ.सी.आई. नहीं है, तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कौन देगा? जो चर्चा चल रही है वह यह है कि हमें एफ.सी.आई. की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि यह व्यर्थ की चीज़ है और इसमें समस्याएं हैं। लेकिन विकल्प क्या है? खाद्य सुरक्षा विधेयक पर सरकार का क्या रुख है? भोजन एक अधिकार बन गया है। यह एक ऐसा विधेयक है जिसे सभी ने स्वीकार किया था। जब हमने विधेयक के प्रावधानों की चर्चा की, तो विपक्ष के तत्कालीन नेता ने हमारी मदद की। जब हमने विधेयक पुरःस्थापित किया तो कुछ विचलन हुए लेकिन आडवाणी जी और विपक्ष के नेता, दोनों ने हमें इसे प्राप्त करने में मदद की। सरकार इस पर क्या रुख अपनाएगी?

दूसरा बिंदु आवास के बारे में है। सरकार द्वारा बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। धन कहां है? केवल नाम बदलने से आप योजना नहीं बदल सकते। आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) का नाम बदलकर अमृत कर दिया गया है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था। आप इसे अमृत में बदल सकते हैं लेकिन आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोगों के दिल से नहीं हटा सकते। वह लोगों के दिल और दिमाग में है। अनावश्यक रूप से नाम क्यों बदलें? आज सुबह मैंने पढ़ा कि नाम बदल दिया गया है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. एक अच्छी योजना है यदि आप कुछ संशोधन लाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं।

एक और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठित परियोजना, स्वच्छ भारत है। हम सब इसके लिए हैं। लेकिन इसके लिए आबंटन कहाँ है? जब हम स्वच्छ भारत और आदर्श गाँव योजना पर चर्चा करते हैं, तो मैं आदर्श गाँव योजना

भी लागू करता हूं - हम पाते हैं कि उनके लिए कोई निधि नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी अपनी योजनाओं के प्रति गम्भीर हैं तो उन्हें बजट में उनके लिए राशि आबंटित करनी पड़ेगी।

इसलिए, माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उनके लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित की जाए। उदाहरण के लिए, एम.पी.एल.ए.डी.एस. के लिए हमें केवल 5 करोड़ रुपये मिले हैं। आदर्श योजना के लिए हमें केवल 5 करोड़ रुपये मिले हैं। केरल में विधायकों को एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 6 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सात विधानसभा क्षेत्रों के विधायक हैं और मुझे केवल 5 करोड़ रुपये मिले हैं। तो, मैं प्रधानमंत्री जी की सभी पसंदीदा परियोजनाओं को कैसे लागू कर सकता हूं? हमने इस संबंध में माननीय उपसभापति से मुलाकात की है।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय सदस्य एम.पी.एल.ए.डी.एस. निधि में वृद्धि के बारे में पूछ रहे हैं। आप उसके अनुरोध पर विचार कर सकते हैं।

प्रो. के.वी. थोमसः मुझे लगता है कि पूरा सदन मेरे साथ सहमत है। माननीय मंत्री महोदय दूसरे पक्ष के हमारे मित्रों से भी बात कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि पूरा सदन इस बात पर मेरे साथ है कि या तो आपको संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि में वृद्धि करनी होगी या फिर आदर्श ग्राम योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हमें कुछ प्रस्ताव या निधि देनी होगी। यह प्रधानमंत्री जी की परियोजना है। या तो एम.पी.एल.ए.डी. एस. निधि को बढ़ाया जाना चाहिए या एम.पी.एल.ए.डी.एस. निधि के अलावा आदर्श ग्राम योजना के लिए कुछ विशेष निधि आबंटित करनी चाहिए। इस मुद्दे पर पूरा सदन एकजुट रहेगा। इस बारे में मेरी कोई अलग राय नहीं है।

हम माननीय उप-अध्यक्ष से मिल रहे हैं। इस संबंध में अलग-अलग राजनीतिक दलों के बावज़ूद हम सभी ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: कम से कम आप संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए धनराशि बढ़ाने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं ताकि केन्द्र सरकार की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा सकें। इस

तरह से, सांसदों को भी कुछ शक्ति दी जाएगी। ऐसा करने से आपका उद्देश्य भी पूरा होगा और साथ ही आप सांसदों को भी संतुष्ट करेंगे। कृपया इसके लिए कुछ माध्यम खोजें।

श्री अरुण जेटली: यह बुरा विचार नहीं हो सकता है कि राज्य सरकारें भी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का समर्थन करें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदय, केरल में प्रत्येक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में 6 करोड़ रुपये के कार्यों का सुझाव दे सकता है। कर्णाटक में प्रत्येक विधायक 3 करोड़ रुपये मूल्य के कार्यों का सुझाव दे सकता है। तो, यह आखिरकार, कार्यों के लिए एक सुझाव है। हम पैसा लेकर उसे वितरित नहीं करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष: जब विधायकों को यह मिल रहा है, तो सांसदों को भी इसकी उम्मीद है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अब, वह स्वच्छ भारत के कार्यान्वयन के लिए पैसे मांग रहे हैं। अगर भूकंप आता है, तो वे पैसे मांगते हैं। यहां तक कि रेल मंत्री भी रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि से हिस्सा मांग रहे हैं। वह सफाई के लिए भी पैसे मांग रहा है। सौचालय योजना के लिए, वे पैसे मांग रहे हैं। आप यह कहते हुए योजना बनाते हैं कि निम्नलिखित मदें ली जानी चाहिए। फिर हम कुछ कार्यों का सुझाव देंगे। पूरी सभा इससे सहमत है लेकिन सदस्यों में आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आप कुछ कह सकते हैं। इसलिए वे आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*)

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और अन्य योजनाओं के बारे में बोलते हैं। हम केवल प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लागू करेंगे। यह एक अच्छा संकेत है कि विपक्षी दल भी स्वेच्छा से आपका काम कर रहे हैं। आपको इसके बारे में बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि हर किसी को पता चलेगा कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से निधि का मतलब है, यह प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक कार्य, जिसे हर कोई उपेक्षित कर रहा है, वह आपके द्वारा आबंटित किए गए धन से पूरा होगा। यह एक अच्छा संकेत होगा और इससे सरकार का भी बहुत अच्छा नाम आएगा।

मेरा अनुरोध है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत धनराशि बढ़ाई जानी चाहिए। महोदय, मुझे लगता है कि हमने 25 करोड़ रुपये की मांग की है।

जब भी मैं तिरुपति जाता हूं, लॉर्ड बालाजी के पास जाकर मैं प्रे करता हूं कि बालाजी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ। वह देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना सकते हैं, एक ही आदमी है, हम तुम्हें मंत्री बना देंगे। लेकिन मंत्री भी लिमिटेड हैं, बोलते हैं कि एम.पी. तो बना दूंगा। कम से कम 50 करोड़ बोलेंगे तो ये लोग 25 पर पहुंचेंगे, अगर 25 करोड़ बोलेंगे तो ये लोग पांच करोड़ पर आ जायेंगे। तो चलिए हम 50 करोड़ रुपए की मांग करते हैं महोदय।

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थोमस: महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि कम से कम उन परियोजनाओं के लिए, जिन पर पूरी सभा सहमत है, जैसे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आदर्श ग्राम योजना, आप कुछ संसाधन जुटाएं। यद्यपि हमने ज्ञापन के माध्यम से 50 करोड़ रुपये की मांग की है, आप पूरे 50 करोड़ रुपये दे सकते हैं। आप कृपया कोई रास्ता निकालें ताकि हम आदर्श ग्राम योजना, *स्वच्छ भारत* अभियान, आदि को लागू करने में सक्षम हो सकें। हमने प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करते हुए इन योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया है। मैंने आदर्श ग्राम योजना लागू करना शुरू किया और कई अन्य सदस्यों ने इसे करना शुरू कर दिया है। इसलिए, कम-से-कम प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लागू करने के लिए, कृपया संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना या कुछ अन्य योजनाओं के माध्यम से कुछ उचित आबंटन करें जिनके द्वारा हम उन्हें लागू कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : सदस्यों ने यह बात कही है और मैंने मंत्री जी को भी यह बात बता दी है। बस इतना ही। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी का, इस देश के प्रधान मंत्री का शुक्रगुज़ार हूं कि मुझे वर्ष 2015-16 के फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका मिल रहा है। मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जब कांग्रेस की तरफ से पॉइंट ऑफ आर्डर और इसको स्टॉल करने की प्रक्रिया चल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ये लोग कोई फाइनेंस बिल पर चर्चा करेंगे। मैं के.वी. थॉमस साहब का बड़ा आदर करता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बड़ा आदर करता हूं। लेकिन आज जो कुछ भी इस हाऊस में हुआ, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो बर्बाद हो रही है, खत्म हो रही है, देश में इसका आस्तित्व समाप्त हो रहा है, उसका कारण यही है कि उनको चीजों के बारे में कोई समझदारी नहीं है। हम लोग यहां फाइनेंस बिल की चर्चा करने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पूरा का पूरा भाषण बजट के ऊपर हो गया। बजट के ऊपर तो चर्चा हो चुकी है। यदि इतनी मोटी समझ कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं है तो इस देश में कांग्रेस का क्या होगा? उन्होंने कई एक बातें कही हैं। उन्होंने नीति आयोग की बात कही। फाइनेंस बिल का मतलब फाइनेंस बिल पर ही चर्चा है। यदि पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिखाना चाहते हैं, मैंने चर्चा नहीं की, पॉइंट ऑर्डर में आप फाइनेंस बिल के अलावा किसी और चीज़ पर चर्चा नहीं कर सकते हैं । खड़गे साहब, आप रूल बुक को निकाल कर देख लीजिए। इसीलिए आप जो गलती करते हैं, उसको स्वीकार कीजिए कि फाइनेंस बिल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। आपने नीति आयोग की बात की, आपने आरबीआई की बात की, आप आधार कार्ड की बात करते रहे। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपने जो बजट रखा है, उसके अमेंडमेंट पर बोला है। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : बजट पर चर्चा हो चुकी है। ...(व्यवधान) यह फाइनेंस बिल पर चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप मेरी बात तो सुनिए। आप एक्सपर्ट हैं। जेटली साहब भी एक्सपर्ट हैं। स्टेट मिनिस्टर भी एक्सपर्ट हैं। लेकिन आपने जो बजट में रखा था, उसी को या तो एनहांस करने का या रिडक्शन करने का पूरा फाइनेंस बिल में आप क्लॉज़ बाय क्लॉज़ लाए हैं। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : ऐसा नहीं है। ...(व्यवधान) यह पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है। ...(व्यवधान) आप टैक्स पर तो बात करते। ...(व्यवधान) आप टैक्स के बारे में एक शब्द नहीं बोले। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वह बात उन्होंने आपके सामने रखी है। ...(व्यवधान) आप पार्टी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं?

श्री निशिकान्त दुबे: पॉलिटिक्स का क्या है कि सुलभाः पुरुषा राजन्, सततं प्रियवादिनः। आप लोगों की क्या आदत हो गई है, जिससे कि नेतृत्व कैसे खुश होगा, नेता कैसे खुश होगा और इससे आप्रिय बात क्या हो सकती है, आप नहीं कहते, हमने किस आधार पर इस देश को कैसे लिया? अभी उन्होंने आई.एम.एफ. की बात कही, अभी कांग्रेस पार्टी ने आई.एम.एफ.की बात कही कि आई.एम.एफ. ने कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है, वह कहीं न कहीं स्टेबल होगी। आई.एम.एफ. ने कब कहा है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के जिस भाषण को आप कोट कर रहे हैं, आई.एम.एफ. ने कब कहा है? आई.एम.एफ. ने सन् 2015 में कहा है। सन् 2014 में उसने वह नहीं कहा था, सन् 2014 में उसकी जो रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट यह कह रही है कि आपकी इकॉनमी डाउन जा रही है, आपको लैजिसलेशन लाने की आवश्यकता है, आपको रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। यदि रिफॉर्म्स नहीं किया, आप नए लैजिसलेशन नहीं लाए तो इस देश में बड़ी समस्या होने वाली है। अभी प्रधान मंत्री के विदेश दौरे के बारे में बहुत बातचीत हुई। राज्य सभा में बड़ी चर्चा हुई कि स्कैम इंडिया, स्किल इंडिया कैसे उन्होंने कह दिया। अरे! हमने किस तरह से आपसे इकॉनमी ली थी, आपने कभी यह देखा है कि नवाब वाजिद अली शाह का जमाना था, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। बोलने से बड़ा खराब लगेगा। हमने क्या लिया है? आपने मैक्सिमम बिजनसमैन को जेल के अंदर डाल दिया। टू-जी स्कैम में पूरा का पूरा आपको लगा कि हमने

चोरी नहीं की। जो सरकारी पार्टी के लोग थे, दयानिधि मारन से ले कर ए. राजा तक को जेल में ठूंसने का काम किया।

अपराह्न 02.00 बजे

[हिन्दी]

इस देश के प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री कहते हैं हमको कोई जानकारी नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि पीएमओ क्यों स्ट्राँग है, इसके ऊपर आप चर्चा करना चाहते हैं। मेरा यह कहना है कि आप अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल, इस तरह की सिचुएशन को पैदा मत कीजिए। मेरा आग्रह इस सदन से है, आपसे है कि फाइनेंस बिल की चर्चा हो रही है तो फाइनेंस बिल की बात कीजिए। फाइनेंस बिल में जो सबसे बड़ा सवाल है, वह यह है कि एक जो आम टैक्स पेयर है, उसकी क्या हालत है? उसकी हालत यह है कि जो टास्क फोर्स, सोम कमेटी की टास्क फोर्स के बारे में लगातार चर्चा चलती है, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए। उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए कि "कर अधिकारियों पर बाह्य रूप से लगाए गए राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव है।" और उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण जो समस्या है, वह समस्या बहुत बड़ी है। उसके कारण सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि जो रिफंड का सवाल है, रिफंड के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, सेटलमेंट के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जो टैक्स का एसेसमेंट हो रहा है, जो अभी जमाने में देखा जा रहा है, उस टैक्स के एसेसमेंट में जो ऑफिसर्स हैं, चूँकि उनको प्रमोशन उसी आधार पर मिलता है, आपने जो सिचुएशन पैदा की, वह डिपार्टमेंट के पक्ष में है। उनको न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन वे डिपार्टमेंट के पक्ष में अपना डिसिजन देते हैं। जब जुडीशियल स्क्रूटनी में वह फर्स्ट फेज में अपील में जाता है तो आपको जानकारी दे दूँ कि कम से कम 6 लाख करोड़ के टैक्स एरियर जुडीशियल एकाउंटिबिलिटी के लिए पड़े हुए हैं। उसके जो जजमेंट आते हैं, तो 85 से 90 परसेंट जजमेंट टैक्स देने वाले आदमी के पक्ष में जाते हैं और डिपार्टमेंट के खिलाफ में जाते हैं। आप यह समझिए कि जुडीशियल प्रोसेस में हमने इस तरह की सिचुएशन पैदा कर दी है और यही कारण है कि एक नए एन्वायर्नमेंट की आवश्यकता थी, एक नई चीज की आवश्यकता थी।

यही कारण है कि यह बजट आम आदमी का कैसे है, गरीब का कैसे है, किसान का कैसे है, हमने फाइनैंशियल प्रपोजल में उन सबको किस तरह से देने का काम किया है, गाँव, गरीब किसान को खुश करने का कैसे काम किया है, केवल एक मंडी जाने से कुछ नहीं होता है। अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। 57 दिन आप विदेश में घूमते रहे और आज आप प्रधानमंत्री को कहते हैं कि वे बाहर हैं। क्या आपने अपने नेता से कभी पूछा है कि 57 दिन आप क्या कर रहे थे? यदि आप पूछ लेते तो शायद उनको पता चल जाता। अपनी गलती छुपाने के लिए खड़गे साहब, वे दूसरों के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं।...(व्यवधान) दस साल में मैंने इस पार्लियामेंट में तो एकाध बार ही बोलते हुए देखा है। अब ये घूम-फिरकर आते हैं और इस पार्लियामेंट से पहले...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदय, यह देखिए, ये बजट के ऊपर बोल रहे हैं। आप सिर्फ दूसरों को कहते हैं। हमारे थॉमस साहब तो प्रोफेसर हैं, उन्हें मालूम है कि फाइनेंस बिल के ऊपर बोलना है। लेकिन आप घूम फिरकर फिर उन्हीं बातों पर आ जाते हैं। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप कोई दूसरी चीज तो नहीं बोल रहे हैं।...(व्यवधान) मोदी साहब को खुश करने के लिए जो बोलना चाहिए, वही आप बोल रहे हैं।...(व्यवधान) इसमें कोई दूसरी बात नहीं है।

श्री निशिकान्त दुबे: महोदय, इस बात की बड़ी चर्चा हुई कि कारपोरेट टैक्स हमने 30 परसेंट से 25 परसेंट पर ला दिया। इसकी बड़ी चर्चा हुई। हमने पूरे टैक्स प्रपोजल को देखा, क्योंकि टैक्स जीडीपी रेश्यो डिक्लाइन में जा रहा है। "अभी कई वर्षों से, कर जी.डी.पी. अनुपात में गिरावट आ रही है।" यह आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है। आज भी कारपोरेट के ऊपर 44 परसेंट का टैक्स रेट है। 44 परसेंट कैसे है, वह मैं आपको बताता हूं कि यह किस तरह का टैक्स रेट है और हमने किस तरह से लोगों को फायदा पहुँचाने का काम किया है। ये इस बात को नहीं समझेंगे। कारपोरेट टैक्स का रेट जो है, जो टैक्सेबल इंकम दस करोड़ से ऊपर की है, यदि सारा सेस आदि सब मिला लेंगे तो वह 40 परसेंट के आसपास है, सरचार्ज उसके ऊपर दो परसेंट है, यदि सरचार्ज और कारपोरेट टैक्स को मिला लेंगे तो वह 42 परसेंट है, एजुकेशन सेस उस पर 3 परसेंट है, टोटल यह 43.26

परसेंट आता है। जो 10 करोड़ तक का है, उसका जो टैक्स रेट है, 30 परसेंट टैक्स है। उसका सरचार्ज 7 परसेंट है। टैक्स स्ट्रक्चर 32 परसेंट है, एजुकेशन सेस 3 परसेंट है और इफेक्टिव टैक्स रेट लगभग 34 परसेंट के आसपास होता है। इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो बाहर से लोगों को इनवैस्टमैंट लेकर आना है जो मेक इन इंडिया की बात हम कर रहे हैं, या जिन लोगों को यहाँ रोज़गार करना है, या जिनको लगता है कि हमको यहाँ सुविधा मिलेगी, वह जो हमारे एशिया के देश हैं, जैसे सिंगापुर में हमें यह टैक्स रेट लगता है कि 17-18 परसेंट के आसपास है। मलेशिया, इंडोनेशिया या अन्य देशों की बात कर लें तो उनको जब कहीं दूसरी जगह सुविधा नज़र आती है तो वह इनवैस्टमैंट के लिए कहीं दूसरी जगह जाते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने एक प्रपोज़ल दिया है। मैं खड़गे जी को बताना चाहता हूं कि इस साल कोई प्रपोजल नहीं दिया है। आप लोगों ने जो कहा कि यह कार्पोरेट के लिए है, मैं यह बताऊँ कि इस साल के लिए कुछ नहीं है। हमने इस देश में चर्चा करने के लिए एक प्रपोज़ल दिया है कि हमारी यह इच्छा है कि हम इस टैक्स को 30 परसेंट से 25 परसेंट तक लाएँ। इस पर चर्चा होगी। अभी एक साल तक चर्चा होगी। आप कुछ बात कहेंगे, लोग कुछ कहेंगे। यह सरकार का कमिटमैंट है। सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है।

जहाँ तक आम गरीबों और आम जनता का सवाल है, आप देखिएगे कि हमने क्या किया? ब्लैक मनी एक बहुत बड़ा विषय है। एच.यू. एफ. में क्या था कि जिन लोगों को टैक्स बचाना होता था तो वे एच.यू.एफ खोल लेते थे और एच.यू.एफ. के बहाने वे टैक्स बचाने का काम करते थे। उसको हमने 10 परसेंट से बढ़ाकर 12 परसेंट करने का सवाल किया है। इसके बाद हमने जो इंसैंटिव दिया है अलग लोगों को, जो हमने कहा है कि गाँव, गरीब, किसान है, आप क्लियर कट सुनिये कि हमने क्या-क्या किया। हमने कहा कि नेशनल पैंशन स्कीम, जिसके बारे में माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि हमने उसका 50 हजार रुपया कंट्रीब्यूशन माना और वह एडीशन है 10 परसेंट सैलेरी का जो डिडक्शन है, उसके ऊपर हमने उसको एडीशनल दिया है। यदि आप नेशनल पैंशन स्कीम की तरफ जाएँगे तो आप जानते हैं कि हम जाइंट फैमिली कंसैप्ट में विश्वास करते हैं। हमारे घर में यदि एक आदमी कमाता है तो उसी के ऊपर माँ, बाप, दादा, दादी, बच्चे, सभी उसी पर निर्भर करते हैं। मान लीजिए कि यदि उसकी डैथ हो जाए, यदि वह मर जाए या उसका एक्सीडैंट हो जाए या उसकी नौकरी छूट जाए तो

इसके बाद पूरा का पूरा घर आत्महत्या के लिए विवश हो जाता है या कोई रोज़गार तलाशने के लिए उनका विस्थापन या पलायन हो जाता है। यही कारण है कि भारत सरकार ने एक नेशनल पैंशन स्कीम के तहत इस पर डिडक्शन स्टार्ट किया जिससे वह जब 60 साल की एज पूरी करेगा तो उसको निश्चित तौर पर एक बढ़िया पैंशन मिलेगी। इसके बाद हमने इनवैस्टमैंट इन लाइफ इंश्यूरैंस एन्युइटी प्लान में जो डिडक्शन था, उस 15 हजार को हमने बढ़ाने का काम किया और उससे जो डिडक्शन इन 80 सी है, उसको उसका बैनिफिट मिलेगा। इनकम टैक्स का बैनिफिट हम उसके ऊपर देने की बात कर रहे हैं। अभी जिसके बारे में फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो थी, वह लगातार कई वर्षों से नहीं बढ़ी थी। वह 800 रुपये थी। 800 रुपये में तो यदि यहाँ से कोई एक बार नौएडा जाएगा और नौएडा से वापस आएगा तो हो सकता है कि 800 रुपये उसी में खर्चा हो जाए। लेकिन 14वें फाइनैंस कमीशन के बाद भी हमारे यहाँ जो माहौल बन गया था, उसके बावजूद भी हमने देश के आम लोगों को राहत देने का काम किया और 800 रुपये को बढ़ाकर 1600 रुपये करने का हमने प्रयास किया।

जो मैडिकल ट्रीटमैंट है, लोग बीमार हो जाते हैं तो हमने देखा है कि आज का हॉस्पिटलाइज़ेशन सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। हम जितने ईस्टर्न इंडिया के मैम्बर्स ऑफ पार्लियामैंट हैं, चाहे झारखंड के, बिहार के या उत्तर प्रदेश के हैं, वे इन चीज़ों से जूझते रहते हैं। वे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन बीमारी हो जाती है। एम्स में इलाज नहीं हो पाता है। एम्स में लंबी लाइनें लगती हैं, राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो या गोविन्द वल्लभ पंत अस्पताल हो वहाँ भी वही हाल है। लोगों को लगता है कि हमारा भी अपोलो में इलाज हो जाए। लोगों को लगता है कि हमारा भी मेदान्ता में इलाज हो जाए। इस कारण से इस सरकार ने मैडिकल ट्रीटमैंट के लिए 10 हज़ार रुपये कहा कि हम उसको भी तुमको फ्री कर देंगे। जिसको मैडिकल बैनिफिट लेना है, मान लीजिए मैडिक्लेम लेना है या चीज़ें लेनी हैं तो 10 हज़ार रुपये में हमें लगता है कि उनके पूरे परिवार का इंश्योरैन्स हो जाएगा। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, यह केवल आप फाइनैंशियल टर्म्स में नहीं देखिये। आज आम लोग, गरीब लोग किस तरह जा रहे हैं जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। आप कहते हैं कि प्रधान मंत्री का पूरा का पूरा जो एक्शन है, इस वित्त मंत्री का जो एक्शन है, सरकार का जो पूरा का पूरा एक्शन है, वह गाँव,

गरीब, किसान और महिला के लिए कैसे है। यह उसी तरफ जा रहा है। क्योंकि हम किसी का पूरा का पूरा इलाज नहीं करा सकते हैं। इसके बाद जो एक्ज़िस्टिंग लिमिट थी इनडिविजुअल, स्पाउज और डिपैंडैंट चिल्ड्रन की, वह 15 हजार रुपये थी, उसको हमने 20 हजार रुपये करने का प्रयास किया है। उसके बाद जो इण्डीविजुअल, स्पाउस और इस सब का जो 25 हजार था, उसे हमने 30 हजार रुपये करने का प्रयास किया है। जो सीनियर सिटीज़न हैं, सीनियर सिटीजंस में भी हमने दो स्लैब्स करने का प्रयास किया है। आप यह देखिये कि 60 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजंस हैं, उनको हमने ढाई लाख रुपये तक का एग्जम्पशन दिया है और जो 80 साल से ऊपर के हैं, उनको पांच लाख रुपये से ऊपर का एग्जम्पशन दिया हुआ है, क्योंकि, देश जितना युवा हो रहा है, उतना ही यह बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है और जब युवा ज्यादा होंगे तो एक न एक दिन सब को बूढ़ा होना है। हमको भी बूढ़ा होना है और अभी तक किसी भी सरकार ने, खासकर आपकी सरकार ने बूढ़ों के लिए क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था। हमारी सरकार ने पहली बार सोचा है कि 60 साल के ऊपर क्या होगा और 80 साल के ऊपर क्या होगा।

इसके बाद जो ऐसे लोग हैं, जो विकलांग हैं। इसके बारे में पार्लियामेंट में लगातार चर्चा होती रहती है, हम किसी विकलांग को देखते हैं तो कहते हैं कि इसको साइकिल दे दें, किसी को कहते हैं कि कान की मशीन दे दें, किसी को लगता है कि पैर लगवा दें, यहां किरीट सोमैय्या साहब बैठे हुए हैं, ये इस बारे में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पहली बार हमने उनका जो डिडक्शन था, उसको हमने इन्क्रीज करने का प्रयास किया है कि उसको 50 हजार से 75 हजार रुपये किया है और जो इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनका जो इन्क्रीज़ है, वह एक लाख से 1.25 लाख करने का प्रयास किया है। हम जिस तरह से गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, सरकार के इस फाइनेंस बिल में यह इसका सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद जो मैडीकल ट्रीटमेंट है, कुछ विशेष बीमारियां हैं, इस देश में बहुत गम्भीर बीमारियां हो जाती हैं, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को एच.आई.वी. हो जाता है, किसी को इबोला हो जाता है, किसी को और भी कई डिसीज़ हो जाती हैं, ऐसी डिसीज़ हो जाती हैं, जिनके लिए कि सबसे ज्यादा परेशानी है। जैसे एमनीशिया है, जैसे उस दिन भर्तृहरि महताब साहब बड़ा अच्छा बिल लेकर आये कि अलज़ाइमर हो जाता है तो इस तरह के जो सीनियर सिटीजंस हैं, उनको हमने जो 60 हजार

रुपये की लिमिट थी, उसको 80 हजार रुपये करने का प्रयास किया है। ये सारे प्रोवीजंस फाइनेंस बिल में हैं। मुझे लगता है कि आपने इस सारे बिल को कैसे नहीं देखा, कांग्रेस पार्टी ने कैसे नहीं देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है।

इसके बाद जो विथहोल्डिंग टैक्स है, इसमें जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोवीजन है, वह टैक्स ऑन सैलरी होता है। इसमें एम्पलायर एक सरटेन डिडक्शन के लिए ऑथोराइज़ होता है, जो सैलरीड क्लास है, उसको इसके बारे में सबसे ज्यादा समस्या होती है और यही कारण है कि इसमें क्लैरिटी करने के लिए हमने यह कहा कि एम्पलाई का एवीडेंस एम्पलायर को लेना जरूरी है, जो दोनों के बीच का रास्ता है कि जो मालिक है और जो उसके यहां काम करने वाले लोग हैं, इसके कारण जो एम्बीग्युटी थी, उसको हमने खत्म करने का प्रयास किया है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि विथहोल्डिंग टैक्स में एल.आई.सी. की जो रिलीफ थी, उसे हमने लगभग एक लाख रुपये करने का प्रयास किया है, जबकि वह 15जी और 15एच फॉर्म सबमिट करेगा तो वह एक लाख रुपये तक का डिडक्शन लेने के लिए, क्लेम रिलीफ लेने के लिए इल्लीजिबल हो जायेगा। मतलब 4.44 लाख से ये सारी चीजें ऊपर हैं। उसके बाद हमने जो सबसे बड़ा काम किया है, वह डिस्क्लोज़र ऑन फॉरेन असैट्स का है, इसके बारे में अलग से बिल आने वाला है और इसके बारे में मुझे लगता है कि इस हाउस को बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। आवश्यकता यह है कि ब्लैकमनी पर बहुत चर्चा चलती है। ब्लैकमनी पर जब चर्चा चलती है तो मैं आपको बताऊं कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेन्स्ट करप्शन (यू.एन.सी.ए.सी.), इसने सन् 2000 में एक ड्राफ्ट बनाना स्टार्ट किया, यह इस सदन को जानने की, इस देश को जानने की बहुत आवश्यकता है और वह ड्राफ्ट 2004 में फाइनल हो गया। फाइनल हो गया तो लोगों ने उस पर साइन करना स्टार्ट किया। उसमें आर्टीकल 40 कहता है कि जो ब्लैकमनी है, जो यहां से आम जनता के लिहाज से गाढ़ी कमाई ले जाई गई है, पूरी दुनिया में ले जाई गई है, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, चीजें करेंगे और पूरा देश, पूरी दुनिया इसके ऊपर यूनाइटिड होगी। हमने 2005 में इसको साइन कर लिया। यू.पी.ए. सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, यू.पी.ए. सरकार ने जो बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे काम किये, उनमें से एक काम यह भी किया कि 2005 में उन्होंने यू.एन.सी.ए.सी. के इस कन्वेंशन को साइन कर लिया। लेकिन साइन कर लेने से ही मामला खत्म नहीं होता है।

यह कानून पूरी दुनिया में तब तक आपको दूसरों के बारे में, हमारे देश की गई हुई इन्कम को तब तक डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, तब तक आपको कोऑपरेट नहीं कर सकता, जब तक कि आप इसको रेटीफाई नहीं कर लेते, जब तक कि आप कानून के तौर पर इसे नहीं ले आते।

उपाध्यक्ष महोदय, हम और आप दोनों उसी फाइनैंस कमेटी में थे। अगर आपको ध्यान हो तो वर्ष 2010 में सरकार यह लगातार कहती थी कि बस यदि पन्द्रह दिनों के अन्दर नहीं करेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे। हमने इस बिल को स्टैण्डिंग कमेटी की मात्र एक सीटिंग में खत्म कर दिया। जनवरी, 2010 में स्टैण्डिंग कमेटी ने इस बिल को दे दिया। इन्हें उसे करने में वर्ष 2011 तक का समय लग गया। वर्ष 2011 में इन्होंने इस बिल को तब शामिल किया या रैटीफाई किया जब भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2009 में इसे एक बड़ा इलेक्शन इश्यू बना लिया। माननीय आडवाणी जी की यात्रा हो गयी। हम लोगों ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में राम जेठमलानी साहब का पी.आई.एल. आ गया।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अभी अख़बार में राम जेठमलानी का एक आर्टिकल भी आया है। उसे पढ़िए।

श्री निशिकान्त दुबे: मैं उसी आर्टिकल का जवाब दे रहा हूं। जब पी.आई.एल. एडमिट न हो पाया तो वर्ष 2011 में इसी पार्लियामेंट में, इसी सदन में मैंने लिंचेस्टाइन बैंक के कुछ एकाउंटहोल्डर्स का नाम लिया। मैं उन सब की कॉपी लेकर आया हूं। इसी सदन में मैंने कांग्रेस के कुछ सांसदों का नाम भी लिया और भारत सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि आपके सांसद उसमें फंसे हुए थे और आप उसका जवाब देने को तैयार नहीं थे। हर्ष रघुवंशी एक ऐसे आदमी थे, जिन्होंने वर्ष 2011 में, मेरे बयान पर, इसी पार्लियामेंट में दिए हुए मेरे भाषण के ऊपर दूसरा पी.आई.एल. किया। खड़गे साहब, आप डेट नोट कीजिए, दिनांक 06 अप्रैल, 2011 को सुप्रीम कोर्ट में हर्ष रघुवंशी की पी.आई.एल. के साथ राम जेठमलानी की उस पी.आई.एल. के ऊपर बहस हुई।

उसमें मेरे भाषण को कोट कर दिया गया कि निशिकांत दूबे ने यह-यह कहा और भारत सरकार ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। यही कारण है कि वर्ष 2011 में एस.आई.टी. बनाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया।

जब वर्ष 2011 में एस.आई.टी. बनाने का आदेश आ गया, तो इसके ऊपर कांग्रेस की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई तो उस ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में एस.आई.टी. बनाई। आज सुप्रीम कोर्ट उसी एस.आई.टी. को मॉनीटर कर रहा है। मेरा यह मानना है कि भारत सरकार, हमारे नरेन्द्र मोदी जी, हमारे फाइनैंस मिनिस्टर इतने सक्षम हैं कि आज नहीं तो कल यह पूरा-का-पूरा काला धन आएगा और जो लोग अपना काला धन नहीं बताएंगे, उन्हें दस साल का जेल होगा। यही इस फाइनैंस बिल का सबसे बड़ा रिकमेंडेशन है।

प्रो. सौगत राय: क्या फाइनैंस बिल में ऐसा है कि उन्हें दस साल का जेल होगा?

श्री निशिकान्त दुबे : यह मुद्दा फाइनैंस बिल में है। फाइनैंस बिल में दस साल का जेल नहीं है, परन्तु हम ब्लैक मनी पर कानून लेकर आएंगे और यह तो फाइनैंस बिल का ही पार्ट है। अब मैं जी.एस.टी. पर आता हूं। जी.एस.टी. क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय, आदमी को यदि सबसे ज्यादा परेशानी है तो वह इसी कारण से है कि यहां टैक्स के ऊपर टैक्स है। जैसे बैंक में कम्पाउंडिंग टैक्स होता है, उसी तरह से यह है। मान लीजिए कि एक आम आदमी को साइरकिल खरीदना है या रेक्सोना साबुन या लाइफब्वॉय साबुन खरीदना है तो उसका जो कॉस्ट होगा, उस कॉस्ट का कितना प्रतिशत कम्पाउंडिंग टैक्स होता है? एक टैक्स में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं? यदि आप सेन्टर और स्टेट के टैक्स को देखिएगे तो सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी देनी पड़ती है। सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी देने के बाद एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी देनी पड़ती है। आप केवल टैक्स को देख लीजिए। उसके बाद मेडिसिनल एण्ड टॉयलेट प्रिपैरेशन एक्ट के तहत इसके ऊपर एक और टैक्स देना पड़ता है। फिर उसके ऊपर सर्विस टैक्स आ जाता है। अभी सर्विस टैक्स 12% से बढ़ कर 14% हो गया है। उसके बाद उसके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। इस एडिशनल कस्टम ड्यूटी के बाद उस पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सी.वी.डी.) देनी पड़ती है। इसके बाद स्पेशल एडिशनल ड्यूटी (एस.ए.डी.) देनी पड़ती है। इसका मतलब टैक्स पर टैक्स देना पड़ता है। आपने सी.वी.डी. दिया। आपने कस्टम ड्यूटी भी दी। फिर आपको एडिशनल

कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, एडिशनल सी.वी.डी. देनी पड़ती है। उसके बाद सेस और सरचार्ज देना पड़ता है, जिसे समय-समय पर केन्द्र सरकार लागू करती रहती है। जैसे अभी भारत सरकार ने 'स्वच्छ भारत मिशन' के लिए लागू किया है या मान लीजिए कि सरकार ने रोड निर्माण या एजुकेशन के लिए कोई टैक्स लागू किया है, तो उस तरह का टैक्स भी आपको देना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, उसी तरह से स्टेट लेवल पर वैट और सेल्स टैक्स देना पड़ता है। वैट के बाद सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स जो है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो बंटवारा होता है, वह टैक्स देना पड़ता है। राज्यों में और भी प्रकार के टैक्स हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स है, ऑक्ट्रा, इंट्री टैक्स है। आपको पता है कि कोई भी म्युनिसिपल कारपोरेशन, कोई भी म्युनिसिपिलिटी एक बैरियर लगा देती है और लगातार टैक्स वसूलती रहती है। परचेज टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, टैक्सेज ऑन लाटरी, बेटिंग एंड गैंबलिंग है और स्टेट सेस सरचार्ज जो समय-समय पर देते रहते हैं। इतने तरह के टैक्स हमें कहीं न कहीं देने पड़ते हैं। 125 करोड़ के इस देश में मात्र 3 करोड़ आदमी टैक्स पेयर्स हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। जो आम आदमी है, गांव, गरीब, किसान है, यदि उसे ट्रैक्टर खरीदना है, कुदाल खरीदना है, हल खरीदना है, खुर्पी खरीदना है, कछिया खरीदना है, यदि उसको साईकल खरीदना है, लाइफब्वाय खरीदना है, मेडिसिन खरीदनी है, क्रोसिन खरीदनी है, पैरासिटामोल खरीदना है, यदि छोटी-छोटी चीजों को खरीदना है तो उस पर टैक्स पर टैक्स बहुत ज्यादा होता है। माननीय सुप्रिया जी लगातार जेनरिक मेडिसिन के लिए बोलती रहती हैं कि जेनरिक मेडिसिंस के दाम यदि 10 पैसे, 15 पैसे हैं, तो ब्रांडेड मेडिसिंस के दाम दो, ढाई या तीन रूपए कैसे हो जाते हैं, ये इसी तरह के टैक्सेज के कारण हो जाते हैं। यही कारण है कि इस देश में जीएसटी की आवश्यकता है। भारत सरकार ने तय किया है कि आम आदमी, गरीब आदमी को कैसे इससे राहत होगी, उसके टैक्स के बारे में कहा है।

उपाध्यक्ष जी, मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूं कि हमने कस्टम ड्यूटी में जो रिडक्शन किया है, वह 'मेक इन इंडिया' की तरफ कैसे जा रहा है। मैं केवल गांव, गरीब, किसान की ही बात करूंगा, क्योंकि कारपोरेट की पूरी सरकार चलती रही, कारपोरेट ने किस तरह से पैसा दिया, किस तरह से कांग्रेस करप्ट रही, यह बताने

की आवश्यकता नहीं है। हमने मैटल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम की है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल इंसेलुटर है, जो छोटी चीजें हैं, यह बहुत छोटी चीज है, इसे स्माल स्केल इंडस्ट्री के लोग बनाते हैं, छोटे लोग बनाते हैं, उसकी हमने कस्टम ड्यूटी कम करने का काम किया है। हमने एथलीन, प्रोपलीन और डाइंग रबर, ईपीडीएम में जो टैप है, जो माइका ग्लास है, उसके ऊपर हमने कस्टम ड्यूटी कम की है। वायर्स एंड केबल्स, हम यदि ढाई लाख पंचायतों को कनेक्ट करने की बात करते हैं, तार की बात करते हैं, 24 इनटू 7 बिजली पहुंचाने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि वायर एंड केबल बनेगा या नहीं, हम चाइना से कंपीट कर पाएंगे या नहीं और इस दिशा में उसके ऊपर टैक्स कम करने का प्रयास किया है।

जो मैगनेट रन है, जो महिलाएं यहां बैठी हुई हैं, उनको माइक्रोवेव ओवंस की कितनी आवश्यकता है, उनको यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यह आम गृहणी, महिला का सवाल है। आज सभी के घर में यह होता है। हमने एक किलोवॉट तक के ऊपर कस्टम ड्यूटी कम करने का सवाल किया है। इसके बाद जो ओ.एल.पी. है, ब्लॉक कंप्रेशर है, ...(व्यवधान) आज प्रत्येक घर में रेफ्रिजरेटर की आवश्कयता है। सबको ठंडा पानी चाहिए, सबको अच्छी सब्जी चाहिए, हमने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम करने का काम किया है।

इसके अलावा जो कैटेलिक कन्वर्टर्स हैं, कन्वर्टर्स की सबसे ज्यादा आवश्यकता आज के युग में जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, उसकी आवश्यकता है। इसके लिए जियोलाइट और क्रेलिका के ऊपर कस्टम ड्यूटी कम करने का प्रयास किया है।

फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा सवाल है, यहां किसानों के ऊपर बहुत चर्चा होती है। अभी साहब विदर्भ गए हैं, शायद हो सकता है कि मंगलवार के दिन जब पार्लियामेंट खुलेगा तो फिर कुछ सुनने को मिलेगा। जब एग्रेरियन क्राइसिस पर यहां चर्चा होती है, तब तो नजर नहीं आते हैं, लेकिन बार-बार जब विदेश से घूमकर आते है या कहीं से घूमकर आते हैं तो कुछ न कुछ चर्चा करते हैं। उनका स्वागत है, हमें कोई परेशानी नहीं है। यह उनका अपना मामला है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हम उसे नहीं बनाते हैं। इस कारण से फर्टिलाइजर का दाम दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो केवल और केवल फर्टिलाइजर में यूज होता

है, उसकी कस्टम ड्यूटी हमने कम करने का प्रयास किया है। एस्पिरिन और फाइव ब्यूटेंस का दवाइयों में बहुत ज्यादा यूज होता है। हम पीएसी में चर्चा कर रहे थे, साठ हजार करोड़ का चीन से दवाइयों का इंपोर्ट करते हैं और हम कहते हैं कि दवाइयों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस कारण से हमारे लोग बहुत परेशान होते हैं। हमने एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर कम करने का प्रयास किया है जिससे यहां का रॉ मैटेरियल आगे बढ़े। एल.ई.डी. लाइट के प्रयोग से बिजली की खपत कम हो जायेगी। गांव के गरीब किसानों को अच्छी लाइट मिलेगी। चीन एल.ई.डी. लाइट के पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करने की प्रयास कर रहा है। उनमें ऑगैरनिक एल.ई.डी. और जो टी.वी. पैनल्स पर हमने एक्साइज ड्यूटी को निल करने का सवाल किया है कि यहां के जो मैन्यूफैक्चरर्स हैं, वे "मेक इन इंडिया " की तरफ कैसे आगे बढ़ेंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है?

सोलर वाटर हीटर और इवैकुएटेड ट्यूब्स से एक्साइज ड्यूटी कम करने का विचार किया गया है। इसके बाद जो मेटालर्जिकल कोक है, अभी बहुत चर्चा हुयी कि हम कोयला आयात कर रहे हैं तो उसको हमने बढ़ाने का प्रयास किया है, वह जो 2.5 परसेन्ट पर आ रहा था, उसे हमने 5 परसेन्ट करने का प्रयास किया है ताकि यहां की लोकल इंडस्ट्रीज और कोल इंडिया इंडस्ट्री अपने-आपको वर्ल्ड मार्केट में सक्षम कर सकें।

कई कम्पनियों ने यहां ऑफिस खोल लिया है या एक असैम्बलिंग यूनिट बना दिया है, मैक्सिमम लोगों को विदेशी कारों में घूमने का शौक होता है और अन्य विदेशी चीजे हैं, उनका यहां केवल किट बनता है, उनके लिए भी हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का सवाल किया है कि उन कार कम्पनियों को या उस तरह के कम्पोनैंट बनाने वालों को, यदि आवश्यकता है तो वे यहीं आयें, "मेक इन इंडिया " स्कीम के तहत आयें, हम उनको सुविधा देंगे तो निश्चित तौर पर यह देश आगे बढ़ेगा। ...(व्यवधान) हमने फॉरेन कम्पनी और इंडीविजुअल के बारे में क्या कहा है, उनके बारे में बात नहीं करूंगा। अभी तक इस देश में यह माहौल चला है कि हमने बड़ा जूता बना लिया और स्मॉल फूट प्रिन्ट्स। हमने बजट एस्टीमेट बहुत ज्यादा बनाया, चूंकि पैसा उतना कलैक्ट नहीं हो पाया तो हमने उसका रिवाइज्ड एस्टीमेट बना लिया और फिर यदि उससे कम पैसा आया तो हमने ऐक्चुअल एस्टीमेट बनाया। इस देश में तीन तरह के एस्टीमेट चलते रहे हैं - बजट एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट

और ऐक्चुअल एस्टीमेट। इसलिए हमने जूता बड़ा बनाने का प्रयास किया लेकिन फूट प्रिन्ट छोटा-छोटा हुआ क्योंकि देश में कोई डेवेलपमेन्ट नहीं हुआ, गांव के गरीब किसान, जो जहां थे, वैसे ही रह गये। हमने उन्हें केवल भाषण में ला दिया। मैं चाणक्य का एक श्लोक कह कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः

तपो न तप्तं वयमेव तप्तः।

कालो न यातो वयमेव याताः

तृष्णा न जीर्णो वयमेव जीर्णाः॥

जो प्लेजर, तपस, टाइम और थर्स्ट है, वह सब की बहुत ज्यादा है लेकिन प्लेजर की एक सीमा है। आप प्लेजर की एक सीमा के बाद सन्यास की तरफ जाते हैं। कन्जम्पशन करने की जो आदत है वह एक सीमा तक जाती है। यह सरकार सत्य पर आधारित है। यह सरकार सत्यता की तरफ जा रही है। इस देश की जनता को आप लोगों ने इतने वर्षों तक गुमराह किया है, हम उन्हें गुमराह नहीं करना चाहते हैं।

"सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः"

जैसे रवि हमें रौशनी देता है वैसे ही धरती हमें खाना-पीना और जिन्दा रहने का सुख देती है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार, श्री अरुण जेटली जी यह फाइनैंस बिल ले कर आये हैं जिससे गांव, गरीब, किसान और महिला सबको फायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक 2015-16 पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हम आम बजट पर चर्चा के दौरान देश के वित्त से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर पहले ही विचार कर चुके हैं।

इस वित्त विधेयक के साथ, माननीय वित्त मंत्री जी अपने बजट प्रस्तावों को प्रभावी बना रहे हैं, जिन्हें उन्होंने पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, मैं अब कुछ प्रस्तावों पर जाऊंगा और कुछ मांगों को दोहराऊंगा।

प्रारंभ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को बजट बहिर्वाह 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक बढ़ाया। लेकिन जब मुझे आंकड़े मिलते हैं, तो वास्तविक शब्दों में, ऐसा नहीं है। 17 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट में से उन्होंने राज्यों को जो दिया है, वह उनके दावे से बहुत कम है।

चौदहवें वित्त आयोग ने जनसंख्या को महत्व दिया है जिसे मानदंडों में से एक के रूप में लिया गया है। इसलिए, कुछ भी नहीं है जो वित्त मंत्री ने तमिलनाडु की तरह राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए किया है, जिसने आबादी को नियंत्रित किया है, जो राष्ट्रीय हित में है।

दूसरा, करों के क्षैतिज वितरण के कारण चौदहवें वित्त आयोग द्वारा तमिलनाडु के साथ अनुचित व्यवहार किया गया है। वर्ष 1971 जनसंख्या जनगणना के लिए महत्व कम है। इसने तमिलनाडु राज्य द्वारा अपनाए गए राजकोषीय अनुशासन उपायों को ध्यान में नहीं रखा है। क्षेत्र के लिए बढ़ते भार, 'प्रति व्यक्ति आय दूरी' और 'संपूर्ण वन क्षेत्र को शामिल करने' जैसे अन्य मानदंडों ने संसाधनों में तमिलनाडु को उसके उचित हिस्से से लूट लिया है।

विभाज्य पूल में तमिलनाडु की हिस्सेदारी में भारी कमी आई है। इस कमी की भरपाई कुल हस्तांतरण में 10 प्रतिशत की वृद्धि से नहीं की जा रही है। विभाज्य पूल और अन्य अनुदानों में अपनी हिस्सेदारी में कमी के कारण तमिलनाडु को प्रति वर्ष 6,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

वित्त मंत्री ने राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता को 2014-15 के 3.38 लाख करोड़ रुपये से घटाकर चालू वर्ष में 2.04 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। यह राज्यों के लिए एक बड़ी और अभूतपूर्व कटौती है। यहां तक कि केंद्रीय मंत्रालयों के मामले में भी आबंटन में कटौती की गई है।

जब हम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आबंटन को देखते हैं, तो जिसकी अनुदान मांगें कल अलग से सदन में पारित की गईं, आबंटन में कमी की गई है। पिछले वर्ष के बजटीय अनुमान 25,000 करोड़ रुपये से घटाकर इस वर्ष 18,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। नागरिक का स्वास्थ्य सीधे राष्ट्र के स्वास्थ्य परिलक्षित होता है; और इस मंत्रालय के लिए आबंटन में भारी कमी हुई है। आबंटन कम होने से केंद्र अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल कैसे कर सकता है?

यहां, मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, विशेष रूप से 'ब्रेन-डेड रोगियों' से किए गए अंग प्रत्यारोपण में, तमिलनाडु द्वारा की गई एक प्रशंसनीय उपलब्धि का हवाला देना चाहूंगा, जो ज्यादातर सड़क दुर्घटना के शिकार रोगियों से किए गए कैडेवरिक प्रत्यारोपण है। पूरे भारत में, तमिलनाडु इस तरह के बड़े पैमाने पर प्रत्यारोपण करने वाला पहला राज्य है; और यह एक रिकॉर्ड है।

वर्ष 2008 से मार्च 2015 तक, तमिलनाडु से दाताओं की कुल संख्या 620 है और प्रत्यारोपित अंगों की कुल संख्या 3419 है। वर्तमान जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार, तमिलनाडु ने पिछले साल लगभग 1.3 प्रति मिलियन दान किए हैं।

इस संबंध में केंद्र से मेरा अनुरोध है कि यदि केंद्र हमारे राज्य को धन आबंटित करता है, तो हम इस उद्देश्य के लिए एक अलग सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित कर सकते हैं जो परीक्षण के आधार पर मानव अंग प्रत्यारोपण की विशेष देखभाल करेगा और इसे बाद में हमारे अनुभव के आधार पर अन्य सभी राज्यों में

दोहराया जा सकता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री से इस पर विचार करने और इसके लिए कुछ धनराशि आबंटित करने का अनुरोध करता हूं।

सहकारी संघवाद पर आते हुए, हालांकि वित्त मंत्री इस बारे में बात करते हैं, केंद्र इसे वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित करने के बारे में चुप है। राजकोषीय हस्तांतरण की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है; अंतर-राज्यीय परिषद को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है; लेकिन इन सभी पर केंद्र ने अब तक कोई पहल नहीं की है।

सरकार महिला सुरक्षा और उनके कल्याण के बारे में जोर-शोर से बात करती है लेकिन इस मंत्रालय को आबंटन सरकार के शब्दों से मेल नहीं खाता है।

निर्भया कोष बनाया गया था और हर साल उस कोष में पैसा डाला जा रहा है। लेकिन उस निधि से होने वाले खर्च का क्या होगा? कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में एक लेख आया था जिसमें कहा गया था कि इस कोष में धन का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त पड़ा है। सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस पैसे को खर्च करने के तरीके और साधन तलाशने होंगे। यह जोड़ना प्रासंगिक है कि देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों से होती है। इसके अलावा, इस साल, केंद्र ने 'पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना' को अपना समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन कई राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र पर निर्भर हैं। लेकिन अब केंद्र ने इस ज़िम्मेदारी से खुद को पूरी तरह से वापस ले लिया है और इसके बाद केंद्र द्वारा इस उद्देश्य के लिए राज्यों को कोई भी निधि निर्धारित और जारी नहीं की जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति ने इस वर्ष अपने भाषण के अनुच्छेद 48 में कहा कि: 'केन्द्र सरकार कुशल और प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए स्मार्ट पुलिस (स्मार्ट लेकिन संवेदनशील, आधुनिक और मोबाइल, सतर्क और जवाबदेह, विश्वसनीय और उत्तरदायी, तकनीक-प्रेमी और अच्छी तरह प्रशिक्षित) के विचार को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।' लेकिन इस साल ही उसने पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना को अपना समर्थन

वापस ले लिया है। इसके साथ ही, केंद्र ने इसका पूरा बोझ राज्यों पर डाल दिया है, खासकर जब वर्षों से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। अकेले राज्यों के लिए केंद्र के समर्थन के बिना बढ़ती अपराध दरों से निपटना कैसे संभव है?

जी.एस.टी. के मामले में भी तमिलनाडु स्थायी रूप से हार जाएगा, इसलिए वह राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर बहुत चिंतित है। हमारा विनिर्माण राज्य है और इस तरह के विनिर्माण राज्यों को स्थायी रूप से राजस्व का नुकसान होगा। हम दोहराते हैं कि एक राज्य के भीतर वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का उद्ग्रहण, संग्रह और विनियोग पूरी तरह से राज्यों को दिया जा सकता है और केंद्र केवल अंतर-राज्य करों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। 'गंतव्य बिंदु' के सिद्धांत के कारण तमिलनाडु को लगभग 10,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा और इस नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

हम बाद में जी.एस.टी. विधेयक पर चर्चा करते हुए अपने विस्तृत दृष्टिकोण को रखेंगे। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर गौर करें और तमिलनाडु को होने वाले नुकसान की भरपाई करें।

वित्त मंत्री जी से इन सभी बिंदुओं पर बहुत गंभीरता से विचार करने और केंद्र जो कुछ भी कर सकता है, विशेष रूप से हमारे राज्य की क्षतिपूर्ति करने के लिए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। मैं यहाँ वित्त विधेयक, 2015 में भाग लेने के लिए खड़ा हूं। सात या आठ मुद्दे हैं जिन पर मैं अपनी राय देने का प्रयास करूंगा।

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, वह बिंदु - जिसका मेरे सहयोगी, श्री वेणुगोपाल अभी उल्लेख कर रहे थे और जो कि एन.डी.ए. मंत्रियों द्वारा सबसे अधिक और बार-बार दोहराया गया बिंदु था - यह था कि 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को 10 प्रतिशत अधिक कर हस्तांतरण दिया है और यही कारण है कि अधिकांश राज्यों को धन से भरा हुआ है और जो भी परियोजनाएं वे करना चाहते हैं और जो भी वापस लिया गया है उसका प्रबंधन राज्य निधि द्वारा किया जा सकता है।

वास्तव में इस पर बहुत कम विचार किया गया है क्योंकि यह केंद्र को मिलने वाले कर से कटौती है। पहले, गडगिल फार्मूले के कारण 32 प्रतिशत संबंधित राज्यों को दिया जा रहा था और अब यह 42 प्रतिशत हो गया है। वास्तव में क्या हुआ है? मेरा सुझाव है कि जब बाद में समय आए, तो हमें इस पहलू पर चर्चा करनी चाहिए। बेशक, 14वें वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार जो किया गया है, उसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। लेकिन बहुत से राज्यों को इसका फ़ायदा हुआ है। उन्हें गैर-योजना निधि उपलब्ध कराई गई है और वे उसके अनुसार काम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इस सदन सहित विभिन्न प्लेटफार्मों में इस पर चर्चा हो रही है, यदि कुछ निधियां नहीं उड़ी हैं या अनुदान की अलग-अलग मांग में कटौती की गई है, तो राज्य सरकारों को, जिनके पास 10 प्रतिशत से अधिक हैं, उस राशि से खर्च भी कर सकते हैं।

महोदय, इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, श्री एल. के. अडवाणी जी यहां नहीं हैं। अटल जी के प्रधानमंत्री काल में जब वे उप-प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने गृह मंत्री के रूप में हमारी पुलिस व्यवस्था और तंत्र को उन्नत बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। यह तब शुरू नहीं हुआ था जब श्री चिदम्बरम गृह मंत्री बने थे। यह श्री अग्रिम के समय, अर्थात् 2001-02 में शुरू हुआ था ताकि हमारे पुलिस स्टेशनों को उन्नत बनाया जा सके, उन्हें आधुनिक हथियार दिए जा सकें, उन्हें बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जा सके और अर्धसैनिक बलों की

नई बटालियन बनाई जाएंगी ताकि हम अपनी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती का सामना कर सकें जो हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर विकसित हो रही थी और यह यू.पी.ए.-एक और यू.पी.ए.-दो के साथ जारी रही।

मुझे बहुत आश्चर्य है कि गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान, यह थोड़ा पुनरावृत्ति हो सकती है, यह बात भी बताई गई। विपक्ष के कई सदस्यों ने, दलगत भावना से ऊपर उठकर - निश्चित रूप से, इसे एन.डी.ए. या बीजेपी पक्ष के सदस्यों द्वारा इतनी मुखरता से नहीं रखा गया था - इस मुद्दे को रखा था कि कुछ योजनाएं थीं जिन्हें वापस ले लिया गया है और आप उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार उन योजनाओं को उनके वित्तपोषण से निधि देगी क्योंकि उन्हें 10 प्रतिशत अधिक धन उपलब्ध कराया जा रहा है।

यहां, मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं होने वाला है। वर्ष 1947 या वर्ष 1950 से वर्ष 2000 तक, राज्य अपनी आवश्यकताओं के लिए सोचते हैं कि स्कूल बनाना प्राथमिकता है; पशु चिकित्सा अस्पताल बनाना प्राथमिकता है; गांवों के लिए सड़क बनाना प्राथमिकता है; पीने का पानी प्रदान करना प्राथमिकता है। और पुलिस स्टेशन बनाना या बेहतर पुलिस स्टेशन बनाना प्राथमिकता नहीं थी और विभिन्न तालुका, ब्लॉक या पंचायत समिति स्तरों पर अग्निशमन सेवा स्टेशन होना प्राथमिकता नहीं थी। प्राथमिकता कुछ और थी। इसमें अधिक सामाजिक-उन्मुख परियोजनाएं होनी थीं। कानून और व्यवस्था की प्राथमिकता नहीं है। बेशक, यह राज्य का विषय है, लेकिन चूंकि केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना है, इसलिए यह विचार 21वीं सदी के प्रथम भाग में, वर्ष 2001-02 में, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री श्री आडवाणी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

उन योजनाओं को वापस ले लिया गया है। मैं इस मुद्दे का उल्लेख एक बिंदु के कारण कर रहा हूं जिसे यहाँ उठाया गया था। यहां, मैं इसे रिकॉर्ड में रखना चाहूंगा कि उदाहरण के लिए, ओडिशा माओवादी हिंसा से प्रभावित है। एक समय में बड़ी संख्या में जिले प्रभावित हुए थे। बेशक, भगवान जगन्नाथ के लिए धन्यवाद, यह बहुत हद तक नीचे आ गया है। लेकिन हमने अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है और इसके लिए केंद्र सरकार शुल्क लेती है। ऐसा नहीं है कि बल अपने दम पर किसी राज्य में जाते हैं; हर राज्य सरकार को उनके लिए

भुगतान करना पड़ता है। ओडिशा सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को रोकने के लिए ओडिशा में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के विधेयक के लिए 1,450 करोड़ रुपये माफ करने का अनुरोध किया था, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैंने यह नहीं बताया कि गृह मंत्रालय का लिखित उत्तर क्या था, लेकिन उस अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

महोदय, हमें बार-बार बताया गया है कि 14 वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, कर अवमूल्यन 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री जी - यानि 1 अप्रैल को - राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार का उद्घाटन करने के लिए हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जुएल ओराम के निर्वाचन क्षेत्र राउरकेला गए थे। उस मंच पर ओडिशा के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और वहां उन्होंने कहा कि पिछले साल ओडिशा को 18,000 करोड़ रुपये मिले थे और इस साल ओडिशा को 25,000 करोड़ रुपये मिलने जा रहे हैं।

मैं गणित में बहुत कमजोर हूं, लेकिन मैंने अपने कुछ दोस्तों से यह पता लगाने के लिए कहा है कि वास्तव में मेरे राज्य में कितना पैसा आ रहा है। मैंने ऐसा करने का प्रयास किया है और यदि मैं गलत भी हुआ तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं यह समझ पाने में असफल रहा हूं कि ओडिशा को वर्ष 2015-2016 में 7,000 करोड़ रुपये कैसे अतिरिक्त मिलेंगे। मैं इसे समझने में असफल रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है और वह भी 14वें वित्त आयोग के कारण। हमने गणना की है - मेरे कुछ मित्रों ने भी ऐसा किया है - कि 14वें वित्त आयोग के कारण बढ़ा हुआ आबंटन केवल 3,572.69 करोड़ रुपये हो सकता है, न कि 7,000 करोड़ रुपये।

वित्त मंत्री ने बार-बार कहा है कि उन्हें कम राजकोषीय क्षेत्र में काम करना होगा क्योंकि 10 प्रतिशत संबंधित राज्यों में चला गया है। यह एक तथ्य है और इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस कम राजकोषीय स्थान से आपने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी कमी की है; आपने परियोजनाओं की संख्या भी कम कर दी है, जो संबंधित सरकार कर रही थी; और आपने इसे भी समाप्त कर दिया है - जैसा कि मैंने गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों से संबंधित अपने भाषण- कई अन्य योजना और गैर-योजना वित्तपोषण में उल्लेख किया था।

यदि ऐसा है, तो मैं कैसे कह सकता हूं या हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वास्तव में धन का अधिक प्रवाह हुआ है? धन का प्रवाह हुआ है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 14वें वित्त आयोग का पैसा है, लेकिन गणितीय गणना में कुछ गलती है, जिस पर इस सदन में चर्चा करने की आवश्यकता है ताकि हमें एक स्पष्ट तस्वीर मिल सके और हमें इस प्रकार की सभी जानकारी नहीं मिलनी चाहिए कि 10 प्रतिशत वास्तव में इसमें बह रहा है।

अपनी बात को साबित करने के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 2015-2016 के बजट अनुमान के अनुसार, कर राजस्व में राज्य का हिस्सा वर्ष 2014-2015 के बजट अनुमान 3,82,216 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,23,968 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार, राज्यों को कुल 1,41,742 करोड़ रुपये का लाभ होगा। मैं कहूंगा कि सरकार ने राजकोषीय असुविधा को जन्म दिया है न कि राजनीतिक असुविधा को। इससे बचा गया है, लेकिन वर्ष 2015-2016 के बजट अनुमान में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता को घटाकर 2,04,784 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 3,38,408 करोड़ रुपये थी, जो 1,33,624 करोड़ रुपये की भारी कटौती है।

तो, आपने प्रबंधन किया है और अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार आपने इसे किया है, लेकिन क्या मुझे यह आरोप करना चाहिए कि यह ऊपरी दिखावट है? बेशक, अनुच्छेद 2755 के तहत राज्यों को सरकारी अनुदान 69,936 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,08,552 करोड़ रुपये हो गया है, और यह 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बिना है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2015-2016 के बजट अनुमान में राज्यों को हस्तांतरित कुल धनराशि 8,37,294 करोड़ रुपये है। मुझे विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इसे अनुच्छेद 270, 275 और 282 के अनुसार दे सकता हूं।

कहानी को संक्षेप में कहें तो मैं यहां केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आप 57.7 प्रतिशत के इस आंकड़े की तुलना वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान से करते हैं, तो सकल राजस्व 13,64,524 करोड़ रुपये था; इन तीनों लेखों के अनुसार, राज्यों को हस्तांतरण 3,38,408 करोड़ रुपये होता है, और कुल 7,90,560 करोड़ रुपये होता है। क्या हम यह कह सकते हैं कि सकल कर राजस्व का 57.9 प्रतिशत वर्ष 2014-15 में

राज्यों पर दिया गया था? कोई भी कह सकता है कि राज्यों को निधियों का हस्तांतरण पिछले वर्ष के 57.9 प्रतिशत से घटकर 57.7 प्रतिशत हो गया है। हमारे पास यह प्रचार क्यों है कि राज्यों को बहुत अधिक लाभ होगा? क्या यह भ्रम नहीं है?

हमारे देश को प्रभावित करने वाले प्रमुख पहलू पर आना कृषि में संकट से संबंधित है जिसके बारे में हमने शुरू में चर्चा की थी।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी अपराह्न पांच बजे उत्तर देंगे। उस समय तक, सभी को अपने भाषण समाप्त करने होंगे। तो, कृपया संक्षिप्त रहें।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैंने अभी एक ही बात पूरी की है।

फसल बीमा के संबंध में, मैं इस पहलू पर इसे ख़त्म कर दूंगा क्योंकि इस मुद्दे पर पहले ही बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया है, मेरा यहां एक सीमित बिंदु है। भारत में किसान बेमौसम बारिश के कारण हुए गंभीर आघात से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है कि फसलों को नुकसान पहुंचा है या नष्ट किया गया है और फिर भी, देश को तैयार नहीं पाया गया है। आज, जैसा कि कृषि को जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए नई और महंगी प्रौद्योगिकियों को अपनाना होगा, बीमा आवरण और भी महत्वपूर्ण हो गया है। मेरी राय है कि कर्जमाफी की संस्कृति बंद होनी चाहिए। मैं दोहराऊंगा कि मैं उन अन्य लोगों के साथ नहीं हूं जो कहते हैं कि फसल ऋण माफ किया जाना चाहिए। बल्कि मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि फसल बीमा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फसल बीमा खराब फसल से निपट सकता है। अगर फसलों और पशुधन के लिए बीमा आवरण नहीं है, तो देश की खाद्य सुरक्षा को खतरा होगा।

महोदय, वित्त विधेयक पर इस चर्चा की शुरुआत से पहले, वित्त मंत्री जी के अनुरोध के अनुसार, अध्यक्ष ने पढ़ा कि सरकार सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी से संबंधित अनुच्छेद 108 से 142; भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 154 से 157; वित्त अधिनियम, 2005 में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 184, 185 और 186; और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 को खंड-दर-खंड विचार

के समय निरस्त करने का प्रस्ताव करती है। मैं कहूंगा कि आज की मेरी प्रमुख चर्चा इस विषय पर होती। मैं अकेले इस विषय पर बात करता, लेकिन मैं उस पहलू पर नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि इस सरकार पर सद्बुद्धि आई है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि हालांकि इसे आज वापस ले लिया गया है, यह अभी भी मौजूद है।

महोदय, मुझे समाप्त करने के लिए पांच मिनट और चाहिए। महोदय, यह आज भी अस्तित्व में है क्योंकि आप इस देश की स्वीकृत और प्रमाणित संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जब यू.पी.ए. सत्ता में थी, तब भी दबाव रहा है। वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया कि वर्ष 2000-01 में एक प्रतिवेदन आई थी। इसके बाद यू.पी.ए. सरकार के दौरान भी उन्होंने इस प्रकार का संशोधन लाने की तैयारी की थी, लेकिन उनकी सद्बुद्धि विफल रही। मुझे उस दिन वास्तव में आश्चर्य हुआ था जब यह वित्त विधेयक में लाया गया था। यह समस्या अभी भी बनी हुई है। बेशक, वित्त मंत्री ने कहा है कि वह आर.बी.आई. के साथ परामर्श करेंगे और फिर बदलाव लाएंगे। लेकिन जब भी वे बदलाव आते हैं, मैं कहूंगा कि एक समस्या से निश्चित रूप से निपटने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन आरबीआई द्वारा किया जा रहा है, बल्कि संबंधित राज्य सरकारों के ऋण प्रबंधन से भी आरबीआई द्वारा निपटा जा रहा है। हम केंद्र से निपटने के लिए एक तैयारी एजेंसी के साथ केंद्र सरकार के लिए निर्णय ले रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक संघीय ढांचा है। कई सरकारें उसी पार्टी की नहीं हैं जो केंद्र में हैं। यह आशंका है। इस आशंका को कम करने की जरूरत है। यही मुख्य कारण है। इसलिए, जब यह मुद्दा बाद में आता है, तो इस मुद्दे से निपटने की आवश्यकता है।

सेबी को सुरक्षा पहलू देने के बारे में, यह एक अलग मुद्दा है। मैं उस पहलू में नहीं जा रहा हूं। जब यह मुद्दा आएगा, तो मैं इससे निपटूंगा। आज, मैं केवल उल्लेख करूंगा - यदि मैं केवल एक लाइन में कहूं - कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गहरी परेशानी में हैं।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण पर, एक नया दृष्टिकोण बनाया गया है। अब दिशानिर्देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण के बीच के अंतर को समाप्त करते हैं। मैं कहूंगा कि यह एक अच्छा पहलू है।

निष्पक्ष और अभद्र साधनों द्वारा कर के संबंध में, मैं उस पहलू पर जाने से पहले एक बात कहूंगा, जो एक बहुत ही हालिया विकास है। आज डॉलर की दर क्या है? पिछले पांच-सात दिनों में क्या हो रहा है? इस सरकार पर बाहरी दबाव था। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा क्योंकि वह इस दबाव को झेल रहे हैं। इस मामले में, दबाव एक अलग तरीके से आ रहा है क्योंकि उसने कुछ निर्णय लिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह एक 'तत्काल लाभ कमाने' की स्थिति नहीं है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां कोई व्यक्ति आकर कर का भुगतान किए बिना निवेश कर वापस जा सकता है। इसकी वजह से, कई एफ.आई.आई. पोर्टफोलियो वापस लिए जा रहे हैं। यह हमारे कराधान से संबंधित है। मैं यह कहूंगा कि सरकार को उस पहलू पर दृढ़ रहना चाहिए।

मैं यहां केवल एक बात का उल्लेख करूंगा। जब हम कॉरपोरेट कर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट कर की दर को अगले चार वर्षों में 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है। लेकिन एक पेंच है। कंपनियों को प्रदान की गई विभिन्न छूटों को हटा दिया जाएगा और कॉर्पोरेट कर दर में कटौती वर्ष 2016-17 से प्रभावी होगी। तब तक, भारतीय कंपनियों पर प्रभावी दर वर्तमान में प्रस्तावित अधिभार के कारण 33.99 प्रतिशत की तुलना में 34.61 प्रतिशत पर मामूली रूप से अधिक होगी।

जी.एस.टी. पर, हमारे पास एक मुद्दा है।

माननीय उपाध्यक्ष: हम जीएसटी पर अलग से चर्चा करेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब: जब वह जी.एस.टी. के बारे में उल्लेख कर रहे थे तो वित्त मंत्री ने जिस बात का उल्लेख किया था, मैं उसे पढ़ूंगा। हमारे पास एक मुद्दा है। प्रत्येक खनिज से पूर्ण राज्य का एक मुद्दा है क्योंकि इससे हमें विभिन्न खनिज से पूर्ण राज्यों को प्राप्त होने वाले कर की एक निश्चित राशि का नुकसान होगा। मैंने इस संबंध में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं। मैं यहां यह भी उल्लेख करूंगा कि जिस जल्दबाजी और निष्पक्ष तरीके से निर्धारण वर्ष 2015-16 से नई आवश्यकताओं को आयकर विवरणी प्रपत्रों में शामिल करने की मांग की गई थी, जिस पर वित्त मंत्री ने हस्तक्षेप किया और इसे ठीक किया, एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन कृपया सावधानी बरतें। इस तरह के हस्तक्षेप हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडु): महोदय, इससे पहले कि प्रो. सौगत दा बोलें, मेरे पास सिर्फ एक सुझाव है। मैं इसे सभा की बुद्धिमत्ता पर छोड़ दूंगा। आज इस सप्ताह का आखिरी कार्य दिवस है, कई सदस्य जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, क्या हम माननीय मंत्री जी के उत्तर को आगे बढ़ाने और स्वयं को समायोजित करने का प्रयास कर सकते हैं? मैं इसे केवल सभा पर छोड़ता हूं क्योंकि बाहर बहुत से सदस्य मुझे, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में यह कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उन्होंने अपराह्न 4.30 तक या अपराह्न 5.00 बजे तक अपना टिकट बुक कर लिया है। मैंने सोचा कि मुझे इसे कुर्सी और घर के ध्यान में लाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: आप मंत्री जी से किस समय उत्तर चाहते हैं?

श्री एम. वेंकैया नायडू: मेरा सुझाव है कि हमें अपराह्न 4.00 बजे तक जवाब मिल जाए... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रो. सौगत राय को छोड़कर कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान) ... [9*]

[9*]कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

अपराह्न 03.00 बजे

प्रो. सौगत राय : महोदय, मैं वित्त विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

किसी भी सरकार को, अगर चलाना है, तो उसे कर वसूलना होगा और वित्त विधेयक लाना होगा। अतः वित्त विधेयक के विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन मैं उल्लेख कर सकता हूं कि यह वर्तमान रूप में वित्त विधेयक का अंतिम वर्ष है।

वित्त मंत्री जी की घोषणा के अनुसार, अप्रैल 2016 से हम जी.एस.टी. व्यवस्था में जा रहे हैं, और फिर अधिकांश केंद्रीय करों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और शौचालय की तैयारी के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय अधिभार और उपकर सहित सम्मिलित किया जाएगा। तो, यह आखिरी बार है जब हम इस रूप में वित्त विधेयक देखते हैं।

यहां मेरे पास वित्त मंत्री से एक अनुरोध है। इसके बाद वित्त विधेयक मुख्य रूप से आयकर संबंधी मांगों से निपटेगा। बाकी के लिए हम जी.एस.टी. में जाते हैं। क्या हम आयकर कानूनों को आसान बनाने का कोई तरीका खोज सकते हैं? मैं एक ऐसी व्यवस्था चाहूंगा जिसमें मेरे जैसे साधारण लोग सीधे एक विधेयक को पढ़ सकें और समझ सकें कि उनकी आयकर देनदारियां क्या हैं। जिस तरह से यह कानून शब्दबद्ध है, वह हमें चार्टर्ड एकाउंटेंट या तैयार हिसाबदारों पर निर्भर करता है। यह उचित व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। मुझे यकीन है कि जी.एस.टी. के पेश होने के बाद वित्त मंत्री इस पर गौर करेंगे।

इस वर्ष ऐसी उम्मीद थी कि वित्त मंत्री आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हालाँकि, उन्होंने आयकर को बचाने के लिए कई रियायतें दी हैं। इन रियायतों में स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रीमियम, स्व-अधिकृत घरों के लिए ऋण, परिवहन भत्ता शामिल है। उन्होंने गणना में दर्शाया है कि एक व्यक्ति को धारा 80 सी के तहत 1,50,000 रुपये की कटौती, 80 सीसीडी के तहत

50,000 रुपये की कटौती, 2 लाख रुपये के गृह संपत्ति ऋण पर कटौती, 25,000 रुपये के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती और 19,200 रुपये के परिवहन भत्ते की छूट के बाद 4,42,000 रुपये तक की रियायत मिल सकती है।

ये छूट इस अर्थ में अच्छी हैं कि ये कटौती एक व्यक्ति को बचत की ओर ले जाएगी और विशेष रूप से नई पेंशन प्रणाली में उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल बनाएगी। तो, यह स्वागत योग्य है। लेकिन कभी-कभी वित्त मंत्रियों को आश्चर्य पैदा करने की आदत होती है। इसलिए, मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि वित्त मंत्री अब भी आयकर की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दें, जिसके लिए उन्हें पूरे देश के मध्यम वर्ग से प्रशंसा मिलेगी।

प्रत्यक्ष कर के संबंध में वित्त मंत्री ने दो काम किए हैं। उन्होंने वादा किया है कि निगम कर को वित्त वर्ष 2017 तक चीन के स्तर पर 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक लाया जाएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह उद्योग और कॉर्पोरेट को प्रोत्साहित करने की प्रयास कर रहे हैं। और अगर यह चीन के साथ एक स्तर पर आता है तो कुछ भी गलत नहीं है।

लेकिन कुछ लोगों ने संपत्ति कर को समाप्त किए जाने पर आपत्ति जताई है। मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि संपत्ति कर संग्रह की लागत वास्तविक संग्रह के अनुरूप नहीं है। लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिसकी मैं सराहना करता हूं। उन्होंने अति धनवान पर 2 प्रतिशत अधिभार शुरू किया है। मेरा मानना है कि अति धनवान को देश के विकास के लिए भुगतान करना होगा। उस हद तक, मैं अति धनवान पर इस 2 प्रतिशत अधिभार का समर्थन करता हूं।

जैसा कि हम जानते हैं, कुछ उद्योगों को मदद करने या बाहर निकालने की दृष्टि से कई उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क पर छूट दी जाती हैं। वित्त मंत्री ने ऐसा किया है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : कृपया अपना वाक्य दोहराएं क्योंकि मैं आपकी बात नहीं सुन सका।

प्रो. सौगत राय : मैंने कहा था कि कुछ उद्योगों की मदद करने या उन्हें बाहर निकालने और कुछ आपत्तिजनक प्रथाओं को रोकने के लिए अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। वित्त मंत्री ने वाणिज्यिक वाहन के आयात पर सीमा

शुल्क बढ़ा दिया है। यह एक अच्छी बात है। यह हमारे घरेलू ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए बढ़ावा देगा। उन्होंने इस्पात प्लेटों पर आयात शुल्क भी बढ़ा दिया है जिससे हमारे घरेलू इस्पात उद्योग को निश्चित रूप से मदद मिलेगी। वास्तव में कितनी आवश्यकता थी और कितना किया गया यह एक और सवाल है। लेकिन घरेलू उद्योग को विदेशी चीजों से भरे बाज़ार के खिलाफ सुरक्षा की ज़रूरत है और उन्होंने यह सुरक्षा दी है।

विदेशों में निर्मित मोबाइल हैंडसेट की कीमत अधिक होगी। भारत में बने मोबाइल हैंडसेट की कीमत कम होगी। यह भी बहुत स्वागत योग्य है। हालांकि कई विदेशी निर्माता भारत में बना रहे हैं, कभी-कभी वे चलते हैं और कभी-कभी वे अच्छी तरह से नहीं चलते हैं। नोकिया, जो मोबाइल हैंडसेट की सबसे बड़ी निर्माता है, ने चेन्नई में एक बड़ी सुविधा स्थापित की लेकिन उन्होंने उस कारखाने को बंद कर दिया। अब मुझे बताया गया है कि उस फैक्ट्री को फिर से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि समस्या हमेशा बनी रहे।

8 वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क घटा दिया गया है और 22 वस्तुओं पर सीमा शुल्क घटा दिया गया है। राजस्व बढ़ाने के लिए उत्पाद शुल्क भी बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए, उन्होंने सिगरेट पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया है। यह एक बहुत ही आसान लक्ष्य है क्योंकि बड़े निर्माता छह सेंटीमीटर लंबाई या उससे अधिक सिगरेट पर आसानी से भुगतान करते हैं। इसलिए वित्त मंत्री इस शुल्क को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य समस्या यह है कि कुल मिलाकर उत्पाद शुल्क 12 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। शिक्षा उपकर को उत्पाद शुल्क में समाहित कर दिया गया है। साथ ही सेवा कर को बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। तो, अब अधिक लागत क्या होगी? बिजनेस क्लास में यात्रा करना, रेस्तरां जाना, मनोरंजन पार्कों में जाना अधिक खर्च होगा। कोई मुझसे कल पूछ रहा था, आइए हम एक रेस्तरां में जाएं क्योंकि दो दिनों में नया सेवा कर लगाया जाएगा और इस पर 2 प्रतिशत अधिक खर्च होगा।

मैं अब धीरे-धीरे ख़त्म करूंगा। 2 प्रतिशत स्वच्छ भारत उपकर है। वित्त मंत्री जी के पास प्रधानमंत्री जी की प्रिय परियोजनाओं में मदद करने की भी जिम्मेदारी है। एक स्वच्छ भारत मिशन है। कल हमने पाया कि सरकार के पास स्वच्छ भारत मिशन के वित्तपोषण के लिए पैसा नहीं है। आवश्यक 62,000 करोड़ रुपये में से

केंद्र 14,000 करोड़ रुपये तथा राज्य लगभग 5,000 करोड़ रुपये की आपूर्ति करेंगे। शेष कारपोरेट, आदि से एकत्र किया जाना है। अब, यह 2 प्रतिशत स्वच्छ भारत उपकर प्रधानमंत्री की प्रिय परियोजना के वित्तपोषण के लिए है। वहाँ, कॉरपोरेट और उनके सी.एस.आर. कोष एक भूमिका निभाने जा रहे हैं। यही कारण है कि स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा मिशन के लिए दान पर सौ प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी गई है। अब, क्या इससे 62,000 करोड़ रुपये की आवश्यक धनराशि जुटाई जा सकेगी, इसमें संदेह है, लेकिन वित्त मंत्री प्रयास करने के लिए स्वतंत्र हैं।

मैं अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं से नहीं निपटना चाहता। कराधान प्रस्ताव यथोचित रूढ़िवादी रहे हैं। वित्त मंत्री ने राजस्व संग्रह के साथ कोई बड़ा मौका नहीं लिया है। आखिर उसे सरकार चलानी ही पड़ती है। उन्हें वेतन देना पड़ता है। उसे अगले वेतन आयोग की तैयारी करनी होगी। और उसे अधिक से अधिक कर एकत्र करने का अधिकार है। लेकिन मैंने यहां एक अनुवृद्धि रखी है। वित्त मंत्री जी.एस.टी. की सफलता पर भरोसा कर रहे हैं। वह लगातार कहते हैं कि जी.एस.टी. परिचय से हमारे जी.डी.पी. में कम से कम एक प्रतिशत की वृद्धि होगी। उनके पास बड़ी-बड़ी परियोजनाएं हैं। इस साल यदि आप बजट आबंटन देखते हैं, तो कई लोगों ने यह उल्लेख किया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण आदि में कटौती की गई है। सरकार का मानक जवाब यह है कि उन्होंने 42 प्रतिशत राज्यों को दे दिया है और इसलिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि सरकार ने बुनियादी ढांचे में 70,000 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि लगाने का जुआ खेला है। यह पैसा कब प्रतिफल देगा और कब अर्थव्यवस्था पर्याप्त रूप से पुनर्जीवित होगी ताकि सरकार की आय बढ़े, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। किसी भी वित्त मंत्री को जोखिम लेना होगा और मैं अपने वर्तमान वित्त मंत्री को जोखिम लेने से दोष नहीं देता। लेकिन कुल मिलाकर, जैसा कि मैंने पहले कहा था, इससे संबंधित प्रस्ताव, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर यथोचित संतुलित रहे हैं।

मैंने सुबह सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी के वित्त विधेयक का हिस्सा होने पर आपत्ति जताई। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसानी से प्रभावी होगी क्योंकि वे कह रहे हैं कि वे डाकघर

बचत खाते, पी.पी.एफ. में पड़े सभी पैसे जब्त कर लेंगे और उस पैसे को एक विशेष कोष में डाल देंगे। मुझे नहीं लगता कि इसे संचालित करना इतना आसान होगा। वित्त मंत्री ने विचार के बाद सुबह सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी को वापस ले लिया। मुझे उम्मीद है कि वह इस बात पर स्पष्ट विचार देंगे कि भविष्य में सरकारी प्रतिभूतियों और सरकारी ऋणों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा। इसके साथ ही, महोदय, मैं वित्तीय प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणियां समाप्त करता हूं - यह एक धन विधेयक है और ये वित्तीय कराधान प्रस्ताव हैं।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): उपाध्यक्ष महोदय, अपनी पार्टी की तरफ से फाइनेन्स बिल पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। शिवसेना पार्टी सत्ता का एक हिस्सा है, यह भी मुझे पता है। आदरणीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, पिछले 19 सालों से मैं उन्हें पहचानता हूं। जैसे वह एक काबिल एडवोकेट हैं, वैसे ही वह काबिल वित्त मंत्री भी हैं। उन्हें लोक सभा, राज्य सभा से केन्द्रीय मंत्री होने का अनुभव प्राप्त है। मैंने पिछले बजट में भाषण देते हुए यह बात कही थी कि शायद उनका एक सपना होगा कि सर्वप्रथम देश का विकास करना है और अगर अर्थ मंत्रालय मेरे पास आए तो मैं कर सकता हूं और वह अपार्चुनिटी उन्हें मिली।

अगर दिल से कोई बात चाहते हैं, प्रामाणिकता से चाहते हैं, तो वह होता है, मिलता है, यह अनुभव हमारे साथ है। बजट के बारे में यह बात मैंने बोली थी कि समाज के सभी स्तर के लिए, यह नीचे वाला स्तर हो, मिडल स्तर या ऊपर वाला स्तर हो, सबके लिए बजट का बैनिफिट कैसा हो, साथ-साथ बच्चे से ले कर बूढ़े तक का भी ख्याल रखने का प्रयास बजट में किया गया है, स्त्री-पुरूष का दखल लिया है। समाज के हर स्तर के यानि व्यापारी हो, उद्योगपति हो, छात्र हों, यह दखल लिया है। यह बात भी मैंने की थी। फाइनेंस बिल के ऊपर बोलते समय अगर मैं यहां से शुरू करूं, कुछ घोषणाएं सरकार ने की हैं, श्रमेव जयते, मेक इन इंडिया, सबका साथ - सबका विकास और वही ध्यान में रख कर काम करने का प्रयास भी हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं, समझो कोई इंडस्ट्री आज है, किसी कारण से वह परेशानी में आई है, तो सही समय पर अगर हम उसकी रिपेयर करें तो उसका फायदा सभी को हो जाएगा। कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूं। कुछ फर्टिलाइजर कंपनियां हों, कुछ कैमिकल कंपनियां हों, कोई फार्मास्युटिकल कंपनियां हों, कुछ कंपनियों को मैंने स्वयं जा कर देखा है और उनकी परिस्थिति आजमायी है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि एच.ए.एल. कर के पुणे में हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स कंपनी है। पिछले 12 महीने से उनके एंप्लाइज़ को सैलरी नहीं मिली है। यह देश की पहली फार्मास्युटिकल कंपनी है, जो सन् 1954 में पुणे में स्थापित हुई थी। एक बड़ी और अच्छी कंपनी है। अभी यूपीए

की सरकार में क्या-क्या हुआ, कितने भ्रष्टाचार हुए, यह सब कुछ बाहर आया और इससे भी ज्यादा पता चल रहा है। उन्हीं के कारण, उनकी पॉलिसी के कारण कुछ कंपनियां प्रॉब्लम में आई यह भी बात सही है। जैसे एच.ए.एल. की बात मैं कर रहा हूं, आज की स्थिति में 20 करोड़ के ऑर्डर भी उनके हाथ में हैं। सरकार नई है, उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन उनके पास एक्सेस जमीन है। खाली एक एकड़ की जमीन की कीमत 18 करोड़ रूपये है, वहां की महाडा ने जो अभी टेंडर निकाले थे, उसमें उन्होंने स्वयं ऑफर दिया है। छह एकड़ भी अगर हम बेचें तो 102 करोड़ रूपये मिलते हैं। वर्किंग कैपिटल तैयार होता है। 12 महीने की पगार हम दे सकते हैं और कंपनी चल सकती है। उसका मैं फॉलोअप करता आया हूं लेकिन पिछले 3-4 महीनों से वह प्रलंबित है। यानि सही समय पर यह रिपेयर होना जरूरी है, यह मुझे बताना है। जैसे फार्मास्युटिकल कंपनी की बात है, वैसे ही फर्टिलाइजर कंपनियां भी बहुत सी बंद हैं जैसे मद्रास फर्टिलाइजर है। एक राष्ट्रीय कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर कंपनी जो मुंबई में है, वह अच्छी प्राफिट में है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो सब्सिडी फर्टिलाइजर पर सरकार की तरफ से दी जाती है, तीन-तीन साल से न देने के कारण, टोटल फर्टिलाइजर कंपनी की आज एक्युमिलेटिड अमाउंट सब्सिडी की मोर दैन 44 हज़ार करोड़ रूपये हो गई है। परेशानी यह होती है कि अगर सब्सिडी नहीं मिलती है तो कंपनी लॉस में जाती है। आगे-आगे काम बंद हो जाता है। एंप्लाइज को पगार नहीं मिलती है। इसलिए वित्त मंत्री जी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पहला ध्यान हम इसके ऊपर रखें। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं।

अच्छे रोड बन रहे हैं, अच्छी रेल बन रही है, यदि इसके साथ-साथ जो हमारी कम्पनियाँ हैं, जो पब्लिक सेक्टर है, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर वह प्राइवेट सेक्टर है तो भी वह नेशनल प्रॉपर्टी है। मालिक की गलती से या कुछ अपग्रेडेशन नहीं हुआ होगा, मार्केट के काम्प्टीशन के कारण कुछ भी हुआ होगा, लेकिन वह भी एक नेशनल प्रॉपर्टी है तो उसे जिन्दा कैसे करें, रिवाइव कैसे करें? क्योंकि उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी भी है, वहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी हैं, इसलिए इसमें दखल देना जरूरी है कि कैसे उन्हें रिवाइव करें, उसके लिए क्या-क्या कदम उठाने हैं? जैसे हम पीपीपी की बात कर रहे हैं, एफडीआई की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं इम्मीडिएटली अमल वहाँ हम करें? यह भी मेरी रिक्वेस्ट है।

दूसरी, जैसे एक जन औषधि योजना है, कॉमन आदमी के लिए जो प्रोडक्शन वैल्यू होती है, समझिए वह दो रूपए है तो ब्रांडेड होकर मार्केट में चार गुना, सोलह गुना तक उसकी कीमत होती है। यूपीए गवर्नमेंट हमेशा स्कीम लाती थी, ऐलान करती थी, चुनाव आया तो ऐलान करती थी, लेकिन उन पर अमल नहीं करती थी। वर्ष 2008 में यह स्कीम लाँच की गई थी, लेकिन इसे चलाने का काम नहीं किया। ऐलान किया कि 630 जिलों में कम से कम एक-एक शॉप हम खोलेंगे, खोल भी सकते थे, ब्लॉक लेवल तक जा सकते थे, लेकिन केवल 170 शॉप्स खोली गईं और उनमें से केवल 98 चालू हैं। उसे हम कैसे बढ़ावा दें, अगर मेक इन इन्डिया करना है, अगर सबका साथ सबका विकास करना है तो पहले इन बातों के ऊपर हमें ध्यान देना है, ऐसा मुझे लगता है।

अब मैं एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. की बात करता हूं। जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स कम्पनियाँ हैं, आज मार्केट में बहुत सी प्राइवेट कम्पनियाँ भी हैं। वहाँ की जो अथॉरिटी है, उसका नेग्लिजेंस होगा, होगा नहीं, यह है, यह गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे टू जी स्पेक्ट्रम में आज प्रूव हो गया है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ था। इसी कारण से आज वे कम्पनियाँ प्रॉब्लम में आई हैं। यहाँ तक कि डब्ल्यूबीए के लाइसेंस वापस करने के लिए पाँच हजार करोड़ रूपए देना था, सरकार की कमिटमेंट थी, वह हमने नहीं दिए हैं। एमटीएनएल से 492 करोड़ हमने मेट के अगेंस्ट लिए थे। सितम्बर 2014 में हमने देने का वादा किया था, लेकिन वह भी नहीं दिया। इन सभी के कारण ये कम्पनियाँ बीएसएनएल हो, एमटीएनएल हो, आज ये प्रॉब्लम में हैं। हम सभी लोग बात करते हैं कि प्राइवेट कम्पनियाँ अच्छी चलती हैं, उनके मोबाइल अच्छे चलते हैं, हमारी खुद की कम्पनी होते हुए, पब्लिक सेक्टर होते हुए सही काम नहीं करती है। इसका कारण यह है कि पिछली गवर्नमेंट ने जो गलतियाँ कीं, वे गलतियाँ हमें नहीं करनी हैं। हमें हमारी पॉलिसी तय करनी है, हमें उन्हें चलाना है, ये हमारी पब्लिक सेक्टर कम्पनियाँ हैं। इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। मैं दो बातें और कहूंगा, जिस सेक्टर में मैं काम करता हूं, मेरा अटैचमेंट उसके साथ है, इसके पहले भी आदरणीय वित्त मंत्री जी के सामने मैंने उसे रखा है। एटीपी के तहत, इन्कम टैक्स एक्ट जब भी बना, तभी से एक एग्जैम्प्शन कोआपरेटिव बैंक को इन्कम टैक्स में होना

चाहिए था। मेरी उम्मीद यह थी कि मेरी सरकार बनेगी तो मुझे जरूर इसका लाभ मिलेगा। अब हमारी सरकार बनी है, हमारे काबिल वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि कोआपरेटिव बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में एक बहुत बड़ा अन्तर है। वह डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के अनुसार चलती है, उसका इलेक्शन होता है, शेयर की वैल्यू 10 हो तो 10 रहती है और यह एक कॉमन आदमी के लिए काम करता है। अगर कम्प्टीशन में उन्हें टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना है तो उनका जो भी पैसा प्रॉफिट के तहत हो, वह डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इसलिए उन पर इन्कम टैक्स लगाना जरूरी नहीं है। आज हमने टीडीएस के माध्यम से एक और बोझ डाला है कि जो हमारा डिपॉजिटर है, एक स्मॉल डिपॉजिटर होता है, वह 10 परसेंट लोगों को भी नहीं लगने वाला है, मुझे पता है, हमने वह एक्सरसाइज की है, लेकिन एक मैसेज अलग जाता है। मैं वित्त मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो 10 हजार रूपए के ऊपर टीडीएस लगेगा, उसे 25 हजार कीजिएगा। यह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। मैं एक बात और कहूंगा, परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण। जब माननीय अटल जी की गवर्नमेंट थी, तभी वन टाइम सेटलमेंट, एक स्कीम और एक कानून हम लाए थे। यह रिकवरी बैंकों की जल्दी हो, एन.पी.ए. कम हो और इसका बैनिफिट मिल रहा है, लेकिन कोआपरेटिव बैंक शब्द होने के कारण सब बैंक के नियम तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हैं कि मिनिमम कितना एनपीए होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, सीडी रेशियो क्या होना चाहिए, सब कुछ है। लेकिन पिछली बार उसमें एक अमैंडमैंट किया और उसको शेड्यूल बैंक किया। उसमें कोआपरेटिव बैंक, ये शब्द अगर उसमें शामिल करेंगे तो इस एक्ट का बैनिफिट कोआपरेटिव बैंकों को मिलेगा। यह एक छोटी सी बात है लेकिन बैंक चलाते समय यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोर्ट यह दखल नहीं लेती है कि आपका बैंक सोसाइटी है। कानून तो आरबीआई जो पब्लिक सैक्टर कामर्शियल बैंक्स को लगाता है, वह कानून हैं और यह रिकवरी की बात है, इसलिए तो वह कानून लाए हैं। तो फिर इसको कोआपरेटिव बैंकिंग के लिए अमल में क्यों नहीं ला रहे हैं? यह मेरी आपसे रिक्वैस्ट है और आप ऐसा ज़रूर करेंगे, यह मैं समझता हूं। आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): मुझे इस बहस में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

तेलुगु देशम पार्टी की ओर से, मैं वित्त विधेयक, 2015 का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। सबसे पहले मैं वित्त मंत्री को एक स्थिर कराधान नीति और एक गैर-विरोधी कर प्रशासन के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए बधाई देना चाहता हूं। इससे न केवल देश का राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि काले धन पर भी लगाम लगेगी। काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। वे एक नया कानून लाने की भी प्रयास कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से सरकार के इन प्रयासों की सराहना करता हूं और इस देश को भ्रष्टाचार-मुक्त देश बनाने में अपना पूरा समर्थन व्यक्त करता हूं।

वित्त मंत्री जी ने रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर आयकर की दर को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। मुझे यकीन है कि यह नए व्यवसायों और छोटे व्यवसायों में प्रौद्योगिकी के प्रवाह पर भारी प्रभाव डालने वाला है। यह विशेष रूप से युवा उद्यमियों की मदद करेगा जो नए, अच्छे और महान विचार लेकर आ रहे हैं। यह उन्हें आने के लिए एक शानदार मंच देगा।

जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नारा चंद्रबाबू नायडू कहते हैं, सरकार को न केवल रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना चाहिए, बल्कि रोजगार सृजकों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे और अधिक रोजगार सृजित होंगे। आयकर की दर में इस कमी से इसका समाधान किया जा रहा है। 1 करोड़ रुपये तक की करयोग्य आय वाले अति धनाढ्यों पर दो प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार भी लगाया गया है। यह औसत करदाता के बोझ को बढ़ाए बिना राजस्व में भी वृद्धि करेगा।

मुझे *स्वच्छ भारत* मिशन पर आने दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद आज प्रत्येक भारतीय नागरिक देश को स्वच्छ रखने के प्रति जागरूक हो गया है। लेकिन कई चिंताएं जताई

गई हैं, जैसे इस मिशन या इस परियोजना को साकार करने के लिए पैसा कहां से आएगा। मैं *स्वच्छ भारत* मिशन और स्वच्छ गंगा निधि में किए गए दान के लिए 100 प्रतिशत कटौती देने के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं ताकि धन के संबंध में चिंता को भी दूर किया जा सके और *स्वच्छ भारत* मिशन में धन की अधिक आवक हो और कुछ ही समय में हम इस परियोजना को वास्तविकता बना सकें।

मेरे राज्य आंध्र प्रदेश की बात करें तो वित्त विधेयक के उस पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में, 1 अप्रैल, 2015 के दिन भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए 15 प्रतिशत पूंजीगत भत्ता तथा 35 प्रतिशत का अतिरिक्त मूल्यह्रास, 1 अप्रैल से, इन राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित या अधिग्रहित नई मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत के लिए दिया है।

इसके अलावा, महोदय, आंध्र प्रदेश (पुनर्गठन) अधिनियम, 2014 के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य को एक विशेष विकास पैकेज भी दिया जाना है। यह भी लंबित है। इस वित्तीय वर्ष में 350 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। लेकिन 5000 करोड़ रुपये का अनुरोध किया गया है। मैं वित्त मंत्रालय से इस पहलू पर भी गौर करने का अनुरोध करता हूं। श्रीकाकुलम का मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी अभी आंध्र प्रदेश राज्य के पिछड़े क्षेत्र में आता है। 7 जिले ऐसे हैं जो बहुत अधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। वहाँ मछुआरे, गरीब आदिवासी क्षेत्र हैं। उन्हें केंद्र सरकार से भारी समर्थन की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र का विकास हो सके।

मैं विशेष स्थिति पर वापस आऊंगा, इस विषय पर पिछले कार्यकाल में भी व्यापक रूप से चर्चा की गई है। अब भी इस पर बार-बार चर्चा होती रही है। जब हम विशेष दर्जे पर आते हैं, तो यह केवल वित्तीय सहायता नहीं है जो केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश राज्य को दे रही होगी। यह भी एक भावनात्मक समर्थन है। विशेष दर्जे की यह बात आंध्र प्रदेश राज्य के सभी लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि विशेष राज्य के दर्जे के संबंध में पुनर्विचार किया जाए। प्रतिवाद उठाए गए हैं। यहां तक कि माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपने पिछले भाषणों में कहा था कि विशेष श्रेणी का दर्जा देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए धन का हस्तांतरण किया जाएगा। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया निष्कर्ष निकालें। चार बजे माननीय मंत्री जी का उत्तर आएगा। समय समाप्त हो चुका है।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु: मैं सिर्फ पांच मिनट लूंगा क्योंकि आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत सारे बिंदु हैं। राज्यों को धन का हस्तांतरण होगा। लेकिन पांच वर्ष के अंत में हस्तांतरण के बाद भी, आंध्र प्रदेश राज्य का घाटा नकारात्मक होगा, जबकि पड़ोसी राज्य जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु या यदि आप कर्नाटक को लें, तो उनके पास 20,000 करोड़ रुपये से 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अधिशेष बजट होगा, जबकि हमारे पास अभी भी नकारात्मक बजट होगा। इसलिए, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक विशेष स्थिति श्रेणी निश्चित रूप से आवश्यक है। मुझे यकीन है कि भारत सरकार इस पर गौर करेगी। विश्वास है कि भारत की सरकार आन्ध्र प्रदेश को एक बहुत अच्छे राज्य के रूप में विकसित करने के लिए खड़ी होगी। लेकिन हमें स्पष्टता की आवश्यकता है। हमें इस बात पर स्पष्टता की आवश्यकता है कि केंद्र सरकार क्या करने जा रही है, कैसे करने जा रही है, कब करने जा रही है। क्योंकि, अभी, हमारे पास जो भी योजना प्रक्रिया है, इस भ्रम के कारण, इस प्रक्रिया में बहुत अधिक स्पष्टता नहीं होने के कारण, हम योजना प्रक्रिया में अपंग महसूस कर रहे हैं। इसलिए, हमें केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता में और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है।

एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने अवशिष्ट राज्य को अगले पांच वर्षों के लिए अपने जीडीपी का 7 प्रतिशत तक उधार लेने में सक्षम बनाने के लिए केंद्र से अनुमति मांगी है। यह नए राज्य के निर्माण से उत्पन्न होने वाली भारी राजकोषीय लागत को ध्यान में रख रहा है। मौजूदा एफ.आर.बी.एम. कानून किसी भी राज्य के जी.डी.पी. के लिए वार्षिक उधार को अधिकतम तीन प्रतिशत तक सीमित करते हैं। लेकिन इस समय हमारे कमजोर विनिर्माण और सेवा आधार को देखते हुए, विशेष रूप से हैदराबाद के नुकसान के बाद, हमारे पास आज बहुत कम संसाधन जुटाने के विकल्प बचे हैं।

इसलिए, मेरा अनुरोध है कि यदि आप हमें पांच साल से अधिक समय के लिए 7 प्रतिशत की दर से उधार लेने की अनुमति दे सकते हैं, तो, हम आंध्र प्रदेश राज्य में और अधिक निवेश प्राप्त कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी और मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि तेलंगाना में आंदोलन केवल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हम अपनी सिंचाई, जल सुविधाओं, नौकरी और वित्तीय रूप से भी वंचित रहे हैं। हमारे नेता और अब हमारे मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा 14 वर्षों से बहुत जोरदार आंदोलन के बाद, हमने अपना तेलंगाना राज्य हासिल कर लिया है। तेलंगाना राज्य प्राप्त करने के बाद, अपनी पहली बैठक में ही मैंने माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से एक काम करने का अनुरोध किया था।

हमारा नवजात राज्य है। यह 29वां राज्य है। पिछले 60 वर्षों से, हम अपने अधिकारों से वंचित हैं। तेलंगाना बहुत गरीब राज्य बन गया है। एक बार इसे सबसे अमीर राज्यों में से एक के रूप में जाना जाता था। जैसा कि आप जानते हैं, निजाम दुनिया भर के सबसे अमीर राजाओं में से एक था। लेकिन, बाद में, सब कुछ हमसे छीन लिया गया। इसलिए हम आपकी मदद के लिए तत्पर हैं। पिछले वर्ष 2 जून को जब हमने अपना राज्य बनाया तो हमने माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया था कि वे हमें पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएं ताकि हम अपना गौरव पुनः प्राप्त कर सकें।

14वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल से राज्यों को कर हस्तांतरण 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। हम बहुत खुश थे। हमने सोचा कि 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जा रहा है। जब हमने राज्यों को हिस्सेदारी में वृद्धि देखी, तो हमने सोचा कि यह बहुत अच्छा है कि केंद्र केंद्रीय करों में से राज्यों को अधिक पैसा दे रहा है। भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है

और वर्ष 2015-16 के केन्द्रीय बजट में राज्यों को कर हस्तांतरण 5,23,958 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में यह 23,82,216 करोड़ रुपये था।

इस प्रकार, कर हस्तांतरण में बजटीय वृद्धि 1,41,742 करोड़ रुपये है। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर हस्तांतरण में वृद्धि ने तेलंगाना राज्य को दरकिनार कर दिया है। यह मुख्य रूप से 2014-15 में कर हस्तांतरण के अपने हिस्से को 2.893 प्रतिशत से घटाकर 2015 से 2020 तक की पांच साल की अवधि में 2.437 प्रतिशत करने के कारण है। इस प्रकार, राज्य को अकेले वर्ष 2015-16 में 2,389 करोड़ रुपये के कर हस्तांतरण में कमी का सामना करना पड़ा है, जो कि सभी राज्यों को कुल कर हस्तांतरण के प्रतिशत के रूप में कर हस्तांतरण में राज्य के हिस्से में 0.456 की कमी है। वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि में राज्य को मिलने वाले कर हस्तांतरण में अनुमानित कटौती 16,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी। यह अधिकांश अन्य राज्यों के लिए कर हस्तांतरण में महत्वपूर्ण वृद्धि के बिल्कुल विपरीत है। वर्ष 2015-16 में सात राज्यों को कर हस्तांतरण में 10,135 करोड़ रुपये से 27,690 करोड़ रुपये तक की वृद्धि की गई है। नए राज्य को केंद्र से कर हस्तांतरण में इतनी महत्वपूर्ण कमी के समायोजन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

कर हस्तांतरण को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने के बाद, केन्द्र सरकार ने राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता को वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों में 3,30,764 करोड़ रुपये से घटाकर वर्ष 2015-16 के बजट अनुमानों में 1,96,743 करोड़ रुपये कर दिया है। यद्यपि राज्यवार आबंटन की जानकारी अभी दी जानी है, लेकिन तेलंगाना की राज्य योजना के लिए केंद्रीय सहायता में अनुमानित कमी वर्ष 2014-15 में 8,680 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2015-16 में 6,447 करोड़ रुपये रह गई है। इस प्रकार, तेलंगाना को वर्ष 2015-16 में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता में 2,233 करोड़ रुपये की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय स्थानान्तरण में कुल कटौती 4,622 करोड़ रुपये होगी, अर्थात् कर हस्तांतरण में 2,389 करोड़ रुपये की कमी तथा योजना स्थानान्तरण में 2,233 करोड़ रुपये की कमी होगी।

महोदय, केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के अनुच्छेद 22 में तर्क दिया है कि संघ का राजकोषीय स्थान न केवल कम हुआ है, बल्कि निचोड़ा गया है। वर्ष 2015-16 के केन्द्रीय बजट में राज्यों को कर हस्तांतरण 5,23,958 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में यह 3,82,216 करोड़ रुपये था। इस प्रकार, कर हस्तांतरण में बजटीय वृद्धि 1,41,742 करोड़ रुपये है। इसके विपरीत, वर्ष 2015-16 में राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय योजना सहायता, वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों की तुलना में 1,34,021 करोड़ रुपये कम है।

इस प्रकार, राज्यों के लिए कर हस्तांतरण में वृद्धि को राज्यों के लिए योजना हस्तांतरण में तदनुरूप कमी द्वारा बेअसर कर दिया गया है। इससे राज्यों को राजकोषीय क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि से वंचित रखा गया है। वर्ष 2015-16 में केंद्र की सकल कर राजस्व और सकल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राज्यों को हस्तांतरण में कोई सुधार नहीं हुआ है। वास्तव में, मामूली कमी आई है। वर्ष 2015-16 में केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व खाते पर राज्यों को हस्तांतरण मामूली रूप से घटकर 49.62 प्रतिशत हो गया, जबकि वर्ष 2014-15 बी.ई. में यह 49.64 प्रतिशत था। विवरण इस प्रकार हैं। वर्ष 2013-14 में, यह 36.36 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 की बी.ई. के अनुसार, यह 49.64 प्रतिशत था और वर्ष 2014-15 की बी.ई. के अनुसार, यह 46.95 प्रतिशत है। वर्ष 2015-16 के की बी.ई. अनुसार, यह 49.62 प्रतिशत होगा।

केंद्रीय बजट में सी.सी.एस. में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें उनके वित्त पोषण पैटर्न सहित राज्यों को इस आधार पर अधिक मिलान वाला योगदान देना आवश्यक है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के बाद राज्यों के राजकोषीय स्थान में काफी वृद्धि हुई है, कर हस्तांतरण को केंद्रीय कर राजस्व के विभाज्य पूल के 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। बजट में सी.एस.एस. को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम, 34 योजनाएं हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण समर्थन दिया जाएगा, जिन पर 1,18,512 करोड़ रुपये का व्यय होगा। यहां, मैं कहना चाहूंगा कि 34 योजनाएं हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा समर्थित किया जाना है। चूंकि हम सभी एम.पी.एल.ए.डी. निधि को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करने की मांग कर रहे हैं, इसलिए

हम इन योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों की देखभाल करेंगे। हम वास्तव में देख सकते हैं कि इन 34 योजनाओं का पर्यवेक्षण संसद के सदस्यों द्वारा आदेशों से लेकर निरीक्षण से लेकर कार्यान्वयन तक किया जाता है। यदि आप हमें एम.पी.एल.ए.डी. एस. निधि के रूप में 50 करोड़ रुपये दे सकते हैं, तो हम उसे भी इसमें जोड़ सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: यह *प्रति वर्ष* है।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेडी: हाँ, मैं *प्रति वर्ष कह रहा हूं*। यदि वे हमें यह राशि *प्रति वर्ष* देते हैं, तो हम इस राशि को इन योजनाओं से भी जोड़ सकते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रायोजित हैं। हमें लगता है कि संसद में बैठते समय हम केवल ये सारी योजनाएं बना रहे हैं। इसलिए, हमें उनका कार्यान्वयन नौकरशाही पर क्यों छोड़ देना चाहिए? हम उनकी देखभाल करेंगे। हम अपनी 50 करोड़ रुपये की राशि को इन विशेष योजनाओं से जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है, इस सुझाव को लिया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे। … (*व्यवधान*) हमारी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति के अध्यक्ष सहित जो वहां बैठे हैं। मुझे लगता है, यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव होगा। … (*व्यवधान*)

दूसरा, 20 योजनाओं को राज्यों की अधिक हिस्सेदारी के साथ क्रियान्वित किया जाना है, जिसमें वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में 78,230 करोड़ रुपये का कम व्यय शामिल है, जबकि 2014-15 के बजट अनुमान में 1,38,524 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। तीसरा, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें केंद्र सरकार की सहायता से अलग रखा जाना है।

इसे दृष्टि में रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हम फिर से वंचित हो गए हैं। पिछले 60 वर्षों से, हम एक अलग राज्य और अपने पिछले गौरव की बहाली के लिए लड़ रहे थे। आज फिर से, हमें लगता है कि इस हस्तांतरण ने वास्तव में हमें एक नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हमने उम्मीद की थी कि इसमें वृद्धि होगी। इसलिए, हम आपसे उस गणना की भरपाई करने का अनुरोध करते हैं।

हालाँकि, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, हमारे मुख्यमंत्री जी, जो अब तेलंगाना के वास्तुकार बन गए हैं, राज्य में एक अद्भुत काम कर रहे हैं। हम आपसे जल ग्रिड कार्यक्रम और हैदराबाद के सौंदर्यीकरण में मिशन काकतिया में हमारी मदद करने का अनुरोध करना चाहते हैं। जब तेलंगाना अस्तित्व में आया, तो अधिकांश लोगों ने कहा कि तेलंगाना अंधेरे में होगा। लेकिन आज तेलंगाना में रोशनी हमारी समृद्धि के बारे में बोलती है। पिछले 30 वर्षों से, अप्रैल के महीने में, हम शहरों में छह घंटे की बिजली कटौती किया करते थे। लेकिन आज यह एक चुनौती है। शहरों में पांच मिनट की बिजली कटौती भी नहीं है। वे अपनी फसल को अपने घरों में ले गए हैं। वे बहुत खुश हैं। उनके लिए बिजली की कोई कटौती नहीं है। उद्योगपति भी बहुत खुश हैं। केंद्र पर अधिक भरोसा किए बिना तेलंगाना राज्य में बिजली की गुणवत्ता में वास्तव में सुधार किया गया है।

जेटली महोदय, चूंकि आप आग्रह करने वाली मुख्य संघीय संस्था हैं, मैं अब भी आपसे अनुरोध करता हूं कि हमें अधिक धनराशि उपलब्ध कराएं। जैसा कि आपने हमें तेलंगाना दिया है - आपने हमें तेलंगाना देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है - उसी तरह, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमें अधिक धन आबंटित किया जाना चाहिए।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, धन्यवाद। मैं वर्ष 2015-16 के लिए वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेना चाहूंगा।

मैं अन्य विवरणों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने पहले ही इस विधेयक के संबंध में अपनी टिप्पणियां दे दी हैं। यह वास्तव में एक नया विधेयक बन गया है। जैसा कि अध्यक्षपीठ ने विनिर्णय दिया है, हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और मैं अन्य मुद्दों पर नहीं जाना चाहता।

जहां तक वित्त विधेयक का संबंध है, मैं कर ढांचे के संबंध में केवल चार या पांच बिंदुओं को इंगित करना चाहूंगा। प्रत्येक वित्त मंत्री संसाधनों को उचित तरीके से जुटाने के लिए उत्सुक हैं। उनके सामने विकल्प या तो प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन आजकल, अधिकांश वित्त मंत्री प्रत्यक्ष करों को छूने के इच्छुक हैं, अप्रत्यक्ष करों को नहीं। आम बजट में ही कारपोरेट कर 30 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत हो गया है जबकि सेवा कर 12 प्रतिशत बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया है। संपत्ति कर को भी समाप्त कर दिया गया है। हम पहले ही इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। माननीय मंत्री जी ने भी हमें जवाब दिया है।

महोदय, केरल की सरकार के साथ केरल के सांसदों ने वित्त मंत्री जी के सामने प्रतिनिधित्व किया है। मैं उन्हें 'एक तरह का वित्त मंत्री' कहना चाहूंगा क्योंकि मैंने एक बार फिर इन मुद्दों को उनके सामने रखा है। जब हम ऐसे निर्णयों को लागू करते हैं, जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, तो यह नेक काम के लिए हो सकता है, लेकिन साथ ही हमें यह सोचना होगा कि यह बड़ी संख्या में लोगों और संस्थानों को भी कैसे प्रभावित करेगा।

जिन सहकारी समितियों की आय 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उन पर लगाया गया सेवा कर सहकारी आंदोलन के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। केरल में सहकारी संरचना अन्य राज्यों से पूरी तरह से अलग है। यह निजी या सार्वजनिक बैंक की तरह नहीं है। उन्हें राज्य में लोगों का व्यापक दृष्टिकोण और समर्थन मिला है। उन्होंने बड़ी संख्या में सामाजिक रूप से उन्मुख योजनाओं को अपने हाथ में लिया है। वे सीधे बाज़ार में प्रवेश कर रहे हैं और कीमतों को नियंत्रित कर रहे हैं। इसलिए, सहकारी क्षेत्र द्वारा लगभग सभी सामाजिक मुद्दों का ध्यान रखा जा रहा है। वित्त मंत्री सहकारी क्षेत्र पर कर लगाने जा रहे हैं। मुझे पता है कि

लगभग 1000 या उससे अधिक प्राथमिक सहकारी समितियां हैं जो यह कर देने के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि उनकी आय 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक होगी। लेकिन यह वास्तव में सहकारी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसलिए, अन्य वाणिज्यिक संस्थानों के विपरीत, इस मुद्दे को एक गंभीर मुद्दे के रूप में लिया जाना है। केरल सरकार पहले ही इस मुद्दे को उठा चुकी है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से लें।

महोदय, वित्त मंत्रालय और आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों और समितियों में जमा का ब्यौरा एकत्र करने के लिए एक और निर्णय लिया गया था। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। सार्वजनिक बैंकों और निजी बैंकों को 10 लाख रुपये से अधिक की जमाराशि का ब्यौरा देना होगा, लेकिन साथ ही सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों को 5 लाख रुपये से अधिक की जमाराशि का ब्यौरा देना होगा। इसका मतलब है कि एक विभेदन, सीमांकन है। इसलिए, यह वास्तव में सहकारी समितियों को कमजोर करता है क्योंकि लोग वहां नहीं आ सकते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन साथ ही इसे सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और वाणिज्यिक बैंकों पर भी समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। एक समान दृष्टिकोण होना चाहिए।

दूसरा प्रमुख मुद्दा यह है कि सरकारी लॉटरी पर सेवा कर लगाया जाता है। जब हम लॉटरी के बारे में बात करते हैं, तो यह किसी व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी नहीं है; यह किसी कंपनी द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी नहीं है। वास्तव में केरल में सरकारी लॉटरी अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल है। उद्देश्य विशेष रूप से चिकित्सा उपचार के लिए धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता देना है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अब तक केरल सरकार ने अकेले उपचार के लिए 700 करोड़ रुपये की धनराशि दी है। जो व्यक्ति अपने चिकित्सा उपचार के खर्चों जैसे कैंसर, टीबी या किसी अन्य बीमारी को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें लाभ होगा। एक नई स्वास्थ्य योजना है, करुण्य, जिसे राज्य में पेश किया गया है। उस योजना के माध्यम से इन लोगों को आर्थिक सहायता मिल रही है। लेकिन यहां भी सरकार उन पर कर लगाने के लिए गई है। यह सरकारी मशीनरी है। कोई निजी व्यक्ति नहीं है। सरकार द्वारा एजेंट नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन अधिकांश एजेंट शारीरिक रूप से विकलांग

लोग हैं। आप उन्हें बस स्टैंड या रेलवे स्टेशनों पर जाते समय देख सकते हैं। उनमें से ज्यादातर को रोज़गार मिल रहा है।

जब हम वित्त मंत्री से मिले तो उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी योजना है, जो लोगों को रोजगार देती है। सरकार रोज़गार देने में सक्षम नहीं है। तो, यह योजना अच्छी है। मैंने सोचा था कि जब वित्त मंत्री सुबह बड़ी संख्या में संशोधन के साथ आई हैं, तो मैंने सोचा कि किसी तरह हमने जो प्रतिनिधित्व दिया है, वह संशोधन के रूप में आएगा। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस मुद्दे पर सरकार ने अनुकूल विचार नहीं किया है। इसलिए, इस मुद्दे को भी ध्यान में रखना होगा।

दूसरा मुद्दा सेवा कर के बारे में है जो एन.आर.आई. की कमाई, उनकी जमा राशि पर लगाया गया है। इस सभा ने स्वयं ही इराक की भयावह स्थिति, साउदी अरब की भयावह स्थिति और यमन की हालिया स्थिति पर चर्चा की है, जब लोग खाली हाथ वापस आए थे। वहां की जो विनाशकारी स्थिति थी, उसके कारण उनको कुछ नहीं मिल पाया। अब सरकार ने एन.आर.आई. की कमाई पर कर लगा दिया है।

महोदय, बजट में ही हमने सरकार से एन.आर.आई. के लिए एक नई पुनर्वास योजना शुरू करने की मांग की है। सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। साथ ही, हमें विदेशी मुद्रा के रूप में अरबों और अरबों डॉलर मिल रहे हैं। यह भारत को एक बेहतर स्थिति भी देता है। उड़ानों में परिवहन सुविधाओं के संबंध में भी हम इन गरीब लोगों को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन साथ ही सरकार उन पर कर लगाने के लिए फिर से आई है। बदले में हम उन्हें कुछ नहीं दे सके। वे रोज़गार के कारण वहां गए हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 98 प्रतिशत लोग गरीब हैं। उनकी कमाई बहुत कम है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कुछ अन्य वर्गों में क्यों नहीं जा सकती है।

वर्ष 2004 में, हमारे देश में करोड़पतियों की संख्या केवल नौ थी। अब, वह संख्या 74 है। इसका मतलब है कि उनकी कमाई 5,000 करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार दूसरे पक्ष में क्यों नहीं जा रही है और उसके

पास कॉरपोरेट कर और अन्य कर अधिक हैं? जो गरीब लोग वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं उन पर कर लगाया जा रहा है।

महोदय, हमने इस सभा में कृषि के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। मैंने खुद इस चर्चा को शुरू किया है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारी आयात नीति है। जहां तक केरल का सवाल है, रबर का मुद्दा बहुत गंभीर है।

इस संबंध में हमने माननीय संसदीय कार्य मंत्री से मुलाकात की थी, जिन्होंने वाणिज्य मंत्री जी को हमारे साथ बैठक करने का निर्देश दिया था। इसलिए हमने उनसे मुलाकात की और इस मुद्दे पर चर्चा की। लेकिन इसके साथ ही सरकार को निर्णय लेने की जरूरत है। आयात शुल्क बढ़ाए बिना इसका समाधान होना संभव नहीं है।

हम किसानों द्वारा आत्महत्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। निस्संदेह, इस क्षेत्र में आत्महत्याएं भी हो रही हैं। इसलिए, इस मुद्दे को भी समाधान के लिए उठाया जाना चाहिए। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अन्यथा हम अपने देश के किसानों से संबंधित मुद्दों को हल नहीं कर पाएंगे।

महोदय, सरकार का कहना है कि उसने 14वें वित्त आयोग के सुझावों के अनुसार राज्यों को पर्याप्त धन दिया है। मैं यहां सहमत हूं। कुछ राज्यों के लिए, यह फायदेमंद है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन साथ ही, कुछ राज्यों के लिए, यह फायदेमंद नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक उदाहरण लाना चाहूंगा। हमारे पास 3-स्तरीय पंचायतें हैं, जो आजकल सबसे महत्वपूर्ण है। वे ग्राम पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें और जिला पंचायतें हैं। उन्होंने अपनी परियोजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है और प्रस्ताव सरकार को सौंप दिए हैं। लेकिन इस बार, उदाहरण के लिए, केंद्र प्रायोजित की हिस्सेदारी को कम कर दिया गया है। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा।

आई.ए.वाई. में ही पचास प्रतिशत की कमी देखी गई है। पहले यह राशि 75,000 रुपये थी, जिसे घटाकर 35,000 रुपये कर दिया गया है। एस.एस.ए. और अन्य योजनाओं के बारे में भी यही स्थिति है।

महोदय, सरकार कहती है कि उसने पर्याप्त धनराशि दे दी है, लेकिन इसके साथ ही, राज्य वास्तव में कष्ट में हैं। यह न केवल केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में है, यहां तक कि कार्यान्वयन भी राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। कर्मचारियों का वेतन, स्थापना लागत भी संबंधित राज्यों को वहन करनी होगी। इसलिए, इन मुद्दों को उठाना और उनका समाधान करना होगा।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री ई. अहमद (मलप्पुरम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके साथ जुड़ना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: नहीं, मुझे खेद है। आप किसी भी माननीय सदस्य के भाषण से संबद्ध नहीं हो सकते। आप अपनी बारी आने पर बोल सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी (नेल्लोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक, 2015 पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

इस विधेयक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में काफी संशोधन करने का प्रावधान है। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार अगले वित्त वर्ष से जी.एस.टी. लागू करेगी। धन कर को समाप्त करना एक सही कदम है। प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर, कोई बड़ा बदलाव प्रतीत नहीं होता है। अधिभार में दो प्रतिशत अंकों की वृद्धि के साथ सभी करदाताओं के लिए दरें अपरिवर्तित रहती हैं।

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) को शामिल करना और नया दिवालिया संहिता प्रयासों को पुनर्प्राप्त करने और लंबे समय में परिसंपत्ति गुणवत्ता समस्याओं पर लगाम लगाने में मदद करेगा।

कराधान के सामान्य निवारण निवारण नियमों के कार्यान्वयन (जी.ए.ए.आर.) को वर्ष 2017 तक स्थगित कर दिया गया है और अपतटीय निवेशकों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी) का भुगतान नहीं करना पड़ता है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) को भी निजी इक्विटी निधि अर्थात वैकल्पिक निवेश निधि (ए.आई.एफ) में निवेश करने की अनुमति दी गई है।

महोदय, अप्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर, प्रस्तावों को मोटे तौर पर जी.एस.टी. कार्यान्वयन की ओर निर्देशित किया जाता है। शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा उपकर को हटाकर उत्पाद शुल्क और सेवा कर दरों को सरल किया गया है। हालांकि सेवा कर की दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। नकारात्मक सूची और छूट का प्रावधान करके सेवा कर के दायरे को भी बढ़ाया गया है। महोदय, पिछले वित्त वर्ष में वैश्विक कच्चे तेल और कोयले की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट जैसी कई सकारात्मकता के बावजूद, केंद्र सरकार के राजस्व की वृद्धि सुस्त बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 28 फरवरी, 2015 को 11 माह की अवधि के अंत में वास्तविक राजस्व प्राप्तियां मात्र 8,16,238 करोड़ रुपये थीं, जो वर्ष के बजटीय आंकड़ों का 68 प्रतिशत था, तथा उधार पर ब्याज कुल राजस्व प्राप्तियों का 42

प्रतिशत था। स्वाभाविक रूप से योजना और पूंजीगत व्यय सबसे बड़ी क्षति थी। सरकार वर्तमान तेजी के शेयर बाजारों में भी विनिवेश आय को कम करने में सक्षम नहीं है।

विदेशी व्यापार के मोर्चे पर भी, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार घाटे के साथ प्रदर्शन अत्यधिक निराशाजनक रहा है, जो पिछले तीन महीनों के दौरान निर्यात में भारी गिरावट के कारण पिछले वर्ष की तुलना में दो बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

यद्यपि अप्रैल-फरवरी 2014-15 के दौरान वर्ष 2013-14 की इसी अवधि की तुलना में खनन और विनिर्माण क्षेत्रों में संचयी वृद्धि ने 1.5 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत का मामूली सुधार दिखाया है, फिर भी हमें विनिर्माण क्षेत्र की वसूली के लिए लंबा रास्ता तय करना है।

अपराह्न 04.00 बजे

जमीन पर सरकार के बड़े जोर के बावजूद, बी.ओ.टी. परियोजनाओं सहित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा सरकारी कार्रवाई और मंजूरी के अभाव में बड़ी संख्या में परियोजनाओं में अत्यधिक देरी हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप एन.पी.ए. में तेजी आई है। ये सभी अनिवार्य रूप से जीडीपी विकास दर और परिणामस्वरूप राजस्व को प्रभावित करेंगे।

ऐसे समय में जब पूरा देश एक बड़े कृषि संकट से जूझ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए 23 अप्रैल, 2015 के अपने नए दिशा-निर्देशों के माध्यम से, अपने ही ज्ञात कारणों से, कृषक समुदाय को एक गंभीर झटका दिया है। उसने एक ओर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त के बीच अंतर को समाप्त करके, तथा दूसरी ओर यह घोषणा करके कि खाद्य और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को बैंक ऋण भी कृषि का हिस्सा होगा, किसानों को ऋण देने के लक्ष्य को 14 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया है।

वर्ष 1980-1990 के दशक को छोड़कर, जब सभी बाद के दशकों में कृषि क्षेत्र 5.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ा, इस क्षेत्र में देश के लगभग साठ प्रतिशत कार्यबल को रोज़गार देने वाली विकास दर कभी भी तीन

प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं हुई है। देश विभिन्न कारणों से पिछले बारह महीनों के दौरान एक बड़े कृषि संकट का सामना कर रहा है, उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं: -

1) लगभग सभी फसलों के लिए अपर्याप्त और अवैज्ञानिक एम.एस.पी. निर्धारण,

2) बैंकों से पर्याप्त संस्थागत ऋण की अनुपलब्धता,

3) एफ.सी.आई. द्वारा और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में राज्य एजेंसियों द्वारा सुस्त खरीद,

4) विश्वसनीय फसल बीमा योजना की अनुपलब्धता जो प्रारूप, बाढ़, चक्रवात, बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों तक स्वचालित रूप से पहुंच जाती है,

5) प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित किसानों को इनपुट सब्सिडी प्रदान करने में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की विफलता।

एक समय आ गया है जब सरकार को इस क्षेत्र पर अपना मुख्य ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम सरकार से तत्काल कदम उठाते हुए अनुरोध करते हैं कि वह वर्ष 2015-16 के लिए धान के लिए 1600 रुपये प्रति क्विंटल तथा कपास के लिए 4,500 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित करे तथा यह सुनिश्चित करे कि एफसीआई तथा सीसीआई पूर्व की भांति 75 प्रतिशत उपज की खरीद करें, ताकि मानव-निर्मित आपदा से बचा जा सके। सरकार को वर्तमान उर्वरक सब्सिडी नीति को जारी रखना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आरबीआई को 23 अप्रैल, 2015 के अपने परिपत्र को तुरंत वापस लेने का निर्देश दे।

आंध्र प्रदेश राज्य में हुदहुद चक्रवात से चार जिलों की फसल तबाह हो गई है। रायलसीमा, प्रकाशम और नेल्लोर के अन्य जिले गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करके पुनर्गठन अधिनियम पर सख्ती से अडिग रहने का अनुरोध करता हूं।

अंत में, स्वच्छ भारत और आदर्श ग्राम कार्यक्रम को लागू करने के लिए, मैं सरकार से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि को उचित स्तर पर बढ़ाने का आग्रह करता हूं।

मैं वाय.एस.आर. कांग्रेस पार्टी की ओर से विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[10*]**श्री सी.एन.जयदेवन (त्रिस्सूर):** मेरी आलोचना के बावजूद, मैं सरकार की ओर से मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक, 2015 को स्वीकार करता हूं। एक सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि सरकार का एकमात्र काम कर वसूलना और वेतन देना है? जब मैंने आर्थिक विवरणों में से एक का अध्ययन किया, तो मैंने सीखा कि अर्थशास्त्र (इकॉनमी) शब्द ग्रीक शब्द इकॉनोमिआ से उत्पन्न होता है और अर्थशास्त्र का अर्थ है गृह प्रबंधन।

इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी, एक परिवार के मुखिया की तरह है जिसे संपत्ति और देनदारियों को संतुलित करना होता है। मैं अपने संदेह व्यक्त करता हूं, कि क्या आप मौजूदा परिदृश्य में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की स्थिति में हैं।

मुख्य समस्या आपका आउट लुक है। जब आप बजट के खिलाफ लगाई गई आलोचना का उत्तर दे रहे थे, तो आपने एक शब्द का प्रयोग किया, जिस पर मैंने ध्यान दिया, जो कि "बाधावादी" था।

आपने उन लोगों के एक समूह के बारे में बात की जो बाधाओं के साथ आ रहे थे। शायद मैं भी अवरोधकों में से एक हूं क्योंकि मैं एक कम्युनिस्ट हूं।

एक तरह से हम किसी भी सरकारी नीति का विरोध करते हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देती है।

लेकिन हम वही चाहते हैं, जिसका आपकी सरकारें दावा करती रही हैं - कि आप गरीबों और किसानों के साथ हैं।

अन्य बुर्जुआ दलों की तरह आप भी गरीबों और किसानों को जो बताया है उसे दोहरा रहे हैं। आपकी आर्थिक नीतियों में कुछ भी अलग नहीं है। इसलिए मैं आपकी आर्थिक नीतियों का आलोचक रहा हूं।

[10*]मूल रूप से मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

मुझे केरल के संबंध में कुछ बातें कहनी हैं, जिनका उल्लेख हमारे नेता पी.करुणाकरन ने पहले ही किया है।

केरल का सबसे बड़ा योगदान देश के लिए अर्जित विदेशी मुद्रा की मात्रा है। केरल में सहकारिता आंदोलन का उल्लेख श्री करुणाकरण ने भी किया है।

लेकिन जिस केंद्र सरकार को इन क्षेत्रों की और मदद करनी चाहिए थी, वह केरल नामक राज्य के अस्तित्व को भूल रही है, शायद इसलिए कि बीजेपी पार्टी के पास सदन में केरल से एक भी सदस्य नहीं है।

लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह रवैया बदल जाएगा। केरल की स्थिति के लिए अधिक सहायक और मानवीय दृष्टिकोण दिखाने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): केरल भगवान का अपना देश है। हम सभी केरल से प्यार करते हैं। हम सभी मलयाली लोगों से प्यार करते हैं। किसी भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता। इसके बारे में भूल जाओ। निश्चिंत रहें।

श्री के. सी. वेणुगोपाल: आपको *मुंडु* भी पसंद है।

श्री एम. वेंकैया नायडू: मुझे वेणुगोपाल जी भी पसंद है।

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार): उपाध्यक्ष महोदय, किसान इस देश की रीढ़ हैं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि और कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है। यदि अच्छी बारिश होती है और यदि उत्पादन अधिक होता है, तो जीडीपी बढ़ेगा। पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। लेकिन इस बजट में इस सरकार ने कृषि के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई है। उन्होंने उन कृषि आधारित उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन और सहायता नहीं दी है जिनका निर्यात किया जाता है। साथ ही उन्हें आयातित वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर स्वदेशी उद्योगों का समर्थन करना होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने इस क्षेत्र में पर्याप्त रूप से भाग नहीं लिया है।

जब वहां यू.पी.ए. सरकार थी, तब किसानों को पर्याप्त सुरक्षा दी गई। उदाहरण के लिए, इस देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए 71,000 करोड़ रुपये की राहत देकर, इस कदम से 4.3 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाया गया। किसान हमेशा प्राकृतिक आपदा या सूखे की समस्या का सामना कर रहे हैं। किसी भी तरह से, वे पीड़ित हैं। इस बजट में उन्होंने साफ़ और स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया है कि किसानों के लिए क्या आवश्यक है, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए क्या किया जाना है और ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसानों की ठीक से देखभाल नहीं की गई है।

वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक हमने कुछ वस्तुओं पर तीन गुना से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया था। हमने इस सरकार की तरफ से ऐसी चीजें कभी नहीं देखीं। आखिरकार, एन.डी.ए. सरकार एक साल पूरा करने जा रही है। उन्होंने किसानों के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है।

उन्होंने जन धन शुरू किया है। जनधन क्या है? हमने वर्ष 2004 में नो फ्रिल खाता शुरू किया था। गांधी जी ने कहा है कि हम ग्राहकों के दायित्व में हैं और हमें ग्राहकों के दरवाजे पर जाना चाहिए। नो-फ्रिल्स खाते की योजना वर्ष 2005 में यू.पी.ए. सरकार द्वारा शूरू की गई थी। एक बैंक खाता बिना किसी न्यूनतम पैसे के खोला जा सकता है। बचत खाते में 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध थी ताकि मुश्किल समय में किसान को कहीं जाना न पड़े; वो उस पैसे को ले सके, उसका उपयोग कर सके और बाद में उसे चुका सके। वह सुविधा

जन धन योजना के तहत खोले गए खातों में नहीं है। यह केवल एक विज्ञापन है। माननीय सदस्यगण समझें कि यह योजना क्या है; पैसा कहां है; छोटे किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पैसा नहीं है; यह बिना पैसे वाला खाता है। इससे पहले, 10,000 रुपये की अनिवार्य ओवरड्राफ्ट सुविधा (ओडी) वाला एक खाता था, जिसका उपयोग वे बाद में कर सकते थे और चुका सकते थे। यह सुविधा *जन धन योजना में उपलब्ध नहीं है। जन धन योजना* नो-फ्रिल्स योजना से अलग है। इसलिए, भारत के लोगों के लिए एन.डी.ए. सरकार की चिंता को समझ सकते हैं।

महोदय, क्योंकि पर्याप्त समय नहीं है, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन एक और बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुल बजट 4,67,000 करोड़ रुपये से अधिक है। भारत में एस.सी. और एस.टी. लोगों की आबादी 25.2 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए 1,17,000 रुपये की राशि की आवश्यकता है। उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है? इसमें केवल 55,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसलिए, कोई भी इस देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए इस सरकार की चिंता को समझ सकता है।

उदाहरण के लिए, कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में इस देश में एक नया मॉडल शुरू किया है। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 16,000 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया है, जो कुल बजट का 24.1 प्रतिशत है। उन्होंने इसे राज्य में एस.सी. और एस.टी. की आबादी के अनुसार किया है, जो 24.1 प्रतिशत है। कर्नाटक सरकार का यह कदम इस देश में अपनी तरह का पहला कदम है। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है, जिसे मैं माननीय वित्त मंत्री के समक्ष उठाना चाहता हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से इस पर गौर करने का आग्रह करता हूं। देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए उनकी आबादी के अनुसार धन आबंटित किया जाना

चाहिए। चूंकि उनकी आबादी 25 प्रतिशत है, इसलिए आपको उनके लिए 1,17,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने चाहिए। कर्नाटक सरकार इस पर खर्च कर रही है। इसलिए, मैं सरकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए, विशेष रूप से किसानों के लिए अधिक धन खर्च करने का आग्रह करता हूं। किसान प्राकृतिक आपदाओं और सूखे से जूझ रहे हैं। आपको किसानों की सुरक्षा और उन्हें अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कुछ नई व्यवस्था ढूंढनी चाहिए, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था किसानों के विकास पर ही टिकी है।

धन्यवाद, महोदय।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीधे वित्त विधेयक की विषय-वस्तु पर आऊंगा क्योंकि अन्य मुद्दे पहले ही उद्धृत किए जा चुके हैं तथा हम सभी माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

वित्त विधेयक 2015 के कराधान प्रस्तावों में, अत्यधिक आपत्तिजनक वस्तु कॉर्पोरेट कर है। मौजूदा कॉरपोरेट कर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया जाना है। हम माननीय वित्त मंत्री द्वारा अपनाए गए तार्किक रुख को स्वीकार और समझ सकते हैं। लेकिन हम इस तथ्य की कल्पना नहीं कर सकते कि पिछले वर्षों के दौरान कॉर्पोरेट कर की वास्तविक प्राप्ति 23 प्रतिशत से कम थी। हम कॉरपोरेट कर के 23 प्रतिशत से अधिक संग्रह करने में भी सक्षम नहीं हैं और इसीलिए इसे कम किया जा रहा है। कॉर्पोरेट कर में 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की कमी को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है और इसे कभी भी तार्किक कारण के रूप में नहीं कहा जा सकता है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉर्पोरेट कर का अवास्तविक होना कॉर्पोरेट कर को साकार करने में सरकार या कार्यपालिका की अक्षमता है। क्या संदेश दिया जा रहा है? यदि आप संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक के अनुसार वास्तविक कर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, तो वास्तविक प्राप्ति के अनुसार कर को कम कर दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि अप्रत्यक्ष रूप से हम कर के भुगतान या कर की चोरी से बचने को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए, विधेयक के संबंध में मेरा पहला निवेदन यह है कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, और कॉर्पोरेट कर के संबंध में वास्तविक प्राप्ति होनी चाहिए। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: अब, मुद्दे पर आते हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन**:** हां, महोदय। दूसरा, सीमा शुल्क के संबंध में, 22 मदें हैं जिन पर सीमा शुल्क कम कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी को मेरा एकमात्र सुझाव यह है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक दुर्लभ तत्व उत्पाद है, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद है। के.एम.एम.एल. और आई.आर.ई., प्रतिष्ठित पी.एस.यू., ऐसे हैं जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड के अनियंत्रित आयात के कारण संकट का सामना कर रहे हैं। इसलिए, माननीय

मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाए ताकि इस उद्योग में समान अवसर उपलब्ध हो सकें।

जहां तक अधिभार का सवाल है, मैं माननीय मंत्री जी को विशेष रूप से अति-धनवानों पर दो प्रतिशत कर लगाने के उनके निर्णय के लिए बधाई और सराहना देना चाहता हूं। यह सरकार के साथ-साथ मंत्री जी का भी स्वागत योग्य कदम है।

सेवा कर पर आने पर, वर्ष 2015 के इस वित्त विधेयक द्वारा सेवा कर के दायरे को बढ़ाया जाता है। मैं उन मुद्दों को दोहरा नहीं रहा हूं, जो पहले से ही कॉमरेड पी. करुणाकरण द्वारा उजागर किए गए हैं। एकमात्र बिंदु जिस ओर मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह है सेवा कर को पुनः परिभाषित करना। बजट भाषण में भी यह कहा गया है कि: "वित्त अधिनियम, 1994 में परिवर्तन"। … "सेवा" शब्द की परिभाषा में संशोधन करने के लिए विशेष रूप से सेवा कर लगाने के लिए विधायिका की मंशा बतानाः (1) चिट फंड फोरमैन का चिट को कराने के तरीके के द्वारा; और (2) लॉटरी के वितरक या विक्रय अभिकर्ता, जिसे संगठित राज्य द्वारा लॉटरी के आयोजन और संचालन के लिए किसी अन्य तरीके से राज्य को बढ़ावा देने, विपणन, वितरण, बिक्री या सहायता देने के लिए नियुक्त या अधिकृत किया गया है।" यह गरीब लोगों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जो देश में दिव्यांग लोग हैं - जो लॉटरी टिकट बेच रहे हैं। हमने इस निर्णय की समीक्षा के लिए माननीय मंत्री जी को एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया है।

जहां तक वरिष्ठ नागरिक निधि का संबंध है, जो वित्त विधेयक में भी है, फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि निधियों का क्या संबंध है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि बेदावा निधि में बहुत सारे विवाद/आपत्तियां हैं, जिन्हें इस वित्त विधेयक से भी वापस लिया जा सकता है। हम भविष्य में एक गहन चर्चा कर सकते हैं। इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत - बहुत धन्यवाद, महोदय।

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले मैं सेवा कर के मुद्दे पर, विशेष रूप से लॉटरी के क्षेत्र में, अपने सहयोगियों द्वारा साझा किए गए कुछ विचारों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी मुझसे बेहतर जानते हैं कि लॉटरी एजेंट कौन हैं। उनमें से अधिकांश शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति हैं और उनकी एकमात्र आजीविका लॉटरी टिकट बेचना है। यदि आप उन्हें पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह उनकी आजीविका को प्रभावित करेगा। इसलिए, कृपया ऐसा करने से पहले उनके बारे में सोचें।

दूसरी बात, जहां तक एन.आर.आई. का संबंध है, वे आजकल यमन, लीबिया, मध्य-पूर्व, आदि में संकट के कारण इतनी संकट का सामना कर रहे हैं, और बहुत सारी एन.आर.आई. बिना एक पैसे के भी वापस आ रहे हैं। हम एन.आर.आई. खातों पर सेवा कर लगाने जा रहे हैं, जिससे उनकी संभावनाओं को नुकसान हो रहा है। इसलिए कृपया इस पहलू के बारे में भी सोचें।

<u>अपराह्न 04.19 बजे</u> (माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*)

मैं कृषि अल्पावधि ऋण ब्याज सब्सिडी के संबंध में भी माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा। यू.पी.ए. सरकार के समय हमने यह योजना शुरू की थी, यानी समय पर भुगतान करने वालों को 3 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन आपके बजट में इसके बारे में कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं है। इसलिए, बहुत सारे बैंक भ्रम में हैं, और वे यह कृषि सब्सिडी देने के लिए अनिच्छुक हैं। अब, उन्हें एक परिपत्र मिला है कि 30 जून तक वे इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं और वे 30 जून के बाद इसके बारे में निर्णय लेंगे। क्या मंत्री इस 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखेंगे? यह एक स्पष्ट प्रश्न है जो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

हम, इसके साथ-साथ उस पक्ष के संसद सदस्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बजट आबंटन के खिलाफ शिकायत करते रहे हैं। सत्ता पक्ष से जो एक *मंत्र* दोहराया जा रहा है, वह है 'हस्तांतरण, हस्तांतरण और 32

प्रतिशत तथा 42 प्रतिशत तक हस्तांतरण'। वास्तव में स्थिति क्या है? जहां तक केरल का संबंध है, 38 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का बजटीय आबंटन, चाहे वह प्रारंभिक शिक्षा, स्वच्छता, सामाजिक और बाल कल्याण, पर्यावरण और वन, ग्रामीण रोज़गार के लिए विशेष कार्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा, रामसा, परिवार कल्याण, जो सभी ग्रामीण योजनाएं हैं, में भारी कमी आ रही है। एक तरफ आप राज्यों को पैसा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से उसे छीन रहे हैं। तो, इसका क्या उपयोग है? इसलिए, माननीय मंत्री जी, आपके पास इस पहलू पर कुछ ठोस विचार होना चाहिए।

विकेंद्रीकरण प्रक्रिया के संबंध में मेरे मन में एक संदेह है जिसका उत्तर विद्वान माननीय वित्त मंत्री जी दे सकते हैं। हम केंद्र के लिए कम राजकोषीय स्थान की बात सुन रहे हैं - राजकोषीय स्थान को न केवल कम किया जा रहा है, बल्कि राज्यों को करों के विभाज्य पूल के 42 प्रतिशत के हस्तांतरण के बाद निचोड़ा जा रहा है। केंद्र के गैर-योजना व्यय की वास्तव में स्थिति क्या है? गैर-योजना व्यय में 92,308 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। योजना व्यय के बारे में क्या? योजना व्यय में 1,09,723 करोड़ रुपये की गिरावट देखी गई। केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता में लगभग 24,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। योजना व्यय में कटौती का पूरा बोझ राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता पर पड़ा है, जो 1,34,000 करोड़ रुपये है। यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्र के राजकोषीय स्थान को निचोड़ दिया है, जो कि मंत्री कह रहे हैं। बल्कि, यह यूनियन बजट है जिसने राज्यों के प्लान स्पेस को निचोड़ दिया है।

मेरे पास राज्यों को केंद्रीय हस्तांतरण के संबंध में एक आंकड़ा है। जहां तक राज्यों को केंद्रीय हस्तांतरण का संबंध है, वर्ष 2011 की तुलना में, 53.37 प्रतिशत केंद्र का हिस्सा है। हालाँकि, वर्ष 2015 में, यह 49 प्रतिशत तक कम हो गया है; 53 प्रतिशत से घटकर 49 प्रतिशत हो गया है, एक भारी गिरावट है। यह बिल्कुल इसका मतलब है।

माननीय वित्त मंत्री जी को पूरा विश्वास है कि कोयला नीलामी और स्पेक्ट्रम नीलामी के कारण वित्तीय स्थिति अब बहुत अच्छी है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप राज्यों को दी जाने वाली इस राशि को योजना व्यय के रूप में क्यों काट रहे हैं? यही मेरा सीधा सा सवाल है।

मैं सहकारिता क्षेत्र के संबंध में एक और मुद्दे को उजागर करना चाहता हूं। पहले ही, श्री करूणाकरन ने यह इंगित किया है। केरल में आम लोगों की रोटी है, जो सहकारी क्षेत्र पर निर्भर हैं। हर गाँव में, आप एक सहकारी समिति और एक सहकारी बैंक देख सकते हैं। केरल में आप इसे हर गांव में देख सकते हैं, एक नहीं बल्कि दो-दो गांवों में। उन पर सेवा कर लागू करने और उन पर 12 प्रतिशत का विशेष उपकर लागू करने का अर्थ है कि यह क्षेत्र भविष्य में नहीं रहेगा। आम लोग सहकारी क्षेत्र पर निर्भर हैं। केरल, अस्पतालों, कारखानों आदि में सहकारी क्षेत्र में मौजूद हैं। इसलिए, हर संस्थान को नुकसान होगा, जिसमें बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान हैं। इसलिए, आपको इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। सहकारी क्षेत्र कर के दायरे से बाहर होना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि जब हमने वित्त विधेयक पर चर्चा शुरू की थी, तो श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन और प्रो. सौगत राय ने प्रक्रिया नियमों के नियम 219 और संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत औचित्य के प्रश्न उठाए थे। यह दलील दी गई कि नियम 219 के अनुसार, वित्त विधेयक, 2015 में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण कोष से संबंधित गैर-कर प्रावधान नहीं होने चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 110 के अनुसार, वित्त विधेयक एक धन विधेयक होने के नाते गैर-कर संव्यवहार प्रस्तावों को शामिल नहीं कर सकता है और विधेयक में गैर-कर संदाय प्रस्तावों को शामिल करना विधेयक के लंबे शीर्षक में उल्लिखित अधिदेश से परे है। माननीय सदस्यों ने यह भी तर्क दिया कि वित्त विधेयक, जो कि एक धन विधेयक है, में गैर-कर प्रस्तावों को शामिल करने से उन प्रावधानों को संशोधित करने की राज्य सभा की शक्ति कम हो जाएगी।

माननीय वित्त मंत्री ने उठाए गए व्यवस्था के बिंदुओं का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से संबंधित प्रावधान सरकार द्वारा उधार के प्रबंधन से संबंधित हैं और संविधान के अनुच्छेद 110(1) के खंड (ख) के अंतर्गत आते हैं। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के संबंध में, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि कोष का निर्माण सरकार द्वारा किए गए वित्तीय दायित्व की प्रकृति का है और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 110(1) के खंड (ख) के अंतर्गत आता है।

माननीय सदस्यगण, मैं इस बात से सहमत हूं कि नियम 219 के अनुसार वित्त विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाना है। साथ ही, यह नियम गैर-कर प्रस्तावों को शामिल करने की संभावना से इनकार नहीं करता है। इसलिए, एक वित्त विधेयक में गैर-कर संबंधी प्रस्ताव भी हो सकते हैं। मैं यह जोड़ सकता हूं कि किसी विधेयक का लंबा शीर्षक किसी विधेयक के प्रमुख उद्देश्य का द्योतक है। यह हमेशा संभव नहीं होता है, विशेष रूप से विशाल विधेयकों में, कि लंबा शीर्षक विधेयक के हर प्रावधान को

दर्शाता है। पूर्व में भी, यद्यपि विरल है, वित्त विधेयकों में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के संशोधनों से संबंधित गैर-करन प्रस्ताव थे।

तथापि, तथ्य यह है कि इस सभा की एक अच्छी तरह से स्थापित परिपाटी में न केवल वित्त विधेयक में कराधान संबंधी प्रस्तावों को शामिल करना, बल्कि कराधान प्रस्तावों वाले अन्य विधेयकों को भी शामिल करना शामिल नहीं किया गया है जब तक कि संवैधानिक या कानूनी आधार पर ऐसे प्रस्तावों को शामिल करना अनिवार्य न हो। इसलिए, अन्य मामलों से कराधान उपायों को अलग करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए जब तक कि किसी विशेष मामले में ऐसा करने के लिए संवैधानिक या कानूनी आधार या ऐसे कुछ अपरिहार्य कारणों पर यह असंभव न हो।

इसलिए, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के मद्देनज़र और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न तो नियम 219 और न ही संविधान का कोई प्रावधान वित्त विधेयक में गैर-कर प्रस्तावों को शामिल करने पर विशेष रूप से रोक लगाता है, मैं औचित्य के बिंदुओं को खारिज करती हूं।

जहां तक राजकोषीय गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए, कराधान प्रस्तावों और देश की अर्थव्यवस्था पर परिणामी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए वित्त विधेयक में संशोधन का संबंध है, यह सरकार की प्रथा रही है, जहां आवश्यक हो, केवल अल्प सूचना पर संशोधनों को सभा पटल पर रखने के लिए। हालांकि, सरकार के उन संशोधनों की स्थिति में, जो इस तरह के प्रभाव कराधान प्रस्तावों के रूप में नहीं हैं, सदस्यों को सरकारी संशोधनों में संशोधन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए इस तरह के संशोधनों को पहले से सभा पटल पर रखना उचित होगा।

श्री अरुण जेटली: महोदया, मैं उन माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं जिन्होंने वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लिया।

हम इस पर ऐसे स्तर पर चर्चा कर रहे हैं जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था स्वयं अभी भी एक बहुत गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। पिछले कुछ महीनों में यह उम्मीद की गई थी कि जहां तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था का सवाल है, वहां ऊपर की ओर एक मजबूत आंदोलन है जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कल के आंकड़े बहुत प्रेरक नहीं रहे हैं। इसलिए, यह इस स्थिति में है कि वर्तमान सरकार को वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था का खाका तय करना है।

वैश्विक मंदी के बावजूद, कुछ बाहरी कारक हैं जो भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें से पहला बाहरी कारक तेल की कीमतों के संबंध में है। तेल की कम हुई कीमतों ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां दुनिया का आर्थिक परिदृश्य अब अलग है। तेल की खपत करने वाले देश और भारत तेल की खपत करने वाला देश है, जो राहत की सांस ले रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि तेल उत्पादक देशों से तेल उपभोग करने वाले देशों को धन का हस्तांतरण हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले यह केवल उत्पादक देश थे जो काफी लाभ प्राप्त कर रहे थे। इसलिए, यह एक कारक है जो भारत पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डाल रहा है। मुझे कहना होगा कि यह एक कारक है जो भारत पर सकारात्मक रूप से प्रभाव डाल रहा है।

दूसरा कारक यह है कि आज अर्थव्यवस्थाएं निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। वे दिन चले गए जब उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने सोचा कि उनके आंतरिक संसाधन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त हैं। आपको घरेलू निवेश की आवश्यकता है और आपको अंतरराष्ट्रीय निवेश की आवश्यकता है। और अंतरराष्ट्रीय निवेश स्पष्ट रूप से हमारे लिए संसाधन की अतिरिक्तता के रूप में आएगा ताकि भारत में आगे आर्थिक गतिविधि बढ़ सके। इसलिए, अधिकांश प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाएं - चाहे वह यूरोप हो, चाहे वह रूस हो, चाहे वह जापान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, ब्राज़िल हो - सभी बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना कर रहे हैं।

वास्तव में भारत को आज एकमात्र उज्ज्वल स्थानों में से एक के रूप में जाना जाता है। इसलिए, जब दुनिया मंदी के दौर में है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्य की तारीख में आठ प्रतिशत या आठ प्रतिशत से भी अधिक की दर से बढ़ने की आकांक्षा रखती है, जो हमारे पास एक वास्तविक चुनौती है। और मुझे लगता है कि इसमें वास्तविक क्षमता है। यह आठ प्रतिशत नहीं है, हमने अतीत में नौ प्रतिशत हासिल किया है। हमारे सामने चीन का उदाहरण है। लगभग 30 वर्षों के लिए चीन औसतन नौ प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ा। और उसी के कारण वे आज एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में सक्षम हुए हैं। आज चीन की विकास दर नौ या दस फ़ीसदी नहीं रह गई है, यह भी अब सात फ़ीसदी या उससे नीचे आ रही है।

हम सरकार में यह मानते हैं कि इस साल हमारे पास आठ प्रतिशत विकास दर को लक्ष्य करने की क्षमता है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, चाहे वह आईएमएफ हो या विश्व बैंक, मान रही हैं कि यह उस सीमा में 7.5 प्रतिशत से आठ प्रतिशत तक होगा। इसलिए, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही है, भारत एक उज्ज्वल स्थान होने के नाते, अगर हम अपने घर को व्यवस्थित कर सकते हैं और आर्थिक परिवर्तन के बाधावाद की राजनीति को समाप्त कर सकते हैं या भारत को एक आकर्षक गंतव्य बना सकते हैं, और यदि राज्य के बाद एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो वे सभी राष्ट्रीय विकास दर में वृद्धि करेंगे।

हमारी विकास दर में सुधार हो रहा है। हमारी मुद्रास्फीति अभी भी मोटे तौर पर नियंत्रण में है। हमारे राजकोषीय घाटे के आंकड़े अनुमान से थोड़ा बेहतर हो सकते हैं। हमारा चालू खाता घाटा जो एक स्तर पर लगभग 4.5 प्रतिशत तक पहुंच गया था, स्वीकार्य सीमा के भीतर है। यदि ये बुनियादी मानदंड क्रम में हैं, तो हम आगे के रोडमैप पर संक्षिप्त संक्षेप में देखिएगे। हम केवल एक निश्चित श्रेणी के सुधार लाए हैं। कई अन्य सुधार हैं जो पाइपलाइन में हैं, कई अन्य व्यय जो पाइपलाइन में हैं। जमीन पर इन सभी चरणों का अनुवाद एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। यह धीरे-धीरे अपना प्रभाव दिखाएगा। इसलिए, हम वर्तमान बजट में बुनियादी ढांचे, रेलवे

और राजमार्गों पर व्यय को बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। हम ग्रामीण अवसंरचना को मिटाने की प्रयास कर रहे हैं।

यह इस स्तर पर है कि हमारे पास वर्तमान में गंभीर कृषि समस्या के कारण सबसे चुनौतीपूर्ण स्थितियों में से एक है जो मौसम की अप्रत्याशितता से बनाई गई है। इस साल मौसम हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसलिए, केंद्र में सरकार और राज्यों में सरकार पर अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि वह गरीब किसानों की मदद करे, जो इससे प्रभावित हुए हैं। किसानों को जो मुआवजा या राहत पैकेज मिलता था, वह निपटा दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि पैकेज प्राप्त करने के मानदंड में भी ढील दी गई है। इसे नुकसान के पहले की एक-आधे की पूर्व शर्त के बजाय नुकसान के एक तिहाई तक शिथिल कर दिया गया है और राहत पैकेज में 50 प्रतिशत की अचानक वृद्धि की घोषणा की गई है।

मैं इस सभा के सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं कि यह इस सरकार का पहला कदम है। किसानों को राहत देने के लिए यह आखिरी कदम नहीं है। सरकार के अंदर चीनी उद्योग के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर कदम उठाए गए हैं जहां हम अधिशेष की समस्या से ग्रस्त हैं। यह अंतरराष्ट्रीय कीमतों के पतन के साथ-साथ अधिशेष की समस्या है जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। हमने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी घोषणा सरकार करेगी। हमें यह समझना होगा और मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि कृषि संबंधी चुनौती या समस्या की यह स्थिति वर्तमान यथास्थिति का परिणाम है। प्रजेन्ट स्टेट्स क्वो यह है कि देश की जीडीपी की 15 परसेंट आमदनी है, कृषि का जो योगदान है और 60 परसेंट लोग उस पर निर्भर हैं। इसका हल केवल दो हैं। यह जो 15 परसेंट हिस्सा है, इसको बढ़ना चाहिए और जो 60 फीसदी लोग उस पर निर्भर हैं, उनकी संख्या घटनी चाहिए। 60 में से कितने ऐसे लोग हैं, जहाँ परिवार के दो या चार लोग कृषि में होने चाहिए, वहाँ 15 लोग हैं। उनके लिए रोजगार की अन्य व्यवस्था पैदा की जाए। सरकार की जो भी नीयत है, वह केवल इस दृष्टि से है कि यह 15 परसेंट आमदनी बढ़ जाए और इन 60 फीसदी में से एक बड़ी संख्या को वैकल्पिक रोजगार मिल जाए। हमारे जिस निर्णय का आप सबसे आधिक विरोध कर रहे हो और उसमें आपको कारपोरेट दिखता है, उसमें

कारपोरेट नहीं किसान है। जितना आप विरोध करोगे, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का उतना आप विरोध कर रहे हो। उनमें से आधे लोग वो हैं, जो भूमिहीन हैं। उन 60 फीसदी में से आधे लोग भूमिहीन हैं। आज तक हर व्यक्ति कहता रहा, डॉ0 अम्बेडकर जी कहते थे कि उस भूमिहीन को रोजगार तब मिलेगा, जब गाँव का उद्योगीकरण होगा और हम कहते हैं कि देहात में औद्योगिक कॉरीडोर बने। आप कहते हैं उसके लिए जमीन नहीं मिलेगी। हम कहते हैं कि सिंचाई योजना के लिए जमीन दो ताकि यह 15 फीसदी आमदनी बढ़े तो आप कहते हैं उसके लिए जमीन नहीं दोगे। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ग्रामीण सड़कें बनें, उसके लिए जमीन नहीं होगी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़े, उसके लिए जमीन नहीं होगी। उन लोगों के लिए एफोर्डेबल हाउसिंग फॉर पूअर्स बने, उसके लिए जमीन नहीं होगी।

आप जितना विरोध कर रहे हैं, उसमें किसान के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग, भूमिहीन के लिए उद्योग लगे जहाँ रोज़गार मिले ताकि ये 60 फीसदी कम हो। ये जो लोग उस पर निर्भर हैं, ग्रामीण गरीबी का हल केवल इसमें से निकलेगा। उसके साथ-साथ सरकार की योजनाएँ जो आपने भी शुरू की थीं, थॉमस साहब बैठे हैं जिन्होंने कहा राइट टु फूड। ठीक था आपका कहना। हमने कोई उसको समाप्त नहीं किया, उसकी संख्या को बढ़ाया है। मनरेगा में जो योगदान देना है, उसको बढ़ाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आमदनी बढ़े, उस भूमिहीन की आमदनी बढ़े। साथ में उन योजनाओं का भी प्रभाव हो जिससे लोगों का स्तर बढ़ेगा। यह सरकार की बिल्कुल स्पष्ट नीयत है। आप इस विकास यात्रा को, जो उस गरीब के लिए है, उसमें जितना विलंब करेंगे, उसमें जिसकी आप सहायता करने का नारा दे रहे हैं, शायद उसको ज्यादा तकलीफ में डालने वाले हैं।

अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि अगर सरकार के कुछ कार्यक्रमों के बाद आज हम 7, 7.5 या 8 परसेंट की रेंज की विकास दर में आए हैं तो अगर इनफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम खूब खर्चा डालते हैं और खूब व्यय करते हैं, और मैं स्पष्ट कर दूँ कि जब विकास दर बढ़ती है, जब विकास बढ़ता है तो राजस्व भी बढ़ता है। वास्तव में, आम तौर पर राजस्व की गणना जी.डी.पी. + मुद्रास्फीति के आधार पर की जाती है। यह आपको इस बात का

संकेत देता है कि राजस्व कितना ऊपर जाएगा। इस वर्ष, मुझे अगले वर्ष काफी सुधार और पर्याप्त सुधार की उम्मीद है। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जैसे इनफ्रास्ट्रक्चर में हम पैसा लगाएँगे, और सरकार के साधन बढ़ते हैं, तो वह बढ़े हुए साधनों का एक बड़ा हिस्सा हम केवल सिंचाई योजनाओं में लगाएँगे और उन क्षेत्रों में सिंचाई योजनाओं में लगाएँगे जहाँ आज पानी की कमी है। देश में कृषि के अंदर जो विकास की क्षमता है, अध्यक्ष जी, आप जिस क्षेत्र से आती हैं, वहाँ पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उससे कृषि की विकास दर बढ़ी है मालवा के क्षेत्र मे, मध्य प्रदेश में। गुजरात में बढ़ी नर्मदा के बाद। यह अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ सकती है। तेलंगाना में ऐसे जिले हैं जो सूखे हैं। आंध्र प्रदेश में सूखे जिले हैं। राजस्थान में सूखे जिलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। विदरभा सूखा है। मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें बुंदेलखंड क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में अगर हम लगाते हैं और एक तरफ सिंचाई के माध्यम से रूरल इनफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, इनफ्रास्ट्रक्चरल स्पैंडिंग के माध्यम से अगर हम अर्थव्यवस्था को और प्रभावी बनाने की प्रयास करते हैं तो मैं मानता हूं कि देश में 7, 7.5 या 8 प्रतिशत की जो विकास दर है, यह और बढ़ सकती है। वहाँ विकास का आज भी स्कोप है, वहाँ उसकी बहुत बड़ी गुंजाइश है।

[हिन्दी]

एक तर्क बार बार दिया जाता है। बजट के दौरान भी दिया और आज भी दिया। कोई कहता है कि राज्यों का पैसा कम कर दिया। वेणुगोपाल जी ने कहा है: 'राज्य कम प्राप्त कर रहे हैं। यह सही आंकड़ा नहीं है। क्या आपका, कांग्रेस या यूपीए, राज्य 13वें वित्त आयोग के सूत्र पर वापस जाने के लिए तैयार हैं? कृपया मुझे बताएं। पुडिंग का सबूत खाने में है। मैं आपको एक प्रस्ताव दे रहा हूं। मेरे पास प्रत्येक राज्य का डेटा है। एक भी राज्य, एक नहीं, ऐसा नहीं है कि उसे कोई भी पैसा कम मिलने वाला है। आखिरकार, यदि आप कक्षा 1 या कक्षा 2 के बच्चे से पूछते हैं, जो 42 प्रतिशत या 32 प्रतिशत से अधिक है, तो वह उत्तर जानता है लेकिन किसी तरह आप उस उत्तर से भ्रमित हो गए हैं। … (*व्यवधान*) आपके कोई भी मुख्यमंत्री 13वें वित्त आयोग में वापस जाने की आपकी सलाह का पालन करने को तैयार नहीं हैं। यह अधिक मददगार है … (*व्यवधान*) ऐसा है कि अर्थव्यवस्था

के संचालन में और इस देश के संघीय ढांचे को बरकरार करने में हमारी सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है। हम इसके बारे में बहुत स्पष्ट हैं। यह सूझ-बूझ की सरकार है और इसमें कोई गलतफहमी न रहे। आपकी चिन्ता यह है, मुझे समझ में नहीं आता, आपको प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, यहां पर कल उनकी आलोचना की गई कि विदेश में रहते हैं। कम से कम कहां रहते हैं, यह तो हमें पता रहता है और एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, आज भी थामस साहब ने कहा उन्होंने बताया कि उन्होंने 16 विदेश यात्राएं की हैं। कुछ साल पहले की तुलना में आज राष्ट्रों के समूह में भारत ऊँचा है या नहीं? मुझे आश्चर्य हुआ जब पिछले कुछ दिनों में एक पढ़ा गया कि विकसित दुनिया की तुलना में चाहे वह इराक था या यह यमन था या आज यह नेपल है, यह भारत है जिसे अब उन क्षेत्रों में भी एक वैश्विक नेता के रूप में माना जा रहा है जहां हम पहले अपने मामलों का प्रबंधन नहीं कर सकते थे - आपदा प्रबंधन। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। देश के बाद देश हमसे मदद मांग रहा था। हवाई क्षेत्र पर सौदी अरबिया का कब्जा था। ज़मीन पर युद्ध चल रहा था और न केवल हमारे नागरिक बल्कि हम दुनिया भर के नागरिकों को बचा रहे थे। ऐसा एक बार नहीं हुआ है। 11 महीनों में, यह चार बार हुआ है।

देश के बाहर प्रवासियों के उत्साह को देखिए। जब भारत के प्रधान मंत्री जी विदेश जाते हैं तो यह अनसुना या अकल्पनीय था कि पूरे प्रवासी कायाकल्प महसूस करते हैं और उन सभी देशों में भारत की शक्ति और शक्ति दिखाई देती है। तो, आप आज भूल गए, श्री थोमस, जो आपके नेता कल कह रहे थे। कल आपने पाया कि प्रधानमंत्री जी देश से बाहर थे। आज आपने कहा कि वह बहुत ज्यादा दबाव डालने वाले प्रधानमंत्री हैं। वह मंत्रियों को अपने मंत्रालय नहीं चलाने दे रहे हैं और वह हर मंत्रालय चला रहे हैं। तो कृपया अपने मन में यह विचार रखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में आपका विश्लेषण क्या है। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: बैठिये-बैठिये। प्लीज़ बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: हाँ, माननीय मंत्री जी।

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली: महोदया, कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र यह महसूस करेंगे कि जब भारत के प्रधानमंत्री जी दो या तीन दिनों के लिए भी विदेश जातें हैं तो वह राष्ट्रीय कर्तव्य निभातें हैं। राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने और सैर-सपाटे के लिए गायब हो जाने में अंतर है। इसलिए, आपको दोनों के बीच का अंतर महसूस करना चाहिए।

कई प्रश्न और सवाल हैं जो कुछ सदस्यों ने उठाए हैं। मैं श्री सौगत राय का आभारी हूं। उन्होंने कराधान के सरलीकरण के संबंध में एक सवाल उठाया।

इसलिए, एक आसान कराधान रूप जिसमें एक निर्धारिती खुद चीजें करने में सक्षम है और विभिन्न सलाहकारों के लिए दौड़ना नहीं है। हाल ही में एक विवाद सामने आया है। 12 पृष्ठों का एक पुराना आयकर फॉर्म है जिसे 13.5 पृष्ठ बनाया गया था। मैं देश से बाहर था जब यह किया गया था। मैंने इसे रोक दिया। मैं पूरे मामले की समीक्षा कर रहा हूं और बहुत जल्द आप हमसे आने वाली एक बेहद सरल प्रक्रिया के बारे में सुनेंगे।

कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न उठाया गया कि किसानों के लिए ब्याज अनुदान और सब्सिडी के संबंध में क्या हो रहा है। दो वर्ष पूर्व जो दिया जा रहा था और इस वर्ष के बजट के लिए जो आबंटन किया जा रहा है, उसके बीच यह राशि लगभग दोगुनी हो गई है।

श्री के.सी. वेणुगोपाल : महोदय, केवल 13,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। वर्ष 2012-13 में यह 17,000 करोड़ रुपये था।

श्री अरुण जेटली: यह सही नहीं है। मैं इसका उत्तर पहले ही मुख्य बजट भाषण में दे चुका हूं।

श्री के. सी. वेणुगोपाल: मेरे पास आंकड़े हैं।

श्री अरुण जेटली: राशि दोगुनी कर दी गई है और ब्याज सहायता योजना जारी है।

निशिकांत दूबे जी ने कहा कि जब असेसमेंट होता है तो कई बार वे लोगों को बहुत तक़लीफ़ में डालते हैं। यह स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता होगा। मैं केवल आपको एक आंकड़ा दे दूं। लगभग पौने चार करोड़ लोग या उससे भी थोड़े ज्यादा लोग इस देश में इन्कम टैक्स असेसी हैं। उस सीमा में लगभग 3.5 से 4 लाख हैं। संवीक्षा के लिए चयन की प्रक्रिया अब एक मानव प्रक्रिया नहीं है। एक कंप्यूटरीकृत तंत्र है, ना कि भाग्य और अवसर के सहारे है, जहां कई जानकारी दी जाती है। मान लीजिए कि बड़ी नकदी निकासी है, बड़ी नकदी जमा है, उस स्थिति में लाल संकेत ऊपर जाएगा और उस मामले को जांच के लिए चुना जाएगा, जिसे जांच के लिए चुना जाना है। संवीक्षा के लिए चुने गए मामलों की कुल संख्या लगभग 3 लाख है, जो एक प्रतिशत से कम है। यह जो कल्पना है कि हर असेसी का ह्रासमेंट होता है, 99 प्रतिशत मामलों में मूल्यांकन दाखिल होते ही पूरा हो जाता है।

श्री निशिकान्त दुबे : मैंने कस्टम के लिए कहा था।

श्री अरुण जेटली : यह जो नई गाइडलाइंस ले-डाउन की गयी हैं, उसमें भी किनमें अपील के प्रावधान हों, किनमें न हों, उसे कम किया जा रहा है। उसमें भी जब असेसमेंट का फैसला होता है तो दो-तिहाई लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। उनमें से केवल एक-तिहाई ही इसे अपील में चुनौती देते हैं। इसलिए उसको भी और सिम्प्लीफाई किया जाए कि किन केसेज़ में अपील हों, किनमें न हों। हम लोग इसे कंसीडर करते हैं, ताकि सिम्प्लीफिकेशन हो।

[अनुवाद]

श्री अडसूल ने सहकारी बैंकों पर आयकर छूट सीमा, ब्याज पर कर कटौती का मुद्दा उठाया और आपने कहा कि इसे 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाना चाहिए। अब, आयकर अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत, स्व-घोषणा प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह संख्या 15 है (छ) और 15 (ज)। यह आय के कर की गैर-कटौती के लिए अनुरोध करता है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है। जिस क्षण आप उस फ़ॉर्म को

फ़ाइल करते हैं, आपको इससे छूट प्राप्त है। यह उपाय है। अगर इसे और मजबूत करना है, तो मैं निश्चित रूप से इस पर गौर करूंगा।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): इन्कम टैक्स के बारे में बताएं।

श्री अरुण जेटली : आपके सुझाव को मैंने नोट कर लिया है। उसके ऊपर चिंतन हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। इसके अलावा, बजट और वित्त विधेयक में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, अर्थात्, जी.एस.टी., निगम कर, धन कर, मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए बढ़े हुए उपाय। ये सभी कदम हमने शुरू किए हैं और काले धन को निचोड़ने के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण कदम हैं। मुझे उद्योग के विभिन्न वर्गों से विभिन्न आवेदन और अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। लोकप्रिय राय यह है कि इसे निचोड़ा जाना चाहिए क्योंकि यदि समानांतर अर्थव्यवस्था को आधिकारिक अर्थव्यवस्था में लाया जाता है, तो जाहिर है कि आपकी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ जाएगा और आपका जी.डी.पी. बढ़ जाएगा।

आपकी आमदनी बढ़ेगी। बढ़े हुए राजस्व मुझे कराधान प्रतिशत या कराधान स्लैब को कम करने में सक्षम बनाएंगे। लेकिन हम इस प्रक्रिया में मूल्यांकन के किसी भी वर्ग के उत्पीड़न में रुचि नहीं रखते हैं। जिसके परिणामस्वरूप, मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं क्योंकि कुछ कदमों के लिए जिनकी हमने वित्त विधेयक में घोषणा की है, कुछ नियम और अधिसूचनाएं जारी की जानी चाहिए। उन्हें ध्यान में रखा जाएगा। काला धन विधेयक विदेशी संपत्ति और विदेशी आय के संबंध में आएगा।

महोदया, आज सुबह हमारी तरफ से एक गलतफहमी या संवादहीनता थी। इसमें खंड 184 के संबंध में नकारात्मक मतदान का भी उल्लेख किया गया है। ऐसा नहीं है। खंड 184 में एक सकारात्मक वोट होना चाहिए। मैं इसे ठीक कर सकता हूं।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

श्री अरुण जेटली: मैंने पहले ही सुबह बयान दिया था कि मैं फिलहाल पी.डी.एम.ए. को कुछ समय के लिए क्यों टाल रहा हूं। हमने कई अप्रत्यक्ष रियायतें भी दी हैं। कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्रों को यह जानकर रुचि हो सकती है कि मैंने जो विभिन्न अप्रत्यक्ष रियायतें दी हैं, उनमें से कुछ भारत में फुटवियर निर्माताओं के लिए हैं। जो लोग जूते बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं।

[अनुवाद]

आज हम कम लागत वाले जूते के निर्माण में एक महान विनिर्माण केंद्र बन रहे हैं। इसलिए, उम्मीद है कि इन रियायतों के साथ इस देश को केवल कुछ लोगों के जूते पहनने के बजाय जूते मिल सकते हैं। इसलिए, अगर भारत एक महत्वपूर्ण फुटवियर हब बन जाता है तो फुटवियर पहनने वाले लोग कोई बुरी बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब: वह चप्पल होगा या बूट।

श्री अरुण जेटली : दोनों तरह के होंगे। बूटेड होना बेटर है, बूटेड आउट होना बड़ा खतरनाक है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदया, इसके बाद मुझे संसद सदस्यों, उद्योग जगत तथा अन्य विभिन्न वर्गों से प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों तथा अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कुछ स्पष्टीकरण या परिवर्तन हैं जो मैंने दिए गए संशोधनों में परिलक्षित होते हैं। यह प्रथा है कि सरकारें उत्तरदायी हों और समाज के सभी वर्गों की बात सुनें।

इसलिए, स्पष्टता उद्देश्यों के लिए मैं उन अनुच्छेदों को पढ़ूंगा। पहला संशोधन प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के संबंध में है जहां मैं कुछ बदलाव कर रहा हूं। पहला पहलू 'प्रभावी प्रबंधन के स्थान' के संबंध में है। वित्त विधेयक, 2015 में, यह प्रस्ताव किया गया था कि एक कंपनी को भारत का निवासी कहा जाएगा यदि यह एक भारतीय कंपनी है या भारत में उस वर्ष में किसी भी समय प्रभावी प्रबंधन का स्थान है। 'किसी भी समय' वाक्यांश के

संबंध में चिंता व्यक्त की गई है, जिसके अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि भारत में एक बोर्ड बैठक भी किसी विदेशी कंपनी को भारत में निवासी बना सकती है। वित्त विधेयक, 2015 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में कहा गया है कि इस संबंध में मार्गदर्शन नोट जारी किया जाएगा। हालांकि, उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, मैं 'किसी भी समय' वाक्यांश को छोड़ने का प्रस्ताव करता हूं ताकि कोई अस्पष्टता न रहे। इस प्रकार एक विदेशी कंपनी को एक पूर्व वर्ष के लिए भारत में निवासी कंपनी के रूप में माना जाएगा यदि प्रभावी प्रबंधन का स्थान उस पूर्व वर्ष में भारत में है।

मुझे निधि प्रबंधक शासन पर आने दें। वित्त विधेयक, 2015 अपतटीय निधियों के लिए एक विशेष कर व्यवस्था का प्रावधान करता है। विशेष कर व्यवस्था ने व्यापक आधारभूत निधियों के लिए प्रावधान किया है। तदनुसार, विधेयक के खंड 6 में निवेशकों की न्यूनतम संख्या, समूह के एक सदस्य या जुड़े व्यक्तियों की भागीदारी ब्याज की सीमा के बारे में कुछ शर्तों का प्रावधान किया गया है। इन शर्तों को सरकारी धन, संप्रभु धन और पेंशन निधि द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है, जो उनके देशों के कानूनों के तहत विनियमित होते हैं।

तदनुसार, मैं यह प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम निवेशकों की संख्या, सदस्यों के हित की भागीदारी की सीमा आदि के बारे में ये शर्तें सरकार द्वारा, विदेशी सरकारों या उसके केंद्रीय बैंक या संप्रभु धन निधियों और अन्य निधियों द्वारा स्थापित निवेश निधियों के मामले में लागू नहीं होंगी, जैसा कि शर्तों की पूर्ति के अधीन केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

फिर कुछ परिवर्तन हैं जो मैं आयकर अधिनियम के प्रावधानों के संरेखण के संबंध में आई. सी. डी. अधिनियमों के साथ कर रहा हूं। मैंने बजट भाषण में बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए कर प्रोत्साहन के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता यह है कि कुछ राज्यों को विकास के लिए मदद दी जानी चाहिए।

मुझे निधि प्रबंधक शासन पर आने दें। वित्त विधेयक, 2015 अपतटीय निधियों के लिए एक विशेष कर व्यवस्था का प्रावधान करता है। विशेष कर व्यवस्था ने व्यापक आधारभूत निधियों के लिए प्रावधान किया है।

तदानुसार, विधेयक के खंड 6 में निवेशकों की न्यूनतम संख्या, समूह के एक सदस्य या जुड़े व्यक्तियों की भागीदारी ब्याज की सीमा के बारे में कुछ शर्तों का प्रावधान किया गया है। इन शर्तों को सरकारी धन, संप्रभु धन और पेंशन निधि द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है, जो उनके देशों के कानूनों के तहत विनियमित होते हैं।

तदनुसार, मैं यह प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम निवेशकों की संख्या, सदस्यों के हित की भागीदारी की सीमा आदि के बारे में ये शर्तें सरकार द्वारा, विदेशी सरकारों या उसके केंद्रीय बैंक या संप्रभु धन निधियों और अन्य निधियों द्वारा स्थापित निवेश निधियों के मामले में लागू नहीं होंगी, जैसा कि शर्तों की पूर्ति के अधीन केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

फिर कुछ परिवर्तन हैं जो मैं आयकर अधिनियम के प्रावधानों के संरेखण के संबंध में आई. सी. डी. अधिनियमों के साथ कर रहा हूं। मैंने बजट भाषण में बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए कर प्रोत्साहन के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता यह है कि कुछ राज्यों को विकास के लिए मदद दी जानी चाहिए।

अपराह्न 05.00 बजे

हमने आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए जो भी पैकेज की घोषणा की है वह बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों पर लागू होगा। इसलिए इन्हें वित्त विधेयक में ही शामिल किया जा रहा है।

सहकारी चीनी मिलों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसे सहकारी बैंकों का मुद्दा आपने उठाया है। भारत के कुछ राज्यों, विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में सहकारी क्षेत्र में काम करने वाली चीनी मिलें गन्ना उत्पादकों को एक अंतिम राशि का भुगतान करती हैं जिसे अक्सर अंतिम गन्ना मूल्य के रूप में संदर्भित किया जाता है जो चीनी नियंत्रण आदेश, 1996 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक है। उक्त मूल्य के ऊपर और ऊपर एफ.सी.पी. का भुगतान और समय और उसके निर्धारण के तरीके के परिणामस्वरूप अतिरिक्त भुगतान की अनुमति के संबंध में कर विवाद हुआ है। मेरा प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित या अनुमोदित मूल्य पर चीनी के निर्माण में लगी सहकारी समितियों द्वारा गन्ने के मूल्य के रूप में भुगतान की गई राशि को

चीनी सहकारी समितियों की व्यावसायिक आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन इस कर विवाद को संभावित रूप से हल कर देगा।

मैं अब आर.ई.आई.टी./आई.एन.वी. आई.टी. के संबंध में एम.ए.टी. को स्थगित करने के लिए आता हूं। वित्त विधेयक 2014 एक व्यवसाय न्यास की इकाइयों के साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन के शेयरों के विनिमय के संबंध में कर तटस्थता के लिए प्रदान किया गया। हालांकि, एम.ए.टी. देयता का कोई तटस्थता / स्थगन प्रदान नहीं किया गया था। एक कंपनी होने के नाते, शेयरधारक द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुपालन में उचित मूल्य पर इकाइयों के साथ शेयरों के विनिमय की रिकॉर्डिंग के कारण एम.ए.टी. के तहत दायित्व उत्पन्न हो सकता है। इससे कंपनियों के लिए नकदी प्रवाह की समस्याएं हो सकती हैं।

इस मुद्दे को हल करने के लिए, मैं एक व्यवसाय न्यास आर.ई.आई.टी./आई.एन.वी. आई.टी. की इकाइयों के साथ शेयरों के विनिमय से उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि पर एम.ए.टी. के उद्ग्रहण से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। न्यूनतम वैकल्पिक कर के तहत देयता केवल ऐसी इकाइयों के वास्तविक हस्तांतरण पर उत्पन्न होगी। अब, मैं विदेशी कंपनियों पर एम.ए.टी. करने के लिए आता हूं। वित्त विधेयक, 2015 यह उपबंध करने का प्रस्ताव करता है कि कम दर पर कर के लिए उत्तरदायी प्रतिभूतियों में लेनदेन पर उनकी आय या पूँजी अभिलाभ के अनुरूप एफ.आई.आई लाभ के मामले में परिपक्व नहीं होगा। हालांकि, एक पुराना विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बाद में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कुछ आयों पर विदेशी कंपनियों के मामले में सकल आधार पर कर लगाया जाता है, अब मैं यह प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिभूतियों में लेनदेन पर उत्पन्न होने वाले (1) पूंजीगत लाभ, (2) ब्याज, रॉयल्टी या 18 प्रतिशत से कम दर पर कर के लिए प्रभार्य तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क की राशि परिपक्व होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। इसके अलावा, जहां तक अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों का संबंध है, कुछ प्रतिनिधित्व हैं जो मुझे संसद के कई सदस्यों से मिले हैं। मुझे उद्योग से और गोआ के सदस्यों से पहली बार मिला है, विशेष रूप से लौह अयस्क जुर्माना या पाउडर के संबंध में जो वहां खनन किया गया है। लौह अयस्क के घरेलू खनिज, विशेष रूप से निम्न

श्रेणी के लौह के खनिज लौह अयस्क की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में पर्याप्त गिरावट के कारण दबाव में आ रहे हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लौह अयस्क खनन से जुड़े समाज के कई वर्गों की आजीविका को प्रभावित कर रहे हैं। राहत के उपाय के रूप में, मैं लौह अयस्क जुर्माने पर 58 प्रतिशत ऍफ़.ई. से कम निर्यात शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। हालांकि, घरेलू इस्पात उद्योग द्वारा आवश्यक अन्य लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क 30 प्रतिशत पर बरकरार रखा जा रहा है।

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्डों और आयात की तुलना में निजी क्षेत्र में घरेलू निर्माताओं को समान अवसर प्रदान करने के उपाय के रूप में, मैं रक्षा क्षेत्र और आयुध निर्माणी बोर्डों को वर्तमान में उपलब्ध उत्पाद शुल्क छूट को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं। मैं कुछ मामलों में अतिरिक्त सीमा शुल्क, सी.वी.डी. और एस.ए.डी. से छूट वापस लेने का भी प्रस्ताव करता हूं। हालांकि, इन आयात को मूल सीमा शुल्क से छूट जारी रहेगी। ये परिवर्तन 1 जून, 2015 से प्रभाव में आएंगे। इसके अलावा, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ऐसे सामानों के सीधे आयात को मूल सीमा शुल्क और सीवीडी और एस.ए.डी. से छूट जारी रहेगी।

फिर, केरल के माननीय सदस्यों के लिए, जो प्राकृतिक रबर के संबंध में मुझसे मिले हैं, रबर एक बागान फसल है। 12 लाख से अधिक किसान अपनी आजीविका के लिए इस फसल पर निर्भर हैं। हाल के महीनों में, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों बाजारों में रबर की कीमतों में काफी गिरावट आई है। रबर उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए, मैं प्राकृतिक रबर पर मूल सीमा शुल्क को 20 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो, से बढ़ाकर 25 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो, करने का प्रस्ताव करता हूं। जबकि शुल्क के *एड वालोरेम* घटक में वृद्धि घरेलू रबर बागान किसानों के हितों की रक्षा करेगी जब कीमतें कम होती हैं, विशिष्ट घटक में कोई वृद्धि प्राकृतिक रबर के घरेलू उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा नहीं करेगी जब और जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं।

घरेलू बुनकरों और रेशम के निर्यातकों को बढ़ावा देकर 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही घरेलू कृषि उद्योग के लिए उचित सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, मैं कच्चे रेशम पर बुनियादी सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। यह रेशम यार्न कपड़े के क्षेत्र में ड्यूटी इनवर्जन की समस्याओं को हल करेगा और 10 प्रतिशत के मूल सीमा शुल्क को आकर्षित करेगा।

सेवा कर में, मैं सेवा कर में कुछ दंडात्मक प्रावधानों में कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून के संबंधित प्रावधानों के साथ मोटे तौर पर संरेखित किया जा सके।

वर्ष 2015-16 के बजट में, कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा की गई थी। मैं *प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना* के तहत प्रदान किए गए जीवन बीमा व्यवसाय पर सेवा कर लगाने, *प्रधान मंत्री जन धन योजना* के तहत प्रदान की गई जीवन बीमा व्यवसाय की सेवाओं, *प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना* के तहत प्रदान की गई सामान्य बीमा व्यवसाय की सेवाओं और *ताल बीमा योजना* के तहत योगदान संग्रह एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

इसके अलावा, मैं बजट प्रस्तावों से उत्पन्न होने वाले कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं। इन प्रस्तावों को जन्म देने वाली अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं और नियत समय में संसद के समक्ष रखी जाएंगी।

महोदया, इन घोषणाओं के साथ मैं वित्त विधेयक को इस माननीय सभा के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : श्रीमान् जेटली एक सक्सैसफुल लॉयर ने अपना केस सदन के सामने रखा। लेकिन कभी-कभी अच्छे वकील को बुरे केस मिलते हैं। जिस केस में दम नहीं होता, अगर ऐसे केस को अच्छे वकील के पास भी लेकर जाएं तो वे उसकी आरग्यूमैंट अच्छी करते हैं लेकिन नतीजा अच्छा नहीं निकलता। वैसे ही आज आपने कहा कि विपक्ष के लोग, खासकर आपका निशाना कांग्रेस पर था, हम स्वीकार करते हैं, हम आपके सामने बैठे हैं। जब आप उधर से एक तीर छोड़ते हैं तो हमें भी एक तीर छोड़ना पड़ता है।...(व्यवधान) आप ऐसे समझ रहे हैं। मेरा यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लोग या विपक्ष में जितने सदस्य हैं, वे लैंड ऐक्विजिशन बिल का विरोध कर रहे हैं, यह प्रचार मत कीजिए। ...(व्यवधान) 2013 के बिल में आप भी पार्टी थे। आपके पक्ष के लोग जब तक उसे सपोर्ट नहीं करते वह पास नहीं होता। सारे सदन में अगर यूनैनिमसली कोई बिल पास हो गया तो लैंड ऐक्विजिशन बिल है। सभी पार्टी के नेताओं ने एकमत होकर स्टैंडिंग कमेटी में दो साल उस पर बहस होने के बाद...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : खड़गे जी, आप जो कह रहे हैं, वह सच है।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप बोल रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूं।...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : आप बैठ जाइए। एक वाक्य सुन लीजिए ताकि बहस पूरी हो जाए। जब लागू किया तो आपकी पार्टी के मुख्य मंत्रियों ने उसे बदलने को क्यों कहा।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आपके मुख्य मंत्रियों ने भी कहा होगा, उसके वाबजूद भी हमने आपकी बात सुनकर उसे किया। 2013 में हम सबने मिलकर किया था। मुख्यमंत्रियों की सभी आपत्तियां सुनने के बाद, जो चीफ मिनिस्टर कहते हैं वे सब बातें आप नहीं मानते। आप जो चाहते हैं, उस पर ही पार्लियामैंट में कानून बनाते हैं। यह बिल हम सबने मिलकर पास किया था। हमने उसे इम्प्लीमैंट भी नहीं किया, अनुष्ठान में भी नहीं लाये,

लेकिन आप उस पर बदलाव का सुझाव ले आये हैं। आप उसमें क्या लेकर आये हैं? इसमें अपील का प्रोविजन नहीं है ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : उस पर अभी बहस नहीं हो रही है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप सुनिये कि 70-80 परसेंट जो कन्सैंट का था, वह निकाल दिया। ...(व्यवधान) आपने पीपीपी को देने का रास्ता खोल दिया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप फाइनेंस बिल पर बात कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उस बिल में ये जो दिक्कतें थीं ...(व्यवधान) वर्ष 2013 का जो बिल था, वह ठीक था, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसे रिटेन कीजिए। ...(व्यवधान) हम उसके विरोध में नहीं हैं। आप यह कह रहे हैं कि उसकी वजह से रूरल इम्प्लायमैंट नहीं मिलेगी। 60 फीसदी लोगों को इम्प्लायमैंट नहीं मिलने वाली है। इससे पहले भी देश में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज आयी हैं। क्या वे नहीं आयीं? आपके पास लैंड एक्वीजिशन एक्ट के जो प्रोविजन्स पहले के थे, उसके मुताबिक ही किया गया। उस वक्त इससे भी बुरी हालत थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने अपनी जमीन दी। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लैंड बिल पर न कहकर फाइनेंस बिल पर क्लेरीफिकेशन पूछिये।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मेरा यही कहना है कि आप इसका ऐसा प्रचार मत कीजिए। ...(व्यवधान) ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिटलर के जमाने में गोबल्स ने जैसे सौ बार झूठी बात को बोलकर उसे सच करने की प्रयास की थी, वैसा नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप फाइनेंस बिल पर क्लेरीफिकेशन पूछिये।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि यह बिल ठीक है, इसलिए हम उसे रखना चाहते हैं, जबकि उसे आप निकालना चाहते हैं और वर्ष 2014 का बिल लाना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : खड़गे जी, आपने अच्छा किया कि इस पर बहस शुरू कर दी। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। ...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : अभी तक आपकी पार्टी के लोग केवल हिट एंड रन बहस कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइये कि वर्ष 2013 के बिल में क्या इस देश में सिंचाई की योजनाएं किसान के लिए लग सकती हैं या नहीं? ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : किसान की सिंचाई की योजना के लिए हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया या बड़े-बड़े डैम्स बनाये। ...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : वर्ष 2013 का बिल सिंचाई की योजना नहीं लगने देता। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप सुनिये। ...(व्यवधान) बड़े-बड़े डैम्स बनाये गये ...(व्यवधान) सिंचाई की व्यवस्था की गयी ...(व्यवधान) सब कुछ बनाया। ...(व्यवधान) लेकिन क्या वर्ष 2013 के कानून हम नहीं बना सकते? ...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : खड़गे साहब, इसका मतलब यह है कि वह वर्ष 1984 के बिल में बने। वर्ष 2013 का बिल तो उसकी अनुमति नहीं देता। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : ये सभी बातें, ये सभी चीजें सत्य से दूर हैं। ...(व्यवधान)

आप लोगों को ऐसा बहका रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कांग्रेस के लोग किसान के फेवर में नहीं हैं, सिंचाई के खिलाफ हैं, इंडस्ट्री के खिलाफ हैं। ...(व्यवधान) आप ऐसा गलत प्रचार कर रहे हैं। आप यह गलत प्रचार करना छोड़ दीजिए ...(व्यवधान) मैं आपके ध्यान में एक और चीज लाना चाहता हूं, जिसे आप भी मान लेंगे। ...(व्यवधान) मनरेगा के बारे में वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा? ...(व्यवधान)

गलत नहीं, सत्य से दूर जो भी चीजें हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप फाइनेंस बिल पर तो आ जाइये।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: ऐसा गलत प्रचार करके ही ये लोग पावर में आये हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

नरेगा, भारत के लिए एकमात्र बीमा' नामक एक लेख है, जिसमें विश्व बैंक कहता है:

> "विश्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि मनरेगा नौकरियों के लिए 'अपर्याप्त मांग' में वृद्धि ग्रामीण संकट में वृद्धि का संकेतक है। चूंकि यह योजना एकमात्र है और इसलिए भारत में हाल की बेमौसम बारिश के गरीबों पर प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा दांव है, इसलिए सरकार को वेतन भुगतान में देरी को रोकने और नौकरियों की बढ़ती बेमौसम मांग को रोकने के उद्देश्य से कदम उठाने चाहिए। विश्व बैंक ने कहा, "यदि आप बेमौसम बारिश से प्रभावित राज्य हैं, तो अब समय आ गया है कि मनरेगा को लागू करने के लिए जिम्मेदार लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए कहा जाए ... यह एकमात्र बीमा भारत के पास है। "

[हिन्दी]

यानी इतनी बेहतरीन स्कीम को भी आप ऐसा कह रहे हैं। यह मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं, प्रधान मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं, यह आपको भी मालूम है कि जब आईएलओ में मीटिंग होती थी, तो हमेशा मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, फूड सिक्योरिटी, मिड-डे-मील और कम्प्लसरी एजुकेशन की हर कंट्री तारीफ करता था। जितने भी डवलपिंग कंट्रीज थे, हर देश तारीफ करता था, जितने भी विकासशील देश हैं, हमको इमीटेट करना चाहते थे, फोलो करना चाहते थे, ये सभी चीज आपको मालूम है, फिर भी आप हमेशा ऐसा कहते हैं कि आपके जमाने में कुछ नहीं हुआ। क्या सारी चीजें आपने दस महीने में की हैं? मंगलयान जाने का, हमने किया है, ऐसा बोलते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको क्लेरिफिकेशन पूछना था।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: कटरा के लिए ट्रेन आपने ही चलाई, ऐसा बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लिए जो ट्रेन गई, हमने ही चलाई, ऐसा आप बोलते हैं। यानी हर चीज आपने ही की।...(व्यवधान) देखिए, जितना क्रेडिट जिनको देना है, उतना तो दीजिए। 60 साल में अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आज देश में इतना अनाज का भंडार नहीं होता और दो लाख पैंसठ मिलियन टन्स जो आज उत्पादन हो रहा है, अगर पीछे इरीगेशन नहीं होता, उसके लिए पैसा एलोकेट नहीं किया होता तो क्या उतना फूडग्रेन्स पैदा हो सकता था?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अगर आपका क्लेरिफिकेशन हो गया हो तो आगे चलें। क्लेरिफिकेशन ही पूछिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, एक एलीगेशन है उसका तो उत्तर देना है। दूसरी चीज यह है कि ठीक है कि आपके प्राइम मिनिस्टर अभी हिन्दुस्तान में हैं। यह ठीक है। आप ही बोलते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहां जा रहे हैं, कहां नहीं, उनका पता आपके पास है। लोगों को मालूम होता है लेकिन...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : कौन कहां जा रहा है, मैं वह कह रहा था।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आपने जो कहा, मुझे मालूम हुआ। आपने कहा कि हमारे प्रधान मंत्री किस देश में हैं, कहां हैं, यह तो मालूम होता है। आपके नेता कहां हैं, यह मालूम नहीं हुआ। ढंग से अपनी बात को रखें लेकिन सरकार तो आपकी है, लेकिन उसका प्रचार करते कोई थोड़े ही फिरते हैं कि कहां जा रहे हैं, कहां नहीं।...(व्यवधान) तीसरी चीज, मैंने आपसे यह अपेक्षा नहीं की थी।...(व्यवधान)

तीसरी चीज, आपकी सरकार है। आपको मालूम रहता है, सभी चीजें हैं। ये सारे सवाल मुझसे मत पूछिए। जो चीज आपने कही थी लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि जेटली साहब खुद ऐसा कहेंगे कि फूड प्रोसैसिंग मिनिस्टर यहां हैं, उन्होंने जो बात बाहर कही थी, उस बात को आपने तोड़ा है। ...(व्यवधान) अगर वह बात ठीक है, अगर आप समझते हैं क्योंकि उस वक्त राहुल जी ने यह कभी नहीं बताया था, किसी इंडिविजुअल के ऊपर उन्होंने कोई टीका-टिप्पणी नहीं की थी। किसी सरकार के ऊपर टीका-टिप्पणी नहीं की थी।...(व्यवधान) सीधा-साधा एक वाक्य प्रोक्योरमेंट के बारे में था लेकिन आपने इस ढंग से बात कही कि आपको बूट-आउट किया, आपको शूट-आउट किया। ऐसी चीजें अगर आप बोलते हैं तो हमको भी उसी ढंग से उत्तर देना पड़ेगा और उन्हीं शब्दों में देना पड़ेगा।...(व्यवधान) कम से कम उतनी तो पार्लियामेंट की गरिमा रखिए कि किस जगह क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारा कहना नहीं है।...(व्यवधान) प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं। इसीलिए आपका इतना चल रहा है नहीं तो आप सब यहां उपस्थित नहीं रहते। मुझे मालूम है। ...(व्यवधान) ये लोग हाजिरी देने के लिए बैठे हैं। ...(व्यवधान) यह सच बात है। मैं आपसे कहता हूं और आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। आपकी चलती है, चंद लोगों की चलती है लेकिन बाकी के मंत्रियों को पूछिए। जब तक ऑफिस से इशारा नहीं आता, एक पत्ता भी नहीं हिलता।...(व्यवधान) यह आप पूछ लीजिए। अगर गलत है तो मैं इस बात को छोड़ देता हूं।...(व्यवधान) लेकिन यह सच है। सब चीजें वहां से निकलती हैं। जब तक वहां से इशारा नहीं होता, कुछ काम नहीं होता। इसीलिए मैं आपके सामने यह बात रख रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए। 2013 का बिल रखिए और आगे बढ़िए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, श्री निशिकांत दुबे।

… (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय : महोदया, कृपया मुझे स्पष्टीकरण की अनुमति दें। … (*व्यवधान*)

श्री पी. करूणाकरन: महोदया, कृपया मुझे स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दें। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री निशिकांत दुबे के बाद मैं आपको अपनी बात कहने की इजाजत देती हूं।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे: अध्यक्ष महोदया, पिछले दस साल से सरकार की जो पालिसी रही है, वित्त मंत्री जी उसमें सबसे बड़ी समस्या मैं देख रहा हूं कि करेन्ट एकाउंट डेफिसिट को रोकने के लिए गोल्ड पर आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन गोल्ड की कुछ न कुछ कास्ट होती है आपने बजट में गोल्ड मोनेटाइजेशन पालिसी बनाई है। इकोनोमी में गोल्ड का असर पड़ता है और कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। पिछले दस साल की पालिसी के कारण इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स, जैसा कि हम 'मेक इन इंडिया' की तरफ जा रहे हैं हम मोबाइल यूज करते हैं, कम्प्यूटर यूज करते हैं लेकिन तीन-चार महीने के बाद इन गुड्स का यूज नहीं होता है। इस वजह से इन चीजों का इम्पोर्ट बहुत बड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को ऐसा कौन-सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जिससे 'मेक इन इंडिया' भी हो और जो इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स आ रहे हैं, वे कैसे रुके?

इसके अलावा मैट के बारे में एफएफआई का क्लैरीफिकेशन दिया है, कोर्ट के आदेश के बाद आपने इस टैक्स को इम्पोज़ किया था। अभी आप जो रेजोल्यूशन ले कर आए हैं, इसमें जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा है, वह एफएफआई पर लागू होगा या नहीं होगा?

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन: महोदया, मैं इस बात की सराहना करता हूं कि सरकार ने रबर पर आयात कर के संबंध में कुछ परिवर्तन किए हैं। कुछ हद तक, यह हमारे रबड़ किसानों की मदद करेगा।

जहां तक हमारे राज्य का संबंध है, तीन अन्य प्रमुख मुद्दे हैं। हमने माननीय वित्त मंत्री जी से मुलाकात की थी। केरल के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने भी माननीय वित्त मंत्री जी से मुलाकात की। एक प्रमुख मुद्दा सहकारी क्षेत्र से संबंधित है। उन पर दो तरह के कर लगाए जाते हैं। एक सदस्यों के जमा पर कर है और दूसरा संस्था पर ही कर है। मैंने अपने भाषण में भी उल्लेख किया कि लगभग 1,500 सहकारी समितियाँ हैं; और इन सभी समितियों को कर देना होगा। दूसरा, निजी बैंकों और सार्वजनिक बैंकों को 10 लाख रुपये तक का ब्यौरा देने की अनुमति है, जबकि सहकारी बैंकों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है। इसलिए यह सहकारी क्षेत्र के साथ अन्याय है। इसलिए, सहकारी क्षेत्र के संबंध में मेरे विचार में सरकार को अनुकूल विचार करना चाहिए।

महोदया, अब, मैं एन.आर.आईस. के बारे में कहना चाहता हूं। अगर सरकार सभी एन.आर.आई. पर कर लगाती है, तो मुझे लगता है, यह निर्दयतापूर्ण आपदा होगी। मैं उनके बारे में यही कह सकता हूं। यमन, सौदी अरबिया और इराक से लोग आते हैं। उनकी स्थिति क्या है? लेकिन सरकार सभी एन.आर.आई. पर कर लगाने के बारे में कैसे सोच सकती है? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर पुनः विचार करे। लॉटरी के एजेंटों के मामले में यह सच है।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): महोदया, मैं इस विषय पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: हाँ, आप सम्बद्ध हो सकते हैं।

श्री पी. करूणाकरन: लॉटरी के एजेंटों के बारे में, 90 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं। सरकार इस बारे में क्या सोच सकती है? इसलिए, मैं पुनः माननीय वित्त मंत्री जी से अपील करूंगा कि - माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहां हैं - कृपया इन सभी बातों पर विचार करें। इन सभी मुद्दों के संबंध में हमने माननीय प्रधान मंत्री से भी मुलाकात की थी।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय।

श्री ई. अहमद (मलप्पुरम): महोदया, मुझे एक मिनट दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: मैंने पहले ही प्रो. सौगत राय को बोलने के लिए कहा है।

श्री ई. अहमदः मैं केवल उनका समर्थन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: हां, आप उनका समर्थन कर सकते हैं। यह ठीक है।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : महोदया, मैं अपनी बात कह चुका हूं इसलिए बहुत संक्षेप में अपनी बात सदन में रखूंगा। मैं एक बात कहना भूल गया था। मेरे पास कोलकाता के बहुत-से ज्वैलर्स आए थे। वे कह रहे थे कि उनके ज्यादातर कस्टमर्स गांव से आते हैं और उनके पास पैन कार्ड नहीं होता है। जब वे लड़की की शादी तय करते हैं तो घर में जितना धन जमा करते हैं उसे लेकर वे ज्वैलरी की दुकान में जाते हैं लेकिन यह जो रिस्ट्रिक्शन रखी गई है कि एक लाख रुपए से ज्यादा गोल्ड की ट्रांजेक्शन होने से पैन कार्ड देना पड़ेगा, इसके कारण उन्हें मुश्किल आ सकती है क्योंकि उनके पास पैन कार्ड नहीं होता है। आप उन सभी लोगों को पैन कार्ड देने का इंतजाम कीजिए, लेकिन इसमें समय लग सकता है। मैं तो कभी ज्वैलरी शॉप पर नहीं गया हूं लेकिन ऐसा उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बारे में आप सोचिए क्योंकि ज्वैलरी इंडस्ट्री में बहुत-से छोटे-मोटे कारीगर भी काम करते हैं।

मेरी दूसरी बात यह है कि आपके टैक्स प्रपोजल्स में कोई कंट्रोवर्शियल इश्यू नहीं है। यह अच्छी बात है कि किसी के लिए भी सरकार का टैक्स प्रपोजल नहीं है। इससे उनकी जो फिलोसफी है, वह प्रतीत होती है। आपने कारपोरेट को छूट दी है, टैक्स कम करने की बात कही है यह बात तो आपकी फिलोसफी के अनुसार है। इस बात से मेरा झगड़ा नहीं है। आपके इन प्रपोजल्स से तो फॉरेन इंस्टिट्यूशनल इंवेस्टर्स खुश होंगे क्योंकि आपने एक ही साथ 'गार' (जनरल एंटी एवाइडेंस रूल) को डेफर किया है, आपने 'मैट' (मिनिमम अल्टरनेट

टैक्स) को वेवर किया है, वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश का नया रास्ता आपने दिया है, शायद आपको लगता है कि यह फॉरेन इंवेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। यदि आपका यह विचार है कि फॉरेन इंवेस्टमेंट से ही मुल्क आगे बढ़ेगा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं पहले आपको कह चुका हूं कि आप मिडिल क्लासेज के लिए इनकम टैक्स में थोड़ा भी रिलीफ दीजिए। यह भी मैं कहता हूं कि आपने जो अभी तय किया है कि किसी व्यक्ति का या किसी कंपनी का 50 प्रतिशत एस्सेट हिन्दुस्तान में होगा, तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। वोडाफोन जैसी घटना नहीं घटेगी। अभी 'गार' नहीं होगा, लेकिन इसका भी मैं समर्थन करता हूं। यदि इंडिया में कोई बिजनेस करेगा, बाहर में कंपनी खरीदेगा और यहाँ टैक्स नहीं देगा, यह ठीक नहीं है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस टैक्स प्रपोजल की चर्चा में आपने न जाने क्यों जमीन के बारे में चर्चा की। मेरा तो यही कहना है, मैं नहीं जानता कि आपने कभी किसानों के बीच काम किया है या नहीं। हम लोगों ने सिंगुर में जो आंदोलन किया था, तो उन लोगों का यही कहना था कि मेरी जमीन क्यों मेरी सहमति के बिना छिन जाएगी। जो बिल यूपीए-टू की सरकार लायी थी, उसमें भी हमारी ओर से फर्क था क्योंकि वह सरकार कहती थी कि 80 प्रतिशत लोगों का कंसेंट होना चाहिए। मैं कहता हूं कि सौ प्रतिशत लोगों का कंसेंट होना चाहिए। किसान से जमीन खरीदना है, उससे जमीन छीनना नहीं है। आप गरीब के साथ गरीब को लड़ा देते हैं। आप कहते हैं कि एफोर्डेबल हाऊसिंग होगा, सिंचाई की योजना होगी, इंडस्ट्रियल कोरिडोर होगा, तो क्या यह किसानों से जमीन छीनकर होगा? आप यह क्यों नहीं मान लेते हैं कि अगर जमीन लेनी है, यदि जमीन लेनी जरूरी है, तो आप किसान को पैसे देकर खरीदिए।

माननीय अध्यक्ष : सब लोग लैंड एक्विजीशन पर चर्चा न करें।

प्रो. सौगत राय : जेटली जी ने इस विषय को उठाया था, यह विषय चर्चा का नहीं था, लेकिन जेटली जी ने कहा कि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं और आप उसमें रूकावट डाल रहे हैं। ...(व्यवधान) हम उसमें रूकावट

नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन हम किसान के आधिकार के लिए लड़ने को तैयार हैं। यही मेरा कहना है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, हर कोई नहीं। आपके लीडर ने बात कह दी है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : महोदया, मैं यहां दो मुद्दे उठाना चाहता हूं। एक जी.एस.टी. की व्याख्या से संबंधित है। प्रस्तावित जी.एस.टी. विधेयक जो सभा के समक्ष लंबित है, अगले सप्ताह आ सकता है या स्थगित किया जा सकता है। हमें नहीं पता लेकिन यह सूचीबद्ध है और यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है।

यहां सवाल सीएसटी से संबंधित है - केंद्रीय बिक्री कर। जब खनिजों को खनिज वाले राज्य की खदानों से निकाला जाता है और इसे मूल्य संवर्धन और उत्पादन के लिए दूसरे राज्य में ले जाया जाता है, तो केंद्र को रॉयल्टी के अलावा एक कर का भुगतान किया जाता है और वह भी हिस्से के अनुसार राज्य को वापस आता है।

जैसा कि सब कुछ अभी भी लंबित है, मेरा सवाल यह है कि प्रतिशत के इस हस्तांतरण के साथ 4 प्रतिशत से 3 प्रतिशत और फिर 2 प्रतिशत, क्या इस पर भी विचार किया जाता है ताकि पैसा पहले की तरह राज्य में वापस प्रवाहित हो जाए?

एक अन्य मुद्दा स्वर्ण बांड से संबंधित है। स्वर्ण बॉन्ड मूल रूप से भौतिक सोने को बदलने के लिए होते हैं। सोने के आयात को कम करने का विचार है और सोने के बंधन का विचार वास्तव में बहुत अच्छा है। यहां, यह हमें याद दिलाता है कि इसे राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना की तरह कमजोर नहीं होना चाहिए।

सरकार को दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। या, क्या मुझे इसे एक प्रश्न के रूप में रखना चाहिए? क्या सरकार दिशानिर्देश जारी करने और सेबी और आरबीआई जैसे नियामकों के समान फीडबैक प्राप्त करने के

बारे में सोच रही है, जब ऐसे बॉन्ड जारी किए जाते हैं? एक और बिंदु यह है कि ये गोल्ड बॉन्ड ब्याज की एक निश्चित दर अर्जित करेंगे और मोचन के दौरान सोने के अंकित मूल्य पर भुनाए जा सकते हैं। क्या उस उत्पाद से अर्जित ब्याज पर कर लगेगा? इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है।

माननीय अध्यक्ष: श्री ई. अहमद, आप केवल एक मिनट बोलेंगे।

श्री ई. अहमदः अगर मैं इसे आधे मिनट में समाप्त करने में सक्षम होऊंगा, तो मैं इसे करूंगा।

महोदया, मुझे केवल यही प्रमाणित करना होगा कि श्री करुणाकरण ने यहां क्या उल्लेख किया है। खाड़ी देशों में जो लोग वहां काम कर रहे हैं वे अमीर लोग नहीं हैं। वे मजदूर हैं। वे अपनी आजीविका को बाहर निकालने के लिए हैं। वहाँ वे जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसे अपने परिवार को यहाँ वापस भेज रहे हैं; और यह हमारे लिए आय का एक बड़ा स्रोत भी है। उन पर माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा कर लगाया गया है। माननीय वित्त मंत्री श्री जेटली जी से मेरा एकमात्र विनम्र अनुरोध यह है। माननीय वित्त मंत्री जी, कृपया आप खाड़ी देशों में अपनी आजीविका चला रहे इन मजदूर वर्ग के लोगों पर कुछ दया दिखाएं। वे अमीर लोग नहीं हैं। वे गरीब लोग हैं । चाटने के बाद वे जो भी खाना चाट रहे हैं, उसे अपने परिवार को भेज रहे हैं। उन पर कर नहीं लगाया जाएगा। कृपया दया दिखाएं। उन्हें पैसे लाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें हमारे देश के लिए पैसा कमाने के लिए प्रोत्साहित करें। मेरा जेटली जी से विनम्र निवेदन है कि केरल के लोगों का अनुरोध सुनें।

श्री डी.के. सुरेश (बंगलौर ग्रामीण): अब वित्त मंत्री जी ने बताया है कि उन्होंने कच्चे रेशम पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। यह पूरे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को प्रभावित करेगा। पहले ही कीमतों में गिरावट आ चुकी है। कृपया इस मुद्दे पर विचार करें। पहले यह 30 प्रतिशत था। इसे घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। अब आपने कच्चे रेशम पर आयात शुल्क को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। कृपया इसका विस्तार करें।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: माननीय अध्यक्ष महोदया, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के संबंध में, माननीय मंत्री जी ने एम.पी.एल.ए.डी.एस. निधि में वृद्धि के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। सांसद

आदर्श ग्राम योजना के संबंध में भी उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी यहां हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह सब ठीक है। आप पहले ही अपनी बात रख चुके हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, वह बाद में जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने आज अपने संबोधन में किसानों के बारे में कई बातें कही हैं। उन्होंने, विशेष रूप से, कहा कि गन्ना किसानों की समस्याओं के बारे में विचार किया गया, कुछ निर्णय भी लिए गए हैं, उनकी घोषणा भी की जाएगी। मैं यह कहता हूं कि इस नेक काम में देरी क्यों, अगर निर्णय लिया है तो घोषणा कर दें, हम भी यहां कुछ लेकर चले जाएंगे।

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो कहा, इथेनॉल के संबंध में एक्साइज ड्यूटी इस साल के लिए समाप्त की जा चुकी है, यह आपकी जानकारी में आ ही चुका है। इसके आतिरिक्त सरकार अन्य प्रस्तावों पर भी चिन्तन कर रही है। माननीय खड़गे जी ने किसानों की और प्रोक्योरमेंट नहीं होने की बातें कही। मैंने पंजाब में आंकड़ों की जांच की। 110 मीट्रिक टन में से 64 लाख मीट्रिक टन *मंडियों में आ चुके हैं।* महोदया, सरकार द्वारा 57 लाख टन की खरीद की जा चुकी है। यदि यह कार्यनिष्पादन है जहां तक खरीद का संबंध है, तो जो शेष राशि आती है, वह भी खरीदी जाने वाली है।

मैं समझता हूं कि अब यह परंपरा बन गई है कि हम सभी को किसान के संबंध में चिंता करनी चाहिए, लेकिन किसी को भी किसान को राजनीतिक साधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

इस वर्ष और पिछले वर्ष जब बजट प्रस्ताव आए तो कुछ माननीय सदस्य मुझसे पूछ रहे थे कि, "आप काले धन को कैसे दबाएँगे?" जब मैं एक प्रस्ताव की घोषणा है हम करता हूं कि ठीक घरेलू काले धन को

निचोड़ते हैं, तो इसे निचोड़ने का एक तरीका है और यह एक अभ्यास है जो एक वैश्विक अभ्यास है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यदि आपके पास 10,000 डॉलर से अधिक हैं, तो आपको अपना सामाजिक सुरक्षा नंबर घोषित करना होगा, जो पैन कार्ड के लिए उनका विकल्प है।

अब, प्रस्ताव लोगों को नकद लेनदेन करने की अनुमति देने के लिए है क्योंकि वे कहते हैं कि किसानों के पास नकद है। जिन्होंने कैश में ब्लैकमनी में ट्रांजेक्ट करना है, वे भी किसान का सहारा ले रहे हैं। हम इसमें प्रैग्मेटिक होना .चाहेंगे सौगत राय जी, लेकिन कम से कम किसान पर इनकम टैक्स नहीं लगता। आपका जो दूसरा प्रस्ताव है कि पैन कार्ड हर व्यक्ति का होना चाहिए, आधार नम्बर हर व्यक्ति का होना चाहिए, तो हम एक-एक जिले के अंदर जैसे जन धन योजना में कैम्प्स लगाए थे, वैसे लगाने वाले हैं। नेट के ऊपर हमने व्यवस्था की है कि आप एप्लीकेशन दीजिए तो 48 घंटे में आपको आपका पैन कार्ड मिल जाएगा, ताकि उसके बाद किसी के पास ब्लैकमनी में ट्रांजेक्ट करने का अपने आपमें कोई बहाना न बचे।

हमने शूगर के इंटरेस्ट में एक कदम और उठाया है कि बाहर से जो चीनी आने का स्कोप है, उसे पूरी तरह बंद कर दिया जाए। उसके ऊपर हमने कस्टम ड्यूटी और बढ़ा दी है। मैं इसके आतिरिक्त मैं एक और आश्वासन दे दूं कि यह अंतिम कदम नहीं है, गन्ना उद्योग अपने आपमें एक चिंता का विषय है। जैसा खड़गे जी ने कहा कि सारी एचीवमेंट्स पिछले 60 साल में हुईं और हमें लाभ मिल रहा है, तो यह समस्या भी 60 साल में पैदा हुई है, जिसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है।

[अनुवाद]

केरल के एक माननीय सदस्य ने अनिवासी भारतीयों पर सेवा कर के बारे में उल्लेख किया है। सबसे पहले, मैं एक तथ्य को स्पष्ट कर दूं कि नरी धन-प्रेषण पर कोई सेवा कर नहीं है। केवल मध्यस्थों पर एक सेवा कर है, जो उस धन-प्रेषण को सुविधाजनक बनाते हैं। दोनों में अंतर है।

फिर आपने कहा कि छोटे-छोटे गरीब लॉटरी बेचने वाले हैं, उन पर सर्विस टैक्स माफ कर दीजिए। सेवा कर की प्रारंभिक सीमा 10 लाख रुपये का कारोबार है। तो जो बड़े पैमाने का डीलर है, उसे देना पड़ता है और जो छोटा है, जैसा आपने कहा कि डिसेबल्ड हैं, छोटा-छोटा काम करते हैं।

इसलिए, शुरुआत के लिए प्रारंभिक सीमा 10 लाख रुपये है। इसलिए आपके मन में जिन लोगों की चिंता है, वे कम श्रेणी में हैं और ऐसी कोई कठिनाई नहीं है।

श्री पी. करूणाकरन: जहां तक सरकारी लॉटरी का संबंध है, कोई बड़े डीलर नहीं हैं।

श्री अरुन जेटली : यदि उनकी सीमा 10 लाख रुपये से कम है तो सेवा कर की कोई समस्या नहीं है। अगर कोई बड़ा डीलर नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। … (*व्यवधान*)

एक मुद्दा एफ.आई.आई के मैट से संबंधित है। इसे बार-बार उठाया गया है और मैं इसे फिर से स्पष्ट कर दूं। मैंने आज जो घोषणा की है और जो समस्या लंबित है, वह दो अलग-अलग समस्याएं हैं। न्यायिक प्राधिकार के दो दृष्टिकोणों से एक समस्या उत्पन्न हो रही है, कि क्या एफ.आई.आई. एम.ए.टी. के लिए उत्तरदायी हैं या नहीं।

1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी, मैंने इसे दूर कर दिया है। एक विरासत का मुद्दा है। उन परस्पर विरोधी राय के कारण यह मुद्दा अब सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। कल बात हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वे ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई की कुछ तारीख तय करेंगे। इसलिए, यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे मैंने आज घोषित किया है या मैंने वैसे भी हस्तक्षेप किया है।

मैंने केवल प्रतिभूतियों, ब्याज, रॉयल्टी या शुल्क या 18.5 प्रतिशत से कम दर पर कर के लिए प्रभार्य तकनीकी सेवाओं में लेनदेन से उत्पन्न पूंजीगत लाभ के संबंध में स्पष्ट किया है कि ये किसी भी चटाई के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। लंबित विवाद कुछ अलग है।

आपने सहकारी बैंकों का मुद्दा उठाया था। मैं निश्चित रूप से उस मुद्दे पर ध्यान दूंगा क्योंकि हम वर्ष के दौरान आगे बढ़ते हैं।

यहां तक कि उस मुद्दे के संबंध में भी, जो आपने पैन कार्ड के संबंध में उठाया था, लोगों के पास बैंक खाते आदि नहीं थे, मेरे पास अभ्यावेदन आए हैं। हमारा प्रयास है, जैसा कि मैंने समझाया, विदेशी काले धन और घरेलू काले धन दोनों की मात्रा को निचोड़ने के लिए। हमें लोगों को इसका उपयोग करने से हतोत्साहित करना होगा। ऐसे कई कदम हैं जिनकी हम घोषणा कर रहे हैं। अब इसे चरणबद्ध तरीके से करना होगा। यह रातोंरात नहीं हो सकता। मैं आपके सहित उन सभी सुझावों को ध्यान में रखूंगा, लेकिन हम यह स्पष्ट कर दें कि जब ये कदम उठाए जाते हैं, तो कम-से-कम राजनीतिक व्यवस्था को एक स्वर में बोलना चाहिए क्योंकि जैसे-जैसे हम अधिक लोगों को कर के दायरे में लाते हैं और काला धन प्रणाली का हिस्सा बन जाता है, जी.डी.पी. में सुधार होता है और कर संग्रह में सुधार होता है। यह मुझे कर की दरों को कम करने में सक्षम बनाता है, अगर यह पैसा प्रणाली के भीतर आता है। इसलिए, आपने एक लाख रुपये के संबंध में जो कुछ मुद्दे उठाए हैं, उनसे नियमों में निपटा जाना है। आपने जो सुझाव दिया है, मैं निश्चित रूप से उसे ध्यान में रखूंगा।

आपने विदेशी निवेश आदि के संबंध में भी मुद्दा उठाया। मैंने इसे शुरू में स्पष्ट किया है। इस देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि वह किसी भी प्रकार का विदेशी निवेश नहीं चाहता है। वास्तव में, आपके राज्य सहित हर राज्य एक प्रयास कर रहा है। आपके पास एक बहुत ही सफल वैश्विक निवेशक सम्मेलन था और मुझे उम्मीद है कि आपके राज्य को अधिक निवेश मिलेगा। यदि आपकी जी.डी.पी. बढ़ती है, तो राष्ट्रीय जी.डी.पी. बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है और गरीबी का स्तर कम हो जाता है। इसलिए, हमें देश में संसाधन की अतिरिक्तता प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति से नाराज नहीं होना चाहिए।

आपने कहा कि हमें मध्यम वर्ग को राहत देनी चाहिए। पिछले वर्ष के पिछले 11 महीनों में पिछले दो बजटों में और इस वर्ष, हमने पिछले वर्ष छूट सीमा में वृद्धि की। काश मेरे पास इस साल इसे बढ़ाने के लिए अपनी जेब में पर्याप्त पैसा होता। भविष्य में, अगर मेरे पास यह है, तो मैं निश्चित रूप से इसके बारे में सोचूंगा। परंतु दोनों वर्षों में अभूतपूर्व प्रकार की छूटें इसलिए दी गई हैं क्योंकि हमारी सरकार की यह नीति है कि भारतीय मध्यम वर्ग का आकार भी मजबूत किया जाए। इस तरह भारत की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इसलिए, लोगों को अधिक बचत करने

के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और अपनी जेब में अधिक पैसा होना चाहिए ताकि वे अधिक खर्च कर सकें। इसलिए, उन्हें छूट देना हमारी संरचित नीति का एक हिस्सा है। इस तथ्य को लेकर कोई कठिनाई नहीं है।

जहां तक श्री महताब का प्रश्न खनन राज्यों और जीएसटी के संबंध में है, एक बार जीएसटी संशोधन पारित हो जाने और कानून लागू हो जाने के बाद, आपको एहसास होगा कि इसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि भारत एक निर्बाध बाज़ार बन जाएगा। कुछ राज्यों को बहुत लाभ होने वाला है। अन्य राज्यों को थोड़ी देर बाद लाभ होगा। कोई भी राज्य नहीं खोएगा। यदि किसी को एक पैसा खो देता है, तो हम मुआवजा देंगे।

क्वांटम के संबंध में निर्णय और कितना शुल्क लिया जाना है, यह जी.एस.टी. काउंसिल द्वारा लिया जाएगा। आपने पूछाः आप इसे पहली बार कैसे करेंगे? फिर, मैं प्राधिकरण नहीं बनूंगा। यह एक ऐसा सवाल है जिसे आपने पिछले दिन उठाया था।

श्री भर्तृहरि महताब: आप सभापति हैं।

श्री अरुण जेटली: मैं परिषद का अध्यक्ष बनूंगा, लेकिन निर्णय तीन-चौथाई बहुमत से लिया जाएगा, जिसमें मेरे पास केवल 33 प्रतिशत वोट हैं। मेरे पास केवल एक तिहाई वोट हैं। छियासठ प्रतिशत वोट राज्यों के पास हैं। इसलिए, राज्यों और केंद्र को उस 75 प्रतिशत के आंकड़े पर पहुंचने के लिए एक साथ बैठने के लिए मजबूर किया जाएगा ताकि वे निर्णय लेने में सक्षम हों, ताकि कर की एक समान राशि उपलब्ध हो और उम्मीद है कि हर राज्य का कर बढ़ जाएगा।

इन्हीं कुछ स्पष्टीकरणों के साथ, महोदया, मैं एक बार फिर इस विधेयक की सराहना करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगा।

खंड 2 आयकर

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 धारा 2 का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 6, पंक्ति 8 *के पश्चात, अंत:स्थापित किया जाए*--

(*खक*) खंड (*24*) में, उपखंड (*17*) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

" (*18*) सब्सिडी या अनुदान या नकद प्रोत्साहन या शुल्क की कमी या छूट या छूट या रियायत या प्रतिपूर्ति के रूप में सहायता (जो भी नाम से जाना जाता है) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी प्राधिकरण या निकाय या एजेंसी द्वारा निर्धारिती को सब्सिडी या अनुदान या प्रतिपूर्ति के अलावा नकद या प्रकार में सहायता जो धारा 43 के खंड (*1*) के *स्पष्टीकरण* 10 के प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्ति की वास्तविक लागत के निर्धारण के लिए हिसाब में ली जाती है;"; (1)

पृष्ठ 6, लाइन 11 से 16 के लिए, *प्रतिस्थापित करें* -

'(*घ*) खंड (*42क*) में, *स्पष्टीकरण* 1 में, खंड (*i*) में, उप-खंड (*ज ग*) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड डाले जाएंगे, अर्थात्:

"(*ज घ*) किसी पूंजी आस्ति की दशा में, एक इकाई या इकाइयां होने के नाते, जो धारा 47 के खंड (*18*) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफल में निर्धारिती की संपत्ति बन जाती है, उस अवधि को शामिल किया जाएगा जिसके लिए म्यूचुअल फंड की समेकित योजना में इकाई या इकाइयां निर्धारिती द्वारा धारित थीं;

(*ज ङ*) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो किसी कंपनी का शेयर या शेयर है, जिसे अनिवासी निर्धारिती द्वारा ऐसे निर्धारिती द्वारा धारित धारा 115क ग की उपधारा (*1*) के खंड (*ख*) में निर्दिष्ट वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियों के मोचन पर अर्जित किया जाता है, उस तारीख से अवधि की गणना की जाएगी जिस दिन ऐसे मोचन के लिए अनुरोध किया गया था; '. (2)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 3, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 धारा 6 का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 6, पंक्ति 28 में, "किसी भी समय" शब्दों का प्रयोग करें। (3)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 4, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 नई धारा 9ए का सम्मिलन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 8, पंक्ति 37 के *बाद*, *डालें*--

“परन्तु खंड (ङ),(च) और (छ) में विनिर्दिष्ट शर्तें सरकार या किसी विदेशी राज्य के केंद्रीय बैंक या किसी संप्रभु निधि या ऐसे अन्य निधि द्वारा स्थापित निवेश निधि के मामले में लागू नहीं होंगी, जैसा कि केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यदि कोई हो, शर्तों के अधीन हो सकती है, तो इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें। (4)

पृष्ठ 9, *के पश्चात* पंक्ति 5, *अंत:स्थापित किया जाए*--

" (*7क*) इस धारा के उपबंध ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार और ऐसी रीति से लागू किए जाएंगे जो बोर्ड इस निमित्त विहित कर सकता है। ”. (5)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“वह खंड 6, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 धारा 10 का संशोधन

संशोधन किए गए:

वर्ष 1956 का 42

पृष्ठ 9, पंक्तियों 38 और 39, *में* "भारत की प्रतिभूतियों और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992", *के बाद प्रतिस्थापित करें* "और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956" के बाद। (6)

वर्ष 1956 का 42

पृष्ठ 9, पंक्तियों 41 और 42, *में* "भारत अधिनियम, 1992 की प्रतिभूतियों और विनिमय बोर्ड", *के बाद प्रतिस्थापित करें* " और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के बाद। (7)

पृष्ठ 10, रेखाओं के लिए 1 और 2, *प्रतिस्थापित करें* -

"(*ख*) ऐसे मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम में शेयरधारक होने के नाते या कोर सेटलमेंट गारंटी निधि में योगदानकर्ता होने के नाते कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज; और

(*ग*) कोर सेटलमेंट गारंटी निधि में योगदान करने वाला कोई भी समाशोधन सदस्य;" (8)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“वह खंड 7, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 10 धारा 32 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती कविता कलवकुंतला, क्या आप संशोधन संख्या 45 पेश कर रही हैं?

श्रीमती कविता कलवकुंतला (निजामाबाद): जी हां, महोदया।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

“पृष्ठ 11, लाइन 25, --

"1 अप्रैल, 2020" के लिए

"अप्रैल, 2025 का पहला दिन" प्रतिस्थापित करें। (45)

माननीय अध्यक्ष: मैं श्रीमती कविता कलवकुंतला द्वारा प्रस्तुत खंड 10 के संशोधन संख्या 45 को सदन में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

… (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब: लेकिन, महोदया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है।

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 11, पंक्ति 22 और 23 में, "आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य में" के स्थान पर "आंध्र प्रदेश राज्य या बिहार राज्य या तेलंगाना राज्य या पश्चिम बंगाल राज्य में" प्रतिस्थापित किया जाएगा। (9)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 10, यथा संशोधित, विधेयक का हिस्सा बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 नई धारा 32 विज्ञापन का समावेश

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 11, पंक्ति 32 में, "आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य में" के स्थान पर "आंध्र प्रदेश राज्य या बिहार राज्य या तेलंगाना राज्य या पश्चिम बंगाल राज्य में" प्रतिस्थापित किया जाएगा। (10)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप धारा 11 में संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्रीमती कविता कलवकुंतला: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"पृष्ठ 11, पंक्ति 35, -

"पंद्रह प्रतिशत" के लिए।

"पैंतीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित करें। " (46)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्रीमती कविता कलवकुंतला द्वारा प्रस्तुत खंड 11 के संशोधन संख्या 46 को सदन में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 11, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (1) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लोक सभा में प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के नियमों के नियम 80 के खंड (1) को जहां तक यह अपेक्षित है, निलंबित करती है कि एक संशोधन विधेयक के दायरे में होगा और उस खंड के विषय-वस्तु से सुसंगत होगा जिससे वह संबंधित है, सरकारी संशोधन सं. 11[11] वित्त विधेयक, 2015 में और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। "

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 80 के खंड (1) को जहां तक यह अपेक्षित है, निलंबित करती है कि एक संशोधन विधेयक के दायरे में होगा और

---

[11]*संशोधन सूची सं. 29.04.2015 को 1 प्रसारित किया गया।

उस खंड के विषय-वस्तु से सुसंगत होगा जिससे वह संबंधित है, वित्त विधेयक, 2015 में सरकारी संशोधन संख्या 11* को अपने आवेदन में और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 12क

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 12, पंक्ति 16 *के पश्चात*, *अंत:स्थापित किया जाए*--

धारा 36 का संशोधन।

‘12क. आयकर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (*1*) में, 1 अप्रैल, 2016 से,—

(*क*) खंड (*3*) में, परंतुक में, "मौजूदा व्यवसाय या व्यवसाय के विस्तार के लिए" शब्दों को छोड़ दिया जाएगा;

(*ख*) खंड (*7*) में, परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि जहां धारा 145 की उपधारा (*2*) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटीकरण मानकों के आधार पर ऐसे ऋण या उसके भाग की रकम को उस पूर्ववर्ष के निर्धारिती की आय की संगणना करने में ध्यान में

रखा गया है, जिसमें ऐसे ऋण या उसके भाग की रकम अपवर्तनीय हो जाती है और यह समझा जाएगा कि ऐसा ऋण या उसका भाग इस खंड के प्रयोजनों के लिए लेखाओं में अपवर्तनीय के रूप में लिखा गया है।;

(*ग*) खंड (*16*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(*17*) गन्ने की खरीद के लिए चीनी के निर्माण के व्यवसाय में लगे एक सहकारी समिति द्वारा किए गए व्यय की राशि जो सरकार द्वारा निर्धारित या अनुमोदित मूल्य के बराबर या उससे कम है। ". '.

(11)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

‘‘कि नया खंड 12क विधेयक में जोड़ दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 12क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 **धारा 49 का संशोधन**

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 13, पंक्ति 10 *के पश्चात*, *अंत:स्थापित किया जाए*--

उपधारा (*2क ख*) के बाद '(*झ क*)', निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

'(*2क ख ख*) जहां पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी का शेयर या शेयर है, किसी अनिवासी निर्धारिती द्वारा धारा 115क ग की उप-धारा (*1*) के खंड (*ख*) में निर्दिष्ट वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियों के मोचन पर अर्जित की जाती है, वहां ऐसे निर्धारिती द्वारा धारित, शेयर या शेयरों के अर्जन की लागत उस तारीख को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर प्रचलित ऐसे शेयर या शेयरों की कीमत होगी जिस पर ऐसे मोचन का अनुरोध किया गया था।

स्पष्टीकरण. इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "मान्यता प्राप्त स्टॉक विनिमय" का वही अर्थ होगा जो धारा 43 की उपधारा (5) के *स्पष्टीकरण 1* के खंड (2) में उसका है। ";'. (12)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 14, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 और 16 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 17 धारा 80 ग ग घ का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 13, पंक्ति 30, *में* "उप-धारा (1) के तहत अनुज्ञात कटौती के अलावा", *विकल्प* "उप-धारा (1) के तहत कोई कटौती अनुज्ञात है या नहीं"। (13)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 17, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18 धारा 80 घ का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 13, पंक्ति 43 के लिए, प्रतिस्थापित -

'(क) 'पंद्रह हज़ार रुपये' शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी हों, 'पच्चीस हज़ार रुपये' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(क) "बीस हज़ार रुपये" शब्दों के स्थान पर, जहां भी वे होते हैं, "तीस हज़ार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ककक) उपधारा (2) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— (14)

पृष्ठ 14, लोप किया जाए पंक्ति 26 से 29। (15)

(श्री अरुण जेटली)

श्रीमती कविता कलवकुंतला: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं:

" पृष्ठ 13, लाइन 45 और 46, -

"कुल मिलाकर तीस हज़ार रुपये"

"निर्धारिती या उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए प्रत्येक पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित करें। " (47)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्रीमती कविता कलवकुंतला द्वारा प्रस्तुत खंड 18 के संशोधन संख्या 47 को सदन में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 18, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19 से 28 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 29 धारा 115 जेबी का संशोधन

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय धारा 29 में संशोधन संख्या 16, 17, 18 और 19 पेश करेंगे।

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 16, - पंक्तियों 33 से 37, *से प्रतिस्थापित करें* — 29

'(एफ बी) किसी करदाता को, जो विदेशी कंपनी है, निम्नलिखित से, प्रोद्भूत या उत्पन्न होने वाली आय से संबंधित व्यय की राशि या राशियाँ,–
–

(क) प्रतिभूतियों में संव्यवहार से उत्पन्न पूँजी अभिलाभ; या

(ख) अध्याय 12 में निर्दिष्ट दर या दरों पर कर के लिए प्रभार्य तकनीकी सेवाओं के लिए ब्याज, रॉयल्टी या शुल्क,

यदि इस अध्याय के उपबंधों से भिन्न इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस पर संदेय आय-कर उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर से कम दर पर है; या

(*च ग*) किसी पूँजी आस्ति के अंतरण पर कल्पित हानि का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि, जो धारा 47 के खंड (*17*) में निर्दिष्ट उस न्यास द्वारा आबंटित इकाइयों के बदले किसी कारबार न्यास को विशेष प्रयोजन वाहन का हिस्सा है या उक्त इकाइयों की रकम ले जाने में किसी परिवर्तन से होने वाले कल्पित हानि का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि या धारा 47 के खंड (*17*) में निर्दिष्ट इकाइयों के अंतरण पर हानि की राशि है; या;

(*कक*) खंड (*ज*) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(*ट*) धारा 47 के खंड (*17*) में निर्दिष्ट इकाइयों के हस्तांतरण पर लाभ की राशि, उक्त खंड में निर्दिष्ट इकाइयों के साथ विनिमय किए गए शेयरों की लागत या विनिमय के समय शेयरों की वहन राशि को ध्यान में रखते हुए संगणित की जाती है, जहां ऐसे शेयरों को लाभ या हानि खाते के माध्यम से लागत के अलावा अन्य मूल्य पर ले जाया जाता है, जैसा भी मामला हो;"; (16)

पृष्ठ 16, *के लिये* पंक्तियाँ 42 से 47, *प्रतिस्थापित करें* -

"(*झ झ घ*) एक निर्धारिती को अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय की राशि, जो एक विदेशी कंपनी है, से, ______

(*क*) प्रतिभूतियों में लेनदेन पर उत्पन्न पूँजी अभिलाभ; या

(*ख*) अध्याय 12 में निर्दिष्ट दर या दरों पर कर के लिए प्रभार्य तकनीकी सेवाओं के लिए ब्याज, रॉयल्टी या शुल्क,

यदि ऐसी आय लाभ और हानि खाते में जमा की जाती है और इस अध्याय के प्रावधानों के अलावा, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उस पर देय आय-कर, उप-धारा (*1*) में निर्दिष्ट दर से कम दर पर है; या

(*झ झ ङ*) प्रतिनिधित्व करने वाली राशि,

(*क*) धारा 47 के खंड (*17*) में निर्दिष्ट उस न्यास द्वारा आबंटित इकाइयों के विनिमय में किसी कारबार न्यास को एक विशेष प्रयोजन वाहन का हिस्सा होने के नाते, किसी पूँजी परिसंपत्ति के अंतरण पर कल्पित लाभ; या

(*ख*) कथित इकाइयों को ले जाने की राशि में किसी भी परिवर्तन के परिणामस्वरूप कल्पित लाभ; या

(*ग*) धारा 47 के खंड (*17*) में निर्दिष्ट इकाइयों के हस्तांतरण पर लाभ,

यदि कोई हो, लाभ और हानि खाते में जमा किया गया हो; या

(*झ झ च*) धारा 47 के खंड (*17*) में निर्दिष्ट इकाइयों के हस्तांतरण पर हानि की राशि, उक्त खंड में निर्दिष्ट इकाइयों के साथ विनिमय किए गए शेयरों की लागत या विनिमय के समय शेयरों की वहन राशि को ध्यान में रखते हुए संगणित की गई है, जहां ऐसे शेयरों को लाभ या हानि खाते के माध्यम से लागत के अलावा अन्य मूल्य पर ले जाया जाता है, जैसा भी मामला हो; (17)

पृष्ठ 16, पंक्तियों 49 से 51 के लिए, प्रतिस्थापित करें

1956 का अध्यादेश संख्यांक 42.	' स्पष्टीकरण 4.- उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिभूतियों" पद का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उसे सौंपा गया है। '. (18)

19. पृष्ठ 17, *लोप किया जाए* पंक्ति 1 और 2। (19)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 29, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30 से 33 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 34 धारा 139 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी खंड 34 में संशोधन संख्या 20 और 21 पेश करेंगे।

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 18, पंक्ति 21, *प्रतिस्थापित करें* -

'(*i*). उपधारा (*1*),

(*क*) चौथे परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"परन्तु यह भी कि कोई व्यक्ति, जो धारा 6 के खंड (*6*) के अर्थ के भीतर भारत में साधारणतया निवासी नहीं है, के अलावा अन्य निवासी है, जिसे इस उपधारा के तहत विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय,

(*क*) भारत के बाहर स्थित किसी भी संपत्ति (किसी भी संस्था में किसी भी वित्तीय हित सहित) या भारत के बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी है; या

(*ख*) भारत के बाहर स्थित किसी भी संपत्ति (किसी भी संस्था में किसी भी वित्तीय हित सहित) का लाभार्थी है,

नियत तारीख को या उससे पूर्व, ऐसे प्ररूप में पूर्ववर्ष के लिए उसकी आय या हानि की बाबत विवरणी और ऐसी रीति से सत्यापित और ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जाएं, विवरणी प्रस्तुत करेगा:

उपबंध यह भी कि चौथे परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जो भारत के बाहर स्थित किसी आस्ति (किसी संस्था में किसी वित्तीय हित सहित) का लाभार्थी है, जहां ऐसी आस्ति

से उद्भूत आय, यदि कोई हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस परंतुक के खंड (*क*) में निर्दिष्ट व्यक्ति की आय में अवधारित है:";

(*ख*) *स्पष्टीकरण* 3 के बाद, निम्नलिखित *स्पष्टीकरण* अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

'स्पष्टीकरण 4. किसी आस्ति के संबंध में इस धारा के "लाभकारी स्वामी" के प्रयोजनों के लिए ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अपने या किसी अन्य व्यक्ति के तत्काल या भविष्य

के लाभ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आस्ति के लिए प्रतिफल प्रदान किया है।

स्पष्टीकरण 5. किसी परिसंपत्ति के संबंध में इस धारा के प्रयोजनों के लिए "लाभार्थी" का अर्थ है एक व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान परिसंपत्ति से लाभ प्राप्त करता है और ऐसी परिसंपत्ति के लिए प्रतिफल ऐसे लाभार्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया है। ';

(*झ क*) उपधारा (*4ग*), खंड (ङ), में। (20)

पृष्ठ 18, पंक्ति 31 के बाद, प्रविष्ट करें-

'(3). उपधारा (6) में, "निर्धारित प्रकृति की संपत्ति, मूल्य और उससे संबंधित" शब्दों के स्थान पर, "निर्धारित प्रकृति और मूल्य की संपत्ति, जिसे उसके द्वारा एक लाभकारी मालिक के रूप में धारित किया गया है या अन्यथा या जिसमें वह लाभार्थी है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। '. (21)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 34, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 34 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 35 से 55 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 56 धारा 234 ख का संशोधन

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी खंड 56 में संशोधन संख्या 22 पेश करेंगे।

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 23, पंक्ति 26, *प्रवेश* - के पश्चात्

'(*ग*) जहां, धारा 245घ की उप-धारा (*6ख*) के तहत एक आदेश के परिणामस्वरूप, वह राशि जिस पर खंड (*ख*) के तहत ब्याज देय था, यथास्थिति, बढ़ा दी गई है या घटा दी गई है, ब्याज तदनुसार बढ़ाया या घटा दिया जाएगा। ";'.(22)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 56, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 56 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 57 से 61 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

नियम 80 (1) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री अरुण जेटली: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 80 के खंड (1) को जहां तक यह अपेक्षित है, निलंबित करती है कि एक संशोधन विधेयक के दायरे में होगा और उस खंड के विषय-वस्तु से सुसंगत होगा जिससे वह संबंधित है, वित्त विधेयक, 2015 के

सरकारी संशोधन संख्या 43 को अपने आवेदन में और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 80 के खंड (1) को जहां तक यह अपेक्षित है, निलंबित करती है कि एक संशोधन विधेयक के दायरे में होगा और

उस खंड के विषय-वस्तु से सुसंगत होगा जिससे वह संबंधित है, वित्त विधेयक, 2015 के सरकारी संशोधन संख्या 43 को अपने आवेदन में और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 61अ

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 24, पंक्ति 50 के *बाद*, *सम्मिलित करें*--

धारा 245-ड़ का संशोधन। ‘61A. आय-कर अधिनियम की धारा 245-ओ में, उप-धारा (*3*), खंड (ड) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

" (*घ*) भारतीय कानूनी सेवा से एक कानून सदस्य, जो भारत सरकार का एक अतिरिक्त सचिव है, या होने के लिए योग्य है। ”. ’. (24)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि नया खंड 61क विधेयक में जोड़ दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 61क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 62 से 104 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 105 धारा 65ख का संशोधन

माननीय अध्यक्ष: श्री पी. करुणाकरन, क्या आप खंड 105 में संशोधन संख्या 48 और 49 पेश कर रहे हैं?

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 34, पंक्ति 7, --

के बाद "एक व्यक्ति का अर्थ है"

"व्यक्तियों का समूह, अटल, निगमित निकाय, धर्मार्थ संस्था, आदि" दर्ज करें। (48)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री पी. करुणाकरन द्वारा प्रस्तुत खंड 105 के संशोधन संख्या 48 और 49 को सदन में मतदान के लिए रखूंगी।

पृष्ठ 34, पंक्ति 21 और 22 को लोप (49)

किया जाए।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 105 विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 105 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 106 से 108 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

<u>सायं 06.00 बजे</u>

खंड 109 धारा 67 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष: श्री करुणाकरन, क्या आप अपना संशोधन संख्या .50 पेश कर रहे हैं?

श्री पी. करूणाकरन: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 35, *पंक्ति* 8 से 11 तक। (50)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री पी. करुणाकरन द्वारा प्रस्तुत खंड 109 के संशोधन संख्या 50 को सदन के मतदान के लिए रखती हूं।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

खंड 109 और 110 विधेयक में जोड़ दिये गये।

माननीय अध्यक्ष: अभी समय शाम 6 बजे है। यदि सभा की सहमति हो तो हम इस विधेयक के पारित होने तक बैठक बढ़ा देंगे।

अनेक माननीय सदस्य: हम सहमत हैं।

खंड 111 **धारा 76 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन**

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 35, पंक्ति 28, *के लिए* "जहां ऐसे सेवा कर", *"जहां सेवा कर"* प्रतिस्थापित करें। (24)

पृष्ठ 35, पंक्ति 29, "देय होगी" के बाद "और ऐसे सेवा कर और ब्याज के संबंध में कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा;" *सम्मिलित करें।* (25)

पृष्ठ 35, पंक्तियों 33 से 38 के लिए, *प्रतिस्थापित करें* -

"(2) जहां धारा 73 की उप-धारा (*2*) के तहत निर्धारित राशि से अधिक और उससे अधिक, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा शास्ति की राशि में वृद्धि की जाती है, वह समय जिसके भीतर घटी हुई शास्ति उप-धारा (*1*) के परंतुक के खंड (2) के तहत दंड की ऐसी बढ़ी हुई राशि के संबंध में आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय के आदेश की तारीख से गिना जाएगा, जैसा भी मामला हो। ". (26)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 111, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 111 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 112 **धारा 78 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन**

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 35, पंक्ति 46 के *पश्चात्* निम्नलिखित *सम्मिलित करें*—

"परन्तु उन मामलों के संबंध में जहां ऐसे संव्यवहार से संबंधित ब्यौरा 8 अप्रैल, 2011 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए विनिर्दिष्ट अभिलेख में अभिलिखित किए जाते हैं, उस तारीख तक जिसको वित्त विधेयक, 2015 को अध्यक्ष (दोनों दिन समावेशी) की सहमति प्राप्त होती है, दंड इस प्रकार अवधारित सेवा कर का पचास प्रतिशत होगा। (27)

पृष्ठ 35, पंक्ति 47, *के लिए* -

"परन्तु यह कि जहां ऐसा सेवा कर" के स्थान पर "परन्तु यह और कि जहां सेवा कर है" प्रतिस्थापित करें। (28)

पृष्ठ 35, पंक्ति 49, "ऐसी सेवा कर", *सम्मिलित करें* "और ऐसे सेवा कर, ब्याज और शास्ति के संबंध में कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा।" (29)

पृष्ठ 35, पंक्ति 53, *प्रतिस्थापित करें*-

"परन्तु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन कम शास्ति का लाभ उपलब्ध होगा। (30)

पृष्ठ 36, पंक्ति 1 के *पश्चात् सम्मिलित करें*—

"*स्पष्टीकरण*. --इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "निर्दिष्ट अभिलेख" से कम्प्यूटरीकृत डेटा सहित अभिलेख अभिप्रेत है जो किसी निर्धारिती द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है या जहां ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, वहां निर्धारिती द्वारा लेखा बहियों में अभिलिखित चालान विनिर्दिष्ट अभिलेख माने जाएंगे। ". (31)

पृष्ठ 36, पंक्तियों 2 से 7 के लिए, *प्रतिस्थापित करें* -

"(*2*) जहां आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (*2*) के तहत निर्धारित सेवा कर की राशि को धारा 73 में संशोधित करता है, तो उप-धारा (*1*) के तहत देय जुर्माने की राशि और धारा 75 के तहत उस पर देय ब्याज तदनुसार संशोधित किया जाएगा, और इस प्रकार

संशोधित सेवा कर की राशि को ध्यान में रखते हुए, वह व्यक्ति जो सेवा कर की ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, दंड और ब्याज की धनराशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) जहां सेवा कर या शास्ति की राशि आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा, यथास्थिति, धारा 73 की उप-धारा (*2*) के तहत निर्धारित धनराशि से अधिक और उससे अधिक बढ़ाई जाती है, उस समय जिसके भीतर ब्याज और घटी हुई शास्ति उप-धारा (*1*) के दूसरे परंतुक के खंड (2) के तहत सेवा कर की ऐसी बढ़ी हुई राशि के संबंध में भुगतान किया जाता है, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय के आदेश की तारीख से गिना जाएगा, जैसा भी मामला हो। ”. (32)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“वह खंड 112, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 112 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 113 नई धारा 78ख का सम्मिलन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 36, पंक्ति 19 से 23, *प्रतिस्थापित करें* –

"(*2*) ऐसे मामलों में जहां धारा 73 की उपधारा (*1*) या उसके परंतुक के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, परंतु वित्त विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से पूर्व धारा 73 की उपधारा (*2*) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, धारा 76 की उपधारा (*1*) के परंतुक के खंड (*1*) के अधीन सेवा कर और ब्याज के संदाय पर या धारा 78 की उपधारा (*1*) के दूसरे परंतुक के खंड (*1*) के अधीन सेवा कर, ब्याज और शास्ति के संदाय पर कार्यवाही बंद करने के प्रयोजनार्थ तीस दिन की अवधि की गणना वित्त विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से की जाएगी।"

(33)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 113, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 113 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 114 से 117 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 118 से 142

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 118 से 142 विधेयक का हिस्सा हैं।

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

खंड 118 से 142 विधेयक से हटा दिए गए थे।

खंड 143 से 153 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 154 से 157

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 154 से 157 विधेयक का हिस्सा हैं।"

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

खंड 154 से 157 विधेयक से हटा दिए गए थे।

खंड 158 1952 के अधिनियम 74 का प्रारंभ और संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 45, पंक्ति 3 के बाद, *प्रवेश करें*

"बशर्ते कि ऐसे मान्य स्टॉक विनिमय वस्तु व्युत्पन्न में क्रय, विक्रय या लेन-देन के कामकाज की सहायता करने, विनियमित करने या नियंत्रित करने की गतिविधियों के अलावा किसी अन्य गतिविधि को तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उक्त मान्य स्टॉक विनिमयों को भारत की प्रतिभूतियों और विनिमय बोर्ड द्वारा विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है:

बशर्ते कि वस्तु व्युत्पन्न ब्रोकर के रूप में वस्तु व्युत्पन्न में खरीदने या बेचने या अन्यथा काम करने वाला व्यक्ति, या ऐसे अन्य मध्यवर्ती जो वस्तु व्युत्पन्न बाजार से जुड़े हो, भारत की प्रतिभूतियों और विनिमय बोर्ड को अधिकारों और परिसंपत्तियों के हस्तांतरण और निहित होने से ठीक पहले, जिसके लिए ऐसे हस्तांतरण से पहले कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं था, ऐसे हस्तांतरण से तीन महीने की अवधि तक ऐसा करना जारी रख सकता है या, यदि उसने ऐसे आवेदन के निपटान तक तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। ". (34)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 158 यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 158 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 159 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 160 **1956 के अधिनियम 42 का प्रारंभ और संशोधन**

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 46, पंक्ति 28 *लोप करें*। (35)

पृष्ठ 46, *पंक्ति* 31 से 32 तक *लोप करें*। (36)

पृष्ठ 46, पंक्ति 40, के लिए "लेकिन इसमें प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं", *प्रतिस्थापित करें,* -

"लेकिन खंड (*क ग*) के उप-खंड (*क*), (*ख*) और (*ग*) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को शामिल नहीं किया गया है।" (37)

पृष्ठ 47, *पंक्ति* 5 से 11 तक। (38)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 160, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 160 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 161 धारा 18क का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 47, 21 से 23 पंक्तियों के लिए, *प्रतिस्थापित करें* -

प्रतिभूति संविदा अधिनियम की धारा 18क में,

(1) खंड (*ख*) में, "स्टॉक एक्सचेंज" शब्दों के स्थान पर, "स्टॉक एक्सचेंज; या" शब्द रखे जाएंगे;

(2) खंड (*ख*) के बाद, यथा संशोधित, और विस्तृत नाम के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

" (*ग*) ऐसे दलों के बीच और ऐसी शर्तों पर जैसे कि केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कर सकती है," (39)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“वह खंड 161, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 161 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 162 से 166 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

नियम 80 (1) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री अरुण जेटली : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि यह सभा लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के संचालन के नियमों के नियम 80 के खंड (1) को जहां तक यह अपेक्षित है, निलंबित करती है कि एक संशोधन विधेयक के दायरे में होगा और उस खंड के विषय-वस्तु से सुसंगत होगा जिससे वह संबंधित है, सरकारी संशोधन सं. 44 वित्त विधेयक, 2015 में और इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 80 के खंड (1) को जहां तक यह अपेक्षित है, निलंबित करती है कि एक संशोधन विधेयक के दायरे में होगा और उस खंड के विषय-वस्तु से सुसंगत होगा जिससे वह संबंधित है, वित्त विधेयक, 2015 में सरकारी संशोधन संख्या 44 को अपने आवेदन में और यह संशोधन पेश करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 166क

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 48, *के पश्चात* पंक्ति 27, *अंत:स्थापित किया जाए—*

166क. विदेशी मुद्रा अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (*1*) के बाद, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

"(*1क*) यदि किसी व्यक्ति ने भारत के बाहर स्थित किसी विदेशी मुद्रा, विदेशी सुरक्षा या अचल संपत्ति, धारा 37क की उप-धारा (*1*) के परंतुक के तहत निर्धारित सीमा से अधिक कुल मूल्य का अर्जित किया है, तो वह इस तरह के उल्लंघन और विदेशी मुद्रा, विदेशी सुरक्षा या अचल संपत्ति के भारत में स्थित मूल्य के समतुल्य मूल्य के जब्ती में शामिल राशि से तीन गुना तक जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

(*1ख*) यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, उपधारा (1क) के अधीन किसी कार्यवाही में ठीक समझे, तो वह लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, अभियोजन आरंभ करने की सिफारिश कर सकेगा और यदि प्रवर्तन निदेशक का समाधान हो जाता है, तो वह लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, सहायक निदेशक के पद से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक शिकायत दर्ज करके अभियोजन का निदेश दे सकेगा।

(*1ग*) यदि किसी व्यक्ति ने धारा 37क की उपधारा (*1*) के परंतुक के तहत निर्धारित सीमा से अधिक कुल मूल्य का भारत के बाहर स्थित कोई विदेशी मुद्रा, विदेशी सुरक्षा या अचल संपत्ति अर्जित की है, तो वह उपधारा (*1क*) के तहत लगाए गए दंड के अलावा होगा, जो पांच साल तक की अवधि के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(*1ड*) कोई भी न्यायालय धारा 13 की उपधारा (1ग) के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय इसके कि उपधारा (*1ख*) में निर्दिष्ट सहायक निदेशक के पद से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में शिकायत की गई हो। ". (40)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 166क विधेयक का अंग है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 166क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 167 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 168 धारा 18 का अंतःस्थापन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 48, *पंक्ति 49 के* बाद, *अंत:स्थापित करें*-

"*(4)* समतुल्य परिसंपत्ति की जब्ती की पुष्टि करने वाले सक्षम प्राधिकारी का आदेश न्यायनिर्णयन कार्यवाही के निपटान तक जारी रहेगा और उसके बाद, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (1) के तहत की गई जब्ती के संबंध में आगे की कार्रवाई के संबंध में निर्णय आदेश में उचित निर्देश पारित करेगा:

यदि, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही के किसी भी चरण में, पीड़ित व्यक्ति ऐसे विदेशी मुद्रा, विदेशी सुरक्षा या अचल संपत्ति के तथ्य का खुलासा करता है और उसे भारत में वापस लाता है, तो सक्षम प्राधिकारी या न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, पीड़ित व्यक्ति से इस संबंध में आवेदन प्राप्त करने पर, और प्रवर्तन निदेशालय के पीड़ित व्यक्ति और प्रतिनिधियों को सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद, उप-धारा *(1) के अधीन की गई जब्ती को अलग करने सहित, एक उपयुक्त आदेश पारित करेगा।*

(5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपील अधिकरण में अपील करना पसंद कर सकता है।

(6) धारा 15 में अंतर्विष्ट कोई भी बात इस धारा पर लागू नहीं होगी।

(41)

(श्री अरुण जेटली)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 168, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 168 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 169 से 183

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 169 से 183 विधेयक का हिस्सा हैं।

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

खंड 169 से 183 विधेयक से हटा दिए गए थे।

खंड 184 से 186

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 184 से 186 विधेयक का हिस्सा हैं।

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

खंड 184 से 186 विधेयक से हटा दिए गए थे।

खंड 187 से 188 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

उन्होंने कहा कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं अनुसूची विधेयक का हिस्सा है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पांचवीं अनुसूची की पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ी गई थी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विस्तृत नाम विधेयक में जोड़ा गया

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः मंत्री महोदय अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि संशोधित विधेयक पारित किया जाए।

श्री अरुण जेटली: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, विधेयक में 41 सरकारी संशोधनों को स्वीकार किया गया है, जिनमें तीन नये खंड भी शामिल हैं। साथ ही, 31 खंड अस्वीकृत हुए हैं। मैं इसलिए निर्देश देती हूं कि बाद के खंडों को तदनुसार फिर से संख्याबद्ध किया जा सकता है और परिणामी परिवर्तन, जो भी आवश्यक हो, किया जा सकता है।

सायं 06.12 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों का प्रतिवेदन देना है:-

(1) 'मुझे लोक सभा को सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य सभा ने बुधवार, 11 मार्च, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया:-

"कि यह सभा लोक सभा की सिफारिश पर सहमत है कि राज्य सभा 1 मई, 2015 से आरंभ होने वाली और 30वें अप्रैल, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक सभा के सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामित करने और अध्यक्ष द्वारा निदेशित रीति से, उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सदस्यों में से सात सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए आगे बढ़ें।

2 मैं लोक सभा को यह सूचित करने के लिए आगे हूं कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है:-

1. श्री नरेन्द्र बुडानिया
2. श्री एस. मुथुकरुप्पन
3. श्री प्रफुल्ल पटेल
4. श्री रंगसेयी रामकृष्ण
5. श्री सी.एम. रमेश
6. श्री तपन कुमार सेन

7. श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह

(2) 'मुझे लोक सभा को सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य सभा ने बुधवार, 11 मार्च, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया:-

"कि यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2015 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी दोनों सभाों की समिति में शामिल होती है और एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, उक्त समिति में सेवा करने के लिए सभा के सदस्यों में से दस सदस्य होते हैं।"

2 मैं लोक सभा को यह सूचित करने के लिए आगे हूं कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है:-

1. श्री रामदास अठावले
2. श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम
3. श्री डी. राजा
4. डॉ. विजयलक्ष्मी साधो
5. श्री नंद कुमार साय
6. श्री जेसुदासु सीलम
7. श्री वीर सिंह
8. श्रीमती वानसुक साइम

9. श्री एस. थंगावेलु

10. महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया

(3) 'मुझे लोक सभा को सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य सभा ने बुधवार, 11 मार्च, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया:-

"कि यह सभा लोक सभा की सिफारिश पर सहमत है कि राज्य सभा 1 मई, 2015 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक सभा के लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामित करने और अध्यक्ष द्वारा निदेशित रीति से, उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सदस्यों में से सात सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए आगे बढ़ेगी। ”

2. मैं लोक सभा को सूचित करना चाहता हूं कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है:-

1. श्री नरेश अग्रवाल
2. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी
3. श्री अनिल माधव दवे
4. श्री विजय गोयल
5. श्री भुबनेश्वर कालिता
6. श्री शांताराम नायक
7. श्री सुखेंदु शेखर राय

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : जिसकी लडकी मरी है, जरा उसका सोचो, आप थक गए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक-दूसरे पर कमेंट मत करो। आप अपनी बात अच्छे से उठाओ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए, वह बोल रहे हैं। जिनको जाना है, शांति से जाइए।

... (व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह : मैडम, ऐज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे हाउस की तरफ से कहना चाहूंगा कि आज हम बहुत दुख में हैं और उस परिवार के साथ आज इस दुख की घडी में हम सब खडे हैं। बहुत ही शर्मनाक हादसा पंजाब में हुआ है। पंजाब में कल शाम 6 और 7 के बीच आपका ध्यान उस घटना की तरफ लेकर जाना चाहता हूं कि जिसमें एक मां ने अपनी 13 साल की बेटी की इज्जत बचाने के लिए उसके साथ चलती बस से छलांग लगा दी। इस घटना में बेटी की मौत हो गई और मां गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मां का इलाज सिविल हॉस्पिटल, मोगा में हो रहा है।

मैडम, मैं एक बात क हकर सुझाव भी जरूर दूंगा। गविलंदेके की रहने वाली 38 साल की शिन्दर कौर, अपनी 13 साल की बेटी अर्शदीप कौर और 14 साल के बेटे आकाशदीप के साथ अपने मायके खुशी-खुशी मोगा कोटकपुरा बाई पास पर जा रहे थे, वह आर्बिट सर्विस, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर पी.बी. 10 सी -1813 है, उसमें चढ़ी। बस में सवार होते ही कुछ युवक, जो उस बस के ही हेल्पर थे, उन्होंने उनसे छेडछाड़ करनी शुरू की तो मां और भाई ने उस बस के कंडक्टर से पुकार की और हेल्प मांगी। कंडक्टर भी उस घटना में शामिल हो गया। मां ने जब ड्राइवर को बोला तो ड्राइवर भी बस रोकने या मदद करने की बजाए बस को और

तेज स्पीड से भगाने लगा। ऐसे में कोई रास्ता न देखते हुए मां ने अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए शोर मचाना शुरू किया और हेल्प मांगी। कंडक्टर के साथ हेल्पर और हॉकर थे, उन्होंने उनको धक्का दे कर नीचे फेका जिससे यह हादसा हुआ है, यह घटना 16 दिसम्बर, 2012 की रात हुई घटना, 'निर्भया' की याद दिलाता है।

मैं यह कहना भी नहीं चाहता और इसमें पॉलिटिक्स भी नहीं करना चाहता हूं, हमारे माननीय मैम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट एवं मिनिस्टर,जो पंजाब से चुन कर आयी हैं, वे यहां बैठी हैं, वह खुद एक बहुत बड़ी कैम्पेन "नन्हीं छांह " चलाती हैं। आज मीडिया में यह समाचार आ रहा था, यहां किसान की बात हो रही थी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह : कृपया मुझे बोलने से नहीं रोकिए। मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। उस समय यह अच्छा होता कि उनके जख्मों पर मरहम लगाई जाती न कि नमक छिड़का जाता। अगर वही मंत्री, क्योंकि पंजाब में एन.डी.ए. की गवर्नमेन्ट है...(व्यवधान) अगर वह आज आकर आपको बताते कि "ऑरबिट बस" वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बस है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इससे इसका कोई संबंध नहीं जोड़ना है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: ऐसी घटनाओं पर राजनीति मत कीजिए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसी बहुत घटनायें हैं, जिन पर पॉलिटिक्स करना है तो मैं उनके लिए अनुमति नहीं दूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गलती हुई है। ड्राइवर और कंडक्टर ने जो किया है, वह बहुत गलत बात है। आप विषय को कहां से कहां ले जाते हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है।

[हिन्दी] ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अगर आप इंक्वायरी की मांग करते हैं तो वह बात समझ में आती है। आप दूसरी बातें नहीं बोलिए।

श्री रवनीत सिंह : वहां की जो सरकार है, वह भी एन.डी.ए. की है और यहां भी एन.डी.[हिन्दी] ए. की सरकार है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि पार्लियामेन्ट कमेटी, जिसमें सभी पार्टी के मैम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट हों, वह वहां पर जाये और फैक्ट फाइडिंग करें। जब दिल्ली में ऐसा हादसा हुआ तो "उबेर कैब " की टैक्सी सर्विस को दिल्ली में बंद किया गया तो क्यों न पंजाब की "ऑरबिट बस " सर्विस को बंद किया जाये, जब तक उसके कंडक्टर और ड्राइवर के चरित्र की छानबीन न हो? ...(व्यवधान)

... [12]*इस बात को यहां बतायें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम नहीं लेना है। वह कुछ नहीं बोल रही हैं।

...(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह : इनके बस के ड्राइवर और कंडक्टर कौन थे?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया नाम निकाल दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह : यह बताते कि यह मेरी बस है। ...(व्यवधान) तो मैं मानता कि उन्होंने उनके जख्मों पर मरहम लगाया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री संतोख सिंह चौधरी को श्री रवनीत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अब आप कुछ नहीं बोलिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम नहीं जायेगा। आप केवल घटना की जांच की मांग करिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने नाम निकालने के लिए बोल दिया है। इस पर परस्पर कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है।

---

[12]*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने जहां तक जांच की मांग की है, वह बात ठीक है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इस पर किसी को कुछ बोलने की अनुमति नहीं दूंगी।

... (व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): अध्यक्ष महोदया, पंजाब में मोगा के पास एक शर्मनाक घटना हुयी है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इसी बात से एसोसिएट करिए। आपको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): अध्यक्ष महोदया, मै उसके बारे में डिटेल बताना चाहता हूं।...(व्यवधान) मैंने इसके लिए आपको नोटिस दिया था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक ही विषय के साथ एसोसिएट करना होता है, ऐसी पद्धति है।

... (व्यवधान)

श्री भगवंत मान: अध्यक्ष महोदया, मेरे पास और फैक्ट्स भी हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किस प्रकार के फैक्ट्स हैं?

... (व्यवधान)

श्री भगवंत मान: अध्यक्ष महोदया, आपने आश्वासन दिया था कि मुझे छः बजे के बाद बोलने का मौका दिया जायेगा।...(व्यवधान) मोगा के पास एक खतरनाक घटना हुयी है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उसकी जांच की मांग करिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दोबरा वही बात नहीं बोलिए। एक जैसे विषय के साथ एसोसिएट किया जाता है।

... (व्यवधान)

श्री भगवंत मान: अध्यक्ष महोदया, यह लोकतंत्र की हत्या है।...(व्यवधान) आप मुझे बोलने का मौका दीजिए।...(व्यवधान) मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखना चाहता हूं। ...(व्यवधान) मैंने आपको इसके लिए नोटिस दिया था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एसोसिएट कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका नोटिस नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उनके साथ एसोसिएट करिए।

... (व्यवधान)

श्री भगवंत मान: अध्यक्ष महोदया, मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

जितनी देर झगड़ा हुआ उतनी देर में मैं अपनी बात समाप्त कर लेता। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : झगड़ा इसलिए कि बोलना नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: अध्यक्ष महोदया, जो शर्मनाक घटना हुई है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उसकी जांच करें, ऐसा बोलिए।

... (व्यवधान)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल) : मैडम, मेरा नाम लिया गया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप सभी बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने बोला है कि कोई नाम नहीं लेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप राजनीति करना चाहते हैं या लड़की के साथ है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हमने ऐसी बातों पर राजनीति नहीं करने के लिए कहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको इन बातों से कोई सुख-दुःख नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक सेकेण्ड में बोलिए। आप जांच की मांग करिए और एसोसिएट करिए।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: अध्यक्ष महोदया, मैं 30 सेकेण्ड्स से ज्यादा नहीं बोलूंगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए।

श्री भगवंत मान: अध्यक्ष महोदया, एक शर्मनाक घटना हुई है, उसमें 13 साल की बच्ची की जान चली गयी है।...(व्यवधान) यह आरबिट ट्रेवेल की बस थी।...(व्यवधान) यह रोड टेररिज्म है। ...(व्यवधान) पंजाब में ऐसी घटनायें हर रोज होती हैं। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे मेरठ से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरठ में औद्योगिक इकाइयों ने बेतहाशा प्रदूषण फैलाने के साथ-साथ भूजल सम्पदा को भी तह तक सोख लिया है। ...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: अध्यक्ष महोदया, मुझे मेरी बात कहने दी जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं होता।

... (व्यवधान)

सायं 06.21 बज

इस समय श्री भगवंत मान और कुछ अन्य मनानीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: केन्द्र सरकार ने वर्ष 2012 में ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का गठन किया तथा लखनऊ में इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भी खोला गया। नियमत: किसी भी उद्योग को जल दोहन के लिए अथॉरिटी से अनुमति लेनी चाहिए किन्तु मेरठ की आधिकांश इकाइयों ने आवेदन तक नहीं किया। ...(व्यवधान) शासन हर वर्ष भूजल सप्ताह मनाता है तथा भूजल दोहन पर रिपोर्ट तैयार कर जल भंडार बचाने के लिए गाइडलाइन जारी करता है। किन्तु तीन वर्ष से ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को अनसुना किया जा रहा है। ...(व्यवधान) क्षेत्रीय प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड के नोटिस के बावजूद सिर्फ दर्जन भर इकाइयों में वर्षा जल संरक्षण पर कार्य हुआ। बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मेरठ में 77 इकाइयों में से एक ने भी ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से भूजल दोहन की अनुमति नहीं ली। इन 77 इकाइयों में से बड़ी 31 औद्योगिक इकाइयां ही रोजाना करीब 95 हजार किलोलीटर भूगर्भ जल सोख लेती हैं जबकि इसके सापेक्ष 42 हजार किलोलीटर पानी जिसमें तमाम विषाक्त तत्व होते हैं, काली नदी में गिरा दिया जाता है। परिणामस्वरूप मेरठ में पेयजल 40 मीटर गहराई तक खिसक गया है तथा काली नदी देश की सवारधिक प्रदूषित नदियों में शामिल हो गई है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि आनियंत्रित भूजल दोहन को रोका जाए, प्रदूषित पानी को आनिवार्यत: शोधित करके ही नदी में डाला जाए तथा वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर - उपस्थित नहीं।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, पूरे हिन्दुस्तान में बुंदेलखंड के किसानों की स्थिति सबसे भयावह है। उत्तर प्रदेश सरकार वहां बिल्कुल निरंकुशता से काम कर रही है। संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं बची है। पूरे उत्तर प्रदेश विशेष रूप से बुंदेलखंड में वहां का राजस्व, विद्युत और बैंक, इन तीनों की मिलीभगत से किसानों का शोषण हो रहा है। वहां ट्यूबवैल की बिजली का दोगुना रेट लिया जा रहा है। घरेलू

बिजली का रेट भी सिर्फ बुंदेलखंड के सात जनपदों में पूरे उत्तर प्रदेश से ज्यादा लिया जा रहा है। यह स्थिति है कि किसानों को जो मुआवजा दिया जाना है, उसमें राजस्व विभाग के कर्मचारी सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। हमारा बुंदेलखंड बहुत दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा है। कई डकैतों ने जब आत्मसमर्पण किया तो उसके बाद बोला कि अगर हमारे क्षेत्र का लेखपाल ठीक होता तो शायद यहां आधे से ज्यादा लोग डकैत नहीं बनते। मेरा इस सदन के माध्यम से विशेष निवेदन है कि वहां की सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर सख्ती से कार्यवाही की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकांत दुबे और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को कुंवर पुष्पेंन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

<u>सायं 06.24 बजे</u>

इस समय, श्री भगवंत मान अपनी सीट पर वापस चले गए।

श्री पी.आर. सुन्दरम (नामाक्कल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद।

खेती के बाद हथकरघा और मशीनकरघा बुनाई तमिलनाडु में दूसरी सबसे बड़ी लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करने की आर्थिक गतिविधि है।

<u>सायं 06.24 बजे</u> (डॉ. पी. वेणुगोपाल पीठासीन हुए)

तमिलनाडु में, हमारी प्रिय नेता पुरात्ची थलाइवी अम्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार, तमिल त्योहार पोंगल के दौरान जनता को हथकरघा और मशीनकरघा बुनकरों द्वारा बनाई गई अमूल्य एक करोड़ तिहत्तर लाख साड़ियाँ और एक करोड़ बहत्तर लाख धोतियाँ उपलब्ध करा रही हैं।

केंद्र सरकार ने 12 वीं योजना अवधि के दौरान विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से मशीनकरघा समूह विकास योजना बनाई। यह उद्यमियों को आधुनिक बुनियादी ढांचे, नवीनतम प्रौद्योगिकी और पर्याप्त प्रशिक्षण और उचित बाजार लिंकेज के साथ मानव संसाधन विकास इनपुट के साथ अपनी इकाइयां

स्थापित करने में सहायता करने के लिए था। जहां तक तमिलनाडु के नामाक्कल जिले का संबंध है, इसमें हथकरघा इकाइयों के साथ-साथ लगभग 1.4 लाख मशीनकरघा इकाइयां हैं जो एक बड़े वर्ग के लोगों को रोज़गार देती हैं।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से नामाक्कल जिले को शामिल करने और हथकरघा और मशीनकरघा केंद्र स्थापित करने और इस वर्ग के लोगों के आगे विकास के लिए इस तरह के उन्नत बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण बनाने का अनुरोध करना चाहता हूं ताकि बाज़ार संपर्क और निर्यात बढ़ सके। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत हथकरघा और मशीनकरघा क्षेत्र के बाज़ार आधार को मजबूत करने, आधुनिकीकरण और विस्तारित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान में वृद्धि की जाए। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री डी.के. सुरेश।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति : मैंने श्री डी.के. सुरेश को आवाज दी।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खरगे (गुलबर्गा): बेशक, श्री सरेश बोलेंगे। लेकिन श्री भगवंत मान उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, उस क्षेत्र से सदस्य हैं। कृपया उसे केवल दो मिनट की अनुमति दें। … (*व्यवधान*) यह जीरो ऑवर है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): खड़गे साहब, जीरो ऑवर में सेम विषय पर दो आदमी नहीं बोलते। ...(व्यवधान) यह परम्परा है। ...(व्यवधान) दो आदमी कभी भी एक विषय पर नहीं बोलते। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री डी.के. सुरेश (बंगलौर ग्रामीण): श्री सभापति महोदय, धन्यवाद। बैंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक शहर ने भारत को विश्व मानचित्र पर रखा है। इन्फोसिस, बायोकॉन, विप्रो, टीसीएस, बॉश, ओरेकल और अन्य शीर्ष कंपनियां अकेले इस क्षेत्र में 10 लाख से अधिक उज्ज्वल लोगों को रोजगार देती हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले कई लोग पूरे देश से हैं और कुछ दुनिया के अन्य हिस्सों से हैं। इलेक्ट्रॉनिक शहर के कर्मचारी विश्व स्तरीय सॉफ्टवेयर और सेवाएं प्रदान करते हैं। तथापि, यहां काम करने वाले लोगों को पेयजल, बिजली, सड़क, मलजल शोधन संयंत्रों और अन्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण परेशानी उठानी पड़ती है।

इलेक्ट्रॉनिक सिटी देश में निर्यात राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, विशेष रूप से आई.टी./बी.टी. क्षेत्र में। जो लोग यहां काम करते हैं, उनके लिए बेहतर आजीविका प्रदान करने के लिए हमें बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पेयजल, बेहतर सड़कें और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से सिलिकॉन शहर द्वारा उत्पन्न राजस्व से इलेक्ट्रॉनिक शहर और अनेकल तालुक के आसपास के विकास के लिए एक विशेष पैकेज आबंटित करने का आग्रह करता हूं। मैंने कई बार इन निधियों के लिए अनुरोध किया है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल के तहत आति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 65 मेरे चुरू लोक सभा क्षेत्र से गुजरता है, जो हरियाणा के अम्बाला से लेकर राजस्थान के पाली शहर तक जाता है। इस क्षेत्र का 35 किलोमीटर पार्ट, जो राजगढ़ से लेकर सिवानी के बीच में जाता है, उसमें काफी ब्लाइंड मोड हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स हैं और घुमावदार मोड़ हैं। वहां आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पिछले महीने भी सात लोगों की हत्याएं हुईं। मेरे क्षेत्र के लोकल विधायक के लड़के की भी एक्सीडैंट में बहुत दर्दनाक मौत हुई।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस मार्ग के सुधार, सौन्दर्यीकरण और शुद्धिकरण हेतु बजट का आबंटन करके घुमावदार मोड़ों को ठीक किया जाये। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री पी.पी. चौधरी को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उस संसदीय क्षेत्र से आती हूं, जहां हिन्दुस्तान की सेना में सबसे आधिक सैनिक हैं और जिसने भारत को बहुत बड़े-बड़े उद्योगपति दिये, जैसे बिड़ला, गोयनका, रूइया, पिरामल और झुंझुनुवाला। ये सब देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र झुंझुनूं को एनसीआर में सम्मिलित किया जाये, क्योंकि रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़ और अलवर, जो मेरे सीमावर्ती जिले हैं, वे एनसीआर में सम्मिलित हो चुके हैं और झुंझुनू वे सभी आहिर्ताएं रखता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि झुंझुनू को एनसीआर में सम्मिलित किया जाये। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एस. राजेन्द्रन **(विल्लुप्पुरम):** माननीय अध्यक्ष महोदय, शैक्षिक मांगों को प्रस्तुत करने का मुझे जो अवसर दिया गया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र, विल्लुपुरम, तमिलनाडु का सबसे बड़ा जिला है। यह भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। विलुप्पुरम जिले में 12 राजस्व तालुक, 22 पंचायत संघ, 1,490 राजस्व गांव शामिल हैं। जिले का

मुख्य व्यवसाय कृषि है। मक्कल मुदलवर पुराची थलाइवी अम्मा ने वर्ष 2009 में 'साक्षर भारत योजना' लागू की थी और अच्छी तरह से काम कर रही है। इसके अलावा, अम्मा तमिलनाडु को भारत में 100 प्रतिशत साक्षर राज्य बनाने के लिए अभिनव और कठोर कदम उठा रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं हैं।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और केंद्रीय स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षित करने की इच्छा रखने वाले जनता को अपने बच्चों को आस-पास के जिलों में अकेला छोड़ना पड़ा और इस तरह वे बहुत पीड़ित हैं। इस स्थिति में, मैं सरकार से केंद्रीय विद्यालय शुरू करने का आग्रह करता हूं ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण ईंट निर्माताओं की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं। यू.पी. में लगभग 18,000 ईंट भट्टे संचालित हैं जिसमें निर्बल वर्ग के श्रमिकों को रोजगार मिलता है और केन्द्र और राज्य की सरकारों को अच्छे राजस्व की प्राप्ति होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें माइन एंड मिनरल उत्खनन के पूर्व पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आनिवार्य किया गया था और इसमें ईंट-भट्टों का कहीं भी उल्लेख नहीं था। इस निर्णय के अनुपालन में केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भी गाइडलाइन्स जारी की गईं और इस आदेश के अनुपालन में बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए उत्तर प्रदेश माइन एंड मिनरल कंसैशन रूल्स, 1963 में 23 दिसम्बर 2012 को 35वां संशोधन करते हुए ईंट भट्टों को खनन संक्रिया से बाहर रखा गया परंतु राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा जनवरी 2015 में ईंट-भट्टों के लिए भी स्वच्छता प्रमाण पत्र को आनिवार्य किया गया। इस आदेश की आड़ में स्थानीय प्रशासन द्वारा ईंट निर्माताओं का शोषण हो रहा है जिससे यह उद्योग हतोत्साहित हो रहा है और इससे श्रमिकों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्री जी से मांग है कि इस

गाइडलाइन में संशोधन करने पर विचार करे जिससे ग्रामीण ईंट निर्माताओं की समस्याओं का निवारण हो सके।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री निशिकांत दुबे, श्री दुष्यंत सिंह को श्रीमती अनुप्रिया पटेल के साथ संबद्ध करने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर) : माननीय सभापति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज पीएमजीएसवाई में हम 250 की आबादी की जनगणना से जिन सड़कों को बनाने के लिए लिया है,

उसमें मेरा सरकार से निवेदन है कि पी.डब्ल्यू.डी. आज भी 2001 के नार्म्स से उन लोगों को जोड़ रहा है जबकि 2001 में जो 250-150 थे, वे आज 500-700 हो गये हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि उनकी आबादी 2011 से ली जाए क्योंकि सभी विभाग 2011 की आबादी से ले रहे हैं। उसी के साथ जहां तक बिजली का मामला है, सुबह मैंने कहा था और बिजली मंत्री जी ने कहा था कि रात को किसानों को बिजली दी जाए। किसानों को दिन में बिजली दी जाए, राजस्थान के अंदर बिजली रात को दी जा रही है जबकि माइनस डिग्री टैम्परेचर में किसान रात को बिजली नहीं ले सकता है न पानी लगवा सकता है, इसलिए इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बिजली के बिलों में बहुत भारी दिक्कत है क्योंकि जब हम गांवों में जाते हैं तो किसान एकदम से खड़ा हो जाता है कि उसका बिजली का बिल फालतू आ गया और उसको ठीक कराने में बहुत समय लगता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बिजली के बिल ठीक आएं और बिजली रात की बजाए दिन में दी जाए। यह किसानों की मांग है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री पी.पी. चौधरी और श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया के साथ जुड़ने की अनुमति है।

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): माननीय सभापति जी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में करीब पचास आई.ए.एस, आई.पी.एस. धनिक आदि भारत सरकार के माध्यम से दिल्ली से अंडमान और निकोबार में काम कर रहे हैं। वहां की आबादी 4.5 लाख है और आधिकारी 50 हैं और आज सुबह चार बजे...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया विषय पर बोलें।

श्री बिष्णु पद राय: यह सच है। मैंने अंडमान और निकोबार में ताड़ के किसानों के साथ हुई किसी बात के बारे में सूचना दी है। यदि आप कृपया मुझे एक मिनट दें, तो मैं वास्तव में विषय को बताऊंगा।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: इस विषय पर आइए।

[हिन्दी]

श्री बिष्णु पद राय: माननीय सभापति जी, मैं मांग करूंगा कि जिस कारण से मृत्यु हुई, उस पर तुरंत कार्रवाई हो, गलती क्यों की?...(व्यवधान)।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: आपने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में ताड़ के बागानों के संबंध में सूचना दी है।

श्री बिष्णु पद राय: मैं बिंदु पर आऊंगा।

माननीय सभापति: आप अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में ताड़ के बागानों के बारे में बोलिए।

श्री बिष्णु पद राय: मैं किसानों पर आ रहा हूं।

[हिन्दी]

महोदय, नितिन गडकरी जी अंडमान में दौरे के लिए आए थे। प्रधानमंत्री जी ने गडकरी जी को कहा था कि अंडमान में देखो कि पाम आयल प्लांटेशन कैसे हो सकता है क्योंकि भारत सरकार हर साल एक लाख करोड़ रुपए का पाम आयल थाईलैंड, मलेशिया आदि देशों से मंगाता है। अंडमान-निकोबार में उन देशों जैसा ही वातावरण है। मैंने भारत सरकार को पत्र दिया कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में पाम आयल प्लांटेशन किया जाए। अंडमान ट्रांक रोड में तीन किलोमीटर तक सदर्न ग्रुप आइलैंड्स में चावरा, तरेसा, ट्रिंकेट आदि आइलैंड्स में ग्रास आदि कुछ नहीं है। काचाल में, हाडवे में, लांग आइलैंड में पूरे द्वीप समूह में पाम आयल प्लांटेशन की व्यवस्था की जाए। इज़्राइल से बढ़िया मैक्सिमम हाई यील्डिंग आयल पोटेंट को लाकर आयल

कंटेंट लेकर हमारे द्वीप समूह में इस कल्चर को स्थापित किया जाए। इससे अंडमान की इकोनोमी मजबूत होगी और भारत की विदेशी मुद्रा में भी बहुत बचत होगी।

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में और साथ ही साथ मुम्बई में बहुत सारे ऐतिहासिक और धार्मिक इमारतें हैं। जहां आम जनता द्वारा पूजा-पाठ, शिक्षा और मेडिकल केयर के साथ-साथ कुछ जनसंस्थाएं भी चलायी जा रही हैं। इनमें से कई इमारतों की स्थिति आज जर्जर बनी हुई है। जिसके कारण यहां जनसेवक के रूप में योगदान देने वाले लोगों के साथ ही आम जनता को जान का खतरा बना हुआ है। इन इमारतों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। हैरीटेज लिस्ट में शीतला देवी मंदिर ग्रेड-2 में आता है। मेयर बंगला ग्रेड-2बी में आता है। माहिम फोर्ट ग्रेड वन में आता है और बेनबोर्ड स्कॉटिश चर्च और स्कूल ग्रेड-3 में आता है। शीतला देवी मंदिर का काम्पलैक्स भी ग्रेड-2 में आता है। इस क्षेत्र का माहिम मकदूम बाबा दरगाह और सैंट माइकल चर्च, गणेश मंदिर और बंगाल क्लब है। इन सभी का उल्लेख मैंने अभी किया वे सीआरजेड नोटिफिकेशन 2011 में किया गया था और एमसीजेडएमएन ने इन इमारतों की मरम्मत और पुनर्निमाण का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा हुआ है, परन्तु वर्षों से लम्बित इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र में एक वॉटर लाइन्स का और एक सीवरेज लाइन्स का प्रपोजल भी केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा हुआ है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन दोनों प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करें, जिससे इन दोनों समस्याओं का समाधान हो सके और जनता को इसका फायदा हो सके।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : महोदय, मैं अभी हाल में मार्च-अप्रैल, 2015 में मेरे जनपद हरदोई में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डॉक्टर एमबीबीएस के सात पद, स्टाफ नर्स के 58 पद, ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद 12, एनएनएम-2 पद, ट्रिटमेंट सुपरवाइजर जिला प्रबन्धक-1 पद की भर्ती प्रक्रिया पूरी की गयी, साक्षात्कार का दिखावा किया गया तथा अंक पेंसिल से अंकित किए गए। साक्षात्कार समाप्त होने के बाद जिन-

जिन अभ्यर्थियों का पैसा भर्ती के लिए जमा था, उन्हें भर्ती कर लिया गया जिस कारण अयोग्य लोगों का चयन हुआ है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की उक्त भर्ती प्रक्रिया को पुनः समीक्षा कर नई नीति बनाई जाए तथा जनपद हरदोई सहित उत्तर प्रदेश राज्य की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत की गयी भर्ती की जांच कराकर दोषियों को दण्डित किया जाए जिससे यह योजना अपने मूल उद्देश्य तक पहुंच सके।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ हैं ये हमारी सरहदों पर या दूसरे इलाकों में देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रही हैं। ये न केवल सरहदों की रक्षा कर रहे हैं बल्कि नक्सलवाद, आतंकवाद से भी लड़ाई कर रहे हैं। देश में जहां दंगा-फसाद होता है, वहां भी ये पहुंच कर स्थिति सामान्य करते हैं। इसके अलावा देश के महत्वपूर्ण स्थानों की भी ये रक्षा करते हैं। मैं समझता हूं कि डिफेंस परसोनल के बराबर ही इनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए होता है। लेकिन जब ये रिटायर होते हैं या इन्हें गोली लगती है या इंजर्ड होने के बाद रिटायर होते हैं तो इन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे नहीं मिलती हैं। लेकिन जब ये रिटायर होते हैं या जब ये इंजर्ड होते हैं, तो जो सहूलियतें इनको मिलनी चाहिए, वे नहीं मिलती हैं। डिफेन्स परसोनल्स और पैरा-मिलिट्री परसोनल्स की सर्विस में भी बहुत डिस्पैरिटी है। मैं आपके मार्फत भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पैरा-मिलिट्री फोर्सेज को भी वन रैंक-वन पेंशन में शामिल किया जाए और जो लोकल हॉस्पीटल्स हैं, वहाँ इनको सी.जी.एच.एस. फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। जब ये लड़ाई में घायल होते हैं या शहीद होते हैं, तो इनके आश्रितों को प्रायरिटी के तौर पर नौकरी दी जाए और जो विडोज़ हैं, उनको फुल पेंशन दिया जाए। डिफेन्स फोर्सेज और पैरा-मिलिट्री सर्विस में जो पे-स्केल है, उसे बराबर रखा जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

[13]*श्री अरविंद सावंत(मुंबई दक्षिण) : मैं मराठी में बोलने जा रहा हूं।

महोदय, कल 1 मई है, जिस दिन महाराष्ट्र का गठन हुआ था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ। सभापति महोदय, छत्रपति शिवाजी महराज, संभाजी महराज, तानाजी मालुसरे, जीवा महला जैसे वीर योद्धा महाराष्ट्र के थे। इन महान सपूतों ने इस राष्ट्र को स्वराज्य और सुराज्य दिया। बाजीराव पेशवा ने अटक और दिल्ली तक इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। यह महाराष्ट्र का गौरवशाली इतिहास था। महोदय, कल महाराष्ट्र दिवस है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें, कल छुट्टी है इसीलिए मैं आज बोल रहा हूं। इस अवसर पर, मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। प्रत्येक क्षेत्र में महाराष्ट्र का योगदान रहा है। गांधीजी के गुरु गोखले, लोकमान्य तिलक, चापेकर बंधु, हुतात्मा राजगुरु जैसे क्रांतिकारी सभी मराठी थे। सुनील गावस्कर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भी महाराष्ट्र से हैं।

महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें, कल महाराष्ट्र की वर्षगांठ है और मैंने केवल 15 सेकंड के लिए बात की है। यहां तक कि लता मंगेशकर भी महाराष्ट्र से संबंधित हैं। पत्रकारिता के प्रणेता 'दरपंकर' श्री बलशास्त्री जम्भेकर भी महाराष्ट्र से थे। भारतीय फिल्म उद्योग के पिता दादा साहेब फाल्के भी एक मराठी थे। हिन्दी फिल्म उद्योग के कई अन्य प्रसिद्ध कलाकार मराठी हैं। कल महाराष्ट्र दिवस है और यह 55वीं वर्षगांठ है। जब 1 मई 1960 को महाराष्ट्र बना, उस अवसर पर लता मंगेशकर ने एक सुंदर गीत गाया था जो इस प्रकार है:

"बहुत असोत सुंदर संपन्न् की महान,

प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा।"

---

[13]*मूलतः मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन बहुत विशाल था। सेनापति बापट, आचार्य अत्रे, प्रबोधनकर ठाकरे, श्रीपद डंगे, कोठारी और एस.एम.जोशी ने संयुक्त महाराष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। 106 लोग उस आंदोलन में मर गए और उसके बाद ही मुम्बई सहित महाराष्ट्र बना। लेकिन मैं अपना दुःख व्यक्त करता हूं क्योंकि महाराष्ट्र में बेलगाम, भलकी, बीदर, कारवार, निपानी और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था। उन्हें भी महाराष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए। मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी है।

महोदय, भारत सरकार ने 20 आईआईटीज की स्थापना की है और वे पीपीपी मॉडल पर बनेंगी। इसके प्रथम चरण में पांच आईआईटीज वर्ष 2013 स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मैं भारत सरकार का आभारी हूं कि वड़ोदरा में एक आईआईटी बनाने का निर्णय लिया गया है। आप जानते हैं कि गुजरात में बड़ी तेजी से औद्योगीकरण हो रहा है। गुजरात में वाइब्रेंट समिट के माध्यम से बहुत सारा निवेश हो रहा है, इसकी वजह से गुजरात में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है।

अतः मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि उत्तर गुजरात के मेहसाणा में और अहमदाबाद में आईआईटी एवं इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी स्थापित हों। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

केंद्रीय त्रावणकोर क्षेत्र में कोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। केंद्रीय त्रावणकोर क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने की लंबे समय से मांग की जा रही है।

अरनमूला में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र के बहुत करीब है। अगर अरनमूला हवाई अड्डा आता है, तो यह मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए मददगार होगा, जो चेंगन्नूर का केंद्र बिंदु है। चेंगन्नूर नगरपालिका शहर है और सबरीमाला का प्रवेश द्वार है। यदि भारत सरकार इस अरनमूला हवाई अड्डे की स्थापना की अनुमति देती है, तो यह लाखों-लाखों अयप्पा भक्तों के लिए मददगार

होगा। यदि यह अरनमूला हवाई अड्डा सरकारी क्षेत्र में या पीपीपी मॉडल के तहत स्थापित किया जाता है, तो यह केंद्रीय त्रावणकोर क्षेत्र के लोगों के लिए मददगार होगा। इसलिए, मैं सरकार से पीपीपी मॉडल के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में इस हवाई अड्डे की स्थापना करने का आग्रह करता हूं।

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): माननीय सभापति महोदय, ओडिशा में एम्स, भुवनेश्वर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। हालांकि यह वर्ष 2012 से चालू हो गया है, फिर भी यह बुनियादी ढांचे और नैदानिक स्वास्थ्य सुविधाओं से पिछड़ रहा है। भुवनेश्वर में एम्स स्थापित करने का उद्देश्य गरीब लोगों के लिए सुपर स्पेशियलिटी प्रौद्योगिकी उन्मुख सेवा के साथ-साथ सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा करना है। लेकिन यह विचार अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से मेरा अनुरोध है कि एम्स, भुवनेश्वर में सर्वांगीण सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि मेरे राज्य के गरीब लोगों को विकसित और सस्ते उपचार के लिए दिल्ली की यात्रा न करनी पड़े। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर, राजस्थान की ओर से धन्यवाद देता हूं।

महोदय, करौली जिले के जगर, खरैटा गांवों सहित आस-पास करीब 20 किलोमीटर के काले पत्थरों की पहाड़ी क्षेत्र में करीब 30 से 40 प्रतिशत लौह व अयस्क होने के प्रमाण मिल चुके हैं। जिसके लिए पूर्व मे सरकार के निर्देश पर निजी कंपनियों द्वारा सर्वे किया गया था। निजी कंपनियों द्वारा मशीनों से गहराई नापकर सैम्पल एकत्रित किए गए तथा उन्हें लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया, लेकिन वर्तमान में इस योजना के लिए कार्य की गति मंद पड़ गयी है।

महोदय, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि यदि इस कार्य को आधिक गति देकर प्रारंभ कराया जाए तो यहां लौह व अयस्क के भंडार मिल सकते हैं। साथ ही करौली जिले में इसका कार्यालय व प्लांट लगाया जाए तो

यहां के हजारों लोगों को रोजगार मिलने के साथ सरकार को भी भारी राजस्व प्राप्त हो सकेगा, जिससे करौली जिले के साथ ही राजस्थान और देश की तस्वीर व तकदीर बदल सकती है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री शंकर प्रसाद दत्ता (त्रिपुरा पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की जनविरोधी एवं मजदूर विरोधी नीति के कारण सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक, 2014 लाया गया है। आज ही लाखों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। यह विधेयक यात्रियों, चालकों और आम जनता के हित के खिलाफ है तथा राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करेगा। कानून और लाइसेंसिंग निजी कंपनी के पास जाएगा। सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस हड़ताल का समर्थन किया। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मजदूर विरोधी और जनविरोधी विधेयक को वापस ले। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया। पूरे देश में बरसों से एससी और एसटी के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर लोग नौकरियां ले रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसी तरह की एक घटना हुई, जिसमें एक बच्ची ने अनुसूचित जाति के लड़के के साथ शादी की और फर्जी प्रमाण पत्र बनवा कर विधान सभा का चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला के 304 नम्बर विधान सभा दुद्धी क्षेत्र से उसने 2012 का चुनाव लड़ा और आज यह स्थिति है कि वह वहां से विधायक हैं। उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर यह चुनाव लड़ा और जीता। इस फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के कारोबार पर लगाम लगे और आरक्षण का दुरुपयोग न हो। इसकी जांच जिला आधिकारी सोनभद्र के यहां अभी तक लम्बित है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए और एससी तथा एसटी के लोगों के लिए जो आरक्षण का लाभ दिया गया है, वह इन्हीं लोगों को ही मिलना चाहिए।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, मैं एक आति महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश में कई फर्जी कालेज चल रहे हैं, लोग फर्जी डिग्रियां ले लेते हैं और कुछ तो विधायक तक बन जाते हैं। दिल्ली के अंदर एक मंत्री ने इसी प्रकार की फर्जी डिग्री ली है, यह मामला कोर्ट के पास विचाराधीन है। जिस युनिवर्सिटी की उसे फर्जी डिग्री मिली है, उस युनिवर्सिटी ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा है कि यह हमारी युनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है। जिस कालेज का उसके पास सर्टिफिकेट है, उस कालेज ने भी मना कर दिया और 1990 से उस कालेज को मान्यता प्राप्त नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से फर्जी डिग्री लेकर लोग दूसरों के हक मार रहे हैं और वह विधायक दिल्ली सरकार में अभी तक कानून मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। दिल्ली सरकार एनसीआर होने के नाते इसका इंचार्ज उपराज्यपाल होता है। अतः केन्द्र सरकार को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और उस मंत्री को बर्खास्त करके पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजना चाहिए। ...(व्यवधान) इससे देश की संस्कृति को नुकसान होता है इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो लोग इस तरह से फर्जी डिग्री लेकर कानून मंत्री या उच्च पदों पर बैठे हुए है, क्या सरकार इस मामले में सोती रहेगी, इसलिए मेरी मांग है कि ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और उसे जेल भेज देना चाहिए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्रा, श्री पी.पी. चौधरी और श्री निशिकांत दुबे को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): सभापति महोदय, मैं, झारखंड की दो जातियों दंडक्षेत्र माझी एवम् मल्लक्षेत्र जाति जो अत्यंत गरीब है, के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन जातियों के लोग ज्यातर खेतीहर मजदूर हैं। दंडक्षेत्र माझी और मल्लक्षेत्र सामान्य जाति होने के कारण हमारे राज्य में इनके लोगों को शिक्षा-दीक्षा या रोजगार में कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। जबकि हमारे पड़ौसी राज्य

ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ये दोनों जातियां अनुसूचित जाति में आती हैं। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इन दोनों जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कृपा की जाए।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : सभापति जी, मैं झारखंड से सम्बन्धित मानव तस्करी का महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। झारखंड से प्रतिवर्ष हजारों लड़कियों को दिल्ली में ले जाकर बेचा जा रहा है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में लातेहार जिले सहित झारखंड के गुमला, लोहरदग्गा, गोड्डा, सिमडिगा जिलों से प्रति वर्ष हजारों लड़कियों को दिल्ली में काम कराने के लिए लाकर यहां बेचा जा रहा है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के महुआडाट प्रखंड में मानव तस्करी का गोरखधंधा चरम पर है। बिचौलियों द्वारा प्रति वर्ष सैंकड़ों लड़कियों को दिल्ली में लाकर बेचा जा रहा है। महुआडाट प्रखंड के पहराटोली गांव से ही पिछले दो महीने में डेढ़ दर्जन से आधिक लड़कियों को दिल्ली लाकर बेचने का मामला प्रकाश में आया है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से यह आग्रह करूंगा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रशासन को निदेश दिया जाए कि ऐसे सम्बन्धित मामलों की जांच की जाए और जो बिचौलियों तथा एजेंसीज का नेटवर्क है, उन पर कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री निशिकांत दुबे को श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : महोदय, देश के करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं जिनको बीपीएल सूची के अनुसार ही गरीबों की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में बीपीएल सूची 2001 में बनी थी। उसी से 15 साल बीत जाने के बाद भी गरीबों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जबकि 2011 में नई जनगणना हो चुकी है और उस समय भी जनगणना के आधार पर नई बीपीएल सूची बनाई गई थी जिसे बने हुए लगभग पांच वर्ष हो चुके हैं लेकिन उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। यह एक बहुत बड़ी

विसंगति है। इससे पूर्व में छूटे हुए लोगों को तथा इधर 15 वर्षों में गरीबी रेखा में आने वाले लाखों लागों को गरीब आधारित केंद्र व राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकार से वार्ता कर यथाशीघ्र सूची वर्तमान जनसंख्या के आधार पर मंगाकर नई सूची के आधार पर गरीबों को उक्त योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें साथ ही गरीबी रेखा का मानक आर्थिक रूप से नए ढंग से परिभाषित करने की जरूरत है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि राज्य सरकार से वार्ता करके यथाशीघ्र सूची मंगाकर जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2011 की सूची लागू की जाए और उसके आधार पर गरीबों को लाभ दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब न्यायपालिका में रिक्तियों की उपलब्धता के साथ-साथ विवादी को न्याय देने में शामिल खर्चों को देखते हुए, आम जनता का विश्वास खत्म हो रहा है। समस्याओं के उन्मूलन, समाधान और समाधान के लिए, हमने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया है और उस पर कानून बनाया है। इस अधिनियम के तहत हम यह प्रावधान कर सकते हैं कि जब भी कोई अधिवक्ता बार परिषद में पंजीकृत हो रहा हो, तो उसे पंजीकरण के बदले अनिवार्य किया जाए कि उसे गरीब वादी के लिए महीने में कम से कम एक बार काम करना आवश्यक है।

दूसरी बात, मैं यह भी सुझाव दे रहा हूं कि वर्ष 2008 के ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत, हमने कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय की स्थापना की है, लेकिन उस अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सके जिसके लिए यह अधिनियमित किया गया था। अगर इसे ठीक से लागू किया जाए तो पूरे देश में जो गरीब वादकारी गाँवों में और ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उन्हें ग्राम न्यायालय से ही न्याय मिल सकता है।

जहां तक लंबित मामलों का संबंध है, हमारे पास उच्च न्यायालय में 41.6 लाख मामले लंबित हैं और पूरे देश में अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 2.64 करोड़ मामले लंबित हैं। हमें रिक्तियों को तुरंत भरना होगा और

हम इस उद्देश्य के लिए सभी भारतीय न्यायिक सेवाएं भी बना सकते हैं। मैं माननीय कानून मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे आवश्यक कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदय, नेपाल और हमारे देश में हाल ही में आए भूकम्प त्रासदी से 6 हजार से आधिक लोग मारे गए हैं। लगभग लाखों लोग बेघर हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रयास राहत एवं बचाव कार्य के रूप में चल रहा है। वहीं बिहार सरकार द्वारा बिहारी मूल के भूकम्प पीड़ितों की अव्हेलना की जा रही है। अभी बिहार निवास में, जहां मैं अभी रह रहा हूं, वहां बिहारी मूल के काफी लोग आए थे। लेकिन अनेक लोगों को रहने के लिए जगह नहीं दी गयी। वहां के रेज़िडेंट कमिश्नर, ओएसडी और तमाम कर्मचारियों ने उनसे बड़ा ही दुर्व्यवहार किया। रात्रि में कुछ लोगों की गाड़ी छूट जाने के कारण सड़क पर परिवार एवं बच्चों के साथ भूखे-प्यासे रात बीतानी पड़ी, जो अत्यन्त खेदजनक है। मुझे लगता है कि वे मानवता की सीमा को पार कर चुके हैं। ऐसे पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि विपत्ति की इस घड़ी में यह भी निदेरशित होना चाहिए कि बिहार के नेपाल में हजारों लोग फंसे हुए हैं, अभी तक बिहार सरकार द्वारा वहां मोटर गाड़ियां नहीं भेजी जा रही हैं। वहां रक्सौल से लेकर नेपाल के बॉर्डर पार अन्य जगहों से बिहार के लोग वापस आना चाहते हैं। जहां भारत सरकार पूरी शक्ति और निष्ठा के साथ लगी हुई है, किन्तु बिहार सरकार का यह अवेहलनापूर्ण व्यवहार अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है और यह हम सभी के दुख की बात है।

[अनुवाद]

श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): कृपया ध्यान दिलाना चाहते हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोप्पल में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा बहुत दयनीय है। यह पिछड़े क्षेत्र 371-ट के विशेष प्रावधान के तहत आता है जैसा कि भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है।

जब कभी, मेरे संज्ञान में आता है कि क्षेत्र के लोग इस विसंगति से पीड़ित हैं और कई मामलों में विनाशकारी मृत्यु भी होती है।

उचित दवा मांगने वाले व्यक्ति के समक्ष आने वाली बहु-आयामी समस्याओं को कम करने के लिए कोप्पल में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने और विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है।

इसलिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले को देखिए जो कोप्पल की जनता के लिए बहुत मददगार होगा और कृपया इस प्रस्ताव को स्वीकृत कराएं।

माननीय सभापति : लोक सभा मंगलवार, 5 मई, 2015 को प्रातः 11 बजे के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 07.00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 5 मई, 2015 / 15, वैशाख 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित